विधिक सेवा कार्यक्रमों से सम्बन्धित परिपत्रों का संकलन

2006

उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
तृतीय तल, जवाहर भवन एनेक्सी
लखनऊ

विधिक सेवा कार्यक्रमों से सम्बन्धित परिपत्रों का संकलन 2006

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

तृतीय तल, जवाहर भवन एनेक्सी,
लखनऊ-226 001

अनुक्रमणिका

क्रम सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	विधिक सहायता	1 से 27
2.	कारागारों में विशेष अदालतों का आयोजन बन्दियों को कानूनी सहायता	28 से 55
3.	परामर्श एवं सुलह समझौता केन्द्रों के संचालन हेतु कार्य योजना	49 से 64
4.	प्रशासनिक व्यय तथा मासिक व्ययों का विवरण	65 से 77
5.	कर्मचारियों की नियुक्ति वेतन एवं मानदेय इत्यादि	78 से 83
6.	व्यय सीमा व अन्य	84 से 93
7.	तहसील समितियों का गठन एवं कार्यों का संचालन	94 से 113
8.	राष्ट्रीय विधिक साक्षरता मिशन को उत्तर प्रदेश में लागू किये जाने के लिये कार्य योजना	114 से 125
9.	लोक अदालत	126 से 176
10.	मानसिक रोगियों को विधिक सहायता	177 से 183
11.	स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा साक्षरता शिविरों का आयोजन	184 से 191
12.	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठको में लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय	192 से 195

उ0 प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
तृतीय तल, जवाहर भवन एनेक्सी,
लखनऊ–226001
U.P. STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY
3rd Floor, Jawahar Bhawan Annexe,
Lucknow-226 001

न्यायमूर्ति नसीमुद्दीन
(भू. पू. न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद)
कार्यपालक अध्यक्ष

कार्यपालक अध्यक्ष की कलम से

कानूनी सहायता एवं परामर्श बोर्ड का गठन राज्य के नागरिकों को समान न्याय का अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया था और यह कार्यक्रम प्रभावी ढंग से संचालित हो सके इसके लिये प्रपत्रों का एक संकलन वर्ष 1990 में प्रकाशित कराया गया था तत्पश्चात् विधिक सेवा कार्यक्रमों में विविधता आयी है और इसका क्षेत्र असीमित रुप से बढ़ा है साथ ही साथ विधिक सेवा अधिनियम, 1987 के अस्तित्व में आने के पश्चात् उ0 प्र0 कानूनी सहायता एवं परामर्श बोर्ड के स्थान पर उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, वर्ष 1997 में अस्तित्व में आया, जिससे कानूनी सहायता कार्यक्रमों में और अधिक गतिशीलता मिली है। मैने यह अनुभव किया है कि कानूनी सहायता कार्यक्रम के प्रपत्रों की अद्यतन संकलन की नयी पुस्तक प्रकाशित करायी जाये। अतः मेरे निर्देश पर प्राधिकरण के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अथक परिश्रम कर सुसंगत विषय क्रम से प्रकाशित करायी है जोकि विधि व्यवसाइयों एवं विधिक सेवा कार्यक्रमों से जुड़े कर्मचारियों एवं अधिकारियों के सुलभ संदर्भ हेतु अति सहायक साबित होगी, ऐसा मेरा विश्वास है।

(न्यायमूर्ति नसीमुद्दीन)
कार्यपालक अध्यक्ष

के० जेड० खान
(उच्च० न्यायिक सेवा)
सदस्य सचिव

उ0 प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
तृतीय तल, जवाहर भवन एनेक्सी,
लखनऊ–226001
U.P. STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY
3rd Floor, Jawahar Bhawan Annexe,
Lucknow-226 001

प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन वर्ष 1995 में, संसद द्वारा पारित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के प्राविधानों के अन्तर्गत किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद, 39–क की व्यवस्थाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना है ताकि कोई भी नागरिक आर्थिक अक्षमता या अन्य कारणों से न्याय प्राप्त करने के समान अवसर से वंचित न रह जाये। अतः विभिन्न स्तरों पर पात्र व्यक्तियों को विधिक सेवायें उपलब्ध कराने एवं जन–सामान्य को उनके वैधानिक अधिकारों के प्रति जागरुक बनाने के लिये राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशाधीन उच्च न्यायालय सेवाओं के विभिन्न कार्यक्रम चलायें जाते है। इन कार्यक्रमों के संचालन में एकरुपता रखने एवं प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से प्राधिकरण स्तर से समय समय पर परिपत्रों तथा प्राधिकरण की बैठक में पारित प्रस्तावों के माध्यम से दिशा निर्देश जारी किये जाते रहे हैं। इन समस्त दिशा निर्देश/परिपत्रों की सुलभ उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु यह आवश्यक पाया गया कि प्राधिकरण द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों का एक संकलन पुस्तक के रुप में प्राधिकरण स्तर से प्रकाशित कराकर सभी विधिक सेवा समितियों एंव जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को उपलब्ध कराया जाये।

अतः यह संकलन प्राधिकरण स्तर से प्रकाशित व प्रसारित कराया जा रहा है। इसके प्रकाशन में प्राधिकरण के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा अथक परिश्रम कर विषय वस्तुओं के सुसंगत परिपत्रों को क्रमशः संकलित किया गया है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि परिपत्रों का यह संकलन विधिक सेवा कार्यक्रमों से जुड़े अधिकारियों/कर्मचारियों व अधिवक्ताओं के लिये सहायक होने के साथ–साथ पात्र नागरिकों को भी विधिक सेवायें प्राप्त करने हेतु विधिक सेवा कार्यक्रमों को प्रभावी रुप से संचालित करने में सभी व्यक्तियों के लिये उपयोगी सिद्ध होगा।

K.Z.Khan

(के0जेड0खान)
सदस्य सचिव

अश्वनी कुमार
उच्च० न्यायिक सेवा
सचिव

उ0 प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
तृतीय तल, जवाहर भवन एनेक्सी,
लखनऊ–226001
U.P. STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY
3rd Floor, Jawahar Bhawan Annexe,
Lucknow-226 001

सम्पादकीय

विधिक सेवा कार्यक्रमों का निरन्तर विस्तार हो रहा है और राष्ट्रीय विधिक साक्षरता मिशन के प्रारम्भ हो जाने के बाद से विधिक सेवा कार्यक्रमों में निरन्तर प्रगति हो रही है। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यक्षेत्र निरन्तर बढ़ रहा है और राष्ट्रयी विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कई नए कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए हैं। इन कार्यक्रमों को सुचारु रुप से चलाने के लिए समय–समय पर निर्देश जारी किए गए हैं इनका संकलन कर इस आशय से प्रकाशन कराया जा रहा है कि कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करने वाले इन व्यक्तियों को इन दिशानिर्देशों का सुलभ संदर्भ उपलब्ध हो। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में यह प्रकाशन पूर्णतया सफल रहेगा।

(अश्वनी कुमार)
सचिव–2

विधिक सहायता

अर्द्धशासकीय पत्र सं0–3141/सात–अ0–न्या0–503/85,

जे0 ए0 कल्याणकृष्णन,
मुख्य सचिव।

न्याय (अधीनस्थ न्यायालय) अनुभाग सचिवालय–2 लखनऊ

दिनांक–: 17 सितम्बर, 1987

प्रिय महोदय,

समाज के आर्थिक दृष्टि तथा किसी अन्य अयोग्यता से पीड़ित नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता और परामर्श दिये जाने हेतु जिला स्तर पर गठित जिला कानूनी सहायता और परामर्श समिति द्वारा आयोजित कानूनी सहायता परामर्श शिविरों/लोक अदालतों में सक्रिय रूप से सहयोग प्रदान किये जाने के विषय पर कृपया मेरे अर्द्धशासकीय पत्र सं0 769/सातः–अ0–न्या0–503/85 दिनांक 30 अप्रैल, 1986 तथा मेरे पूर्वाधिकारी का अर्द्धशासकीय पत्र सं0 8690/सात–अ0–न्या0–503/85 दिनांक 21 सितम्बर, 1985 (प्रतिलिपि संलग्न) का अवलोकन करें।

2– उक्त पत्रों में आपसे यह विशेष रूप से अपेक्षा की गयी थी कि बोर्ड तथा समितियों द्वारा आयोजित बैठकों शिविरों तथा लोक अदालतों में आप भाग लिया करें तथा बोर्ड द्वारा समय–समय पर आयोजित शिविरों और लोक अदालतों की अपेक्षित व्यवस्था कराने के लिये अपना पूर्ण योगदान प्रदान करें और निर्धारित कार्यक्रमों के सफलतापूर्वक निष्पादन में अपना प्रभावी एवं महत्वपूर्ण सहयोग दें तथा लोक अदालतों और शिविरों में वादों की सुनवाई हेतु अपने–अपने विभागीय प्रतिनिधि पत्रावलियों के साथ अवश्य भेजा करें।

3– परन्तु अब पुनः शासन के संज्ञान में यह बात लायी गयी है कि उपरोक्त स्पष्ट निर्देशों के बावजूद भी कानूनी सहायता समिति द्वारा आयोजित लोक अदालतों/शिविरों में जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षकों तथा अन्य पदेन सदस्यों का अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा है। जिसके फलस्वरूप उक्त जनपदों में निःशुल्क कानूनी सहायता कार्यक्रम की यथेष्ट प्रगति नहीं हो पा रही है। यह स्थिति उचित एवं सन्तोषजनक नहीं है। अतः आप से यह अनुरोध है कि आप उत्तर प्रदेश कानूनी सहायता एवं परामर्श बोर्ड तथा जिला समितियों द्वारा आयोजित बैठकों, शिविरों, लोक अदालतों आदि के आयोजन में व्यक्तिगत रुचि ले तथा उनके सफलतापूर्वक संचालन में अपना पूर्ण योगदान करें तथा यह सुनिश्चित करें कि उपरोक्त विषय पर जारी किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन किया जाता है।

भवदीय,
(जे0 ए0 कल्याणकृष्णन)

संलग्नक :– उपर्युक्तानुसार।
प्रतिलिपि :– समस्त जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक
(नाम से)

जे0 ए0 कल्याणकृष्णन
मुख्य सचिव।

अर्द्धशासकीय पत्र
अर्द्धशासकीय पत्र सं0–769 / सात–अ0–न्या0
503 / 85
न्याय (अधीनस्थ न्यायालय) अनुभाग
सचिवालय–2
लखनऊ : दिनांक 30 अप्रैल, 1986.

प्रिय महोदय,

आप अवगत हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39–क में यह प्राविधान है कि "राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक व्यवस्था इस प्रकार काम करें कि न्याय समान अवसर के आधार पर सुलभ हो और वह, विशिष्टतया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाय, उपर्युक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से निशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा।" इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश शासन ने वर्ष 1980 में उत्तर प्रदेश कानूनी सहायता और परामर्श बोर्ड का गठन राज्य स्तर पर किया जिसका मुख्यालय 510, जवाहर भवन लखनऊ है। कानूनी सहायता और परामर्श योजना की कार्यवाही को निष्पादित करने हेतु उच्च न्यायालय स्तर पर उच्च न्यायालय कानूनी सहायता और परामर्श समिति इलाहाबाद एवं लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ एवं जिला स्तर पर जिला कानूनी सहायता और परामर्श समितियां गठित की गयी हैं।

2– जिला स्तर पर गठित समिति को योजना के प्रभावी कार्यान्वयन् हेतु समाज के आर्थिक दृष्टि तथा किसी अन्य अयोग्यता से पीड़ित नागरिकों को अधिक से अधिक कानूनी सहायता और परामर्श दिये जाने का उत्तरदायित्व दिया गया है जिसके सम्बन्ध में समय–समय पर समिति की बैठकों का आयोजन किया जाता है और प्रायः शिविरों / लोक अदालतों का भी आयोजन किया जाता है ताकि समाज के निर्धन और निर्योग्य व्यक्तियों को उनके घर के निकटतम स्थान पर विधिक परामर्श और निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करायी जा सके।

3– लोक अदालतों / शिविरों के आयोजन के सम्बन्ध में शासन के संज्ञान में यह बात लायी गयी हैं कि जिला कानूनी सहायता और परामर्श समितियों को प्रशासनिक सहयोग भली प्रकार नही मिल पा रहा है जिसके फलस्वरूप एक ओर कानूनी सहायता कार्यक्रम की यथेष्ट प्रगति नहीं हो पा रहीं है और दूसरी ओर दूर गाँव–गाँव से कठिनाई के बाद सहायतार्थ पहुँचे व्यक्तियों की प्रभावी मदद नहीं हो पाती है और उन्हें निराश लौटना पड़ता है, जिससे कि सहायतार्थ व्यक्तियों का अनावश्यक समय और धन व्यय होता है। इस सम्बन्ध में कृपया मेरे पूर्वाधिकारी के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 8690 / सात–अ0–न्या0–503 / 85 दिनांक 21 सितम्बर, 1985 (प्रतिलिपि संलग्न) का अवलोकन करें। जब तक समितियों के पदेन सदस्य गण जो राजकीय कर्मचारी हैं समिति की बैठकों में नियमित एवं सक्रिय रूप से भाग नही लेंगे तथा समिति के निर्णयानुसार आयोजित शिविरों व लोक अदालतों की अपेक्षित व्यवस्थाओं में सक्रिय सहयोग नहीं देगे तथा निर्धन जनता के मध्य योजना का व्यापक प्रचार नहीं करेंगे तब तक योजना में निहित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करना न केवल दुष्कर होगा अपितु कानूनी सहायता योजना का प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन भी सम्भव न हो सकेगा। राज्य की इस कल्याणकारी योजना के प्रभावी कार्यान्वयन में प्रत्येक राज्य कर्मचारी से यह अपेक्षाएं की गयी थीं कि वे :–

(अ) कानूनी सहायता और परामर्श योजना के कार्यक्रम में सक्रिय भाग लें।

(ब) जनता को कानूनी सहायता और परामर्श योजनाओं से प्राप्त होने वाले लाभों से परिचित करायें।

(स) कानूनी सहायता और परामर्श शिविरों तथा लोक अदालतें जब आयोजित की जायें तो उनकी पूर्ण व्यवस्था कराने में अपना–अपना विशिष्ट सहयोग दें, तथा

(द) जब कानूनी सहायता एवं परामर्श योजना के सम्बन्ध में उनके सहयोग की अपेक्षा की जाय उसे वे अविलम्ब यथाशक्ति प्रदान करें।

4– परन्तु यह खेद की बात है कि शासन की अपेक्षाओं एवं निर्देशों के अनुरूप सहयोग प्राप्त न होने की शिकायतें बराबर प्राप्त हो रहीं हैं। इस के परिणामस्वरूप दूर गांव–गांव से सहायतार्थ पहुँचे व्यक्तियों की प्रभावी मदद नहीं हो पाती है।

5– अतः शासन विशेष रूप से आपसे यह अपेक्षा करता है कि कृपया बोर्ड तथा समितियों द्वारा आयोजित बैठकों, शिविरों तथा लोक अदालतों में आप अपना दायित्व समझते हुये भाग लिया करें तथा बोर्ड द्वारा समय–समय पर आयोजित शिविरों और लोक अदालतों की अपेक्षित व्यवस्था कराने के लिये अपना पूर्ण योगदान प्राथमिकता के आधार पर प्रदान करें और निर्धारित कार्यक्रमों के सफलतापूर्वक निष्पादन में अपना प्रभावी एवं महत्वपूर्ण सहयोग दें तथा लोक अदालतों और शिविरों में वादों की सुनवाई हेतु अपने–अपने विभागीय प्रतिनिधि पत्रावलियों के साथ अवश्य भेजा करें।

6– मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि यदि भविष्य में किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कोई भी ऐसी शिकायत प्राप्त होती है कि उसने कानूनी सहायता प्रोग्राम में अपना सहयोग नहीं दिया और अवहेलना की तथा उदासीनता दिखाई तो उसके विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

अतः आप इन स्पष्ट निर्देशों से अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अवगत करा दें और उनका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय,
जे0 ए0 कल्याणकृष्णन

संलग्नक :– उपर्युक्तानुसार।
समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
समस्त पदेन सदस्य,
उत्तर प्रदेश कानूनी सहायता और परामर्श बोर्ड,
उच्च न्यायालय कानूनी सहायता और परामर्श समिति,
जिला कानूनी सहायता और परामर्श समितियां।

वृत्तांक : 17 / एस.एल.एस.ए.–224 / 98, दिनांक : अप्रैल 6, 1999

विषय : भारत के नागरिकों के साथ समस्त व्यक्तियों को पात्रता के आधार पर कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि दिनांक 12.9.98 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली में राज्य प्राधिकरणों के कार्यपालक अध्यक्षों एवं सदस्य सचिवों की बैठक आयोजित की गयी थी जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्कालीन कार्यपालक अध्यक्ष एवं उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायमूर्ति डा0 ए0एस0 आनन्द (वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश) ने की थी। उक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 व 21 को दृष्टिगत रखते हुए भारत के नागरिकों के साथ ही अन्य समस्त व्यक्ति भी विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के प्रविधानों के अन्तर्गत कानूनी सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।

इस संबंध में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की आठवी बैठक दिनांक 20.3.99 की मद संख्या–5 पर विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया कि उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

No. F,6 (18)/98-NALSA/S-18

SUBJECT : Substitution of clause 12 (d) of the Legal Services Authorities Act, 1987 by section 74 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation)Act, 1995.

Sir,

I am directed to state that the Persons with Disabilities (Equal Opportunities Protection of rights and Full Participation)Act, 1995 (No. 1 of 1996) which received the assent of the President on 1st January, 1996, has amended clause 12(d) of the Legal Services Authorities Act, 1987. Section 74 of the said Act, which is relevant for our purposes, is to the following effect

"74 Amendment of Act 39 of 1987 :- In section 12 clause (i) of section 2 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995"

2. Clause (i) of section 2 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection) Act, 1995, defines 'disability' as under :-

"(i) "disability" means -

(i) blindness ;
(ii) low vision ;
(iii) leprosy-cured ;
(iv) hearing impairment ;
(v) locomotor disability ;
(vi) mental retardation ;
(vii) mental illness ;"

3. It would thus be seen that the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 provides a wider definition of disability conditions.

4. The aforesaid amendment is being brought to your notice with the approval and under the directions of the Hon'ble Executive Chairman, NALSA. This may please be intimated to all legal services functioneries in the State.

परिपत्र सं0 : 22 / एस.एल.एस.ए.–75 / 97. दिनांक : अप्रैल 17, 1999

विषय :– अर्ह व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

जैसा कि आपको विदित है कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 व 13 तथा उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली 1996 के नियम 16 के अन्तर्गत कानूनी सेवा प्राप्त करने के संबंध में अर्हतायें निर्धारित की गयी हैं और इस संबंध में समय–समय पर यह निर्देश भी जारी किये गये हैं कि अर्ह व्यक्तियों को आवश्यक कानूनी सहायता उपलब्ध करायी जाय।

गत वर्षों से संबंधित प्राप्त आकंड़ों के अवलोकन से यह विदित होता है कि जिलों में अर्ह व्यक्तियों को विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों, महिलाओं तथा बच्चों को बहुत कम संख्या में निःशुल्क कानूनी सेवाएं उपलब्ध करायी गयी हैं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की आठवीं बैठक में इस विषय पर चिन्ता व्यक्त की गयी हैं कि वर्ष 1998–99 में अर्ह व्यक्तियों को जो कानूनी सहायता उपलब्ध करायी गयी है उसकी संख्या संतोषजनक नहीं है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया अधिनियम / नियमावली तथा विनियमावली में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत अधिक से अधिक संख्या में अर्ह व्यक्तियों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों महिलाओं तथा बच्चों को निःशुल्क कानूनी सहायता एवं परामर्श उपलब्ध कराने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

वृत्तांक पत्र सं0 : 4 / एस.एल.एस.ए.–39 / 99, दिनांक : फरवरी 18, 2000

विषय :– अर्ह व्यक्तियों को अधिकाधिक विधिक सेवाएं उपलब्ध कराया जाना।

महोदय,

मुझे आपसे यह निवेदन करने की अपेक्षा की गयी है कि माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 5 फरवरी, 2000 को लखनऊ में आयोजित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की त्रैमासिक बैठक में माननीय मुख्य न्यायाधिपति सहित अन्य सम्मानित सदस्यों द्वारा जनपदों में आयोजित विधिक साक्षरता शिविरों से जन–साधारण को अपेक्षित लाभ न मिलने के विषय में चिन्ता व्यक्त की गयी हैं माननीय सदस्यगण ने विचार व्यक्त किया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि प्रदेश के कोने–कोने में जिला प्राधिकरणों द्वारा जो विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किये जा रहे हैं, उनके फलस्वरूप लोगों में विधिक सेवाओं की समुचित जानकारी नहीं पहुच पा रहीं है क्योंकि इन शिविरों के आयोजन के बावजूद प्रदेश में विधिक सेवा प्राप्त करने वाले पात्र व्यक्तियों की संख्या बहुत कम है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण मुख्यालय में प्राप्त आकड़ों के अनुसार प्रदेश के विभिन्न जनपदों में दिनांक 1–4–99 से 31–12–99 के मध्य कुल 83 विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन किया गया, जिस पर काफी धन भी व्यय किया गया, किन्तु इस अवधि में मात्र 972 व्यक्तियों द्वारा ही पूरे प्रदेश में विधिक सेवा प्राप्त करने का उपक्रम किया गया। यदि औसत की दृष्टि से देखा जाय तो प्रत्येक विधिक साक्षरता शिविर के आयोजन से मात्र 12 व्यक्तियों द्वारा ही विधिक सेवा प्राप्त कराना इंगित होता है। यह संख्या चिन्ताजनक रूप से बहुत कम है। प्रचार तथा प्रसार के माध्यम से ही इससे अधिक लोगों को, जनपद न्यायालय के विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ही विधिक सेवा प्राप्त करने के लिये प्रेरित किया जा सकता था। माननीय सदस्यों द्वारा यह भी आशंका प्रकट की गयी है कि ऐसा तो नहीं है कि ऐसे विधिक साक्षरता शिविरों में मात्र व्याख्यान पर ही अधिक ध्यान / जोर दिया जाता हो तथा उपस्थित लोगों को इस प्रकार की सेवाओं को प्राप्त करने वाले अर्ह व्यक्तियों को ऐसी सेवा प्राप्त करने के लिये प्रेरित करने के लिये समुचित व्यक्तिगत प्रयास न किये जाते हों। माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय का यह विचार है कि इस संदर्भ में प्रत्येक तहसील में तहसीलदार नायब तहसीलदार, ग्राम प्रधान एवं स्वयं सेवी संस्थाओं (एन0जी0ओ0) का भी सहयोग प्राप्त करना उपयुक्त होगा जिससे ऐसे शिविरों के आयोजन से वास्तविक रूप से उपलब्धि होना सुनिश्चित हो सके।

आपसे सादर अनुरोध है कि आप कृपया अपने स्तर पर पात्र व्यक्तियों को अधिकाधिक संख्या में विधिक सेवाएं प्राप्त हो, यह सुनिश्चित कराने हेतु उनके द्वारा विधिक सेवा प्राप्त न करने के कारणों की जानकारी से राज्य प्राधिकरण को अवगत कराने की कृपा करें, साथ ही कृपया इस बात पर भी विचार करने / व्यक्त करने का कष्ट करें कि अधिक से अधिक विधिक साक्षरता शिविर किस प्रकार से आयोजित किये जायं जिससे भविष्य में अधिकाधिक पात्र व्यक्तियों को, तत्काल, विधिक सेवा प्राप्त कराने की प्रक्रिया, वास्तविक रूप से मूर्त रूप होती दिखाई पड़े।

परिपत्र सं0 :6 / एस.एल.एस.ए. – 23 / 99 दिनांक :– 15 मार्च, 2001

विषय :– निःशुल्क विधिक सेवा उपलब्ध कराये जाने हेतु वरिष्ठ अधिवक्तागण का एक पैनल तैयार किया जाना।

महोदय,

उ0 प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री श्यामल कुमार सेन की अध्यक्षता में दिनांक 20.12.2000 को आयोजित 15वीं बैठक में पात्र व्यक्तियों को न्यायालय में प्राधिकरण द्वारा समान स्तर के वकीलों को उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से मद संख्या–3 पर यह निर्णय लिया गया है कि :–

After a short discussion it was resolved that the District Legal services Authorities should be directed to prepare a Pannel of Senior Lawyers who agree to appear in cases pertaining to Legal Services matters on behalf of District Legal Services Authority without charging any fee. The copies of these Panel should also be sent to the State Legal Services Authority.

उक्त विषय में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का परिपत्र संख्या–29 / एस.एल.एस. ए–.23 / 99 दिनांक 2.6.99 तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के परिपत्र संख्या–3 दिनांक 16. 1.2001 द्वारा भी गरीब एवं निर्बल व्यक्तियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से निःशुल्क विधिक सेवायें अर्पित किये जाने हेतु वरिष्ठ अधिवक्ताओं का पैनल बनाने का अनुरोध किया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया यथाशीघ्र ऐसे वरिष्ठ एवं अनुभवी अधिवक्ताओं का एक पैनल बनायें जो स्वेच्छा से निःशुल्क विधिक सेवायें प्रदान किये जाने हेतु तत्पर हों तथा उक्त पैनल की एक प्रतिलिपि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को भी प्रेषित कराने का कष्ट करें।

सादर,

वृ0प0सं0 :10 / एसएलएसए – 185 / 92 दिनांक :– 23 मार्च, 2001

विषय :– उच्चतम न्यायालय में मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों हेतु विधिक सेवायें उपलब्ध कराने विषयक।

महोदय,

माननीय उच्चतम न्यायालय में मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों को विधिक सेवायें उपलब्ध कराने हेतु श्री रंजीत कुमार, सचिव, उच्चतम न्यायालय मध्यम आय वर्ग विधिक सहायता सोसाइटी के पत्र संख्या–एफ5(पीयूबी)(एस0सी0)(एम0आई0जी0) आई0ए0एस0 / 2001 दिनांक 13.02.2001 की प्रति तथा मध्यम आय वर्ग स्कीम की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करने का निर्देश हुआ है।

संलग्नक : यथोक्त।

F5 (PUB.)SC(MIG)IAS/2001

Registration No. S-34951/99

SUPREME COURT MIDDLE INCOME GROUP LEGAL AID SOCIETY

Registered under Socities Registration Act XXI of 1860

(The donantion to the society are exempted under Section 80 G of the income Tax Act, 1961)

Hon,'ble Justice **Mr. B.N. KIRPAL**
President,
Mr. RANJIT KUMAR
Secretary
Mr. P.H. PAREKH
Treasurer

109, Lawyers Chambers
Post, Office Wing,
Supreme Court Compound
New Delhi-110001
Tel/Fax : (011) 3388597

13-02-2001

The Member Secretary,
U.P. State Legal Services Authority.
3rd Floor, Jawahar Bhawan Annexe,
Lucknow-226001, UTTAR PRADESH.

Sir,

I take this opportunity to once again introduce the Middle Income Group Legal Aid Scheme which is available to be provided to the litigants approaching the Hon'ble Supreme Court for their cases. It is a self financing Scheme in as much as litigants who have a monthly income of more than Rs. 1500/- p.m. and less than Rs. 10,000/-p.m. or a person who has annual income of more than Rs. 18,000/- and less than Rs. 1,20,000/- is eligible to avail of this Scheme by paying fees and availing services of Advocate-on-Record/Senior Advocate. A broacher setting out the norms of the Scheme is enclosed herewith.

It would be evident from the said Scheme that under this Scheme litigant (s) can avail of the services of Advocate-on-Record/Senior Advocates of their choice to file and argue their cases before the Hon'ble Supreme Court of India at a much lower scale of fee than what is being normally charged. The applicant can choose his Advocate under the Scheme from the panel.

It is requested, therefore, that this Scheme may be made known to the members of the Bar and if possible, also to the litigants/public within your area/jurisdiction so that litigants and the Advocates on behalf of their clients are able to avail the benefits of this Scheme. It is known that litigation has become very costly and, therefore, this scheme was formulated for those who cannot afford the costly litigation and yet could avail the services of the best advocates of their choice in the Supreme Court.

I am sure you will take all steps and make all efforts to popularise this Scheme on our behalf.

It is also requested that the Scheme may kindly be put up on the notice board of the Committee.

MIDDLE INCOME GROUP LEGAL AID SOCIETY
109, LAWYERS' CHAMBER, POST OFFICE WING,
SUPREME COURT COMPOUND, NEW DELHI-110001.
(PHONE-3388313)
FAX-3388597

MIDDLE INCOME GROUP SCHEME

1- This scheme is intended to provide legal services to the middle income citizen i.e. citizens, whose gross maximum income per month does not exceed Rs. 10,000/- and the annual income does not exceed Rs. 1,20,000/-

DEFINITION

(a) The scheme is known as "SUPREME COURT MIDDLE INCOME GROUP LEGAL AID SCHEME" The Scheme is self-supporting scheme and the initial capital of the Scheme shall be contributed by the first Executive Committee.

SCHEDULE

The schedule of fee and expenses as appended to the Scheme shall be in force and is liable to be amended by the Committee from time to time.

THE OFFICE BEARERS OF THE SCHEME- The Members of the Executive Committee of the Supreme Court Legal Aid Committee shall be Ex-Officio Member of the Scheme. The Secretary and the Treasurer for the Scheme shall be nominated by the Executive Committee of the Supreme Court Legal Aid Committee. The Executive Committee shall have the power to coopt/appoint other Members on the Committee or staff to carry out the aims and objectives of the Scheme.

The office bearers of the Scheme shall meet at least once in two months or earlier if so deemed/expedient and necessary.

2- The Scheme will be applicable for cases intended to be filed in Supreme Court.

3- The Scheme will not be applicable to cases mentioned below, falling under the jurisdiction of the Supreme Court.

(a) Reference under Section 130 A of the Custom Act, 1962.

(b) Reference under Section 35 H of the Central and Excise and Salt Act, 1964.

(c) Reference under Section 82 C of the Gold (Control) Act, 1968
(d) Reference under Section 7 (2) of the M.R.T.P. Act, 1969
(e) Reference under Section 25 J of the income Tax Act, 1961
(f) Reference under Art. 317 (I) of the Constitution.
(g) Election under Part III of the President and Vice-President Act, 1952.
(h) Election of Members of Parliament and Members of State Legislature Under the Election Law.
(i) Appeal under Section 55 of the M.R.T.P. Act. 1969.
(j) Appeal under Clause (b) of Section 130 E of the Customs Act, 1962
(k) Appeal under Section 35 L of the Central Exice and Salt Act, 1944.
(l) Review matters.

4- The rates of fee payable to an Advocate or to a Senior Advocate (if engaged at the request of the litigant) will be such as indicated in the Schedule appended to this Scheme as applicable from time to time.

5- There will be a panel of Advocates including Advocates-on-Record under the Scheme. While drawing up the panel care be taken to include one Advocate, but not exceeding two, knowing Regional Language in the Territory of India in which the work is conducted in the Court below.

The panel Advocates shall give an undertaking in writing that they will abide by the terms & conditions of the scheme upon assignment of a case under the scheme.

6- Every person who desires to avail of the services of an Advocate empanelled under the Scheme will have to approach the Secretary of the Scheme by filling an application in the prescribed form annexed hereto along with the relevant documents.

7- It would be open to the Advocate on Record who is assigned the papers, upon the request made by an applicant under the Scheme to open as soon as the papers are received, and the learned Advocate peruses them that this is not a fit case for leave to appeal to the Supreme Court, in that view of the matter, the applicant will not be entitled to the benefit of the Scheme. All learned Advocates-on-Record are being requested to examine the matter in the first

instance and proceed to take effective steps only upon being satisfied that it is a fit case to be proceeded with. The Middle income Group Legal Aid Committee will proceed to take the view that an applicant is entitled to legal aid unless the learned Advocate-on-Record endorses the view as stated hereinabove that, it is not a fit case for legal aid. The view expressed by the learned Advocate-on-Record will be final in so far as the eligibility of the applicant for obtaining the benefit of the Scheme is concerned. Upon such an endorsement being made either upon the case papers or in any accompanying letter, the Supreme court Middle Income Group Aid Committee shall return the papers forthwith to the applicant and deduct a sum of Rs. 100/- only towards service charges. The balance amount of service charges and the amount which may have been deposited by the applicant with the Committee towards appropriation as fees and all expenses in the conduct of the case will be refunded.

8- The Committee will obtain a list of 3 names of Advocates in the order of preference from the panel maintained by the Committee. The applicant may indicate any 3 names both in relation to the Advocate-on-Record or the arguing Counsel or the senior Counsel as the case may be. The Committee would attempt to honour the choice indicated.

The Committee would be at liberty to assign the matter to any Advocate-on-Record/arguing Counsel, Senior Advocate of the Panel. The final right to assign the papers of the applicant under the scheme to any Advocate-on-Record or the arguing counsel or Senior Counsel will remain with the Supreme Court (Middle Income Group) Legal Aid Committee.

9- Any intending litigant desirous of availing the benefit of the Scheme shall have to fill up the form prescribed and accept all the terms and conditions contained therein. The proforma shall also contain a schedule of fee and expenses as applicable from time to time. The schedule shall indicate the fee payable for various items of work and shall also indicate the court fees and the approximate expenses for preparation of the court record. The applicant shall have to deposit the fee indicated by the Consultant-cum-Executive Lawyer, which will be in accordance with the schedule attached to the Scheme. It is only upon payment of the said amount that the Consultant-cum-Executive Lawyer will register the case as a case under the MIG Legal Aid Scheme and proceed to forward the papers to the Advocate-on-Record/Arguing Counsel/Senior Counsel on the panel, for opinion.

In relation to the approximate expenses for preparation of the Court record, the Consultant-cum-Executive

Lawyer will upon a perusal of the papers determine as to what would be the approximate amount necessary for the purpose of such preparation of the court record and in accordance with the schedule indicate the same to the applicant. If, however, for any reason, the amount which is due to the learned Advocate-on-Record under the scheme exceeds the amount indicated by the Consultant-cum-Executive Lawyer, then the applicant will be duty bound to make good the difference upon the Consutant-cum-Executive Lawyer certifying it to be so under the Scheme.

10- That the Executive Committee of the Scheme will open a S.B. Account with the UCO Bank. Supreme Court Compoud, in the name of "Supreme Court Middle Income Group Legal Aid Committee." The Account will be operated by any three members of the Executive Committee authorised by the Committee and the signatures of any two Members shall be sufficent to operate the account.

11- All sums received under the scheme including grants in aid will be accounted for by a person to be nominated in that behalf and duly audited.

12- The amounts so received under the Scheme will be used to defray all the expenses including the salaries and all expenses duly approved by the Executive Committee.

13- A Contingent Fund of the Scheme will be created to meet the miscellaneous expenditure in connection with the case under the Scheme by requiring the applicant under the Scheme to deposit upto the stage of admission, a sum of Rs. 350/- in addition to the charges required to be deposited with the Committee, out of this contingent fund, the fee of the auditor for auditing the account, printing of forms of application, vakalatnama, affidavit of facts, binding of registers for maintaining account etc. shall be made. Thus at the time of handing over the case papers, the applicant will have to make payment of the estimated fee, expenses that are indicated by the Consultant-cum-Excutive Lawyer as well as a sum of Rs. 350/-

14- The amount indicated by the Consultant-cum-Excutive Lawyer on the basis of the estimate details shall be deposited by the applicant in cash or by way of a Bank Draft. In the event of the learned Advocate taking the view that the case is not fit for an appeal to the supreme court then the entire amount after deducting Rs. 100/- towards minimum service charges of the Committee shall be refunded to the applicant by way of Cheque.

15- The initial expenses for printing of forms and other office expenses would be borne by initial corpus of the scheme.

16- The pattern of payment of fee to the Advocates under the Scheme will be same as per the schedule as applicable from

time to time.

17- On the assigning of a case to an Advocate under the Scheme the intending litigant will be directed to deposit with the Committee the fee and expenses as per schedule as assessed by the Consultant-cum-Excutive Lawyer. The payment to the Advocate or the service charges payable to the Scheme as stated in the Schedule shall be in cash or bank draft.

The Advocate-on-Record shall submit his bill on the basis of the amounts prescribed in the schedule with regard to printing Court fee and his appearnace fee along with a copy of the filing memo in token of a proof of filing the Petition/Appeal for which the claim is made. The Advocate will inform the Committee about the admission of any matter so that the client can be requested to pay the fee for processing the Appeal, without which information it will not be possible for the Committee to recover the amount from the client and pay to the Advocate on hearing of the case. The fee to the Advocate in regular matter shall be made on receipt of a bill from the Advocate at the time of the conclusion of the final hearing of the matter.

18- Once the case is assigned to an Advocate it is the responsibility of the Advocate to deal with the matter as he/she deems fit in the interest of the client and the Advocate is required to communicate directly with the litigant and the Committee will not monitor assignment and final disposal of the matter. However, the Committee will intercede upon the receipt of a complaint in writing.

19- After a complaint is received by the Committee from the litigant and/or the concerned Advocate against the litigant/Advocate then the Committee after enquiry may take such action as is deemed fit and necessary.

20- If the Advocate who is appointed under the Scheme is found negligent in the conduct of the case entrusted to him, then he will be required to return the brief together with the fee which may have been received by him from the applicant under the Scheme.

Further, the Committee would not be responsible for the negligent conduct of the case but the entire responsibility will that be of the panel Advocate vis-a-vis the client. The name of the Advocate would, however, be struck off from the panel prepared under the Scheme.

SCHEDULE OF FEE FOR ADVOCATE ON RECORD/ADVOCATES

(A) APPEARING ON BEHALF OF PETITIONERS

1. To fee for drafting SLP/Writ Petition/Transfer Petition including list of dates and miscellaneous application such as stay. exemption, bail, condonation of delay including conferences with the client upto the admission hearing of the matter (before notice stage) — CONSOLIDATED FEE Rs. 2200/-
2. To fee for drafting rejoinder affidavit, and/or contesting matter after notice is issued by the Court and till the disposal of the matter at the notice stage including acting work and adjournment (excluding final disposal at notice stage) — CONSOLIDATED FEE Rs. 1100/-
3. To fee for hearing of the matter at final disposal stage inclusive of adjournment, if any, and/or at appeal stage. — Rs. 1650/- per day UPTO A MAXIMUM OF Rs. 3300/-

(B) APPEARING ON BEHALF OF THE RESPONDENTS

1. To fee for drafting counter affidavit/statement of objection and all other necessary application including application for vacating stay and appearance inclusive of all conferences, upto admission stage excluding final disposal at notice stage. — CONSOLIDATED FEE Rs. 2200/-
2. Fee for hearing of matter at final disposal stage including adjournment, if any, and/or at appeal stage. — Rs. 1650/- per day UPTO A MAXIMUM OF Rs. 3300/-

(C) FEE FOR SENIOR ADVOCATES

1. To fee for settlement of SLP/Writ Petition/Transfer Petition/Counter affidavit/Statement of objection including conference, etc. — Rs. 1000/-
2. To fee for appearance at the admission stage/after notice at the rate of Rs. 1650/- per appearance upto a maximum of Rs. 3300/-
3. Fee for appearance at final disposal/appeal stage at the rate of Rs. 2500/- per apearance upto a maximum of Rs. 5000/-

SCHEDULE OF RATES FOR OUT OF POCKET EXPENSES

1.	Cost of Stencil	Rs. 4.00
2.	Cutting Stencil per sheet	Rs. 4.50
3.	Rolling @ 0.40 ps. per sheet(for 10 copies)	Rs. 4.00
		Rs. 12.50
	Typing (1+1) (0.50 ps. for each extra copy)	Rs. 4.50 per page
	Steno Charges	Rs. 8.00 per page
	Paper book binding	Rs. 5.00
4.	Court fee payable on petition as per the Supreme court Rules 1966 as amended upto date.	

विषय : **<u>महिलाओं को विधिक सहायता दिलाये जाने हेतु महिला अधिवक्ताओं की लीगल ऐड काउन्सिल पैनल में सम्मिलित किया जाना तथा योग्य एवं अनुभवी अधिवक्ताओं को पैनल में रखा जाना।</u>**

महोदय,

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के माननीय मुख्य संरक्षक महोदय एवं भारत के माननीय मुख्य न्यायाधिपति जी ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की प्रस्तावना पर विशेष बल देते हुए यह अपेक्षा की है कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के उद्देश्य के अनुरूप समाज के निर्बल एवं निर्धन वर्ग को विधिक सेवा के रूप में अधिवक्ताओं की जो सुविधा उपलब्ध करायी जाये, वह उच्च कोटि की हो ताकि विधिक सहायता प्राप्त वादकारी के मन में यह भ्रम बिल्कुल उत्पन्न न हो कि विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से उपलब्ध कराये गये अधिवक्ता किसी भी दृष्टि से उस अधिवक्ता से कम योग्य है जिसकी सेवा निजी तौर पर प्राप्त की जाती है। इस उद्देश्य की प्राप्ति तभी संभव है जब प्रत्येक जनपद में वरिष्ठ अधिवक्तागण स्वैच्छिक रूप से लीगल ऐड के अधिवक्ता के रूप में कार्य करने हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान करें।

माननीय मुख्य संरक्षक महोदय ने महिलाओं के विषय में इस तथ्य पर विशेष बल दिया है कि न्यायालयों में प्रायः जब महिला से कहा जाता है कि वह पुरूष अधिवक्ता से अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के विषय में चर्चा करें तो ऐसे में बहुधा महिलायें अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के विषय में चर्चा करने में हिचकिचाती हैं और लज्जा अनुभव करती हैं। ऐसे में लिंग भेद के कारण इन परेशानियों से महिलाओं को बचाने के लिये यह अपेक्षित है कि विधिक सेवा के क्षेत्र में जब किसी महिला को विधिक सहायता उपलब्ध करायी जाये तो जहाँ तक सम्भव हो उसे महिला अधिवक्ता की ही सुविधा उपलब्ध करायी जाये ताकि लिंग भेद के आधार पर उस महिला को किसी असामान्य स्थिति का सामना न करना पड़े।

उपरोक्त दोनों परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के माननीय मुख्य संरक्षक महोदय ने अपेक्षा की है कि लीगल ऐड काउन्सिल के पैनल का चयन उक्त आधारों को ध्यान में रख कर ही किया जाये। साथ ही पैनल अधिवक्ताओं को ऐसा पारिश्रमिक भी दिया जाये कि वह अधिवक्ता पूरे मनोयोग से संबंधित वादकारी की पैरवी करे। इसके अतिरिक्त महिला वादकारी को जहाँ तक संभव हो महिला अधिवक्ता की ही सेवाएं उपलब्ध करायी जायें।

इस सन्दर्भ में राष्ट्रीय प्राधिकरण के माननीय मुख्य संरक्षक जी एवं भारत के मुख्य न्यायाधिपति जी के पत्र के सुसंगत अंश आपके संज्ञान हेतु उद्धृत किये जा रहे हैं :–

The preamble to the Legal Services Authorities Act, 1987 lays emphasis on competent legal services to the eligible, but on account of various reasons, the aided persons getting legal aid through legal services authorities and committees carry an impression that legal assistance being provided to them is no match to that which a person with resources can arrange. Many times litigants with less efficient legal assistance are put to disadvantage in courts of law and face enormous difficulties in pursuit of justice. If we wish to ensure equal justice to all, this imbalance between the quality of legal assistance must go at the earliest.

In spite of various legislations, social reforms and legal

awareness, women in our country continue to suffer injustice, In the courts, they very often face embarrassment and humiliation when they are asked to discuss their personal problems with counsel from the opposite gender. I therefore, stress that as far as possible legal matters pertaining to women should be entrusted to lady advocates so that an effective and meaningful interaction takes place between the counsel and aided person to secure justice. It is desirable to involve more lady members of the profession in our legal services programmes.

I take this opportunity to further add that as suggested by Brother Mr. Justice S. P. Bharucha, Executive Chairman, NALSA the panels of legal aid counsel should be compressed and better emoluments should be offered so that more talented and experienced counsel join our panels and help us in providing effective legal aid to the poor, backward and downtrodden.

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माननीय मुख्य संरक्षक जी/माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय ने प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष महोदय से इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया है। अतः इस संबंध में राज्य प्राधिकरण स्तर पर निम्नांकित निर्णय लिये गये हैं :–

1. प्रत्येक जनपद में लीगल ऐड काउन्सिल पैनल में नामित किये जाने हेतु वरिष्ठ अधिवक्ताओं से व्यक्तिगत स्तर पर अपील करके उनकी सहमति प्राप्त की जाये कि वह प्रत्येक माह में कम से कम 2 या 4 मामले लीगल ऐड काउन्सिल के रूप में, यथासंभव निःशुल्क लेना स्वीकार करें तथा उनका नाम पैनल में शामिल किया जाये।
2. लीगल ऐड काउन्सिल के लिये पैनल में यथा आवश्यक अधिवक्ता रखे जायें और उन्हीं अधिवक्ताओं को शामिल किया जाये जो विधिक सहायता हेतु पूरे समर्पण की भावना से तत्पर हों। इसके साथ ही किसी भी वादकारी को विधिक सहायता के रूप में अधिवक्ता की सुविधा उपलब्ध कराये जाने से पूर्व उसके मामले का परीक्षण किया जाए और यह सदैव ध्यान रखा जाये कि ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो कि संबंधित वादकारी के मामले में पैनल अधिवक्ता पूरी रुचि न ले या उसकी पैरवी में कोई कमजोरी आ जाये। यहाँ तक की, अगर विशेष परिस्थितियों में कुछ अधिक पारिश्रमिक, अधिवक्ता की योग्यता एवं अनुभव के आधार पर दिया जाना आवश्यक हो तो उस पर भी विचार किया जा सकता है और उसके लिए राज्य प्राधिकरण से पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जा सकता है।
3. महिला वादकारी को विधिक सहायता देने हेतु अलग से महिला अधिवक्ताओं का लीगल ऐड काउन्सिल का पैनल तैयार किया जाये जिसमें जहाँ तक संभव हो केवल अनुभवी एवं योग्य उन महिला अधिवक्ताओं को शामिल किया जाये जो विधिक सेवा कार्यक्रमों एवं महिला कल्याण की दिशा में पूर्ण रूप से समर्पित हों। जिला प्राधिकरण द्वारा किसी महिला वादकारी के मामले में की गयी पैरवी में महिला अधिवक्ता द्वारा विशिष्ट योगदान देने पर उन्हें राज्य प्राधिकरण द्वारा प्रशस्तिपत्र देने हेतु राज्य प्राधिकरण को संस्तुत किया जा सकता है।
4. कृपया यह भी सुनिश्चित किया जाये कि जो अधिवक्ता इस कार्य हेतु शामिल किये जायें उनकी योग्यता एवं अनुभव में कोई कमी न हो ताकि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के उद्देश्य के अनुरूप सक्षम विधिक सेवायें वादकारी को प्राप्त करायी जा सकें।

अर्धशा० प० सं० / 129/ निस–एसएलएसए–217/97
उत्तर प्रदेश सरकार
GOVT. OF UTTAR PRADESH
उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
U.P.STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY
तृतीय तल, जवाहर भवन एनेक्सी
3rd Floor, Jawahar Bhawan Annexe
लखनऊ – 226001
LUCKNOW - 226001

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार त्रिवेदी
कार्यपालक अध्यक्ष
JUSTICE DINESH KUMAR TRIVEDI
Executive Chairman

प्रिय महोदय,

आपको विदित ही है कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में यह दर्शाया गया है कि जो मुकदमें सुलह समझौते के आधार पर तय कराये जायेंगे उनमें वादी को कोर्ट फीस जो उसने अपने दावे पर व्यय की है उसको वापस कर दी जायेगी। इस संबंध में कोर्ट फीस एक्ट 1870 मे धारा 16 नया जोड़ा गया है जो कि निम्नलिखित है :–

AMENDMENT OF THE COURT FEES' ACT, 1870

Insertion of new section 16

In the Court Fees' Act, 1870 (7 of 1870)(thereafter in this Chapter referred to as the Court Fees' Act), after section 15, the following section shall be inserted, namely :-

"16. Refund of Fee.- Where the Court refers Parties to the suit to any one of the mode of settlement of dispute referred to in section 89 of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) the plaintiff shall be entitled to a certificate from the Court authorizing him to receive back from the collector, the full amount of the fee paid in respect of such plaint.

इसी प्रकार से कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर (अमेन्डमेन्ट) एक्ट, 1999 (46 / 99) द्वारा संशोधन करके धारा 89 भी जोड़ा गया है। जिसमें लोक अदालतों द्वारा निर्णीत मुकदमों में भी कोर्ट फीस वापस हो जायेगी। कोर्ट फीस वापसी के लिये जैसा की कोर्ट फीस एक्ट सेक्शन 16 में दिया गया है कि जिस क्रोर्ट में मुकदमा लम्बित है उस कोर्ट द्वारा वादी को सर्टिफिकेट दिया जायेगा और कोर्ट फीस का पूरा पैसा कलेक्टर से वादी को प्राप्त हो जायेगा।

Insertion of new section 89.-

In the principal Act, after section 88, the following section shall be inserted, namely :-

"89. Settlement of disputes outside the Court :-

(1) Where it appears to the Court that there exist elements of a settlement which may be acceptable to the parties, the Court shall formulate the terms of settlement and give them to the parties for their observations and after receiving the observations of the parties, the Court may reformulate the terms of a possible settlement and refer the same for-

(a) arbitration ;

(b) conciliation ;

(c) *judicial settlement including settlement through Lok Adalat*
or
(d) *mediation.*

(2) *Where a dispute has been referred-*

(a) *for arbitration or conciliation, the provisions of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (26 of 1996) shall apply as if the proceedings for arbitration or conciliation were referred for settlement under the provision of that Act;*

(b) *to Lok Adalat, the Court shall refer the same to the Lok Adalat in accordance with the provisions of sub-section(1) of section 20 of the Legal Services Authority Act, 1987 (39 of 1987) and all other provisions of that Act shall apply in respect of the dispute so referred to the Lok Adalat.*

(c) *for judicial settlement, the Court shall refer the same to a suitable institution or person and such institution or person shall be deemed to be a Lok Adalat and all the provisions of the Legal Services Authority Act,1987(39 of 1987) shall apply as if the dispute were referred to a Lok Adalat under the provisions of that Act;*

(d) *for mediation, the Court shall effect a compromise between the parties and shall follow such procedure as may be prescribed.*

मेरे विचार से इन संशोधनों के पश्चात् कोर्ट फीस वापसी के संबंध में कोई परेशानी उत्पन्न नहीं होगी। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपने सभी न्यायिक अधिकारियों को इन संशोधनों से अवगत करा दें ताकि कोर्ट लोक अदालत द्वारा निर्णीत मुकदमों में, यदि कोर्ट फीस वापसी का मामला हो तो वादी को नियमानुसार सर्टिफिकेट उपलब्ध करा दे।

श्री
अध्यक्ष / जिला जज,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
दीवानी न्यायालय परिसर,

परिपत्र :03/एसएलएसए – 222/98 दिनांक : अप्रैल 22, 2003

विषय : <u>निःशुल्क विधिक सेवाओं के लिये अर्ह व्यक्तियों के मामलों में न्यायशुल्क एवं अन्य प्रकीर्ण व्ययों की प्रतिपूर्ति/भुगतान किया जाना।</u>

निःशुल्क विधिक सेवाओं के लिये अर्ह व्यक्तियों के मामलों में न्यायशुल्क एवं अन्य प्रकीर्ण व्ययों की प्रतिपूर्ति/भुगतान किये जाने विषयक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के वृ0प0सं0 13/एसएलएसए–222/98, दि0 06–04–1999 तथा वृ0प0सं0 30/एसएलएसए/ 222/98, दिनांक 02–06–1999 के अनुक्रम में मुझे आपसे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माननीय मुख्य संरक्षक जी की अध्यक्षता में दिनांक 10–03–2003 को आयोजित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की 19 वीं बैठक में मद संख्या–4 पर निम्नलिखित निर्णय लिया गया है :–

Item No 4 - "The Committee's report was considered and after detailed discussion it was decided that no financial limit be prescribed for the payment of court fee and miscellaneous expenses and the Chairman of the Distt. Authority be authorized for making payment of court fee as required under the court fee Act and Miscellaneous expenses as admissible under the rules and actually incurred in the case."

पत्रांक 11/एसएलएसए– 222/98 दिनांक जुलाई 13, 2005

विषय : पात्र व्यक्तियों को विधिक सहायता के अन्तर्गत न्याय शुल्क की प्रतिपूर्ति।

महोंदय,

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के संज्ञान में यह आया है कि ऐसे पात्र व्यक्तियों जिनके पास पर्याप्त सम्पत्ति है और जो न्यायशुल्क अदा करने में सक्षम हैं, द्वारा भी न्यायशुल्क के प्रतिपूर्ति की मांग की जा रहीं है। न्यायशुल्क की प्रतिपूर्ति किये जाने का विनियम बनाये जाने का उद्देश्य यह था कि निर्धन व्यक्ति न्यायशुल्क के अभाव में न्याय प्राप्त करने से वंचित न रह जाय। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 33 व 44 में निर्धन व्यक्तियों द्वारा अकिंचन के रूप में वाद/अपील प्रस्तुत किये जाने का प्राविधान पहले से ही मौजूद है।

उक्त के संदर्भ में मुझे आपसे यह अनुरोध करने का निर्देश प्राप्त हुआ है कि यदि कोई पात्र व्यक्ति न्यायशुल्क की मांग करता है तो उसकी तरफ से अकिंचन की हैसियत से मुकदमा दायर कराया जाना चाहिये केवल उन मामलों में न्यायशुल्क की प्रतिपूर्ति पर विचार किया जाना चाहिये जिनमें आदेश 33 व 44 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्राविधान लागू न होते हों।

कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

परिपत्र सं0 1862 / एसएलएसए–224 / 98, दिनांक अगस्त 1, 2005

विषय : विधिक सेवाओं के हकदार व्यक्तियों हेतु वार्षिक आय सीमा बढ़ाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के वृत्तांक पत्र सं0–20 / एसएलएसए–224 / 98, दिनांक 18 सितम्बर 2000 के क्रम में कृपया शासनादेश संख्या– 674 / सात–न्याय–7–05–45 / 90 (क), दिनांक 22 जुलाई 2005 (छाया प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय सभी स्रोतों से पच्चास हजार रूपये हो, को यदि मामला उच्चतम न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय में हो विधिक सेवाओं का हकदार ठहराया गया है।

2– अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली 1996 के नियम–16 को तद्नुसार संशोधित समझते हुये आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। आपसे यह भी अनुरोध है कि कृपया सूचना पटकों तथा अन्य विज्ञापन सामग्री पर सामान्य व्यक्तियों के लिये निर्धारित वार्षिक आय रू0 25,000 / – के स्थान पर रू0 50,000 / – अंकित करने का कष्ट करें।

वृत्तांक पत्र सं0 36 / एस.एल.एस.ए.–265 / 97 दिनांक : दिसम्बर 10, 1998

विषय :– माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका (दण्डिका) संख्या –312 / 94 उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति प्रति भारत सरकार आदि में पारित आदेश दिनांकित 18.8.98 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

माननीय उच्चतम न्यायालय ने कारागार में निरूद्ध दोषसिद्ध बंदियों को विधिक सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में निर्देश जारी किये हैं। संक्षेप में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का सार निम्न है:–

1. प्रशासनिक आदेश / निर्देश जारी करके यह सुनिश्चित किया जाय कि सेशन न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के 30 दिन में बन्दी / दोषसिद्ध बन्दी को उसके मामले में निर्णय की निःशुल्क प्रतिलिपि उपलब्ध करा दी जाय। सम्बन्धित न्यायालय की रजिस्ट्री व्यक्तिगत रूप से पृष्ठांकन करके प्रतिलिपि को बंदी को दिये जाने हेतु जिला कारागार अधीक्षक को अग्रसारित करेगी।

2. सम्बन्धित कारागार अधीक्षक सेशन न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय जैसा मामला हो के निर्णय को दोषसिद्ध बंदी को पढ़कर सुनायेगी तथा उसको ऐसी भाषा में जिसे वह समझ सके स्पष्ट करेगी।

3. प्रत्येक कारागार अधीक्षक बन्दी को उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में विधिक सहायता की उपलब्धता के बारे में सूचित करेगा तथा उससे पूछेगा कि क्या वह विधिक सहायता पाने के अपने संवैधानिक अधिकार को प्राप्त करने का इच्छुक है।

4. बंदी द्वारा विधिक सहायता प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त करने पर उसे कारागार से राज्य के खर्चे पर संबंधित उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में जैसा मामला हो लगाए जाने हेतु वकालतनामा या शपथपत्र की प्रतिलिपि उपलब्ध करायेगा।

5. कारागार अधीक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि बंदी द्वारा, हस्ताक्षरित वकालतनामा तथा शपथ पत्र राज्य के खर्चे पर पंजीकृत डाक द्वारा उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति अथवा उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति को पूर्ण प्रपत्रों / अभिलेखों के साथ में बिना किसी विलम्ब के भेज दिया गया है। यदि ऐसे प्रपत्रों को भेजने में विलम्ब होता है तो वह विलम्ब से भेजने का कारण अग्रसारित करने वाले प्रपत्रों के साथ भेजेगा।

6. यदि सेशन न्यायालय तथा उच्च न्यायालय का निर्णय अंग्रेजी के अलावा अन्य किसी भाषा में हो तो कारागार अधीक्षक राज्य के खर्चे पर निर्णय को अनुवाद कराकर उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति अथवा उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जैसा मामला हो, को भेजेगी।

माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त संदर्भित रिट याचिका (दाण्डिका)312 / 94 के आदेश दिनांकित 18.8.98 की प्रतिलिपि इस अनुरोध के साथ आपको प्रेषित की जा रही है कि अपने स्तर से माननीय न्यायालय के उक्त संदर्भित आदेश में पारित निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

IN THE SUPREME COURT OF INDIA
CRIMINAL ORIGINAL JURISDICTION
WRIT PETITION (CRL.)312 OF 1994

Supreme Court Legal Services Committee .....Petitioner

Versus

Union of India & ors. .....Respondents

(With W.P. (C)No. 637/97 and Contempt P. (Crl.) Nos. 1-31 in Writ Petition (Crl.) No. 312/94)

ORDER

WRIT PETITION (CRL.) 312/94 :

In this matter, after passing numerous interim orders and after adjourning the case from time to time to enable the concerned Authorities to implement the provisions of the Legal Services Authorities Act, 1987 it is now reported that almost all the States have substantially complied with the implementation of the Act. In view of that no further action is necessary except to consider the directions as prayed for in the writ Petition which reads as follows :-

"Issue appropriate Writs, orders of directions
in the nature of mandamus to each of the Respondents
directing ----

I) That they will ; by issuing administrative orders/instructions ensure that every prisoner/convict is provided with free copy of the judgement of the sessions Court or the High Court in her/his case or matter within 30 days of the pronouncement of such judgement and that the Registry of the Court concerned will personally endorse such copy to the Superintendent of the Jail for forwarding the same to the petitioner ;

II) The Superintendent of the Jail concerned to ensure that the judgement of the Sessions Court or the High Court, as the case may be, is read out to the prisoner and explained to him in the language as understood by him ;

III) That the prisoner will be informed by the Superintendent of every Jail about the availability of legal aid in the High Courts and the Supreme Court and be asked whether he is desirous of exercising his constitutional right to avail of Legal Aid.

IV) That every Jail will have to provide at the cost of the State Exchequer copy of Vakalatnama, proforma Affidavit in the form as required by the respective High Courts and the Supreme Court for being signed by the prisoner immediately upon expressing his intention to avail of legal aid ;

V) That the Superintendent of the Jail will ensure that complete papers/record of the case are sent to the Supreme Court Legal Aid

Committee or the High Court Legal Aid Committee along with the signed Vakalatnama and Affidavit of the prisoner forthwith by registered post at the cost of State Exchequer and that if there is any delay in forwarding the papers, the reasons of for forwarding the papers belatedly will acompany such papers.

VI) That where the judgement of the Sessions Court and the High Court is in a language other than English, the Superintendent of the Jail will at State's cost arrange to have the same translated before sending the papers to the Supreme Court Legal Aid committee or the High Court Legal Aid Committee, as the case may be."

The learned counsel appearing for various states submitted that no express direction is necessary as these direction are implied in the inplementation of the LegalServices Authorities Act, 1987. None the less, the counsel appearing for various states have no objection to order the above prayer for directions.

Accordingly, we allow the prayer for directions as sought in the Writ Pettion. The respondents shall take immediate steps to carry out the above directions. The reference in the prayer for direction to "Legal Aid Committee must be taken to mean and refer to the corresponding body now functioning.

In view of the above this petition will stand disposed of accordingly.

We place on record our thanks to all the learned counsel, who ably assisted the court in this matter for achieving the desired results.

WRIT PETITION (C) NO. 637/97 AND CONTEMPT. (CRL.)NOS : 1-31 IN WRIT PETITION (CRL.)NO. 312/94 :

In view of the order passed in Writ Petition (crl.) No. 312/94, these matters will also stand disposed off.

.....J
(K Venkataswami)

.....J
(A. P. Misra)

New Delhi,
August 18, 1998

From,

S.S.Kulshrestha, H.J.S.
Registrar
High Court of Judicature at
Allahabad

To,

All the District Judges
Subordinate to the High Court of Judicature at
Allahabad

C.L. No. 29/VIII b-13 Dated- 16-12-1999

Subject : Disposal of cases of under-trials.

Sir,

Hon'ble Supreme Court has expressed its concern with regard to the delay in the investigation and trial of the cases resulting in large number of under-trial prisoners being in jail for a long period of time. The poor/illiterate and weaker sections in the country suffer day in and day out in their struggle for survival. A large number of under-trial prisoners suffer prolonged incarceration even in petty criminal matters merely for the reason that they are not in a position even in bailable offences to furnish bail bonds and get released on bail. Prolonged confinement develop criminal traits.

Hon'ble High Court for meeting the said situation hereby direct that the Magistrate while dealing with the case of under-trial shall keep in their mind the following directions of the Court.

1- Every Chief Metropolitan Magistrate/Chief Judicial Magistrate of the area may hold his court once or twice in a month depending upon the workload in jail to take up the cases of those under-trial prisoners who are involved in petty offences and are keen to confess their guilt.

2- "Legal Aid Counsel" may be deputed in jails to help such prisoners and move applications on their behalf on the basis of which the Chief Metropolitan Magistrate/Chief Judicial Magistrate may direct the investigating agency to expedite the filing of the Police report.

3- If the prisoner after Police report feels guilty he may be awarded appropriate punishment in accordance with law.

4- In case where the under trial prisoners decide to contest the case his case may be transferred to the concerned court for trial in accordance with law.

If the accused are unable to provide surety bond in compliance of the bail order of the court because of their inability then the cases of such under-trias be decided with extreme priority and they be released on personal bond if the contingency so requires.

I am directed to communicate you that the aforesaid directions of the Court be brought to the knowledge of all the Magistrates subordinate to the Court for strict compliance.

Registrar

कारागारों में विशेष अदालतों का आयोजन
बन्दियों को कानूनी सहायता

वृत्तांक पत्र सं0 14 / एसएलएसए–96 / 98 दिनांक :– अप्रैल 6, 1999

विषय : अभियुक्तों को रिमान्ड स्टेज से कानूनी सहायता उपलब्ध कराने हेतु लीगल एड काउंसिल की नियुक्ति के संबंध में।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि सदस्य सचिव, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के पत्रांक एफ–6(2) / 98–नेल्सा / 128 दिनांक 10.06.1998 द्वारा मजिस्ट्रेट न्यायालयों में लीगल एड काउन्सिल की नियुक्ति के संबन्ध में एक योजना का प्रारुप प्राप्त हुआ था (प्रतिलिपि संलग्न) प्रस्तावित योजना पर उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की सातवीं बैठक दि0 22.08.98 में लिये गये निर्णय के अनुसार एक समिति का गठन किया गया था तथा राज्य प्राधिकरण की आठवीं बैठक में समिति की संस्तुतियों पर विचार करने के उपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी मजिस्ट्रेट के सामने अभिरक्षा में प्रस्तुत किया जाता है और ऐसा व्यक्ति अपना अधिवक्ता रखने में असमर्थ है तो संबंधित मजिस्ट्रेट निरूद्ध व्यक्ति से पूछेगा कि क्या वह अपना अधिवक्ता रखने में असमर्थ है तथा यह संतुष्ट होने पर कि निरूद्ध व्यक्ति अपना अधिवक्ता रखने में समर्थ नहीं है संबंधित मजिस्ट्रेट का यह दायित्व होगा कि वह स्वयं इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसा व्यक्ति अधिनियम, नियमावली तथा विनियमावली के अन्तर्गत कानूनी सहायता प्राप्त करने का पात्र है। संबंधित मजिस्ट्रेट जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बनाये गये अधिवक्ता के पैनल में से किसी अधिवक्ता की नियुक्ति करेगा और यदि पैनल में अंकित अधिवक्ता आसानी से उपलब्ध नहीं हो तो किसी अन्य अधिवक्ता की नियुक्ति राज्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानदेय / फीस के आधार पर की जा सकती है।

यह भी निर्णय लिया गया है कि जिला प्राधिकरण का यह दायित्व होगा कि वह जिले के प्रत्येक मजिस्ट्रेट को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 उ0 प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली, 1996 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (कारोबार का संव्यवहार और अन्य उपबन्ध) विनियमावली, 1997 तथा जिला प्राधिकरण द्वारा बनाये गये पैनल एडवोकेट की सूची उपलब्ध कराये।

आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने की कृपा करें ताकि रिमान्ड स्टेज पर भी अभियुक्तों को आवश्यक कानूनी सहायता उपलब्ध हो सके।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHOPRITY
(Constituted under the Legal Services Authorities Act. 1987)

12/11, जाम नगर हाउस, नई दिल्ली–110011
12/11, Jamnagar House, New Delhi-110011
Dated 10th, June, 1998

F. No. 6(2)/98-NALSA/1295
Shri C.P. Mishra,
Member-Secretary,
State Legal Services Authority,
3rd Floor, Jawahar Bhawan Annexe,
Lucknow - 226 001 (U.P.)

Subject : Model Scheme for "Legal Aid Counsel" in all the courts of Magistrates.

Sir,

His Lordship, Hon'ble Dr. Justice A.S. Anand, Judge Supreme Court of India and Executive Chairman, NALSA, in his D.O. letter dated 27th April, 1998 addressed to all the chief Justices of the High Court (Patrons-In-Chief of State Legal Services Authorities), had suggested a Scheme for the appointment of Legal Aid Counsel in all the Courts of Magistrates in the country for providing effective and meaningful legal assistance to undertrial prisoners, who feel handicapped in their defence on account of lack of resources or other disabilities and cannot engage a counsel to defend them. All the Hon.ble Chief Justices/Patrons-In-Chief of different States, from whom replies have been received so far, have welcomed the proposal and assured immediate implementation of the Scheme. We have also received requests from Member-Secretaries of some of the State Legal Services Authorities requesting for a Model Scheme/guidelines to facilitate the enforcement of the Scheme at the earliest.

2- The matter was brought to the kind notice of the Hon'ble Executive Chairman, NALSA. His Lordship has kindly approved a Model Scheme for Legal Aid Counsel in the courts of Magistrates and has directed me to circulate the same to all the State Legal Services Authorities. The Model Scheme, a copy of which is enclosed herewith, may be adopted and implemented with such modifications, as deemed fit, by the State Legal Services Authorities.

Your faithfully,

(R.C. CHOPRA)
MEMBER-SECRETARY

Encl. As above.

Model Scheme for "Legal Aid Counsel" in all the courts of Magistrates:-

According to Section 12(g) of the Legal Services Authorities Act, 1987 (as amended in 1994) any person in custody including custody in a protective home or in juvenile home or in psychiatric hospital or psychiatric nursing home is entitled to legal services for filing or defending a case. A large number of under trial prisoners who are not in a position to engage lawyers for defending them, feel handicapped in their defence and remain incarcerated for long periods. Therefore His Lordship Hon'ble Dr. Justice A.S. Anand, Judge Supreme Court of India and Executive Chairman National Legal Services Authority has invited suggestions/views from all the chief Justices of the High Courts (Patrons in Chief of state Legal Services Authorities) on a scheme for legal aid and assistance to the prisoners in custody. His Lordship has pointed out that Legal Aid Counsel may be attached to all the Courts of Magistrates in the country who should give legal assistance to the person in custody for opposing remand applications, securing orders for bail and moving miscellaneous applications as may be required. According to His Lordship; Legal Aid Counsel should be under an obligation to remain present in the court assigned to him during the remand hour and such other hours as may be directed by the Court. Thereafter when a challan is filed against the accused in custody in the court assigned to such advocate, the case should be entrusted to him for defence also. The appeals or revisions arising out of such challans should also be ordinarily entrusted to him. His Lordship is of the view that this system can go a long way in providing effective and meaningful legal assistance to under trial prisoners who feel handicapped in their defence on account of lack of resources or other dis-abilities and cannot engage a counsel to defend them. His Lordship has desired that this scheme be followed through out the country.

2. The Scheme lays emphasis for legal aid and assistance to the persons in custody at the following three stages :-
   a. When in custody during investigation of the cases and need legal assistance for getting released on bail and opposing remand applications :-
   b. legal assistance during trial for defence ; and
   c. legal assistance for preferring appeals or revisions in case of adverse orders.
3. In terms of the directions issued by His Lordship a model scheme has been formulated which may be adopted by the States with suitable modifications as required under the prevailing

circumstances and needs of the respective States as under :-

i) The first step should be to indetify all the Courts of Magistrates in each District for attaching Legal Aid Counsel. In case the workload in a particular court or courts is too little one Legal Aid Counsel may be attached to two courts even.

ii) State Legal Services Authority or District Legal Services Authority to which the implementation of the scheme is entrusted, may prepare a panel of Legal Aid Counsel preferably with a minimum standing of five years on criminal side. The Advocates from this panel may be attached to the Courts of Magistrates and may be called "Legal Aid Counsel"

iii) The remuneration and fee to be paid to Legal Aid Counsel may be determined by State Legal Services Authority or District Legal Services Authority, as the case may be. The remuneration/fee may be fixed under the following counts :-

   a) for attending the Court during remand hour every day (the remuneration for attending the court during remand hour may be fixed at Rs. 500/- per month or more depending upon the work load) ;

   b) fee schedule for acting as defence counsel for aided persons may be drawn. it may be on the basis of effective hearings in warrant as well as summon trial cases with a ceiling of maximum fee ;

   c) fixed fee with incidental expenditure for filing and contesting an appeal or revision. The appeals and revisions may be permitted to be filed with the approval of the Member Secretary of the State Legal Services Authority or Secretary District Legal Services Authority as the case may be.

(All payments to Legal Aid Counsel may be made after obtaining certificates from the concerned Judicial Officers regarding attendance of the counsel at the time of remand or conduct of trial/appeal/revision).

iv) Name and address of the Legal Aid Counsel may be displayed outside the Court to which he is attached with requisite information as to who are eligible persons under the Legal Services Authorities Act and no payment is required to be made by them to Legal Aid Counsel (in case of any complaint against a Legal Aid Counsel regarding demand of fee or any

other charges from an aided person, prompt action by way of removal of his name from the panel may be taken).

v) The scheme of Legal Aid Counsel may be given wide publicity in the State. Hoardings in the police station and jails may be affixed.

vi) The scheme can be more effectively implemented if printed proforms of appointment letters to be issued to Legal Aid Counsel, are handed over to the Courts of Magistrates with a request to issue the same in favour of the Legal Aid Counsel who takes over the defence of any person in custody being produced before the Court. On the basis of this appointment letter legal aid functionaries to issue, required order allocating that case to Legal Aid Counsel to facilitate settlement of bills.

vii) To ensure that the Legal Aid Counsel remains present in the Court during remand hour or any other hour of the day as directed by the court. Legal Aid functionaries may insist for an attendance certificate issued by the Court to the Legal Aid Counsel before making him payment for remand hour.

viii) Certificates of merit/Awards may be given to those Legal Aid Counsel whose performance is found to be outstanding.

वृतांक पत्र सं0 : 13 / एस.एल.एस.ए.–182 / 2000 दिनांक : 16 जून, 2000

विषय : विचाराधीन बन्दियों के मामलों के त्वरित निस्तारण हेतु जेल में विशेष अदालत के आयोजन एवं विधिक सहायता सेल की स्थापना के सम्बन्ध में

महोदय,

राज्य प्राधिकरण के वृत्तांक पत्र सं0 –875 / एसएलएसए–182 / 2000 दिनांक 28.4.2000 के अनुक्रम में महानिरीक्षक कारागार उत्तर प्रदेश के पत्रांक 13776 / सामा–1(1) दिनांक 3.5.2000 की छाया प्रति संलग्न करते हुये मुझे आपसे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि उत्तर प्रदेश के कारागारों में विचाराधीन बंदियों के मामलो के त्वरित निस्तारण हेतु यह आवश्यक है कि जिला कारागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एक नियमित अन्तराल पर कम से कम माह में एक बार विशेष अदालत आयोजित की जाये। यह उपयुक्त होगा कि जिला कारागार में एक विधिक सहायता सेल की स्थापना कर दी जाये जो विचाराधीन एवं दोषसिद्ध दोनों वर्गों के बंदियों से संबंधित मामलों के त्वरित निस्तारण हेतु उन्हें जेल में ही यथाशीघ्र विधिक सहायता उपलब्ध कराकर उनके विरुद्ध लम्बित मामलों का निस्तारण कर सकें। इस दिशा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जोकि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पदेन सदस्य हैं अथवा सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा कोई अन्य न्यायिक अधिकारी जिन्हें आप (अध्यक्ष) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नामित करें, द्वारा प्रत्येक माह में निश्चित तिथि पर जिला कारागार में बंदियों की समीक्षा की जाये तथा उनके मामलों के त्वरित निस्तारण हेतु उन्हें जेल में ही यथाशीघ्र विधिक सहायता उपलब्ध करा दी जाये और उनके विरुद्ध लम्बित मामलों का निस्तारण कर दिया जाये।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त दिशा में शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये राज्य प्राधिकरण को उपरोक्त विशेष अदालतों की प्रगति से अवगत कराने का कष्ट करें जिससे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को इस प्रदेश के कारागारों में आयोजित लोक अदालतों एवं उनमें निपटाये गये वादों का पूर्ण विवरण प्रेषित किया जा सके।

वृतांक पत्र सं0 : 875 / एस.एल.एस.ए.–182 / 2000 दिनांक : 28 अप्रैल, 2000

विषय : विचाराधीन बन्दियों के मामलों के त्वरित निस्तारण हेतु जेल में विशेष अदालतों के गठन के सम्बन्ध में

महोदय,

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विचाराधीन बन्दियों के मामलों के त्वरित निस्तारण पर विशेष बल देते हुए इस दिशा में उचित कार्यवाही के लिये कहा गया है। इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव न्याय, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ से प्राप्त पत्र की प्रतिलिपि आपके अवलोकनार्थ संलग्न की जा रही है।

इस सम्बन्ध में आपको यह भी अवगत कराना है कि दिनांक 19.2.2000 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में देश के समस्त राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के सदस्य सचिवों की एक बैठक सम्पन्न हुई जिसमें विचाराधीन बन्दियों से सम्बन्धित मामलों के त्वरित निस्तारण पर विशेष बल देते हुये यह निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक जिला जेल में एक विधिक सहायता सेल की स्थापना कर दी जाये जो विचाराधीन एवं दोष सिद्ध दोनों वर्गों के बन्दियों से सम्बन्धित मामलों के त्वरित निस्तारण हेतु उन्हें जेल में ही यथाशीघ्र विधिक सहायता उपलब्ध करा कर उनके विरुद्ध लम्बित मामले का निस्तारण कर सकें।

फलतः आपसे अनुरोध है कि जिला जेल में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एक नियमित अन्तराल पर लोक अदालतें आयोजित की जाये जिससे इस दिशा में महत्वपूर्ण सफलता मिल सके और अधिकाधिक लम्बित मामले इन विशेष अदालतों के माध्यम से निस्तारित कराये जा सकें।

अतः कृपया उपरोक्त दिशा में शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये राज्य प्राधिकरण को उक्त लोक अदालतों की प्रगति से सूचित करने की कृपा करें जिसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को इस प्रदेश की जेलों में आयोजित विशेष अदालतों तथा उनमें निपटाये गये वादों का पूरा विवरण भेजा जा सके।

वृतांक पत्र सं0 : 19 / एस.एल.एस.ए. – 182 / 2000 दिनांक : 16 सितम्बर, 2000

विषय : विचाराधीन बन्दियों के मामलों के त्वरित निस्तारण हेतु जिला कारागारों में आयोजित होने वाली विशेष अदालतों के सम्बन्ध में।

महोदय,

मुझे आपसे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि विचाराधीन बन्दियों के मामलों के त्वरित निस्तारण हेतु जिला कारागार में आयोजित की जाने वाली विशेष अदालतो के सम्बन्ध में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्र संख्या – 6 / 2 / 2000 / नालसा / 2344 दिनांक 10.08.2000 में स्पष्ट निर्देश प्राप्त हुए हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्र का अंश अक्षरशः आपके संज्ञान में लाने हेतु प्रस्तुत है।

"IN PURSUANCE OF A CALL GIVEN BY HON'BLE THE CHIEF JUSTICE OF INDIA SPECIAL COURTS ARE BEING HELD IN JAILS ALL OVER COUNTRY FOR DISPOSAL OF CASES OF THOSE UNDERTRIAL PRISONERS WHO ARE INVOLVED IN PETTY OFFENCES AND ARE WILLING TO CONFESS THEIR GUILT. THESE SPECIAL COURTS MAY BE HELD IN JAILS BUT SHOULD NOT TAKE UP SERIOUS CRIMINAL CASES AND MUST NOT BE CALLED LOK ADALATS."

अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये भविष्य में आयोजित होने वाली इन अदालतों को लोक अदालत की संज्ञा न देकर "जिला कारागार में आयोजित होने वाली विशेष अदालत" की संज्ञा देने का कष्ट करें।

वृतांक पत्र सं0 : 07 / एस.एल.एस.ए. – 287 / 2000 दिनांक : 15 मार्च, 2001

विषय : जेल में विचाराधीन बन्दियों को यथाशीघ्र विधिक सेवायें उपलब्ध कराया जाना एवं उनके मामलों के त्वरित निस्तारण हेतु जेल में ही विशेष अदालतों का आयोजन।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्ध में इस प्राधिकरण के वृत्तांक पत्र सं0 19 / एसएलएसए–182 / 2000 दिनांक 16.9.2000 के क्रम में ही मुझसे आपको यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की पन्द्रहवीं बैठक दिनांक 20.12.2000 में सदन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जेल में निरुद्ध निर्धन एवं निर्बल असहाय बन्दियों को त्वरित विधिक सेवायें उपलब्ध कराये जाने एवं विचाराधीन बन्दियों के मामलों को शीघ्रतिशीघ्र निस्तारित कराये जाने के उद्देश्य से छोटे–छोटे आपराधिक वादों को समाप्त कराये जाने हेतु एक नियमित अन्तराल पर जेल में ही विशेष अदालतों का आयोजन किया जाये।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया इस सम्बन्ध में शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक कार्यवाही कर यह सुनिश्चित कराने की कृपा करें कि आपके जनपद में स्थित कारागार में प्रत्येक माह एक नियमित अन्तराल पर जेल में ही विशेष अदालतों का आयोजन किया जाय एवं निस्तारित वादों एवं लाभान्वित व्यक्तियों से सम्बन्धित विवरण निर्धारित प्रारूप पर इस प्राधिकरण को समय से उपलब्ध करा दिया जाये। कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने की कृपा करें।

परिपत्र सं0 : 9 / एस.एल.एस.ए. – 182 / 2000 दिनांक : 23 मार्च, 2001

विषय : कारागार में निरुद्ध बन्दियों को विधिक सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु जेल में ही विधिक सहायता प्रकोष्ठ (सेल) की स्थापना।

महोदय,

कृपया उक्त विषयक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के परिपत्र सं0 875 / एसएलएसए–182 / 2000 दिनांक 28.4.2000 तथा परिपत्र सं0 13 / एसएलएसंए 182 / 2000 दिनांक 16.6.2000 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा जिला कारागार में निरूद्ध दोषसिद्ध एवं विचाराधीन बन्दियों को त्वरित विधिक सेवायें उपलब्ध कराये जाने हेतु जेल में ही यथाशीघ्र दो सदस्यीय विधिक सेवा प्रकोष्ठ की स्थापना किये जाने की अपेक्षा की गयी थी। इस प्रकोष्ठ में दो सदस्यों का गठन करने हेतु विधिक सेवा कार्यक्रमों के प्रति समर्पित अधिवक्ताओं एवं इच्छुक सेवा निवृत्त न्यायिक अधिकारियों की सेवायें ली जा सकती हैं।

यह अपेक्षित है कि सचिव जिला प्राधिकरण द्वारा स्वयं अथवा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सहयोग से माह में कम से कम 2 बार नियत तिथि तक कारागार में निरूद्ध ऐसे निर्धन एवं निर्बल बन्दियों की सूची जिला कारागार अधीक्षक से प्राप्त की जाये जिनके मामलों मे पैरवी के लिये उनका कोई अधिवक्ता नहीं है। यह सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव द्वारा विधिक सहायता प्रकोष्ठ के सदस्यों को उपलब्ध करा दी जायेगी। विधिक सहायता प्रकोष्ठ के सदस्य माह में एक बार अथवा आवश्यकता होने पर दो बार पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार नियत तिथि को जिला कारागार जाकर ऐसे निर्धन बन्दियों को निःशुल्क विधिक राय / विधिक सेवायें उपलब्ध करायेंगे तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु अपनी रिपोर्ट सचिव जिला प्राधिकरण को प्रस्तुत करेंगे। ऐसे बन्दियों के मामलों के त्वरित निस्तारण हेतु भी जेल मे ही माह में नियमित अन्तराल पर विशेष अदालतों का आयोजन कराया जा सकता है तथा विशेष अदालतों के आयोजन के समय उक्त विधिक सहायता प्रकोष्ठ के सदस्य भी उपस्थित रहने हेतु ऐसे बन्दियों को आवश्यक विधिक सेवायें उपलब्ध करायेंगे। बन्दियों को इस निःशुल्क विधिक सेवा योजना का ज्ञान कराने एवं प्रचार प्रसार हेतु कारागार / बंदीगृहों में उचित स्थानों पर सूचनार्थ सूचनापट लगाये जायें। जेल में निरूद्ध बन्दियों को विधिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु विधिक सहायता प्रकोष्ठ के प्रत्येक सदस्य को प्रति जेल विजिट रु0 एक सौ प्रति सदस्य की दर से मार्ग व्यय / मानदेय अध्यक्ष जिला प्राधिकरण की संतुष्टि पर दिया जायेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुये कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने की कृपा करें।

परिपत्र सं0–01 / एसएलएसए–116 / 2001 दिनांक :जनवरी 08, 2002

विषय : गिरफ्तारी और निरुद्ध के मामले में पीड़न से नागरिकों का बचाव किया जाना।

महोदय,

मुझे आपसे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 यह गारण्टी करता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण (जीवन) या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रकिया से अन्यथा वंचित नहीं किया जायेगा। गिरफ्तारी और निरुद्ध के मामले में पीड़न से नागरिकों के बचाव की दृष्टि से माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिलीप कुमार बसु प्रति पश्चिम बंगाल राज्य आदि एवं अशोक कुमार जौहरी प्रति उत्तर प्रदेश सरकार आदि एआईआर 1997 सु0को0 3017 में कुछ नियम निर्धारित किये हैं माननीय उच्चतम न्यायालय के अनुसार विधिक उपबन्ध बनाये जाने तक गिरफ्तारी और निरुद्ध के सभी मामलों में निवारक उपायों के रूप में निम्नलिखित अपेक्षाओं का पालन किया जाना चाहिए।

1. गिरफ्तार करने वाले और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से पूछताछ करने वाले पुलिसजन को अपनी पहचान का उल्लेख दृश्य रूप में धारण करना चाहिए, जिसमें नाम और पदनाम दोनों हों। जो पुलिसजन गिरफ्तार व्यक्तियों से पूछताछ करते हैं उन सबका विवरण एक रजिस्टर में रखा जाना चाहिए।
2. गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी, गिरफ्तारी का एक मेमो गिरफ्तार करने के समय तैयार करें और उस पर कम से कम एक साक्षी का अनुप्रमाणन होना चाहिए, जो या तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के कुटुम्ब का सदस्य हो या जिस परिक्षेत्र में गिरफ्तारी की गयी हो वहॉ का सम्मानित व्यक्ति हो। उस पर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के हस्ताक्षर भी होने चाहिए तथा उस पर गिरफ्तारी की तारीख और समय दिया जाना चाहिए।
3. जिस व्यक्ति को गिरफ्तार या निरूद्ध किया जाए और थाने या पूछतॉछ केन्द्र या अन्य हवालात में अभिरक्षा में रखा जाए, वह हकदार होगा कि एक मित्र या संबंधी या अन्य परिचित या उसके कल्याण में रूचि रखने वाला व्यक्ति यथासम्भव सूचित किया जाए कि वह गिरफ्तार किया गया है और अमुक स्थान पर निरूद्ध है, सिवाय उस दशा के जब गिरफ्तारी मेमो पर अनुप्रमाणन करने वाला व्यक्ति स्वयं गिरफ्तार व्यक्ति का ऐसा मित्र या संबंधी हो।
4. गिरफ्तारी का समय और स्थान तथा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की अभिरक्षा का स्थान पुलिस द्वारा उस दशा में जब गिरफ्तार किए गंए व्यक्ति का निकट मित्र या संबंधी जिले या नगर के बाहर रहता हो जिले के विधिक सहायता संगठन के माध्यम से और उस क्षेत्र के थाने के माध्यम से तार द्वारा गिरफ्तारी के बाद 8 से 12 घण्टे तक के भीतर अधिसूचित किया जाए।
5. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तार करते ही उसके इस अधिकार की जानकारी दी जानी चाहिए कि वह अपनी गिरफ्तारी या निरुद्ध की सूचना किसी व्यक्ति को भिजवा सकता है।
6. निरुद्ध के स्थान पर डायरी मे व्यक्ति की गिरफ्तारी विषयक प्रविष्टि की जानी चाहिए जिसमें उस व्यक्ति के निकट मित्र का नाम भी दिया जाएगा जिसे गिरफ्तारी की सूचना दी गई हो और उन पुलिस कर्मचारियों के नाम और विवरण दिए जाएंगे जिनकी अभिरक्षा में गिरफ्तार व्यक्ति रखा गया है।
7. जहॉ गिरफ्तार व्यक्ति अनुरोध करे वहॉ उसकी गिरफतारी के समय उसके शरीर

पर की बड़ी और छोटी चोटों की (यदि कोई हो) परीक्षा की जानी चाहिए और वे तभी लेखबद्ध की जानी चाहिए। उस निरीक्षण मेमों पर गिरफ्तार व्यक्ति तथा गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी दोनों के हस्ताक्षर होने चाहिए और उसकी प्रति गिरफ्तार व्यक्ति को दी जानी चाहिए।

8. गिरफ्तार व्यक्ति की प्रशिक्षित चिकित्सक द्वारा शारीरिक परीक्षा निरुद्ध के दौरान प्रति 48 घंटों में की जानी चाहिए और वह चिकित्सक ऐसा होना चाहिए जो संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवा निदेशक द्वारा अनुमोदित पैनल में हों। स्वास्थ्य सेवा निदेशक को सभी तहसीलों और जिलों के लिए ऐसा पैनल तैयार करना चाहिए।

9. गिरफ्तारी मेमो सहित सभी कागजों की प्रतियां स्थानीय मजिस्ट्रेट को उसके अभिलेख के लिए भेजी जानी चाहिए।

10. गिरफ्तार व्यक्ति को अनुज्ञा होनी चाहिए कि पूछतांछ के दौरान अपने अधिवक्ता से मिले, यद्यपि पूरे दौरान नहीं।

11. सभी जिला और राज्य मुख्यालयों पर पुलिस नियन्त्रण कक्ष उपलब्ध होना चाहिए जहाँ गिरफ्तार व्यक्ति की गिरफ्तारी और अभिरक्षा के स्थान की सूचना गिरफ्तार करने वाले अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी के 12 घण्टे के भीतर दी जाएगी और पुलिस नियन्त्रण कक्ष में वह सहजदृश्य स्थान पर लगे बोर्ड पर प्रदर्शित की जानी चाहिए।

माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त संदर्भित निर्णय की प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न की जा रही है। उपरोक्त अपेक्षाओं का अनुपालन न करने की दशा में संबंधित अधिकारी के विभागीय कार्यवाही के दायित्वाधीन होने के अतिरिक्त यह न्यायालय के अवमान के लिए भी दण्डनीय होगा और न्यायालय के अवमान की कार्यवाही के मामले में अधिकारिता रखने वाले–देश के किसी भी उच्च न्यायालय में की जा सकती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट किया है किये अपेक्षायें सांविधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों के अतिरिक्त है और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के अधिकारों और गरिमा की सुरक्षाा के संबंध में न्यायालयों द्वारा समय–समय पर दिये गये विभिन्न अन्य निर्देशों की ह्रासकारी नहीं है।

अतः यह आवश्यक है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा तहसील विधिक सेवा समितियों द्वारा आयोजित विधिक साक्षरता शिविरों में तथा अन्य विधिक सेवा कार्यक्रम विषयक यथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, समारोहों तथा ऐसे अन्य आयोजनों में गिरफ्तारी और निरुद्ध के मामले में पीड़न से/अभिरक्षीय हिंसा से नागरिकों के बचाव की दृष्टि से, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित उपरोक्त अपेक्षाओं/व्यवस्थाओं की अधिकाधिक जानकारी जन–साधारण को दी जाये। इसके अतिरिक्त विधिक सेवा कार्यक्रमों के अन्तर्गत जन सामान्य के लिये तैयार किये जाने वाले सरल भाषा में विधिक ज्ञान साहित्य, विशेष रुप से गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के अधिकारों के विषय में जागरुकता उत्पन्न कराने हेतु स्थानीय भाषा में पर्चे, हैण्डबिल्स तथा अन्य प्रचार–प्रसार माध्यमों से उक्त नियमों/अपेक्षाओं की जन–साधारण को जानकारी दी जाये।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया, गिरफ्तारी और निरुद्ध के मामले में पीड़न से नागरिकों के बचाव की दृष्टि से, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित उक्त नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक :

उच्चतम न्यायालय का संदर्भित निर्णय

AIR 1977 SUPREME COURT 3017
Dr. A.S. Anand and K.T. Thomas, JJ.

Criminal Misc. Petn. No. 4201 of 1977. In writ petn. (Cri) No. 539 of 1986 with Petn. (Cri) No. 592 of 1987, Dt. 01.08.1997

Dilip K. Basu Petitioner v. State of West Bengal and others, Respondents

with

Ashok K. Johari, Petitioner v. State of U.P. and others, Respondents.

Constitution of India, Art.32- Public Interest litigation- custodial violence-Prevention of -supreme court in 1997 AIR SCW 233 laid down certain basic requirements to be followed in all cases of arrest or detection till legal provisions are made in that behalf as a measure to prevent custodial violence-Compliance with said requirements-directions issued by Supreme court calling upon the Director General of Police and the Home Secretary of every State/Union Territory to report to Supreme Court compliance of the said directions and the steps taken by the All India Radio and the National Network of Doordarshan for broadcasting the requirements.(Paras 4,5)

Dr. A.M.Singhvi, Addl. Solicitor General (A.c.), Ms. Suruchi Agrawal, Sushil Kumar Jain, A.P. Dhamija, B. Krishna Prasad, Ms. A. Subhasini, B.B. Singh, Uma Nath Singh. B.S. Chahar, Ashok Mathur, Ms. Memantika Wahi, Ms. Nandini Mukherjee, Kailash Vasdev, C.K. Sasi, Raj Kumar Mehta, Dilip Sinha, K.R. Nagaraja, Ms. S Jalani, Aruneshawar Gupta, G. Prakash, Ms. Beena Prakash, Shakti Ahmad Syed, Ms. S. M. Jadhav. D.M. Nargolkar, A.S. pundir, R.B. Misra, Guntur Prabhakar, Prem Malhotra, M. Veerappa, R.S. Sodhi, J.K. Mannas, V. Krishnamurthy, D.N. Mukherjee, T. Sridharan, Gopal Singh, D.S. Mehta, Ms. Kamakshi Singh Mehiwal, V.G. Pragasam and Ms. Kamini Jaiswal, Advocates with him, for appearing parties.

ORDER :- On December 18, 1996 in D.K. Basu v. State of West Bengal. (1997) SCC 416 : (1997 AIR SCW 233) this court laid down certain basic "requirements" to be followed in all cases of arrest or detention till legal provisions are made in that behalf as a measure to prevent custodial violence. The requirements read as follows (Paras 36)

1- The Police persons! carrying out the arrest and handling the interrogation of the arrestee should bear accurate, visible and clear identification and name tags with their designations. The particulars of all such police personnel who handle interrogation of the arrestee must be recorded in a register.

2- That the police officer carrying out the arrest of the arrestee shall prepare a memo of arrest at the time of arrest and such memo shall be

attested by at least one witness, who may either be a member of the family of the arrestee or a respectable person of the locality from where the arrest is made. It shall also be countersigned by the arrestee and shall contain the time and date of arrest

3- A person who has been arrested or detained and is being held in custody in a police station or interrogation centre of other lock-up, shall be entitled to have one friend of relative or other person known to him or having interest in his welfare being informed, as soon as practicable, that he has been arrested and is being detained at the particular place, unless the attesting witness of the memo of arrest is himself such a friend or a relative of the arrestee.

4- The time, place of arrest and venue of custody of an arrestee must be notified by the police where the next friend or relative of the arrestee lives outside the district or town through the Legal Aid Organisation in the district and the police station of the area concerned telegraphically within a period of 8 to 12 hours. after the arrest.

5- The person arrested must be made aware of this right to have someone informed of his arrest or detention as soon as he is put under arrest or is detained.

6- An entry must be made in the diary at the place of dentention regarding the arrest of the person which shall also disclose the name of the next friend of the person who has been informed of the arrest and the names and particulars of the police officials in whose custody the arrestee is.

7- The arrestee should, where he so requests, be also examined at the time of his arrest and major and minor injuries, if any present on his/her body, must be recorded at that time. The "Inspection Memo" must be signed both by the arrestee and the police officer effecting the arrest and its copy provided to the arrestee and the police officer effecting the arrest and its copy provided to the arrestee.

8- The arrestee should be subjected to medical examination by a trained doctor every 48 hours during his detention in custody by a doctor on the panel of approved doctors appointed by Director, Health Services of the State or Union Territory concerned Director, Health Services should prepare such a panel for all tehsils and districts as well.

9- Copies of all the documents including the memo of arrest, referred to above, should be sent to the Illaqa magistrate for his record.

10- The arrestee may be permitted to meet his lawyer during interrogations though not throughout the interrogation.

11- A Police control room should be provided at all district and State headquarters, where information regarding the arrest and the place of custody of the arrestee shall be communicated by the officer causing the arrest within 12 hours of effecting the arrest and at the police control room it should be displayed on a conspicuous notice board."

12- This court also opined that failure to comply with the above requirements, apart from rendering the official concerned liable for departmental action, would also render him liable to punished for contempt

of court and the proceedings for contempt of court could be institute in and High Court of the country, having territorial jurisdiction over the matter. This Court further observed (1997 AIR SCW 233, para 40).

"The requirements mentioned above shall be forwarded to the Director General of Police and the Home Secretary of every State/Union Territory and it shall be their obligation to circulate the same to every police station under their charge and get the same notified at every police station at a conspicuous place. It would also be useful and serve larger interest to broadcast the requirements on All India Radio besides being shown on the National Network of Doordarshan any by publishing and distributing pamphlets in the local language containing these requirements for information of the general public. Creating awareness about the rights of the arrestee would in our oppinion be a step in the right direction to combat the evil of custodial crime and bring in transparency and accounability. It is hoped that these requirements would help to curb, if not totally eliminate, the use of questionable methods during interrogation and investigation leading to custodial commission of crimes."

13- More than seven months have elapsed since the directions were issued. Through these petitions. Dr. Singhvi, the learned Amicus Curise, who had assisted the Court in the main petition, seeks a direction, calling upon the Director General of Police and Home Secretary of every State./Union Territory to report to this Court compliance of the above directions and the steps taken by the All India Radio and the National Network of Doordarshan for broadcasting the requirements.

14- We direct the Registry to send a copy of this application, together with a copy of this order to respondents 1 to 31 to have the report/reports from the Director General of Police and the Home Secretary of the concerned State/Union Territory, sent to this Court regarding the compliance of the above directions concerning arrestees. The report shall indicate in a tabular form as to which of the "requirements" has been carried out and in what manner, as also which are the "requirements" which still remain to be carried out the steps being taken for carrying out those.

15- Report shall also be obtained from the Directors of All India Radio and Doordarshan regarding broadcasts made.

16- The notice on respondents 1 to 31, in addition, may also be served through the standing counsel of the respective States/Union Territories in the Supreme Court. After the reports are received, copies of the same shall be furnished to the Advocate on Record for Dr. Singhvi, Ms. Suruchi Agrawal Advocate.

17- The reports shall be submitted to this court in the terms, indicated above, within six weeks from today. The matters shall be put upon board for monitoring after seven weeks.

Order accordingly

अर्धशा० प० सं० ७४/निस–एसएलएसए–११६/२००१
उत्तर प्रदेश सरकार
GOVT. OF UTTAR PRADESH
उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
U.P.STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY
तृतीय तल, जवाहर भवन एनेकसी
3rd Floor, Jawahar bhawan Annexe
लखनऊ – २२६००१
LUCKNOW - 226001

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार त्रिवेदी
कार्यपालक अध्यक्ष
JUSTICE DINESH KUMAR TRIVEDI
Executive Chairman

प्रिय महोदय,

कृपया माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिलीप कुमार बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य आदि ए0आई0आर0 1997 एस0सी0 3017 का अवलोकन करने का कष्ट करें। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने इस निर्णय द्वारा कई निर्देश जारी किये हैं उन सभी निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक है। निर्देश संख्या–4 जो निम्नलिखित हैं, को विशेषकर देंखे जिसके द्वारा आप पर एक जिम्मेदारी डाली गई है। अतः आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि ऐसी सूचना प्राप्त होने पर आप तुरन्त माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही करे। इस निर्देश से आप अपने जिले के समस्त न्यायिक अधिकरियों को अवगत करा दें। इसके पूर्व भी इस कार्यालय के परिपत्र संख्या 01/एसएलएसए –116/2001, दिनांक जनवरी 8, 2002 द्वारा भी आपको अवगत कराया जा चुका है। यहां पर यह भी बताना आवश्यक है कि इस संबंध में मोनिटरिंग कमेटी बन चुकी है जिसके अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति श्री ए0 बी0 श्रीवास्तव जी हैं। यह कमेटी इस संबंध में मोनिटरिंग भी कर रही है।

"निर्देश संख्या – 4:

The time, place of arrest and venue of custody of an arrestee must be notified by the police where the next friend or relative of the arrestee lives outside the district or town through the Legal Aid Organisation in the District and the Police station of the area concerned telegraphically within a period of 8 to 12 hours after the arrest."

सादर,

भवदीय

(दिनेश कुमार त्रिवेदी)

जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
दीवानी न्यायालय परिसर,

परिपत्र संख्या : 04 / एसएलएसए–96ए / 98 दिनांक : अप्रैल 20, 2002

विषय : मजिस्ट्रेट न्यायालयों में रिमाण्ड स्तर पर अभियुक्तों को विधिक सेवायें उपलब्ध कराने हेतु लीगल ऐड काउन्सिल स्कीम।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य प्राधिकरण के परिपत्र संख्या 24 / एसएलएसए–96ए / 98 दिनांकित 22.9.2000 तथा परिपत्र संख्या 27 / एसएलएसए–96ए / 98 दिनांकित 18.10. 2000, जिनके द्वारा मजिस्ट्रेट न्यायालयों में रिमाण्ड स्तर पर अभियुक्तों को विधिक सेवायें उपलब्ध कराने तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रेषित लीगल एण्ड काउन्सिल स्कीम का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया था, के क्रम में मुझे आपसे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि आपसे यह अनुरोध किया जाये कि जो अधिवक्ता मजिस्ट्रेट न्यायालयों में रिमाण्ड स्तर पर स्वेच्छा एवं सेवा भाव से निःशुल्क सेवायें अर्पित करना चाहते हैं, यथासंभव वरीयता के आधार पर केवल उन्हीं अधिवक्ताओं की ही सेवायें ली जायें। विकल्प में यह व्यवस्था की जा सकती है कि प्रत्येक अथवा दो मजिस्ट्रेट न्यायालयों में मानदेय के आधार पर अधिवक्ताओं की निुक्ति करने के बजाय / स्थान पर पूरे जनपद में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एक अथवा कार्य की अधिकता होने पर दो अधिवक्ताओं की , जैसी आवश्कता हो, मजिस्ट्रेट न्यायालयों में रिमाण्ड स्तर पर विधिक सेवायें अपलब्ध कराने हेतु मानदेय के आधार पर नियुक्ति कर दी जाये, तथा आवश्यकता पड़ने पर किसी भी न्यायालय में रिमाण्ड स्तर पर विधिक सेवायें उपलब्ध कराने हेतु ऐसे अधिवक्ताओं की सेवायें ली जायें। यहाँ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि मजिस्ट्रेट न्यायालयों में रिमाण्ड स्तर पर कोई भी अभियुक्त अपनी निर्धनता या पैरोकार न होने के कारण या अन्य किसी निर्योग्यता के कारण न्याय पाने से वंचित न रह जायें। रिमाण्ड स्तर पर मजिस्ट्रेट न्यायालय में विधिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु नियुक्त अधिवक्ताओं को मानदेय का भुगतान माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय के अर्धशासकीय पत्र संख्या 73 / निस / एसएलएसए–96ए / 98 दिनांकित 8.2.2002 जिसकी प्रति पुनः संलग्न की जा रही है तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के परिपत्र संख्या 14 / एसएलएसए–96ए / 98 दिनांकित 10.7.2001 के अनुसार, किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि वर्ष 2002–2003 हेतु उपरोक्तानुसार मजिस्ट्रेट न्यायालयों में रिमाण्ड स्तर पर अभियुक्तों को विधिक सेवायें उपलब्ध कराने हेतु लीगल ऐड काउन्सिल की नियुक्ति तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रेषित लीगल एण्ड काउन्सिल स्कीम का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

अर्धशा० प० सं० ७४/निस–एसएलएसए–११६/२००१
उत्तर प्रदेश सरकार
GOVT. OF UTTAR PRADESH
उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
U.P.STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY
तृतीय तल, जवाहर भवन एनेक्सी
3rd Floor, Jawahar Bhawan Annexe
लखनऊ – २२६००१
LUCKNOW - 226001

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार त्रिवेदी
कार्यपालक अध्यक्ष
JUSTICE DINESH KUMAR TRIVEDI
Executive Chairman

दिनांक : फरवरी 8, 2002

प्रिय महोदय,

इधर यह देखने में आया है कि जिलों से मैजिस्ट्रेटी न्यायालयों में रिमाण्ड स्तर पर अधिवक्ताओं को नियुक्त करके उन्हें मानदेय दिये जाने के संबंध में मांग पत्र राज्य प्राधिकरण को प्राप्त हो रहे हैं परन्तु किसी भी मांग पत्र में यह नहीं दर्शाया गया है कि इसके पहले भी यदि इस मद में कोई धनराशि दी गई थी तो उसका वितरण अधिवक्ताओं में किया गया या नहीं और यदि उसका वितरण किया गया है तो उसमें किन किन मुकदमों में कितने अधिवक्ताओं ने योगदान दिया है इसका भी विवरण होना चाहिए। अतः आप लोगों से यह अनुरोध किया जाता है कि आप सभी न्यायिक अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं को यह सूचित कर दें कि मैजिस्ट्रेटी न्यायालय में रिमाण्ड स्तर पर यदि किसी अभियुक्त को विधिक सेवा उपलब्ध कराई जाती है तो उसका एक आदेश संबंधित पत्रावली पर अवश्य रख दें और अधिवक्ता को यह निर्देश दे दे कि वह सम्बन्धित मामले के संबंध में न्यायालय में जिन जिन तिथियों पर जितना काम करें उसका विवरण अपने पास नोट करें और यह विवरण आपको उपलब्ध कराने के बाद ही नियमानुसार अधिवक्ताओं को मानदेय देय होगा। अतः आपसे निवेदन है कि आप सभी उन अधिवक्ताओं को, जिनकी नियुक्ति विधिक सेवा उपलब्ध कराने हेतु की जाय, निर्देशित कर दें कि तिथिवार विवरण संबंधित मैजिस्ट्रेट से प्रमाणित कराकर आपको, उपलब्ध करा दिया करें ताकि राज्य प्राधिकरण के परिपत्रों के अनुसार नियमानुसार भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जा सके।

भवदीय

(दिनेश कुमार त्रिवेदी)

समस्त जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
दीवानी न्यायालय परिसर,

अर्धशा० प० सं० १११/निस–एसएलएसए–११६/०१
उत्तर प्रदेश सरकार
GOVT. OF UTTAR PRADESH
उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
U.P.STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY
तृतीय तल, जवाहर भवन एनेक्सी
3rd Floor, Jawahar Bhawan Annexe
लखनऊ – २२६००१
LUCKNOW - 226001

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार त्रिवेदी
कार्यपालक अध्यक्ष
JUSTICE DINESH KUMAR TRIVEDI
Executive Chairman

दिनांक : जुलाई 19, 02

प्रिय महोदय,

कृपया इस कार्यालय के अर्धशा0प0सं0 74/निस/एसएलएसए–116/01 दिनांकित 18.1.2002 का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा दिलीप कुमार बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य आदि ए0आई0आर0 1997 एस0 सी0 3017 का अवलोकन करने के लिये कहा गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने इस निर्णय में कई निर्देश जारी किये थे, परन्तु निर्देश संख्या 4 के द्वारा लीगल ऐड आर्गेनाइजेशन पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह जिम्मेदारी डाली थी कि यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है और वह व्यक्ति दूसरे जिले का रहने वाला है तो उसके नातेदारों को पुलिस लीगल ऐड आर्गेनाइजेशन के द्वारा तार भेज कर सूचित करेगी अर्थात् यदि पुलिस ऐसे किसी गिरफ्तार व्यक्ति के विषय में आपको सूचित करती है तो आप तार (telegram) द्वारा उस गिरफ्तार व्यक्ति के नातेदार या next friend को तार भेज कर सूचित करा देंगे।

निर्देश संख्या 4 को इस पत्र में फिर से उल्लेखित कर रहा हूँ :–

"निर्देश संख्या –4 :

The time, place of arrest and venue of custody of an arrestee must be notified by the police where the next friend or relative of the arrestee live outside the district or town through the Legal Aid Organization in the District and the police station of the area concerned telegraphically within a period of 8 to 12 hours after the arrest."

इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार एक मानिटरिंग कमेटी बनी है। जिसके अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति श्री ए0बी0श्रीवास्तव जी हैं। अतः आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि माननीय उच्चतम् न्यायालय के आदेशों का पालन कठोरता से करायें और यह देखें कि यदि कोई सूचना पुलिस द्वारा आपको प्राप्त होती है तो आप उस गिरफ्तार व्यक्ति के नातेदारों (next friend) को तुरन्त तार द्वारा सूचित कर देंगे।

कृपया अवगत कराने का कष्ट करें कि क्या आपके जिले में कोई ऐसी सूचना पुलिस द्वारा आपको प्राप्त हो रही है अथवा नहीं, ताकि मानीटरिंग कमेटी को इस संबंध में सूचना दी जा सके।

भवदीय

(दिनेश कुमार त्रिवेदी)

समस्त जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
दीवानी न्यायालय परिसर,

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार त्रिवेदी
कार्यपालक अध्यक्ष
JUSTICE DINESH KUMAR TRIVEDI
Executive Chairman

अर्धशा० प० सं० १४७ / निस / ११६ / ०१
उत्तर प्रदेश सरकार
GOVT. OF UTTAR PRADESH
उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
U.P.STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY
तृतीय तल, जवाहर भवन एनेक्सी
3rd Floor, Jawahar Bhawan Annexe
लखनऊ – २२६००१
LUCKNOW - 226001

दिनांक : जुलाई 20, 02

महोदय,

जैसा कि आप अवगत है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपनी रिट याचिका संख्या 4201 / 97 श्री डी0के0बसु बनाम पं. बंगाल राज्य व अन्य में यह निर्देश दिये हैं कि यदि कोई पुलिस अधिकारी अपने जनपद में किसी दूसरे जनपद में रहने वाले अभियुक्त को किसी मामले में गिरफ्तार करता है तो उस अभियुक्त की गिरफ्तारी की सूचना तुरन्त संबंधित जिले को देगा। साथ ही साथ यह भी निर्देशित किया है कि उपरोक्त के संबंध में वह अपने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भी सूचित करें ताकि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भी अपने स्तर से उस अभियुक्त के निकटसंबंधियों को तार अथवा विशेष वाहक के माध्यम से सूचना भेज सकें। इस निर्देश के कार्यपालन के समय यह देखने में आ रहा है कि थाने से अभियुक्त का जो पता लिख कर आता है उस पर डाकखाने का उल्लेख नहीं होता है, जिसके कारण उस अभियुक्त के निकट सम्बन्धियों को सूचित करने में असुविधा उत्पन्न होती है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपने जनपद के समस्त पुलिस अधिकारियों एवं समस्त थानों पर यह निर्देश भेज दें कि ऐसी सूचना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजते समय अभियुक्त का नाम, पिता का नाम, शहर का रहने वाला हो तो मोहल्ले का नाम और यदि गांव का रहने वाले हो तो गांव का नाम, डाकखाने का नाम एवं जिले का नाम साफ–साफ लिखकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजा करें ताकि माननीय उच्चतम् न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन सुचारु रुप से हो सके।

भवदीय

(दिनेश कुमार त्रिवेदी)

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक
जनपद –
उत्तर प्रदेश।

No. 1174/SLSA 58/2005 Dated : June 03, 2005

Sub. *Participation of Public Prosecutors and Legal Aid Counsels in Lok Adalats/Special Courts held in Jails.*

Sir,

Hon'ble Executve Chairman has appreciated the work done by the Distt. Legal Services Authorities of Uttar Pradesh in disposing of cases through Lok Adalats and Special Courts held in Jails. However, it has come to the notice of Hon'ble Executive Chairman that Special sittings of the Chief Judicial Magistrates/Judicial Magistrates are held in prisons for expeditious disposal of cases many times without proper presence and representations of the Public Prosecutors/States.

In this context you are kindly requested to issue necessary directions for the organization of Special Courts sittings and Lok Adalats to ensure confirmed participation and representation of the Public Prosecutors and Legal Aid Counsels before passing any verdict in favour of the accused. If after intimation of the date of trial to the prosecuting agency, none represents the said agency then it will be open to the concerned court to proceed with the proceedings of the special courts or the Lok Adalats as the case may be. Moreover, the restrictions contained in proviso the Section 19 (5) of the Legal Services Authorities Act. 1987 should also be borne in mind while deciding the cases.

State Legal Services Authority expect your continuous participation in NALSA's plan to reform and stimulate the Legal Aid Programme in the Country.

परिपत्र सं0 : I/एस.एल.एस.ए.– 106/95 दिनांक : जनवरी 14, 1999

विषय :– परिवार परामर्श केन्द्र का संयोजन एवं संचालन।

महोदय,

जैसा आप अवगत है इधर कुछ समय से पारिवारिक विवाद से संबंधित मामलों में उत्तरोत्तर अत्यधिक वृद्धि हुई है/हो रही है और प्रदेश के कुछ जिलों में इसे ध्यान मे रखते हुए पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना भी की गयी है परन्तु उससे भी इन मुकदमों के शीघ्र निस्तारण किये जाने में वाछित सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही है। प्रदेश के जनपद मेरठ, गाजियाबाद, खीरी झांसी और लखनऊ में परिवार परामर्श केन्द्र की स्थापना भी की जा चुकी है और इससे पारिवारिक विवाद सम्बन्धी मामलों के निस्तारण किये जाने में काफी सफलता प्राप्त हो रही है। विशेषरुप से परिवार परामर्श केन्द्र लखनऊ द्वारा इस संबंध में करीब 1500 मुकदमों का निस्तारण कराये जाने से इस दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हुई है।

कुछ जनपदों से परिवार परामर्श केन्द्र की स्थापना किये जाने, उनका संचालन एवं उनकी देखरेख आदि के विषय में जिज्ञासा व्यक्त की गयी है। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट करते हुये मुझे कहना है कि आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की देखरेख में अपने जिले में परिवार परामर्श केन्द्र की स्थापना करें जिसके लिये आपको एक कक्ष की व्यवस्था करनी होगी और यदि एक कक्ष अलग से उपलब्ध न हो तो जिला प्राधिकरण के कार्यालय कक्ष में यह व्यवस्था प्रारम्भ में स्थापित की जा सकती है।

परिवार परामर्श केन्द्र को सुचारु रुप से चलाने के लिये संधिकर्ताओं की नियुक्ति हेतु सर्वप्रथम विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के स्वयंसेवी व्यक्तियों तथा वरिष्ठ नागरिकों का सहयोग प्राप्त करना उपयोगी होगा, जो निःस्वार्थ भाव से इस कार्य को करने में अपनी रुचि रखते हों और ऐसे 8–10 व्यक्तियों का एक पेनल बनाया जाय जिन्हें बाद में कुछ मानदेय उपलब्ध कराने हेतु राज्य प्राधिकरण द्वारा विचार किया जायेगा।

अतएव उक्त स्थापित किये गये परिवार परामर्श केन्द्र एवं भविष्य में स्थापित किये जाने वाले परिवार परामर्श केन्द्रों का संचालन एवं देखरेख जिला प्राधिकरण के सचिव द्वारा उनके संयोजकत्व में ही करायें। इस केन्द्र की स्थापना के लिये जो फर्नीचर आदि की आवश्यकता हो उसकी व्यवस्था हेतु कृपया राज्य प्राधिकरण को प्रस्ताव शीघ्र भेजें, जिससे इसकी व्यवस्था तद्नुसार सुनिश्चित की जा सके।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने जिले से सम्बन्धित परिवार परामर्श केन्द्र के संचालन हेतु उपरोक्त दिये गये निर्देश के अनुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित कर राज्य प्राधिकरण को कृत कार्यवाही से शीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें।

पत्रांक :– 1011 / एसएलएसए–21 / 99 दिनांक : जून 17, 1999

विषय :– परिवार परामर्श केन्द्र के संचालन एवं अन्य व्यवस्थाओं के संदर्भ में।

महोदय,

कृपया राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के परिपत्र सं0 1 / एसएलएसए–106 / 95 दिनांक 14.01.1995 का संदर्भ लेने का कष्ट करें।

2– आपके प्राधिकरण को परिवार परामर्श केन्द्र की स्थापना, संचालन व आवश्यक वस्तुओं आदि को क्रय करने के लिय आपेक्षित धनराशि रु0 ..... राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त राशियों से आवंटित कर बैंक ड्राफ्ट द्वारा अलग से भेजी जा रही है।

3– परिवार परामर्श केन्द्र की स्थापना के संबंध में यह उपयुक्त होगा कि परिवार परामर्श केन्द्र हेतु कक्ष ऐसे स्थान पर चिन्हित किया जाये जो पारिवारिक न्यायालय अथवा परिवारिक विवादों को निस्तारण करने वाली नियमित न्यायालयों के पास ही हो जिससे वादकारियों को संबंधित पारिवारिक न्यायालय / सबंन्धित न्यायालय से, परिवार परामर्श केन्द्र में आने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो।

4– परिवार परामर्श केन्द्र के कक्ष का वातावरण ऐसा होना चाहिये ताकि वादकारी वहाँ पर आकर निर्भय होकर सहज भाव से अर्न्तमन से अपनी बात सधिकर्ताओं के समक्ष रख सके। इसके लिये यह आवश्यक होगा कि परिवार परामर्श केन्द्र के कक्ष में पर्याप्त मेजें, कुर्सियां, अलमारी, कूलर, रैक, स्टेशनरी व वाटर फिल्टर आदि की व्यवस्था हो तथा कक्ष के दरवाजों व खिड़कियों पर पर्दे आदि लगाकर उसे केबिन नुमा करते हुये उपयुक्त पारिवारिक वातावरण बनाया जाय.

5– परिवार परामर्श केन्द्र हेतु आवश्यक संधिकर्ताओं का चयन आप विभिन्न प्रतिष्ठित समाजसेवी व्यक्तियों, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों / अधिकारियों / अध्यापकों / मनोवैज्ञानिकों से कर सकते हैं, जिसमें महिला संगठनों के प्रतिनिधियों को वरीयता दी जाये।

* 5 – परिवार परामर्श केन्द्र हेतु अधिकतम् 12 संधिकर्ताओं को नामित किया जा सकता है। जो दो – दो की संख्या में सप्ताह के प्रत्येक कार्यदिवस को परिवार परामर्श केन्द्र में उपस्थित होकर वादकारियो से संधिवार्ता करेंगे / संधिकर्ताओं हेतु कार्य दिवसो का चयन उनकी सुविधा के अुनसार सुनिश्चित किया जाना उपयुक्त होगा। संधिकर्ताओं को प्रतिदिन प्रातः संबंधित पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश व अन्य न्यायिक अधिकारियों द्वारा संबंधित पत्रावली के संबंध में कानूनी मार्ग दर्शन दिया जाना अति हितकर होगा। कृपया तदनुसार कार्यवाही भी करने का कष्ट करें।

---

* 5 वर्तमान में अधिकतम संधिकर्ताओं की संख्या 4 है तथा यथा सम्भव प्रत्येक कार्य दिवस पर परामर्श केन्द्र की बैठक आयोजित किए जाने का निर्देश है।

* 6 – परिवार परामर्श केन्द्र हेतु नामित संधिकर्ताओं के मार्ग व्यय के रुप में रु0 50/– प्रति दिवस की दर से (उन कार्य दिवसों हेतु जिन पर उनके द्वारा संधिकर्ता का कार्य किया गया हो।) राशि दी जा सकती है, परन्तु किसी भी माह में किसी भी संधिकर्ता को रुपये 500/– (रुपये पाँच सौ मात्र) से अधिक राशि मार्ग व्यय के रुप में नहीं दी जायेगी।

7– जहां तक परिवार परामर्श केन्द्र में पारिवारिक मामलों से संबंधित पत्रावलियां मंगाये जाने का संबंध है। इस संबंध में संबंधित पारिवारिक न्यायालय/संबंधित न्यायालय से यह अनुरोध किया जा सकता है कि वह प्रत्येक कार्यदिवस को कुछ पत्रावलियां (निश्चित संख्या में) परिवार परामर्श केन्द्र को भेज दिया करें जो उसी दिन सुनवाई के लिये नियत हों। पत्रावलियों से संबंधित पक्षकारों को भी संबंधित पारिवारिक न्यायालय/संबंधित न्यायालय द्वारा यह आदेश मौखिक रुप से दे दिये जाये कि वे परिवार परामर्श केन्द्र में उपस्थित हों। परिवार परामर्श केन्द्र में पत्रावली के प्राप्त होने पर संधिकर्ताओं द्वारा संबंधित पक्षकारों से वार्ता कर सुलह समझौते द्वारा मामले को निपटाये जाने के प्रयास किये जाये। न्यायालय की पत्रावली पर किसी भी प्रकार का कोई आदेश या टीप अंकित नहीं की जायेगी बल्कि अलग से एक कागज पर परिवार परामर्श केन्द्र में हुई कार्यवाही/प्रगति को अंकित करते हुये उसे संबंधित पारिवारिक न्यायालय/संबंधित न्यायालय की पत्रावली से संलग्न कर दिया जायेगा।

8– परिवार परामर्श केन्द्र का कार्य संचालन/जहाँ पारिवारिक न्यायालय हो न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय के मार्गदर्शन में होना व्यवहारिक दृष्टि से अधिक उपयोगी होगा। परामर्श केन्द्र की सम्पूर्ण व्यवस्थायें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव की देख–रेख एवं नियंत्रण में जिला प्राधिकरण के स्टाफ (लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) द्वारा की जायेगी। जिला प्राधिकरण के लिपिक द्वारा अभिलेखों/पत्रावलियों/पंजिकाओं एवं अन्य प्रपत्रों का रख–रखाव सुनिश्चित किया जायेगा।

9– कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए आवंटित कक्ष की स्थिति, नियुक्त किये गये संधिकर्ताओं की सूची, तथा की गई अन्य व्यवस्थाओं के संदर्भ में तुरन्त राज्य प्राधिकरण को अवगत कराने का कष्ट करें।

---

* 6 वर्तमान में मार्ग व्यय की दर रु0 200/– प्रतिदिन कर दिया गया है। (परिपत्र संख्या 22/SLSA 183/2000 दिनांक17.11.05 पृष्ठ 60 पर संलग्न है)

पत्रांक : 21 / एस.एल.एस.ए. 183 / 2000. दिनांक : सितम्बर 18, 2000

विषय : परिवार परामर्श केन्द्र का नया नाम ''परामर्श एवं सुलह समझौता केन्द्र' किये जाने के संबंध में।

महोदय,

मुझे आपसे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित परिवार परामर्श केन्द्र के कार्य क्षेत्र के विस्तार हेतु यह उपयुक्त होगा कि परामर्श केन्द्र में पारिवारिक विवादों के साथ–साथ ऐसे सभी सिविल एवं दाण्डिक मामलों में भी सुलह समझौता का प्रयास किया जाये जिसमें किसी विधि के अन्तर्गत पक्षकारों के मध्य सुलह समझौता बाधित नहीं है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में जिला विधिक सेवा प्राकिरण द्वारा संचालित परिवार परामर्श केन्द्र का नाम बदलकर नया नाम " परामर्श एवं सुलह समझौता केन्द्र'' (COUNSELLING AND CONCILIATION CENTRE) तत्काल प्रभाव से किया जाता है।

2– अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया परिवार परामर्श केन्द्र के पुराने बोर्ड के स्थान पर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण.....

द्वारा

संचालित

परामर्श एवं सुलह–समझौता केन्द्र

दीवानी न्यायालय

जनपद .....

नया बोर्ड पेन्ट कराकर लगवाया जाये तथा पंजिकाओं में अभी तक जहां–जंहा " परिवार परामर्श केन्द्र शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है उस स्थान पर ''परामर्श एवं सुलह समझौता केन्द्र'' (COUNSELLING AND CONCILIATION CENTRE) अंकित कर दिया जाये। इसके अतिरिक्त आंकड़े भेजने हेतु जो प्रारुप परिवार परामर्श केन्द्र के लिये निर्धारित किये गये हैं उसमें परिवार परामर्श केन्द्र के स्थान पर नया नाम ''परामर्श एवं सुलह समझौता केन्द्र'' (COUNSELLING AND CONCILIATION CENTRE) अंकित किया जाये।

वृत्तांक : 02 /एसएलएसए–एलए–183 / 2000 दिनांक जनवरी 19 2005

विषय : परामर्श एवं सुलह समझौता केन्द्र का सुचारु रुप से संचालन।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि अधिकतर जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों से प्राप्त हो रहे आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि परामर्श एंव सुलह समझौता केन्द्रों में निस्तारित वादों की संख्या या तो शून्य है अथवा नगण्य है तथा न्यायालय द्वारा परामर्श केन्द्रों को संदर्भित किये जा रहे मुकदमों की संख्या भी बहुत कम है। परामर्श एवं सुलह समझौता केन्द्र स्थापित किये जाने का उद्देश्य यह है कि पक्षगण को समझा–बुझा कर वैकल्पिक प्रक्रिया के माध्यम से सुलह समझौते द्वारा विवाद के निस्तारण हेतु प्रयास किया जाये जिससे न्यायालय में लम्बित मुकदमों की संख्या में कमी हो सके। इस संबंध में मुझे आपसे अनुरोध करने का निर्देश प्राप्त हुआ है कि कृपया परामर्श एवं सुलह समझौता केन्द्र का सुचारु रुप से संचालन कराने की कृपा करें तथा यदि नियुक्त किये गये संधिकर्तागण द्वारा कार्य में रुचि न ली जा रही हो तो उन्हें हटा कर उनके स्थान पर ऐसे संधिकर्तागण को नियुक्त करें जो उक्त कार्य के प्रति समर्पित हो। इस संबंध में यह भी अवगत कराना है कि परिवार परामर्श केन्द्र हेतु आवश्यक संधिकर्ताओं का चयन आप विभिन्न प्रतिष्ठित समाजसेवी व्यक्तियों, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों / अधिकारियों / अध्यापकों / मनोवैज्ञानिकों से कर सकते हैं जिसमें महिला संगठनों के प्रतिनिधियों को वरीयता दी जाये। अतः आपके जिले में उपलब्ध इच्छुक सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सेवायें भी इस कार्य के लिये ली जा सकती हैं। यहां यह भी उल्लेख करना है कि इस कार्यालय के परिपत्र संख्या–22 / एसएलएसए–183 / 2000, दिनांक 18 सितम्बर, 2000 में दिये गये निर्देशों के अनुसार परामर्श एवं सुलह समझौता केन्द्र के संधिकर्ताओं के सदस्यों की कुल संख्या चार तक ही सीमित रखी जाये।

अतः अनुरोध है कि उक्त के संबंध में आवश्यक कार्यवाही यथाशीघ्र करने की कृपा करें ताकि परामर्श केन्द्र के माध्यम से मुकदमों का निस्तारण अधिक से अधिक संख्या में हो सके।

पत्रांक 257 / एसएलएसए–183 / 2000 दिनांक फरवरी 2005

विषय : परामर्श एवं सुलह समझौता केन्द्र के संधिकर्ताओं के कार्यकाल के सबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि दिनांक 20.12.2000 को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ की पन्द्रहवीं बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुसार परामर्श एवं सुलह समझौता केन्द्र के संधिकर्ताओं का योगदान अधिकतम 2 वर्षों के लिये ही होगा और इस बीच यदि वह चाहे तो स्वेच्छा से अपने कार्य से विरत हो सकते हैं।

2. यदि जनपद–न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट हो जाये कि संधिकर्ता दल के किसी सन्धिकर्ता की सेवाओं की आवश्कता अब नहीं रह गयी है। अथवा जनहित में उसकी सेवा परामर्श एंव सुलह समझौता केन्द्र के लिये आवश्यक नहीं रह गयी है तो बिना कोई कार्यवाही किये उस संधिकर्ता को परामर्श एवं सुलह समझौता केन्द्र से असम्बद्ध कर दिया जायेगा।

3. परामर्श एंव सुलह समझौता केन्द्र के संधिकर्ता का कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात संधिकर्ता पुनः योगदान / सेवायें देने के लिये अपना आवेदन पत्र जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

4. परामर्श एवं सुलह समझौता केन्द्र के समस्त संधिकर्तागण अध्यक्ष / जनपद–न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सामान्य नियंत्रण निर्देशन एवं देखरेख के अधीन कार्य करेंगे।

5. परामर्श एंव सुलह समझौता केन्द्र के कार्यों का त्रैमासिक मूल्यांकन सचिव जिला प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर किया जायेगा तथा अध्यक्ष जिला प्राधिकरण के समक्ष अपनी टिप्पणी के साथ प्रेषित किया जायेगा।

6. कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करवाने की कृपा करें।

वृतांक :15 /एसएलएसए–183 / 2000 दिनांक सितम्बर 12, 05

विषय : परामर्श एवं सुलह समझौता केन्द्र के संचालन हेतु कार्य योजना।

महोदय,

जनपद न्यायालयों में संचालित किये जा रहे परामर्श एवं सुलह समझौता केन्द्रों के संचालन हेतु उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कार्य योजना बनायी गयी है ताकि केन्द्रों का संचालन सुचारु रुप से हो सके। उक्त कार्य योजना की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। कृपया आवश्यक कार्यवाही करते हुये कृत कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त

परामर्श एवं सुलह समझौता केन्द्रों के संचालन हेतु कार्य योजना

1. प्रत्येक जनपद में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश के निर्देशन एवं मार्ग–दर्शन तथा सचिव की देख–रेख व नियंत्रण में परामर्श एवं सुलह समझौता केन्द्र कार्य करेंगे।
2. परामर्श एवं सुलह समझौता केन्द्रों का संचालन यथासम्भव ऐसे स्थान पर किया जायेगा जो पारिवारिक न्यायालय अथवा पारिवारिक विवादों को निस्तारित करने वाली नियमित न्यायालयों के पास हो, जिससे वादकारियों को केन्द्र में आने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो।
3. परामर्श एवं सुलह समझौता केन्द्र के कक्ष का वातावरण ऐसा होना चाहिए ताकि वादकारी वहाँ पर आकर निर्भय होकर सहज भाव से व्यक्तिगत रुप से अपनी बात संधिकर्ताओं के समक्ष रख सके।
4. परामर्श एवं सुलह समझौता केन्द्र हेतु आवश्यक संधिकर्ताओं का चयन विभिन्न प्रतिष्ठित समाज सेवी व्यक्तियों, सेवानिवृत्त न्यायाधीशो, अधिकारियों, अध्यापकों, मनोवैज्ञानिकों आदि से कर सकते हैं परन्तु सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को प्राथमिकता दी जायेगी।
5. परामर्श एवं सुलह समझौता केन्द्र में बैठकें प्रत्येक कार्य दिवस पर होगी और संधिकर्ताओं से यह अपेक्षा की जायेगी कि वे यथासम्भव प्रत्येक बैठक में भाग लें। कार्य कम होने की दशा में बैठकों की संख्या अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार कम किया जा सकता है। संधिकर्ताओं की उपस्थिति एक पंत्रिका में दर्ज की जायेगी जिसका अवलोकन प्रत्येक कार्य दिवस पर सचिव द्वारा किया जायेगा।
6. नियुक्त किये गये संधिकर्ताओं का योगदान अधिकतम दो वर्षों के लिये होगा और इस बीच यदि वह चाहें तो स्वेच्छा से अपने कार्य से विरत हो सकते हैं। यदि अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा कार्यपालक अध्यक्ष राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट हो जायें कि संधिकर्ता दल के किसी संधिकर्ता की सेवाओं की कोई आवश्यकता नहीं रह गयी है अथवा जनहित में उसकी सेवाएं परामर्श एवं सुलह समझौता केन्द्र के लिये आवश्यक नहीं रह गयी है तो बिना कोई कारण बताये उस संधिकर्ता को परामर्श एवं सुलह समझौता केन्द्र से असम्बद्ध कर दिया जायेगा।
7. परामर्श एवं सुलह समझौता केन्द्र के संधिकर्ता का कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात् पुनः योगदान/सेवायें देने के लिये पात्र रहेंगे तथा उनकी पुनर्नियुक्ति की जा सकती है।
8. परामर्श एवं सुलह समझौता केन्द्र के संधिकर्ताओं के कार्यों का त्रैमासिक मूल्यांकन सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा जिस पर अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आवश्यक निर्देश समय–समय पर पारित किये जायेंगे और उस पर की गयी कार्यवाही से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को समय–समय पर अवगत कराया जायेगा।
9. परामर्श एवं सुलह समझौता केन्द्र में कार्य करने वाले संधिकर्ताओं को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर निर्धारित मानदेय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त अनुदान राशि से भुगतान किया जायेगा।
10. केन्द्र में संधिकर्ताओं के सदस्यों की संख्या यथासम्भव चार तक सीमित रखी जायेगी,

परन्तु कार्य की अधिकता को देखते हुए इसके अतिरिक्त भी संधिकर्ता नियुक्त किये जा सकते हैं।

11. परामर्श एवं सुलह समझौता केन्द्र की सम्पूर्ण व्यवस्थायें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव की देख–रेख एवं नियंत्रण में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के स्टॉफ (लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) द्वारा की जायेगी।
12. अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित न्यायालयों द्वारा पर्याप्त संख्या में पत्रावलियों प्रतिदिन केन्द्र को संदर्भित की जायें और सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि संदर्भित पत्रावलियां संधिकर्ताओं में बराबर–बराबर आंवटित कर दी जायें। इन पत्रावलियों को प्राप्त करने, संधिकर्ताओं के समक्ष प्रस्तुत करने व न्यायालय को वापस भेजने तथा पत्रावली की सुरक्षा के लिए लिपिक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिम्मेदार होगा।
13. संदर्भित की गयी पत्रावालियों में की गयी वार्ता/कार्यवाही न्यायालय में प्रयुक्त होने वाले आदेश पत्र से अलग रंग (पीला) के कागज पर संधिकर्ता द्वारा अंकित किया जायेगा तथा उस दिन की कार्यवाही के बाद पत्रावलियां न्यायालय को वापस भेज दी जायेंगी।
14. संधिकर्ताओं के समक्ष संधि हो जाने की दशा में संधि/समझौता की शर्तों को एक सुलहनामें के रुप में तैयार किया जायेगा जिस पर पक्षगण एवं संधिकर्ता अपने हस्ताक्षर करेंगे तथा पत्रावली के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु उसी दिन संबंधित न्यायालय को भेज दिया जायेगा।
15. संधिकर्ताओं से यह भी अपेक्षित है कि वे पक्षकारों को धैर्यपूर्वक सुने और उन्हें अपनी बात कहने का पूर्ण अवसर प्रदान करें तथा समझौता कराने का यथासम्भव प्रयास करें तथा वार्ता हेतु लम्बी तारीखें न नियत करें।
16. सामान्यतया पत्रावलियों को न्यायालय द्वारा परामर्श एवं सुलह समझौता केन्द्र को संदर्भित करने की जानकारी संबंधित पक्षगण को रहती है, परन्तु आवश्यकता पड़ने पर संधिकर्ता किसी पक्ष अथवा अन्य सम्बंधित व्यक्ति को केन्द्र में उपस्थित होने के लिये नोटिस भेजने हेतु न्यायालय से आग्रह कर सकते हैं।
17. परामर्श एवं सुलह समझौता केन्द्र में संधिकर्ताओं की नियुक्ति होने पर तथा वर्तमान में कार्यरत संधिकर्ताओं को विधिक साक्षरता के साथ–साथ विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जा रही विधिक सेवाओं की विस्तृत जानकारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जायेगी। विधिक साक्षरता के अन्तर्गत विभिन्न विधियों, जिनकी आवश्यकता परामर्श एवं सुलह समझौता केन्द्र में पड़ती है, के बारे में भी संधिकर्ताओं को सचिव द्वारा जानकारी प्रदान की जायेगी।
18. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण परामर्श एवं सुलह समझौता केन्द्र के सफलतापूर्वक संचालन हेतु जिम्मेदार होंगे और सचिव से यह अपेक्षित है कि वे समय–समय पर केन्द्र में जाकर वहां की व्यवस्था और होने वाली कार्यवाहियों की जानकारी प्राप्त करते रहें और केन्द्र के सुचारु रुप से संचालन हेतु आवश्यक निर्देश समय–समय पर जारी करते रहे तथा विधिक बिन्दुओं पर संधिकर्ताओं का समय–समय पर मार्ग–दर्शन भी करते रहें।
19. अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से यह अपेक्षित है कि वे समय–समय पर केन्द्र का आकस्मिक निरीक्षण कर केन्द्र के सुचारु रुप से संचालन हेतु आवश्यक निर्देश जारी करते रहें।
20. प्रत्येक माह परामर्श एवं सुलह समझौता केन्द्र के आंकड़े निर्धारित प्रारुप पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को अगले माह की पांच तारीख तक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भेजना सुनिश्चित करेंगे।

परिपत्र सं0 : 17 / एसएलएसए– 138 / 2005, दिनांक : सितम्बर 29,2005

विषय : परामर्श एवं सुलह समझौता केन्द्र के मासिक विवरणों को प्रेषित किया जाना।

महोदय,

प्रायः यह देखने में आता है कि जिला प्राधिकरणों से परामर्श एवं सुलह समझौता केन्द्र से प्राप्त होने वाले आंकड़े भिन्न–भिन्न प्रारुपों पर प्राप्त होते हैं तथा कुछ जनपदों से इस संबंध में कोई सूचना प्रेषित ही नहीं की जा रही है। चूकि राज्य प्राधिकरण में आंकड़ों का रखरखाव कम्प्यूटराज्ड होने के कारण यह आवश्यक हो गया है कि प्रदेश के समस्त जनपदों से सूचनायें एक ही प्रारुप पर प्राप्त हो। अतः राज्य प्राधिकरण एंव राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की आवश्यकताओं के दृष्टिगत परामर्श एवं सुलह समझौता केन्द्र के आंकड़ो हेतु संलग्न प्रारुप निर्धारित किया गया है।

अनुरोध है कि कृपया माह सितम्बर 2005 से प्रत्येक माह परामर्श एवं समझौता केन्द्र के आंकड़े संलग्न नवीन प्रारुप में भले ही किसी माह की सूचनायें शून्य क्यों न हो फैक्स / स्पीड पोस्ट से इस कार्यालय को इस प्रकार भेजे जाने हेतु संबंधित लिपिक को निर्देशित कर दें कि वह राज्य प्राधिकरण में अगले माह की दूसरी तिथि तक आवश्यक रुप से प्राप्त हो जायें।

इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि वृत्तांक सं0–15 / एसएलएसए–183 / 2000, दिनांक 12.9.2005 द्वारा यह अपेक्षा की गयी है कि यथासम्भव परामर्श एवं सुलह समझौता केन्द्र की बैठक प्रत्येक कार्यदिवस पर आयोजित की जाये।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करवाते हुये कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें ताकि अनुपालन आख्या माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय के समक्ष प्रस्तुत की जा सके।

No. 21 /S.L.S.A. 183/2000 Dated : November 11, 2005.

Sub. Term of Counsellors in reconciliation Centers.

Sir,

I have been directed to inform you that the term of Counsellors in reconciliation Centers is only two years and at the expiry of the term of two years, the Counsellors shall automatically stand cease to work. Hence, all those Counsellors who have already completed two years or more, even if already reappointed, shall stand cease to work with immediate effect.

However, if reappointment of any Counsellor is desired, then prior approval of the Hon'ble Executive Chairman of this Authority must be obtained.

Action taken report may kindly be sent through Fax immediately.

परिपत्र संख्या–22 / एसएलएसए–183 / 2000, दिनांक : नवम्बर 17, 2005

विषय : परामर्श एवं सुलह समझौता केन्द्र के संधिकर्ताओं को मानदेय का भुगतान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

दिनांक 09.11.2005 को उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की 23 वीं बैठक माननीय मुख्य संरक्षक / मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री ए0एन0रे0, जी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में मद संख्या–4 पर यह निर्णय लिया गया कि विभिन्न जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के परामर्श एवं सुलह समझौता केन्द्र के संधिकर्ताओं को मिलने वाला मानदेय रु0 150 से बढ़ाकर रु0 200 (दो सौ रुपये) प्रतिदिन कर दिया जाये। यह आदेश दिनांक 01 दिसम्बर 2005 से प्रभावी माने जायेंगे।

कृपया उक्त की प्राप्ति स्वीकार करते हुये आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करवाने का कष्ट करें।

नामिका अधिवक्ताओं की नियुक्ति एवं फीस से संबंधित परिपत्र

वृत्तांक 12 / एस.एल.एस.ए–46 / 97 दिनांक : 20 मार्च, 1998

विषय : नामिका अधिवक्ताओं की नियुक्ति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में आपका ध्यान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (कारोबार का सव्यवहार एवं अन्य उपबंध) विनियमावली 1997 के विनियम 15 की ओर आकर्षित करते हुए कहना है कि जिला प्राधिकरण द्वारा कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए अपने जनपद में आवश्कतानुसार अधिवक्ताओं का पैनल तैयार करना सुनिश्चित करें, जो राजस्व, दीवानी, फौजदारी, वैवाहिक आदि विषयों की पैरवी से संबंधित होगा इस पैनल में सामान्यतः 5 से 10 अधिवक्ताओं का आवश्यकतानुसार गठन किया जाना उचित है इस बारे में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि ऐसे पैनल में केवल उन अधिवक्ताओं को ही सम्मिलित किया जाए जो वास्तव में कानूनी सहायता कार्यक्रमों के प्रति समर्पित हों, एवं लोक अदालतों एवं कानूनी सहायता कार्यक्रमों में विशेष रूचि रखते हों।

पैनल अधिवक्ताओं की सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्वयं तैयार कर उसकी प्रतिलिपि राज्य प्राधिकरण कार्यालय को सूचनार्थ अवश्य भेजें।

परिपत्र सं0 07 / एस.एल.एस.ए.–218 / 97, दिनांक : 12 मई, 2005

विषय : नामिका अधिकवक्ताओं की फीस के संशोधन के संबंध में।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि दिनांक 20–4–2005 को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की 22 वीं बैठक में नामिका अधिवक्ताओं की फीस के संशोधन पर विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया कि दिनांक 01–05–2005 के बाद नामिका अधिवक्ताओं को दिये गये मुकदमों में संलग्नक में अंकित दरों के अनुसार फीस / मानदेय का भुगतान किया जाये।

2. आपसे अनुरोध है कि कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

For High Court

Sr. No.	Subject	Existing Rates from 1.4.99	Proposed Rates
1	Writ petition	Rs. 650/- for 3 days Continuation after 3 days per day Rs. 125/- additional but maximum additional Rs. 600/-	Rs. 1300/- for 3 days Continuation after 3 days per day Rs. 250/- additional but maximum additional Rs. 1200/-
2	Habeas Corpus Petition	Rs. 1000/- Per Petition	Rs. 2000/- Per Petition
3	First Appeal	Rs. 750/- Per Appeal	Rs. 1500/- Per Appeal
4	Civil Revision	Rs. 450/- Per Revision	Rs. 900/- Per Revision
5	Criminal Appeal	Rs. 450/- Per Appeal	Rs. 900/- Per Appeal
6	Criminal Revision	Rs. 400/- Per Revision	Rs. 800/- Per Revision
7	Bail Application	Rs. 400/- Per Bail Application	Rs. 800/- Per Bail Application
8	Written Advice in Civil Case.	Rs. 150/- Per Advice	Rs 300/- Per Advice
9	Drafting of Affidavit & Applications.	Rs. 150/- Per Draft	Rs. 300/- Per Draft

For D.J./A.D.J./Civil Judge Courts

Sr. No.	Subject	Existing Rates from 1.4.99	Proposed Rates
1	Original Suit	Rs. 400/- Per Case	Rs. 800/- Per Case
2	Civil Appeal	Rs. 300/- Per Appeal	Rs. 600/- Per Appeal
3	Ex party/Compromise Cases	Rs. 250/- Per Case	Rs. 500/- Per Case
4	Civil Revision	Rs. 200/- Per Revision	Rs. 400/- Per Revision
5	Miscellaneous Appeal	Rs. 200/- Per Appeal	Rs. 400/- Per Appeal
6	Pauper Appl./Succession Application	Rs. 150/- Per Case (not disputed) Rs. 300/- Per Case (if disputed)	Rs. 300/- Per Case (not disputed) Rs. 600/- Per Case (if disputed)
7	Sessions Trial	Rs. 100/- Per Day but max. Rs. 500/- Per Session Trial	Rs. 200/- Per Day but max. Rs. 1000/- Per Session Trial
8	1- Crim. Appeal (Against I st Class Magistrate) 2- Crim. Appeal (Against II nd Class Magistrate)	Rs. 300/- Per Appeal Rs. 300/- Per Appeal	Rs. 600/- Per Appeal Rs. 600/- Per Appeal
9	Criminal Revision	Rs. 150/- Per Revision	Rs. 300/- Per Revision
10	Bail Application	Rs. 150/- Per Application	Rs. 300/- Per Application
11	Motor Accident Claim Case For injury For death	 Rs. 300/- Per Case Rs. 600/- Per Case	 Rs. 600/- Per Case Rs. 1200/- Per Case
12	Execution Case	Rs. 150/- Per Case	Rs. 300/- Per Case
13	Matrimonial/Rent Case	Rs. 350/- Per Case	Rs. 700/- Per Case
14	Opinion in Civil Case	Rs. 150/- Per Complete Case	Rs. 300/- Per Complete Case
15	Opinion in Criminal Case	Rs. 150/- Per Complete Case	Rs. 300/- Per Complete Case
16	Drafting of Civil Pleadings	Rs. 100/- Per Case	Rs. 200/- Per Case
17	Drafting of Criminal Complaint	Rs. 100/- Per Case	Rs. 200/- Per Case

For C.J.M/Civil Judge Courts

Sr. No.	Subject	Existing Rates from 1.4.99	Proposed Rates
1	Original Suit	Rs. 300/- Per Case	Rs. 600/- Per Case
2	Warrant Case	Rs. 200/- Per Case	Rs. 400/- Per Case
3	Summons Case	Rs. 150/- Per Case	Rs. 300/- Per Case
4	Committed/Remand	Rs. 50/- Per Case	Rs. 100/- Per Case
5	Execution Case	Rs. 100/- Per Application	Rs. 200/- Per Application
6	Bail Application For bail able case For Non bail able case	 Rs. 50/- Per Application Rs. 100/- Per Application	 Rs. 100/- Per Application Rs. 200/- Per Application
7	Misc/Succession Application	Rs. 100/- Per Application	Rs. 200/- Per Application
8	Appeal/Revision (Against Panchayat)	Rs. 100/- Per Application	Rs. 200/- Per Application
9	Opinion in Civil Case	Rs. 100/- Per Application	Rs. 200/- Per Application
10	Opinion in Criminal Case	Rs. 100/- Per Application	Rs. 200/- Per Application
11	Jail Inspection	Rs. Zero	Rs. Zero

For Revenue Cases

Sr. No.	Subject	Existing Rates from 1.4.99	Proposed Rates
1	High Court	Rs. 550/- Per Complete Case	Rs. 1100/- Per Complete Case
2	Board of Revenue	Rs. 200/- Per Complete Case	Rs. 400/- Per Complete Case
3	Commissioner/Addl. Commissioner/DDC	Rs. 150/- Per Complete Case	Rs. 300/- Per Complete Case
4	Asstt. Collector	Rs. 150/- Per Complete Case	Rs. 300/- Per Complete Case
5	Tehsidar/C.O.	Rs. 100/- Per Complete Case	Rs. 300/- Per Complete case
6	Opinion in Revenue Matter	Rs. 50/- Per Opinion	Rs. 100/- Per Opinion

For Public Service Tribunal

Sr. No.	Subject	Existing Rates from 1.4.99	Proposed Rates
1	Petition	Rs. 75/- For 3 days Rs. 50/- for Addl. days (Max. Rs. 500/-)	Rs. 150/- for 3 days Rs. 100/- for Addl. days (Max. Rs. 1000/-)
2	Drafting of Pleading/Affidavit	Rs. No Fee	Rs. No Fee
3	Opinion	Rs. 100/- Per Case	Rs. 200/- Per Case

For Labour Courts

Sr. No.	Subject	Existing Rates From 1.4.99	Proposed Rates
1	Advice/Drafting etc.	Rs. 250/- Per Complete Case.	Rs. 500/- Per Complete Case

प्रशासनिक व्यय/मासिक व्ययों का विवरण

वृत्तांक पत्र सं0 : 17 / एस0एल0एस0ए0 – 3 / 97 दिनांक : 6 अक्टूबर, 1997

विषयः राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पर होने वाले धन की स्वीकृति।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 1997–98 में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आपके जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को विभिन्न मदों में आवंटित एवं आवंटित होने वाली धनराशियों से हुये / होने वाले व्ययों को निम्नलिखित लेखाशीर्षक के अन्तर्गत पुस्तांकित किया जायेगा :–

"2235– सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–आयोजनेत्तर–60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम–200–अन्य कार्यक्रम –04–राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण–20 सहायक अनुदान / अंशदान / राज्य सहायता"

2. कृपया अब तक जारी आवंटन पत्रों के लेखाशीर्षक को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

वृत्तांक पत्र सं0 14 / एस0एल0एस0ए0–303 / 97, दिनांक : 30 मार्च, 1998

विषय : कोषागारों से धनराशि आहरण के संबंध में।

महोदय,

जैसा आप अवगत है कि पूर्व में जो अनुदान शासन द्वारा राज्य प्राधिकरण को उपलब्ध कराया गया था उसे जिला प्राधिकरणों एवं उच्च न्यायालय समिति को दो भागों में आवंटित किया गया था। राज्य प्राधिकरण के वृत्तांक पत्र संख्या – 20 / एस.एल.एस.ए. –103 / 97 दिनांक 18–11–1997 द्वारा जिला प्राधिकरणों तथा उच्च न्यायालय समिति को यह निर्देश दिये गये थे कि आवंटित धनराशियों में से प्रशासनिक व्यय हेतु आवंटित धनराशि को कोषागार से आहरित किया जाये और लोक अदालत एवं कानूनी सेवा कार्यक्रमों हेतु आवंटित धनराशियों को कोषागार से आहरित कराकर और स्टेट बैंक में चालू खाता खोलकर उसमें जमा किया जाये। इस संबंध में शासनादेश संख्या 275 / सात–न्याय–7–98–45 / 90 दिनांक 27 मार्च 1998 (प्रति संलग्न) द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि अनुदान सहायता मद में आवंटित धनराशि का आहरण निर्धारित परिपत्र 105 द्वारा किया जाये।

अतः आपसे अनुरोध है कि राज्य प्राधिकरण द्वारा अब तक जो भी धनराशि आपके प्राधिकरण / समिति को आवंटित की गयी है अथवा भविष्य में आवंटित किया जाये उस समस्त धनराशि को समान्य देयक प्रपत्र 105 पर कोषागार से आहरित करके जिला प्राधिकरण / उच्च न्यायालय समिति के बैंक खाते में जमा कराकर नियमानुसार प्रशासनिक एवं कानूनी सेवा कार्यक्रमों से संबंधित व्यय को वहन करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। उक्त व्यवस्था दिनांक 1.4.98 से प्रभावी होगी।

वृत्तांक पत्र सं0 25 / एस0एल0एस0ए0–266 / 97(ए) दिनांक : 9 सितम्बर, 1998

विषय : न्यायालय द्वारा स्थगन के मामलों में आरोपित की जाने वाली कास्ट को जिला प्राधिकरण में जमा करने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या 38 / 98 दिनांक 20.8.98 के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपका ध्यान माननीय उच्च न्यायालय के उक्त परिपत्र संख्या 38 / 98 दिनांक 20.8.98 (प्रति संलग्न) के प्रस्तर 1 की ओर आकर्षित करना है जिसके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि स्थगन की प्रवृत्ति को रोकने के लिए न्यायालयों को वाद के मूल्यांकन के आधार पर समुचित हर्जाना लगाना चाहिए और इस हर्जाने की आधी धनराशि का भुगतान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को किया जाये।

उक्त निर्देश के अनुपालन के संबंध में आपका ध्यान विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 17 (1) (सी) की ओर आकर्षित करना है जिसके अनुसार न्यायालय के आदेश के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि को जिला विधिक सहायता निधि में रखा जायेगा। चूंकि वर्तमान समय में अभी तक जिला विधिक सहायता निधि की स्थापना नहीं की गयी है और राज्य प्राधिकरण के निर्णय के आधार पर जिले में जिला प्राधिकरण के नाम से एक चालू खाता (current account) खोला गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया न्यायालयों के आदेश के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि को जिला प्राधिकरण के नाम से खोले गये खाते में जमा करने का कष्ट करें और प्रत्येक माह इस प्रकार से प्राप्त हुयी धनराशि का विवरण राज्य प्राधिकरण कार्यालय को भेजे जाने वाले व्यय विवरण के साथ अलग से अंकित करें। इस हेतु जिला प्राधिकरण स्तर पर भी एक रजिस्टर बनाया जाये जिसमें न्यायालयों से प्राप्त धनराशि का पूर्ण विवरण अंकित किया करें। सुविधा के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण स्तर पर बनाये जाने वाले रजिस्टर का प्रारूप (प्रति संलग्न) किया जा रहा है।

कृपया उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर शीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें।

न्यायालय से प्राप्त कास्ट की धनराशि का विवरण अंकित करने हेतु प्रारुप

क्रम सं०	कॉस्ट (Cost) की धनराशि प्राप्त होने की तिथि	न्यायालय का नाम जिसके आदेश से धनराशि प्राप्त हुई।	वाद संख्या तथा पक्षकारों के नाम	प्राप्त धनराशि	जिला प्राधिकरण के खाते में जमा करने की तिथि	जिला प्राधिकरण के कर्मचारी के हस्ताक्षर जिसने धनराशि प्राप्त की	जिला प्राधिकरण के सचिव के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8

From,

S.S.Kulshrestha, H.J.S.
Registrar
High Court of Judicature at
Allahabad

Civil Side (Item No. 6)

To,

All the District Judges
Subordinate to the High Court of Judicature at
Allahabad

C.L. No. : 38/98 Dated : Allahabad 20/8/1998

Sub : Adjournment of Cases

Sir,

It has come to the notice of the Court that the cases pending in the subordinate courts are being adjourned by the subordinate judiciary on illegal and improper grounds. Frequent adjournments on improper grounds result in non disposal of cases and long pendency of cases is shaking the judicial system. To control this menace court has taken the following decisions:-

(1) To curb the tendency to seek adjournment for no reason, it is decided that the court should impose sufficient costs keeping in view the valuation of the suit. It is decided that half amount of this costs must be paid to the district Legal Service Committee and half to the party who is affected by the adjournment of the case.

(2) At the stage of filing of the written statement/objection no defendant or opposite party be granted more than two opportunities in the form of adjournment. But in the cases of Central/State Government, Public Authorities and the Corporations one more opportunity may, for valid reason, be allowed.

(3) If the defendant or the opposite party, as the case may be, has exhausted the quota of adjournments the case be proceeded according to law.

(4) At the stage of final hearing not more than three adjournments be allowed to either of the parties. If one party to the suit. i.e. the plaintiff or the defendant has availed adjournments as above, the presiding officer should proceed with the case according to law.

(5) The principle laid above shall also apply to the pending cases irrespective of the earlier adjournments granted to the parties The District Judge or senior Additional District Judge to whom this work is assigned, will supervise and monitor the adjournment of cases pending in various courts.

I am, Therefore, directed that the aforesaid directions of the Court may be brought to the knowledge Ledge of all the judicial officers for strict compliance.

वृत्तांक पत्र सं0 : 29/एस0एल0एस0ए0 – 266/97(ए)

दिनांक : 12 अक्टूबर, 1998

विषयः न्यायालय द्वारा स्थगन के मामलों में आरोपित की जाने वाली कास्ट (Cost) को जिला प्राधिकरण में जमा करने के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या 38/98 दिनांक 20.8.98 के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया इस कार्यालय के वृत्तांक पत्र संख्या 25/एस.एल.एस.ए.–266/97(ए) दिनांक 9.9.98 का अवलोकन करें जिसके द्वारा यह अवगत कराया गया था कि माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र संख्या –38/98 दिनांक 20.8.98 के अनुपालन में जिला न्यायालयों में जो कास्ट की धनराशि प्राप्त हो उसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नाम से खोले गये चालू खाते में जमा कराया जाये और उसका रिकार्ड निर्धारित प्रारूप पर रखा जाये तथा प्रत्येक माह इस प्रकार से प्राप्त हुई धनराशि का विवरण राज्य प्राधिकरण को भेजे जाने वाले व्यय विवरण के साथ अलग से अंकित किया जाये।

इस संबंध में कुछ जिला प्राधिकरणों द्वारा यह जिज्ञासा व्यक्त की गयी है कि उपरोक्त प्रकार से प्राप्त कास्ट की धनराशि का उपभोग किस मद में किया जायेगा। इस संबंध में आपका ध्यान विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 17(2) की ओर आकर्षित करना है जिसमें यह प्राविधानित है कि जिला प्राधिकरण निधि का उपयोजन अधिनियम की धारा 10 व 11 (ख) में निर्दिष्ट कृत्यों के खर्चों को पूरा करने में तथा कोई अन्य व्यय जिन्हें जिला प्राधिकरणों द्वारा पूरा किया जाना अपेक्षित हो, को चुकाने के लिए किया जायेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया जनपद न्यायालय से प्राप्त होने वाली कास्ट की धनराशि को जिला प्राधिकरण के नाम खोले गये खाते में नियमित रूप से जमा करने का कष्ट करें और उसका लेखा जोखा व्यवस्थित ढंग से निर्धारित प्रारूप पर रखवाने का कष्ट करें।

वृत्तांक पत्र सं0 : 28 / एस0एल0एस0ए0 – 272 / 97 दिनांक : 22 मई, 1999

विषय :मासिक व्यय विवरणों के सम्बन्ध में।

महोदय,

राज्य प्राधिकरण द्वारा मासिक व्यय विवरणों के संबंध में जो प्रपत्र पूर्व में निर्धारित करते हुये आपको प्रेषित किये गये थे उनमें समस्त सूचनाओं का अंकन न होने के कारण अपेक्षित सूचनायें इस कार्यालय को यथासमय प्राप्त नहीं हो पा रही है जिस कारण न तो उत्तर प्रदेश शासन को व्ययों, आदि की स्थिति से यथा समय अवगत कराया जा पा रहा है और न ही महालेखाकार कार्यालय से व्ययों का मिलान ही यथासमय सम्भव हो पा रहा है।

2 प्रायः यह भी देखा गया है कि कतिपय जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों से मासिक व्यय विवरण आदि समय से प्राप्त नहीं होते हैं जिस कारण भी उक्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

3 समस्त परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में व्यय विवरणों के संबंध में पूर्व में भेजे गये सभी प्रपत्रों को निरस्त करते हुये पांच भागों में एक संशोधित प्रपत्र तैयार किया गया है जिसकी प्रति संलग्न है।

4 अनुरोध है कि कृपया संलग्न प्रपत्र पर ही व्यय सम्बन्धी समस्त अपेक्षित सूचनायें प्रत्येक माह की पांच तारीख तक इस कार्यालय को आवश्यक रूप से भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें ताकि कार्यों का निस्तारण यथासमय हो सके।

उच्च न्यायालय समिति / जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ...

आय–व्ययक विवरण माह .....

<table>
<tr><td rowspan="5">भाग –1</td><td colspan="4">राज्य प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश शासन के अनुदान / बजट से स्वीकृत एवं माह के दौरान कोषागार से आहरित राशियों का विवरण</td></tr>
<tr><td colspan="2">राज्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत राशि, उसके आदेश की संख्या व दिनांक</td><td colspan="2">कोषागार से आहरण का विवरण</td></tr>
<tr><td rowspan="4">स्वीकृत राशि</td><td rowspan="4">आदेश संख्या व दिनांक</td><td>राजकोष / कोषागार वाउचर संख्या व दिनांक</td><td>धनराशि</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>योग</td><td></td></tr>
</table>

भाग–2 बैंक लेखें में उत्तर प्रदेश शासन के अनुदान से सम्बन्धित धनराशियों का विवरण

1. माह के प्रथम दिवस को बैंक लेखे में राज्य सरकार के अनुदानों का प्रारम्भिक शेष = रू0
2. माह के प्रथम दिवस को बैंक लेखें में ब्याज के रूप में प्राप्त राशियाँ, यदि कोई हों, का अवशेष = रू0
3. योग (कालम 1+2) = रू0
4. माह के दौरान बैंक लेखें में जमा की गई राज्य अनुदान की राशि, यदि कोई हो = रू0
5. माह के दौरान ब्याज के रूप में प्राप्त राशि, यदि कोई हो = रू0
6. कुल योग (कालम 3+4+5) = रू0
7. माह के दौरान बैंक लेखें से निकाली गई राज्य अनुदान की राशि, यदि कोई हो = रू0
8. माह के अंतिम दिवस को बैंक लेखें में राज्य अनुदान की अवशेष राशि (ब्याज सहित, यदि कोई हो) = रू0

नोट– कालम – 7 में व्यय के रूप में प्रदर्शित राशियों का मदवार व्यय विवरण भाग–5 में दिये गये प्रपत्र पर संलग्न किया जाये।

भाग – 3 राज्य प्राधिकरण द्वारा नेलसा से प्राप्त राशियों से बैंक ड्राफ्ट द्वारा दी गई राशियों व माह में उनसे हुये व्ययों का विरण।

	लोक अदालतों हेतु	पैरालीगल्स प्रशिक्षण हेतु	विधिक साक्षरता शिविरों हेतु	परिवार परामर्श केन्द्र हेतु	अन्य कार्यक्रमों हेतु	योग
1. माह के प्रथम दिवस को अवशेष						
2. माह के दौरान प्राप्त राशियां						
3. योग (कालम 1+2)						
4. माह के दौरान व्यय						
5. माह के अन्त में अवशेष (3–5)						

भाग – 4 कास्ट व अन्य स्त्रोतों से प्राप्त राशियों एवं उनसे हुये व्ययों का विवरण।

	कास्ट के रुप में	अन्य स्त्रोतों से यदि कोई हो	योग
1. माह के प्रारम्भ में अवशेष			
2. माह के दौरान प्राप्त राशियां			
3. योग (कालम 1+2)			
4. माह के दौरान व्यय की गई राशियां			
5. माह के अन्त में अवशेष (3–5)			

उच्च न्यायालय समिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ..... के वित्तीय वर्ष .....
के माह ..... का व्यय विवरण (केवल राज्य सरकार अनुदानों से)

(चैक संख्या)	दिनांक	आहरित धनराशि	01– वेतन	03 – मंहगाई	04– यात्राभत्ता	05– स्थानान्तरण यात्राभत्ता	06– अन्य भत्ते	07– मानदेय	विधि पुस्तकों का क्रय	कार्यालय व्यय				09– विद्युत देय	11– लेखन सामग्री	12–फर्नीचर/उपकरण	13–विज्ञापन/विख्यापन	42 अन्य व्यय					विशेष
										कान्टीजेन्सी	पोस्टेज	तार पर व्यय	योग					लोक अदालतों/कानूनी सहायता शिविरों के आयोजनों पर व्यय	कानूनी सहायता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के मामलों में न्यायालय सम्बन्धी प्रभारों का वहन व नामिका वकीलों की फीस	सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई अपेक्षाओं पर व्यय	परिवार परामर्श केन्द्र पर व्यय	योग	महायोग	
माह का योग																							
वर्तमान वित्तीय वर्ष में गत माह तक के व्ययों का योग																							
महायोग																							

सचिव,
उच्च न्यायालय समिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

अलग–अलग दी जाती हैं। अतः उनका लेखा भी अलग–अलग रखा जायेगा। यदि बैंक ड्राफ्ट द्वारा स्वीकृत राशि का उद्देश्य उक्त भाग–3 में उल्लिखित उद्देश्यों में न हो तो उसे भाग–3 में ही नया कालम खोलकर प्रदर्शित किया जाये।

भाग–3 के प्रथम कालम में वही राशियां उद्देश्यवार दर्शायी जायेंगी जो प्रश्नगत माह के प्रथम दिवस को बैंक में (ड्राफ्ट द्वारा प्राप्त अनुदानों से) अवशेष रही हो। यह राशि वही होगी जो गत माह के विवरण पत्र के भाग–3 के अन्तिम दिवस को अवशेष के रूप में प्रदर्शित की गयी थी।

भाग–3 के दूसरे कालम में वही राशियां दर्शायी जायेगी जो आपको विभिन्न उद्देश्यों हेतु बैंक ड्राफ्ट / ड्राफ्टों द्वारा प्रेषित की गयी है।

भाग–3 के तीसरे कालम में कालम–1 व 2 का योग प्रदर्शित किया जायेगा।

भाग–3 के चौथे कालम में वह राशियां दर्शायी जायें जो (बैंक ड्राफ्ट / ड्राफ्टों द्वारा प्रेषित राशियों में से) माह के दौरान बैंक खाते से भुगतान हेतु आहरित की गयी हों।

भाग–3 के पांचवे कालम में वह राशि दर्शायी जायेगी जो माह के अन्तिम दिवस को नेलसा के अनुदानों के रूप में बैंक लेखे में अवशेष थी अर्थात कालम–3 से कालम–4 की राशि को घटा कर प्रदर्शित किया जायेगा यही राशि अगले माह के विवरण पत्र में प्रारम्भिक अवशेष के रूप में प्रदर्शित होगी।

भाग–4

इस भाग में कास्ट तथा अन्य श्रोतों से प्राप्त राशियों यदि कोई हो तथा उनसे हुये व्ययों को प्रदर्शित किया जाना है।

भाग–4 के प्रथम कालम में वही राशियां दर्शायी जायेगी जो प्रश्नगत माह के प्रथम दिवस को कास्ट / अन्य श्रोतों से प्राप्त राशियों से बैंक खाते में अवशेष रही हों। यह वही राशि होगी जो गत माह के विवरण पत्र के भाग–4 के अन्तिम दिवस को अवशेष के रूप में प्रदर्शित की गयी थी।

भाग–4 के दूसरे कालम में वही राशियां दर्शायी जायेगी जो प्रश्नगत माह के दौरान कास्ट / अन्य श्रोतों के रूप में प्राप्त हुई हों।

भाग–4 के तीसरे कालम में कालम–1 व 2 का योग प्रदर्शित किया जायेगा।

भाग–4 के चौथे कालम में वह राशियां दर्शायी जायेगी जो प्रश्नगत माह के दौरान कास्ट / अन्य श्रोतों से प्राप्त राशियों में व्ययों / भुगतान हेतु बैंक खाते से आहरित की गयी हों।

भाग–4 के पांचवे कालम में वह राशि दर्शायी जायेगी जो माह के अन्तिम दिवस को कास्ट / अन्य श्रोतों के रूप में बैंक लेखे में अवशेष बची हों।

भाग–5

इस भाग में प्रश्नगत माह में व्यय की गयी राशियों को मदवार अंकित किया जायेगा। माह के योग के कालम में प्रश्नगत माह के मद्वार व्ययों को अलग–अलग प्रदर्शित किया जायेगा। गत माह तक के व्ययों को कालम में वर्तमान वित्तीय वर्ष से प्रश्नगत माह के पहले के माह तक के व्ययों को मद्वार प्रदर्शित किया जायेगा। और महायोग के कालम में वर्तमान वित्तीय वर्ष के प्रश्नगत माह तक के व्ययों को मद्वार प्रदर्शित किया जायेगा। जिससे तहसील विधिक सेवा समितियों के व्ययों को भी उक्त व्यय विवरण में सम्मिलित किया जायेगा। परन्तु भाग–5 के प्रारूप में ही तहसील विधिक सेवा समितियों के व्ययों को मद्वार अलग से भी प्रदर्शित किया जायेगा जिससे तहसील विधिक सेवा समितियों के व्ययों को अलग भी रखा जा सकें।

अलग–अलग दी जाती हैं। अतः उनका लेखा भी अलग–अलग रखा जायेगा। यदि बैंक ड्राफ्ट द्वारा स्वीकृत राशि का उद्देश्य उक्त भाग–3 में उल्लिखित उद्देश्यों में न हो तो उसे भाग–3 में ही नया कालम खोलकर प्रदर्शित किया जाये।

भाग–3 के प्रथम कालम में वही राशियां उद्देश्यवार दर्शायी जायेंगी जो प्रश्नगत माह के प्रथम दिवस को बैंक में (ड्राफ्ट द्वारा प्राप्त अनुदानों से) अवशेष रही हो। यह राशि वही होगी जो गत माह के विवरण पत्र के भाग–3 के अन्तिम दिवस को अवशेष के रूप में प्रदर्शित की गयी थी।

भाग–3 के दूसरे कालम में वही राशियां दर्शायी जायेगी जो आपको विभिन्न उद्देश्यों हेतु बैंक ड्राफ्ट/ड्राफ्टों द्वारा प्रेषित की गयी है।

भाग–3 के तीसरे कालम में कालम–1 व 2 का योग प्रदर्शित किया जायेगा।

भाग–3 के चौथे कालम में वह राशियां दर्शायी जायें जो (बैंक ड्राफ्ट/ड्राफ्टों द्वारा प्रेषित राशियों में से) माह के दौरान बैंक खाते से भुगतान हेतु आहरित की गयी हों।

भाग–3 के पांचवे कालम में वह राशि दर्शायी जायेगी जो माह के अन्तिम दिवस को नेलसा के अनुदानों के रूप में बैंक लेखे में अवशेष थी अर्थात कालम–3 से कालम–4 की राशि को घटा कर प्रदर्शित किया जायेगा यही राशि अगले माह के विवरण पत्र में प्रारम्भिक अवशेष के रूप में प्रदर्शित होगी।

भाग–4

इस भाग में कास्ट तथा अन्य श्रोतों से प्राप्त राशियों यदि कोई हो तथा उनसे हुये व्ययों को प्रदर्शित किया जाना है।

भाग–4 के प्रथम कालम में वही राशियां दर्शायी जायेगी जो प्रश्नगत माह के प्रथम दिवस को कास्ट/अन्य श्रोतों से प्राप्त राशियों से बैंक खाते में अवशेष रही हों। यह वही राशि होगी जो गत माह के विवरण पत्र के भाग–4 के अन्तिम दिवस को अवशेष के रूप में प्रदर्शित की गयी थी।

भाग–4 के दूसरे कालम में वही राशियां दर्शायी जायेगी जो प्रश्नगत माह के दौरान कास्ट/अन्य श्रोतों के रूप में प्राप्त हुई हों।

भाग–4 के तीसरे कालम में कालम–1 व 2 का योग प्रदर्शित किया जायेगा।

भाग–4 के चौथे कालम में वह राशियां दर्शायी जायेगी जो प्रश्नगत माह के दौरान कास्ट/अन्य श्रोतों से प्राप्त राशियों में व्ययों/भुगतान हेतु बैंक खाते से आहरित की गयी हों।

भाग–4 के पांचवे कालम में वह राशि दर्शायी जायेगी जो माह के अन्तिम दिवस को कास्ट/अन्य श्रोतों के रूप में बैंक लेखे में अवशेष बची हों।

भाग–5

इस भाग में प्रश्नगत माह में व्यय की गयी राशियों को मदवार अंकित किया जायेगा। माह के योग के कालम में प्रश्नगत माह के मद्वार व्ययों को अलग–अलग प्रदर्शित किया जायेगा। गत माह तक के व्ययों को कालम में वर्तमान वित्तीय वर्ष से प्रश्नगत माह के पहले के माह तक के व्ययों को मद्वार प्रदर्शित किया जायेगा। और महायोग के कालम में वर्तमान वित्तीय वर्ष के प्रश्नगत माह तक के व्ययों को मद्वार प्रदर्शित किया जायेगा। जिससे तहसील विधिक सेवा समितियों के व्ययों को भी उक्त व्यय विवरण में सम्मिलित किया जायेगा। परन्तु भाग–5 के प्रारूप में ही तहसील विधिक सेवा समितियों के व्ययों को मद्वार अलग से भी प्रदर्शित किया जायेगा जिससे तहसील विधिक सेवा समितियों के व्ययों को अलग भी रखा जा सकें।

पत्रांक सं0 : 1456 / एस0एल0एस0ए0 – 303 / 97 दिनांक : जुलाई 24 2000

विषय : मासिक (मैनुअल) बिलों में से सा0भ0नि0, मोटर कार, अग्रिम सा0भ0नि0 अग्रिम, इत्यादि के शिड्युलों को निधि–36 अनुभाग को भेजने के सम्बन्ध में।

महोदय,

इस कार्यालय के पत्र संख्या–972 / एस.एल.एस.ए.–303 / 97, दिनांक 15.3.98 का संदर्भ लेने का कष्ट करें जिसके द्वारा आपसे अनुरोध किया गया था कि कर्मचारियों के वेतन से की जाने वाली कटौतियों (जैसे–सा0भ0नि0, भवन निर्माण, अग्रिम सामूहिक बीमा योजना, मोटर वाहन अग्रिम आदि) के कटौती के (शिड्यूल) भी संबंधित बिलों में लगाये जायेगें परन्तु कटौती की राशियों को बैंक से आहरित कर सम्बन्धित कर्मचारी के पक्ष में कोषागार चालान द्वारा सम्बन्धित लेखाशीर्षक में जमा किया जायेगा।

2. यह भी अनुरोध किया गया था कि कटौतियों की धनराशियों को कोषागार चालान द्वारा जमा किये जाने के उपरान्त मूल कोषागार चालानों को समिति / जिला प्राधिकरणों के अभिलेखों पर सुरक्षित रखा जायेगा तथा उनकी प्रमाणित छाया प्रतियां, कटौतियों से सम्बन्धित शिड्यूलों के पीछे चस्पा कर दिया जायेगा और माह के सारे बिलों की सूची बनाकर महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को भेज दिये जायेंगे।

3. अब भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–1 उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ने अपने पत्र सं0–ए0सी0(सी) 4 / 14 दिनांक 26 / 28.6.2000 द्वारा अनुरोध किया है कि मासिक लेखों के साथ भेजे जाने वाले सा0भ0नि0 एवं अन्य अग्रिमों के कटौती प्रपत्रों एवं चालानों को मैनुअल बिलों से अलग करते हुये उन्हें पृथक से "निधि 36 अनुभाग" को प्रेषित किया जाये।

4. उक्त परिप्रेक्ष्य में आप से अनुरोध है कि कर्मचारियों के वेतन बिल से की गयी समस्त कटौतियों के शिड्यूल एवं कोषागार चालानों की प्रमाणित छाया प्रतियां पृथक से सीधे "निधि 36 अनुभाग, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–1, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को भेजने की कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें ताकि कटौतियों की राशियां महालेखाकार कार्यालय द्वारा सम्बन्धित कर्मचारियों के लेखें में यथा समय पुस्तांकित किया जा सके।

परिपत्र सं0 : 28 / एस0एल0एस0ए0 – 248 / 98 दिनांक : 20 अक्टूबर, 2000

विषय : पुराने ढंग से आयोजित लोक अदालत–व्यय सीमा।

महोदय,

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की 11 वीं बैठक दिनांक 30.10.1999 में मद संख्या –3 पर लोक अदालतों के आयोजनों पर व्यय होने वाली राशि की अधिकतम सीमा रू 5,000 / – निर्धारित की गयी है और राज्य प्राधिकरण के माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय को यह अधिकार दिये गये हैं कि वह विशेष परिस्थितियों में किसी लोक अदालत के व्यय को रू 8,000 / – तक रखे जाने की स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं।

उक्त संदर्भ में शासन की आर्थिक स्थिति एवं मितव्ययिता नीति की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुये मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि परम्परागत ढंग से अवकाश के दिनों में आयोजित होने वाली लोक अदालत के व्यय को जिला प्राधिकरण के विवेकाधीन अपने जनपद में न्यायाधीशों की संख्या के अनुरूप उसी अनुपात में यथासम्भव न्यूनतम रखा जाये तथा केवल ऐसी लोक अदालतें जिनमें माइक,मंच,टेन्ट आदि लगाकर सभा का आयोजन करते हुये वृहद लोक अदालत का आयोजन किया जाता है जिनमें 25 अथवा 25 से अधिक पीठासीन अधिकारियों द्वारा वादों का निस्तारण किया जाता है उन पर ही आवश्यकतानुसार अधिकतम रू0 5,000 / – की धनराशि व्यय की जायें।

अतः अनुरोध है कि कृपया पुराने ढंग से लगाई जा रही लोक अदालतों की व्यय सीमा उपरोक्तानुसार न्यूनतम रखते हुये आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करवाने का कष्ट करें।

वृत्तांक पत्र सं0 : 08 / एस0एल0एस0ए0 – 103 / 97 दिनांक : 12 मई 2005

विषय : जिला विधिक सहायता निधि की स्थापना के संबंध में।

महोदय,

इस कार्यालय के वृत्तांक पत्र संख्या–20 / एस.एल.एस.ए.–103 / 97, दिनांक 10 नवम्बर 1997 का संदर्भ लेने का कष्ट करें जिसके द्वारा दिनांक 20–8–1997 को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ की द्वितीय बैठक में लिये गये निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में यह अनुरोध किया गया था कि "जब तक निधि की स्थापना नहीं हो जाती, तब तक "जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नाम से स्टेट बैंक आफ इण्डिया में एक चालू खाता खोल लिया जाये जिसका संचालन जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष की अनुमति से सचिव द्वारा किया जाये जिला विधिक सहायता निधि की स्थापना हो जाने के बाद तुरन्त उक्त खाते को बन्द करके उसकी समस्त धनराशि जिला विधिक सहायता निधि में स्थानान्तरित कर ली जाये।

2. राज्य प्राधिकरण के संज्ञान में आया है कि कतिपय जिला प्राधिकरणों द्वारा चालू खाता के स्थान पर बचत खाता खोले गये हैं जो कि राज्य प्राधिकरण के निर्णयों के विपरीत है। बचत खाते में ब्याज अर्जित होने के कारण खातों के समुचित रख रखाव व अनुदानों का हिसाब करने में कठिनाईयां आ रही है तथा साथ ही साथ समस्त जिला प्राधिकरणों में एकरूपता भी नहीं है।

3. अतः अनुरोध है कि कृपया आप दिखवा लें कि आपके जिला प्राधिकरण में राज्य प्राधिकरण के निर्णयों के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में चालू खाता ही खोला गया है। कृपया खोले गये चालू खाते की संख्या व शाखा का नाम राज्य प्राधिकरण के अभिलेखों हेतु उपलब्ध करवाने की कृपा करें। यदि बचत खाता खोला गया हो तो उसे तुरन्त बन्द करवाकर चालू खाता खुलवाते हुये खाते की संख्या, शाखा सहित इस कार्यालय के अभिलेखों हेतु उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

4. कृपया यह भी सुनिश्चित करवा लें कि व्यय की धनराशियां एक रूपये के पूर्णांक में हो अर्थात रू0 00–50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जाये और रू0 00–50 पैसे और उससे अधिक की राशि को पूरा रूपया मान लिया जाये।

कर्मचारियों की नियुक्ति वेतन एवं मानदेय इत्यादि

वृत्तांक 16 / एस.एल.एस.ए.–257 / 97 दिनांक 18 सितम्बर, 1997

विषय : जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के कर्मचारियों को अर्जित अवकाश, अर्जित अवकाश का नकदीकरण, चिकित्सा अवकाश यात्रा सुविधा एवं भविष्य निधि अग्रिमों को स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 9(5) एवं (6) के अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारियों की नियुक्ति जिला प्राधिकरण द्वारा की जायेगी और उनकी सेवा शर्त वहीं होंगी जो राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से निर्धारित की जायेगी। इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाई गई उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली 1996 के नियम 13 (4) में यह प्राविधानित है कि जब तक जिला प्राधिकरण के कर्मचारियों की सेवा शर्तों से संबंधित शासन द्वारा नियम नहीं बनाये जाते तब तक यह शर्तें जिनमें अवकाश भविष्य निधि और अन्य विषय सम्मिलित हैं वहीं होंगी जो उसी श्रेणी के शासकीय कर्मचारियों की है और तद्नुसार शासकीय नियम और आदेश भी लागू होंगे।

2. उक्त परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि आप कृपया अपने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारियों के अर्जित अवकाश का नकदीकरण चिकित्सा अवकाश तथा भविष्य निधि अग्रिम (स्थाई एवं अस्थाई) आदि से संबंधित मामलों के विषय में जनपद स्तर पर ही विचार करने संबंधी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने और निर्णय लेने का कष्ट करें। इस संदर्भ में यह ध्यान रखने योग्य बात है कि अधिनियम के अन्तर्गत इन कर्मचारियों की नियुक्ति अधिकारी जिला प्राधिकरण है ऐसी स्थिति में यह उपयुक्त और आवश्यक होगा कि जिला प्राधिकरण के समक्ष प्रस्ताव लाकर प्राधिकरण के अध्यक्ष (जिला जज) को ऐसे मामलों में विचार करने और निर्णय लेने के लिए अधिकार (Authorisation) प्राप्त कर लिया जाये ताकि इस प्रकार के सामान्य (routine) मामलों में आप द्वारा विचार किया / आदेश पारित किये जा सके। इनके विषय में आवश्यक कार्यवाही शासकीय नियमों और आदेशों के अनुसार ही की जानी अपेक्षित होगी।

3. कुछ कर्मचारियों के अवकाश / अवकाश नकदीकरण / भविष्य निधि अग्रिम आदि संबंधी मामले इस कार्यालय में विचाराधीन है यह सभी प्रार्थना पत्र संबंधित जिला प्राधिकरणों को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजे जा रहे हैं कृपया इनके संबंध में पारित आवश्यक आदेशों की प्रति राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को पृष्ठांकित किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें। भविष्य में भी इस प्रकार के सभी मामलों का निस्तारण कृपया जिला प्राधिकरण स्तर पर ही नियमानुसार सुनिश्चित किया जाये और ऐसे प्रार्थना पत्रों / मामलों को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को न भेजे जायें।

4. जहां तक अनुशासनात्मक मामलें हैं उनके विषय में अलग से विचार किया जा रहा है और शीघ्र ही इस संबंध में आपको अवगत कराया जायेगा।

वृत्तांक पत्र सं0 : 25 / एसएलएसए–280 / 97 दिनांक दिसम्बर 17 1997

विषय : उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति तथा विभिन्न जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिवों को मानदेय।

महोदय,

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 8 ए (3) के अधीन उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति हेतु सचिव तथा धारा 9 (3) के अधीन जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों हेतु सचिवों की नियुक्ति समय–समय पर की जाती है।

2. नियुक्त किये गये उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव को उच्च न्यायालय विधिक सेवा विनियमावली 1997 के विनियम 6 (1) के अधीन रु. 1,000 / – प्रतिमाह की दर से और इसी प्रकार जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों हेतु नियुक्त किये गये सचिवों को 'जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (कारोबार का संव्यवहार और अन्य उपबन्ध) विनियमावली 1997 के विनियम 4 (3) के अधीन रु. 500 / – प्रति माह की दर से मानदेय दिये जाने की व्यवस्था है।

3. कतिपय जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा इस आशय की जानकारियाँ चाही गई हैं कि सचिव को देय उक्त मानदेय किस तिथि से और किस मद से भुगतान किया जायेगा।

4. इस संदर्भ में अवगत कराना है कि उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति विनियमावली 1997 तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (कारोबार का सव्यवहार और अन्य उपबन्ध) विनियमावली, 1997 दिनांक 14.10.1997 को सरकारी गजट में प्रकाशित हुई है अतः उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव / जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिवों को उक्त तिथि अर्थात 14.10.1997 से अथवा उनकी नियुक्ति की तिथि, जो भी बाद में पड़ती हो, से मानदेय दिया जाना है। मानदेय की राशि का भुगतान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति / जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को '07–मानदेय' की मद से स्वीकृत राशियों से किया जायेगा।

5. तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

वृ0 प0 26 / एस.एल.एस.ए.–54 / 97 दिनांक 30, दिसम्बर 1997

विषय : जिला प्राधिकरण एंव उच्च न्यायालय समिति के कर्मचारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया राज्य प्राधिकरण के वृत्तांक पत्र संख्या 16 / एसएलएसए–257 / 97 दिनांक 18.9.97 का अवलोकन करने का कष्ट करें। इस संबंध में यह अवगत कराना है कि जिला प्राधिकरणों एवं उच्च न्यायालय समिति में कर्मचारियों की नियुक्ति से सम्बन्धित सेवा नियमावली उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शीघ्र बनाई जा रही है। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति से सम्बन्धित प्रकरण में भी अमूल्य परिवर्तन किया गया है जो कि जिला प्राधिकरणों एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के कर्मचारियो की नियुक्ति के मामलों में भी लागू होगी।

अतः आपसे अनुरोध है कि जब तक उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति से सम्बन्धित सेवा नियमावली प्रख्यापित नहीं की जाती है और उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति से सम्बन्धित प्रक्रिया को अन्तिम स्वरुप प्रदान नहीं किया जाता है तब तक तृतीय श्रेणी अथवा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति से सम्बन्धित प्रक्रिया को स्थगित रखा जाय।

इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहना है कि जिला प्राधिकरणों / उच्च न्यायालय समिति में कार्यरत कर्मचारी जो पूर्व में उत्तर प्रदेश कानूनी सहायता और परामर्श बोर्ड के प्रशासनिक अध्यक्ष द्वारा नियुक्ति किये गये हैं उनकी सेवा समाप्ति से सम्बन्धित आदेश भी राज्य प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष महोदय की बिना पूर्व अनुमति के पारित न किये जाये ताकि इस मामले में कोई विधिक कठिनाई उत्पन्न न हो।

वृ0 प0 01/एस.एल.एस.ए.–2/98 दिनांक जनवरी 7, 1998

विषय : उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, इलाहाबाद तथा समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के कर्मचारियों के वर्तमान वेतनमानों का पुनरीक्षण तथा पुनरीक्षित वेतनमानों में उनका वेतन निर्धारण।

महोदय,

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वेतनमान समिति, उत्तर प्रदेश (1997) द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन तथा उसकी संस्तुतियों को शासनादेश संख्या प.पा. नि–352/दस–(एम)/97, दिनांक 22.12.1997 द्वारा उक्त शासनादेश में उल्लिखित सीमाओं तक स्वीकार किया जा चुका है और शासनादेश संख्या प.पा. नि.–356/दस–20 (एम)/97, दिनांक 23.12.1997 द्वारा कर्मचारियों के वेतनमानों को पुनरीक्षित किया जा चुका है। शासनादेश संख्या प.पा. नि–357/दस–21(एम)/97, दिनांक 31.12.97 द्वारा पुनरीक्षित वेतनमानों में कर्मचारियों के वेतन के निर्धारण की रीति भी निर्धारित की जा चुकी है। उक्त के अतिरिक्त नये/पुनरीक्षित वेतनमानों में देय मंहगाई भत्ते की दरें भी शासनादेश संख्या –वे.आ.–1–751/दस–(एम)/97, दिनांक 23.12.97 द्वारा घोषित की जा चुकी है।

2. आशा है कि उक्त सभी आदेश माननीय उच्च न्यायालय/जिला जजी में प्राप्त हो गये होंगे अथवा प्राप्त हो रहे होंगे।

3. उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के कर्मचारियों के वर्तमान वेतनमानों का पुनरीक्षण किये जाने हेतु कृपया उक्त शासनादेशों की प्रतियां माननीय उच्च न्यायालय/जिला जजी से प्राप्त कर लें और संबंधित कर्मचारियों से निर्धारित प्रारुप से शासनादेश दिनांक 31.12.1997 के संलग्न (ख) में प्राप्त कर कर्मचारियों के वेतनमानों के आधार पर उनके वेतनमानों को पुनरीक्षित वेतनमानों में पुनरीक्षित मानते हुए उनका मूल वेतन पुनरीक्षित वेतनमानों में निर्धारित किये जाने तथा पुनरीक्षित वेतनमानों में निर्धारित किये जाने तथा पुनरीक्षित वेतनमानों में उनके अवशेष वेतन आदि का भुगतान किये जाने के लिये आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

4. यह भी अनुरोध है कि कृपया प्रत्येक कर्मचारी के पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन निर्धारण से संबंधित आडिट/चार्ट की प्रति उसके द्वारा दिये गये विकल्प पत्र की प्रति सहित इस कार्यालय के अभिलेखों हेतु भिजवाने का भी कष्ट करें।

वृ0 प0 15 / एस.एल.एस.ए. – 255 / 97 (ए) दिनांक 2, अप्रैल, 1998

विषय : जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की अनुपस्थिति में दीवानी न्यायालय के कर्मचारियों से मानदेय के आधार पर कार्य लिया जाना।

महोदय,

कुछ जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पद रिक्त चल रहे हैं और कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में शासन द्वारा सेवा नियमावली बनायी जा रही है जिसमें कुछ समय लगने की संभावना है। इसके अतिरिक्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में केवल एक तृतीय एवं एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होने के कारण समय–समय पर यह कर्मचारी लम्बे अवकाश पर चले जाते हैं जिसके कारण लोक अदालत एवं कानूनी सहायता कार्यक्रमों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

उक्त परिस्थितियों में शासनादेश सं0–668 / सात–न्याय–7–26 / 98 दिनांक 2.1. 92 में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिला जजी के कर्मचारियों से उक्त अवधि में कार्य लेने पर उन्हें कुछ मानदेय दिये जाने की भी व्यवस्था की गयी थी। चूँकि इस प्रकार जिला जजी के कर्मचारियों को दी जाने वाली मानदेय की धनराशि बहुत कम थी इसलिए इस मामले को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की तृतीय बैठक दिनांक 29.11.97 में रखा गया था। इस संबंध में यह निर्णय लिया गया था कि किसी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में तृतीय अथवा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के 15 दिन से अधिक की अनुपस्थिति में दीवानी न्यायालय के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को क्रमशः 150 / –रु. प्रतिमाह एवं 75 / – रु. प्रतिमाह की दर से मानदेय का भुगतान किया जा सकता है। राज्य प्राधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में उ.प्र. शासन से अनुरोध किया गया था तथा शासनादेश संख्या 203 / सात–न्याय–7–98–26 / 90 दिनांक 18.3.1998 द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न की जा रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 15 दिन से अधिक उपलब्ध न होने या अनुपस्थित रहने की स्थिति में उनके स्थान पर जिला जजी के कार्यालय के तृतीय / चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्य और लोक अदालतों व शिविर आयोजित किये जाने से संबंधित कार्य लेने के फलस्वरुप उन्हें शासन द्वारा उक्त निर्धारित मानदेय की धनराशि उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रेषक,

श्री सैय्यद मजहर अब्बास आबदी
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

सदस्य सचिव
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जवाहर भवन तृतीय तल एनेक्सी
लखनऊ।

न्याय अनुभाग–7 (कल्याण निधि) लखनऊ : दिनांक 18 मार्च 1998

विषय : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की अनुपस्थिति में दीवानी न्यायालय के कर्मचारियों से मानदेय के आधार पर कार्य लिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1221/एस.एल.एस.ए.–255/97 दिनांक–24 दिसम्बर 1997 के संदर्भ में शासनादेश संख्या – 668/सात–न्याय–7–26/90 दिनांक 2 जनवरी, 1992 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 15 दिन से अधिक अनुपस्थिति में उनके स्थान पर जिला जजियों के कार्यालय के तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्य और लोक अदालतों के शिविर आयोजित किये जाने से सम्बन्धित कार्य लिये जाने के फलस्वरुप श्री राज्यपाल महोदय जिला जजियों के उक्त कर्मचारियों को सम्बन्धित कार्य के लिये वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2 भाग–2 से 4 के मूल नियम–46 (ए) के अन्तर्गत निम्नांकित दर से मानदेय प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(i) तृतीय श्रेणी कर्मचारी– रु. 150/– प्रति माह

(ii) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी– रु. 75/– प्रति माह

2. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि सम्बन्धित कर्मचारी उक्त कार्य अपने मुख्यालय के कार्यालय समय के अतिरिक्त समय में करेंगे एवं इस कार्य को करने से जिला जजियों के कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होगी जिला जजियों के सम्बन्धित कर्मचारियों को शुल्क तभी देय होगा जब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्य के सम्बन्ध में तथा लोक अदालत के शिविर आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में कार्य जिला जजी के कर्मचारियों से वास्तव में कार्य लिया गया हो, का प्रमाण–पत्र सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा दिया जाना होगा।

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 1997–98 के आय व्ययक अनुदान संख्या–42 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण अयोजनेत्तर–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–कार्यक्रम–200–अन्य कार्यक्रम–04–राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण–20–सहायक अनुदान/अशंदान/राज्य सहायता के नाम डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–जी–1–193/दस–98 दिनांक 04.03.1998 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

सैय्यद मजहर अब्बास आबदी
संयुक्त सचिव

वृ0 प0 10/एस.एल.एस.ए.–159/97 दिनांक 26, जुलाई, 1997

विषय : जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की बैठकों में जलपान की व्यवस्था हेतु व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

1. जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा समय–समय पर अपने अपने जनपदों में कानूनी सहायता कार्यक्रमों के संदर्भ में बैठकों का आयोजन किया जाता है। जिसमें भाग लेने वाले सम्मानित सदस्यों आदि हेतु जलपान की व्यवस्था की जानी होती है।

2. उक्त संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक में सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था पूर्व की भांति रु. 75.00 (रुपया पचहत्तर मात्र) की सीमा में रखवाते हुये उसके जलपान व्ययों को करवाने का कष्ट करें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की बैठकों के उक्त व्ययों का 08–कार्यालय व्यय की मानक मद के अन्तर्गत 'कान्टीजेन्सी' की मद में स्वीकृत राशि से वहन किया जायेगा।

3. लोक अदालतों के आयोजन के संदर्भ में बीमा कम्पनियों के अधिकारियों आदि से वार्ता हेतु बुलाई गयी बैठकों में जलपान के व्ययों को 42–अन्य व्यय की मद में स्वीकृति राशियों से वहन किया जायेगा तथा उसके व्ययों की गणना उसी लोक अदालत के व्ययों में की जायेगी जिस लोक अदालत के आयोजन के संदर्भ में बैठक आयोजित की गयी है।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करवाने का कष्ट करें।

वृत्तांक पत्र सं0. 19 / एस.एल.एस.ए.–133 / 97 दिनांक : नवम्बर 6, 1997

विषय : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठकों में जिला मजिस्ट्रेट एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के भाग लेने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत है कि उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली 1996 के नियम–11(2) के अन्तर्गत जिलाधिकारी / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी जिला प्राधिकरणों के पदेन सदस्य हैं। कुछ जिला जजों द्वारा यह अवगत कराया गया था कि जिला प्राधिकरण की बैठकों में जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भाग नहीं लेते हैं जिसके कारण कानूनी सहायता कार्यक्रमों के प्रभावी रुप से संचालन में कठिनाई उत्पन्न होती है।

राज्य प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष महोदय द्वारा इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति से मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन को अवगत कराया गया था और श्री आर.एस. माथुर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन ने अपने पत्र संख्या 856 / सात–न्याय–7–97–11 / 87 दिनांक 28 अक्टूबर, 1997 (प्रति संलग्न) द्वारा समस्त जिला मजिस्ट्रेट / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया है कि वे जिला प्राधिकरण की बैठक में स्वयं भाग लें और लोक अदालतो में सक्रिय सहयोग प्रदान करें।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप आवश्यक्तानुसार जिलाधिकारी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का ध्यान मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के उपरोक्त निर्देशों की ओर आकर्षित करने का कष्ट करें ताकि वह नियमित रुप से जिला प्राधिकरण की बैठकों में उपस्थित होकर अपेक्षित सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

वृत्तांक पत्र सं0 : 31 / एसएलएसए–267 / 98 दिनांक 23 अक्टूबर1998

विषय : दिनांक 9 नवम्बर को 'विधिक सेवा दिवस' (Legal Aid Day) के आयोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

मुझे उक्त विषय के संबंध में अवगत कराते हुये यह कहना है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रशासनिक अध्यक्ष एवं उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायमूर्ति माननीय डा0ए0एस0 आनन्द (जो अब भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश हैं) द्वारा दिनांक 12.9.98 को भारत के सभी प्रदेशों के राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के कार्यपालक अध्यक्षों एवं सदस्य सचिवों की एक बैठक नई दिल्ली में आयेाजित की गयी थी जिसका कार्यवृत्त सदस्य सचिव, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्र संख्या – एफ–22(1) / 98 नालसा / 2393 दिनांक 6. 10.98 द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 12.10.98 को प्राप्त हुआ है।

माननीय न्यायमूर्ति डा0 ए0एस0 आनन्द द्वारा सभी कानूनी सहायता संस्थाओ Legal Aid (Functionaries)से यह अपेक्षा की गयी है कि प्रत्येक वर्ष दिनांक 09, नवम्बर (जिस दिन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम प्रभावी हुआ था) को विधिक सेवा दिवस (Legal Aid Day) के रुप में मनाया जाये ताकि कानूनी सहायता कार्यक्रमों को अपेक्षित गति प्राप्त हो सके और सामान्य जनता को इस कार्यक्रम की जानकारी प्राप्त हो।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप कृपया दिनांक 9 नवम्बर 1998 की ओर भविष्य में प्रत्येक वर्ष उक्त तिथि पर 'विधिक सेवा दिवस' का आयोजन करने का कष्ट करें। इस संबंध में यह भी अवगत कराना है कि उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिनांक 9.11.98 को एक त्रैमासिक पत्रिका के प्रकाशन का शुभारम्भ किया जा रहा है और उसी दिन पारिवारिक न्यायालय परिसर लखनऊ में कार्यरत परिवार परामर्श केन्द्र में स्थायी एवं नियमित रुप से लोक अदालत का आयोजन भी प्रारम्भ किया जा रहा है। आपसे अनुरोध है कि आप कृपया अपने जिले की स्थानीय अपेक्षाओं एवं परिस्थितियों के अनुसार निम्न प्रकार से कार्यक्रम आयोजित करने का कष्ट करें।

1. जिला प्राधिकरणों के सदस्यों और विशेष कर जिलाधिकारी, न्यायिक अधिकरियों एवं बार संघ के पदाधिकारियों से आवश्यकतानुसार विचार–विमर्श करके दीवानी न्यायालय परिसर में दिनांक 9.11.98 को अपरान्ह में एक कार्यक्रम आयोजित करें जिसमें प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकारियों के अतिरिक्त जिला प्राधिकरण व तहसील समितियों के सदस्यों के साथ ही अधिवक्ताओं एवं वादकरियों को भी सम्मिलित किया जाये। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि सामान्य जनता को लोक अदालतों एवं कानूनी सहायता कार्यक्रमों के संबंध में अपेक्षित जानकारी उपलब्ध हो सके और उनकी ओर से इस संबंध मे सुझाव भी आमंत्रित किये जायें ताकि लोक अदालत एवं कानूनी सहायता कार्यक्रमों का प्रभावी रुप से क्रियान्वयन किया जा सके।

2. विधिक सेवा दिवस के अवसर पर दीवानी न्यायालय परिसर के बाहर एक–दो कपड़े के बैनर भी लगाये जाये जिस पर निम्नलिखित इबारत अंकित हो :–

9 नवम्बर

विधिक सेवा दिवस

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

जनपद–

3. दैनिक समाचार पत्रों तथा अन्य संचार माध्यमों को भी जिला प्राधिकरण द्वारा इस प्रकार की प्रेस नोट / विज्ञप्ति जारी की जाये कि :
दिनांक 9 नवम्बर को विधिक सेवा दिवस का आयेाजन सम्पूर्ण भारत वर्ष में किया जा रहा है और तद्नुसार जिला स्तर पर यह आयोजन किया जा रहा है ताकि सामान्य जनता को लोक अदालत एवं कानूनी सहायता कार्यक्रमों के संबंध मे जानकारी हो सके। जिला प्राधिकरण स्तर पर आयोजित उक्त कार्यक्रम के संबंध में आयेाजन के उपरान्त सामान्य जनता को विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी उपलब्ध करायी जाये।

4. उक्त अवसर पर दीवानी न्यायालय परिसर में ही एक विशेष कानूनी परामर्श प्रकोष्ठ की भी स्थापना की जाये जिसमें दीवानी फौजदारी एवं राजस्व के चयनित नामिका अधिवक्ताओं को अलग–अलग अवधि के लिए बैठने के लिए अनुरोध किया जाये ताकि सामान्य वादकारियों को उक्त दिवस पर आवश्यकतानुसार निःशुल्क विधिक परामर्श प्राप्त हो सके।

5. उक्त अवसर पर राज्य प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई सरल कानूनी ज्ञानमाला पुस्तकों का भी निःशुल्क वितरण वादकारियों को आवश्कतानुसार करने का कष्ट करें।

6. दीवानी न्यायालय और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जहाँ जिला प्राधिकरण द्वारा कानूनी सहायता कार्यक्रमों के संबंध में सूचना पट्ट लगवाये गये हैं उनका भी निरीक्षण करा लें और यह सुनिश्चित कर लें कि ऐसे सूचना पट्ट में दी गयी जानकारी अप–टू–डेट हो जाये और यदि आवश्यक हो तो इन्हें पुनः नये सिरे से पेन्ट आदि करा लें।

7. उक्त के संबंध में जिला सूचना अधिकारी तथा जिलाधिकारी के सहयोग से विधिक सेवा दिवस के अवसर पर यदि कोई अन्य सुसंगत कार्यक्रम आयोजित किया जाना सम्भव हो तो उसे भी सुविधानुसार आयोजित करने का कष्ट करें

आपसे अनुरोध है कि कृपया दिनांक 9 नवम्बर 1998 को आयोजित किये गये कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण राज्य प्राधिकरण कार्यालय को आयोजन के उपरान्त शीघ्र उपलब्ध करायें ताकि आवश्यकतानुसार उसे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित की जाने वाली त्रैमासिक पत्रिका के आगामी अंकों में समय–समय पर प्रकाशित भी कराया जा सके।

वृत्तांक पत्र सं0 : 19 / एसएलएसए–15 / 97 दिनांक : 6 अप्रैल 1999

विषय : प्रत्येक तहसील में कम से कम एक गांव को वाद–विहीन घोषित करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि राज्य प्राधिकरण की आठवीं बैठक दिनांक 20.3.99 में यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक तहसील में कम से कम एक गांव का चयन करके उस गांव में लम्बित विभिन्न प्रकृति के मुकदमों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर कराके उस गांव को वाद विहीन घोषित किया जाये।

यह देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर छोटे–छोटे ऐसे मामले हैं जिनमें यदि सम्भ्रान्त व्यक्तियों द्वारा उचित रुप से मध्यस्थता की जाये तो उनके अधिकतर विवादों को सुलह समझौते के आधार पर तय कराया जा सकता है और यदि ऐसे मामले प्रारंभिक स्तर पर ही तय हो जायें तो गांव में आपराधिक प्रवृतियों को भी कम किया जा सकेगा और सौहार्दपूर्ण वातावरण भी उत्पन्न होगा जिससे गांववासी अपने समय और धन को विकासोन्मुख कार्यों में लगा सकेंगे। विशेषकर राजस्व और चकबन्दी के वादों को यदि ग्राम स्तर पर ही विशेष अभियान के रुप में निस्तारित किया जाये तो ऐसे गांवों को वाद विहीन बनाया जा सकता है और इस योजना के लिए तहसील विधिक सेवा समितियों का सक्रिय सहयोग अत्यन्त आवश्यक है।

सर्वप्रथम प्रत्येक तहसील में कम से कम एक गांव का चयन करके उस गांव में विधिक साक्षरता शिविर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना आवश्यक होगा और चयनित गांव के निवासियों को कानूनी सहायता कार्यक्रमों के संबंध में आवश्यक जानकारी देने के उपरान्त उनको विधिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरुक करना होगा। तदुपरान्त यह भी उचित होगा कि ऐसे गांवों के कुछ लोगों को पैरा लीगल्स का प्रशिक्षण दिया जाये और बाद में पैरा लीगल्स का सहयोग प्राप्त करके गांव में लम्बित विभिन्न प्रकृति के वादों की सूची तैयार की जाये और संबंधित पक्षकारों से समय–समय पर वार्ता करके उन वादों के निस्तारण के लिए विशिष्ट लोक अदालतें आयोजित की जाये और सुलह समझौते के आधार पर वादों का अधिक से अधिक संख्या में निस्तारण करके ऐसे गांव को वाद विहीन बनाये जाने का प्रयास किया जाये।

इस संबंध में आपको यह भी अवगत कराना है कि आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद लखनऊ के पत्रांक 3985 / 02--35एफ / 98 (टीसी) दिनांक 8.5.98 (प्रति संलग्न) द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को प्रत्येक तहसील में वाद विहीन ग्राम घोषित करने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिये गये हैं। अतः यह उचित प्रतीत होता है कि जिलाधिकारी तथा तहसील समितियों के पदाधिकारियों से विचार विमर्श करके और उनके सक्रिय सहयोग से समस्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुऐ इस योजना को अन्तिम रुप प्रदान करके क्रियान्वित कराने का कष्ट करें और कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराते रहें।

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव
राजस्व परिषद, उ0 प्र0
अनुभाग–12, लखनऊ

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

संख्या : 7414 / 12–23 एफ / 98, दिनांक : 19 सितम्बर, 1998

विषय : वाद रहित ग्राम योजना का क्रियान्वयन।

महोदय,

कृपया परिषद के पत्र संख्या–3985 / 12–35एफ / 98 (टी0सी0), दिनांक 8–5–1998 का अवलोकन करें। उपरोक्त के सम्बन्ध में दिनांक 22–8–98 को उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की सातवीं बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं मुख्य संरक्षक, उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा की गयी। उक्त बैठक में अन्य बिन्दुओं के साथ तहसील विधिक सेवा समिति के संबंध में विचार–विमर्श हुआ। उक्त बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार वाद रहित ग्रामों के सम्बन्ध में तहसील स्तर की समिति निम्न प्रकार गठित किये जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं।

1.	सिविल जज	अध्यक्ष
2.	परगनाधिकारी	सदस्य
3.	पुलिस उपाधीक्षक	सदस्य
4.	तहसीलदार	सचिव

तहसीलदार समिति के कार्यकलापों में भागीदार नहीं होंगे न ही वे उसके सदस्य होंगें। वे मात्र समिति द्वारा दिये गये निर्णय के क्रियान्वयन अथवा समिति द्वारा बैठक को आयोजित करने के सम्बन्ध में समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगे।

कृपया उक्त समिति से सम्बन्धित अपने अधीनस्थ अधिकारियों को तदनुसार सूचित एवं निर्देशित करने का कष्ट करें एवं परिषदादेश संख्या–1985 / 12–35एफ / 98, दिनांक 8–5–98 के साथ संलग्न विवरण के आधार पर कार्यवाही करके परिषद को अवगत करायें।

संलग्नक : एक

भवदीय

डा0 आर.सी. श्रीवास्तव
आयुक्त एवं सचिव

वृ0प0सं0 : 14 / एस.एल.एस.ए.–2 (ए) / 99 दिनांक : 17 जुलाई, 2000

विषय : राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से ज्ञानमाला, विधिक सेवा पत्रिका एवं अन्य प्रचार सामग्री के प्रेषण हेतु व्यवस्था।

महोदय,

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय द्वारा नवम्बर, 1998 से नियमित रूप से "त्रैमासिक विधिक सेवा पत्रिका" प्रकाशित की जा रही है। विधिक सेवा पत्रिका सभी न्यायिक अधिकारियों के अतिरिक्त जिला प्राधिकरण, तहसील विधिक सेवा समितियों के सदस्यों तथा अधिवक्ता संघों के सम्मानित अध्यक्ष एवं सचिवों को उपलब्ध कराया जाना है। विधिक सेवा पत्रिका, विभिन्न विधिक विषयों पर प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित ज्ञानमालाओं, पम्पलेट, कलेण्डर, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका "न्यायदीप" की प्रतियां तथा अन्य प्रचार–प्रसार सामग्री / पुस्तक / पुस्तिकाओं को जिला प्राधिकरण एवं तहसील विधिक सेवा समितियों को उपलब्ध कराये जाने में रेलवे से आ रहे अत्यधिक व्यय को दृष्टिगत रखते हुये तथा शासन की मितव्ययिता नीति के अन्तर्गत यह निर्णय लिया गया है कि इस कार्यालय द्वारा तत्संबंधी पत्र प्राप्त होने पर आपके जिला प्राधिकरण से प्रत्येक त्रैमास में जिला प्राधिकरण का चतुर्थ / तृतीय श्रेणी कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से राज्य प्राधिकरण में उपस्थित होकर स्वयं इस समस्त सामग्री को जिला प्राधिकरण तथा तहसील विधिक सेवा समितियों में वितरण हेतु प्राप्त कर लें। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

अतः अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार प्रकाशन सामग्री प्राप्त करने हेतु आप अपने जिला प्राधिकरणों से चतुर्थ / तृतीय श्रेणी कर्मचारी की उपस्थिति राज्य प्राधिकरण में सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

वृत्तांक पत्र सं0 : 08 / एस0एल0एस0ए0 -- 27 / 2001 दिनांक : 23 मार्च, 2001

विषय : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त राज्य प्राधिकरण को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (कारोबार का संव्यवहार और अन्य उपबन्ध) विनियमावली, 1997 के विनियम 5 (1) के अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक तीन माह में एक बैठक आयोजित की जानी चाहिये।

कदाचित आप सहमत होंगें कि इन बैठकों का उद्देश्य जिला प्राधिकरण द्वारा आयोजित लोक अदालतों, विधिक साक्षरता शिविरों, तहसील विधिक सेवा समितियों के माध्यम से विधिक सेवा कार्यक्रमों का अधिकाधिक लाभ जन साधारण को उपलब्ध कराये जाने तथा जिला प्राधिकरण द्वारा संचालित अन्य विधिक सेवा कार्यक्रमों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विचार विमर्श करना, इस दिशा में सामने आ रही समस्याओं का समाधान करना एवं समय–समय पर इन कार्यक्रमों के संचालन हेतु राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होता है। अगर जिला प्राधिकरणों की बैठकों के कार्यवृत्त इस प्राधिकरण को समयानुसार प्राप्त होते रहेंगे, तो जिला प्राधिकरणों की समस्याओं से अवगत होने के साथ ही उनके निराकरण की दिशा में आवश्यक कार्यवाही करने में सहायता मिलेगी।

अतः इस सम्बन्ध में आपसे मुझे यह अनुरोध करने की अपेक्षा की गयी है कि कृपया यह सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि आपके जिला प्राधिकरण में नियमानुसार त्रैमासिक बैठक एवं वार्षिक बैठक होना सुनिश्चित की जाये और यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से समय से बैठक नहीं हो पाती है तो कारण सहित उसकी सूचना राज्य प्राधिकरण को भेजी जाये तथा जब भी बैठक आयोजित हो उसके कार्यवृत्त की एक प्रतिलिपि यथाशीघ्र अधोहस्ताक्षरी को भी प्रेषित करा दी जाये ताकि राज्य प्राधिकरण स्तर से यथा आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

पत्रांक : 91 / एस.एल.एस.ए.–31 / 2004 दिनांक : जनवरी 12,2005

विषय : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के खाते में हर्जाना (कास्ट) की जमा राशि के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या–06 / एस.एल.एस.ए.–31 / 2004, दिनांक 20–04–2004 के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 26--03–2004 को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की 21 वीं बैठक में मद सं0 4 पर निम्नलिखित निर्णय लिया गया–

"Proposal regarding construction of Building from the money depoisited, by way of cost for consideration & approval"

"The proposal regarding construction of room for the office of District Legal Services Authority Mahoba, from the money deposited by way of costs was considered. With the permission of the Chair, proposals for constructing room for the office of district legal services authority as well as room for re-conciliation centers from the amount of interest lying unclaimed in the motor accident claims account of the district judges was also considered and it was decided that the concerned district judges, who need to construct rooms for office of district legal services authority and reconciliation centers in the districts may make appropriate request to the Honble Court giving all the relevant details."

अतः अनुरोध है कि राज्य प्राधिकरण की 21 वीं बैठक में लिये गये उक्त निर्णय के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करवाने की कृपा करें।

पत्रांक सं0 : 522 / एस0एल0एस0ए0 – 191 / 96 दिनांक : 4 मार्च, 2005

विषय : जिला प्राधिकरण के सचिव की नियुक्ति के संबंध में।

महोदय,

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा–9(3) के अर्न्तगत यह व्यवस्था की गयी है कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के परामर्श से राज्य न्यायिक सेवा के एक व्यक्ति जो जिला न्यायपालिका के स्थान में कार्य कर रहे अधीनस्थ न्यायाधीश या सिविल न्यायाधीश की पंक्ति से नीचे की पंक्ति का न हो जिला प्राधिकरण के सचिव के रूप में नियुक्त करेगा।

2. प्रदेश के समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के सचिव की नियुक्ति के संबंध में एकरूपता बनाये रखने के उद्देश्य से राज्य प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में समय–समय पर अनेक वृत्तांक पत्र जारी किये गये हैं जिसमें यह निर्देश दिया गया था कि उपयुक्तता को दृष्टिगत रखते हुये जिले में कार्य कर रहे सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) स्तर के अधिकारी को ही सचिव नियुक्त किया जाये और यदि सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) स्तर का अधिकारी उपयुक्त अथवा उपलब्ध न हो तो सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) स्तर के अधिकारी को सचिव के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

3. उक्त के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है यदि आपके जिला प्राधिकरण में किसी ए0सी0जे0एम0 स्तर के अधिकारी की नियुक्ति सचिव के पद पर की गयी हो तो उनके स्थान पर किसी सिविल जज,वरिष्ठ खण्ड के स्तर के अधिकारी के नाम की संस्तुति तुरन्त ही भिजवाने का कष्ट करें ताकि एकरूपता को दृष्टिगत रखते हुये विधिक सेवा प्राधिकरण, अधिनियम 1987 की धारा–9(3) के अनुसार प्रदेश के समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में सिविल जज, वरिष्ठ खण्ड के स्तर के अधिकारी की नियुक्ति सचिव के पद पर की जा सके।

4. यदि आपके जजशिप में कोई सिविल जज अधिकारी उपलब्ध न हो तो जिला प्राधिकरण के सचिव के पद पर नियुक्ति हेतु किसी ए0सी0जे0एम0 के नाम की संस्तुति की जा सकती है।

तहसील समितियों का गठन एवं कार्यों का संचालन

वृत्तांक संख्या : 19 / एस.एल.एस.ए 39 / 98 दिनांक : 19 जून, 1998

विषय : तहसील विधिक सेवा समितियों के गठन किये जाने के फलस्वरूप अपेक्षित कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह अवगत कराना है कि उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की अधिसूचना सं0 54 / एसएलएसए–39 / 98 दिनांक 30.4.98 (संलग्नक–1) द्वारा आपके जिले में सम्बन्धित परिशिष्ट में अंकित तहसीलों हेतु तहसील विधिक सेवा समितियों का गठन दिनांक 30.4.98 से किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 11–क व 11–ख (संलग्नक–2) तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम नियमावली, 1996 के नियम 14 व 15 (संलग्नक–3) के अन्तर्गत तहसील विधिक सेवा समितियों के गठन कार्य, सदस्यों अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सम्बन्ध में आवश्यक प्राविधान किये गये हैं।

2. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 11–क (2) के अन्तर्गत तहसील विधिक सेवा समिति की अधिकारिता के भीतर कार्य करने वाला ज्येष्ठ सिविल न्यायाधीश सम्बन्धित तहसील समिति का पदेन अध्यक्ष होगा। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट करना है कि जिन जिलों में तहसील मुख्यालय पर सिविल न्यायाधीश के न्यायालय कार्यरत हैं और जिन जिलों में तहसील मुख्यालयों पर सिविल न्यायाधीश के न्यायालय कार्यरत नहीं हैं, उनमें निम्न प्रकार व्यवस्था रहेगी :–

(क) जिन तहसील मुख्यालयों पर सिविल न्यायाधीश के न्यायालय कार्यरत हैं।

जिस तहसील मुख्यालय पर सिविल न्यायाधीश नियुक्त हैं, वह सिविल न्यायाधीश उस तहसील के लिये गठित तहसील विधिक सेवा समिति का पदेन अध्यक्ष होगा और यदि उस तहसील पर एक से अधिक सिविल न्यायाधीश नियुक्त है तो उनमें से ज्येष्ठ सिविल न्यायाधीश तहसील समिति का पदेन अध्यक्ष होगा। तहसील समिति का कार्यालय भी सम्बन्धित सिविल जज न्यायालय के कार्यालय भवन में ही स्थित होगा। ऐसी तहसील समितियों के कार्य संचालन हेतु शासनादेश संख्या 388 / सात–न्याय–7–98 / 43 दिनांक 29.4.98 (संलग्नक–4) में यह व्यवस्था की गयी है कि सिविल न्यायाधीश कार्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से तहसील समिति से सम्बन्धित कार्यों को सम्पादित करा दिया

जाय और इस अतिरिक्त कार्य के लिये तृतीय श्रेणी कर्मचारी को रू0 150/– प्रतिमाह एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को रू0 75/– प्रतिमाह की दर से मानदेय प्राप्त होगा।

(ख) जिन तहसील मुख्यालयों पर सिविल न्यायाधीश के न्यायालय कार्यरत नहीं है

जिस तहसील मुख्यालय पर सिविल न्यायाधीश नियुक्त नहीं है उस तहसील के लिये गठित तहसील विधिक सेवा समिति का पदेन अध्यक्ष वह सिविल न्यायाधीश होगा, जो उस तहसील क्षेत्र के लिये अधिकारिता रखता हो (जिसे तहसील के दीवानी वादों की सुनवाई का अधिकार प्राप्त हो)। ऐसा तहसील समितियों का कार्यालय सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी, जो तहसील विधिक सेवा समिति के सदस्य हैं, के कार्यालय भवन में स्थापित होगा जिसके सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–402/सात–न्याय–7/98–43/97 दिनांक 30.4.98 (संलग्नक–5) में शासन द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं। ऐसी तहसील समितियों के कार्य संचालन हेतु शासनादेश संख्या–388/सात–न्याय–7–98/43 दिनांक 29.4.98 (संलग्नक–4) में यह व्यवस्था की गयी है कि परगनाधिकारी कार्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से तहसील समिति से सम्बन्धित कार्यों को सम्पादित करा लिया जाय और इस अतिरिक्त कार्य के लिये तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को रू0 150/– प्रतिमाह एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को रू0 75/– प्रतिमाह की दर से मानदेय प्राप्त होगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने जनपद में नवगठित तहसील समितियों में पदेन तथा नाम निर्दिष्ट सदस्यों को वस्तुस्थिति से अवगत कराने की कृपा करें और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा–11 ख में दिये गये कार्यों के संदर्भ में लोक अदालतों के आयोजन के साथ ही साथ तहसील के दूरस्थ क्षेत्र में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित करने का कष्ट करें तथा यह भी प्रयास किया जाय कि प्रत्येक तहसील में कम से कम एक गांव का चयन करके उसमें लम्बित विभिन्न प्रकृति के वादों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराकर उस गांव को "वाद विहीन" क्षेत्र बनाया जाय।

वृत्तांक पत्र सं0 15 / एस.एल.एस.ए–88 / 98 दिनांक : 6 अप्रैल, 1999

विषय :तहसील विधिक सेवा समितियों के कार्य संचालन के संबंध में।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि तहसील विधिक सेवा समिति विनियमावली 1999 को दिनांक 19.3.99 के सरकारी गजट में प्रकाशित कराया जा रहा है तथा गजट की प्रतिलिपि प्राप्त होने पर आपको भेजी जायेगी।

तहसील समिति में अध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में इस कार्यालय के वृत्तांक पत्र सं0 5 / एसएलएसए–39 / 98, दिनांक 4.2.99 द्वारा निर्देश जारी किया गया था। इस संबंध में यह अवगत कराना है कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की आठवीं बैंठक दिनांक 20.3.99 में इस मामले पर पुनः विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया कि यदि किसी तहसील में तहसील स्तर पर आऊट लाईन सिविल न्यायालय विद्यमान है और वहां सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) स्तर के अधिकारी उपलबध नही है तो ज्येष्ठ सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) उस तहसील समिति का पदेन अध्यक्ष होगा और यदि जिला मुख्यालय पर सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) उपलब्ध नहीं है तो तहसील समिति की अधिकारिता के भीतर कार्य करने वाले ज्येष्ठ सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) उस तहसील समिति का पदेन अध्यक्ष होगा।

वृत्तांक पत्र सं0 37 / एस.एल.एस.ए.–39 / 98 दिनांक : 26 जून, 1999

विषय : नवसृजित जनपदों में सेशन डिवीजन कार्यरत न होने पर तहसील समितियों के कार्य संचालन के संबंध में।

महोदय,

नवसृजित जनपदों में कुछ जनपद ऐसे हैं जहां विशेष कार्याधिकारी कार्यरत हैं और अभी तक उस जनपद में सेशन डिवीजन कार्यरत नहीं हैं। चूँकि ऐसे नवसृजित जनपदों के विशेष कार्याधिकारी द्वारा तहसील समितियों के कार्य संचालन में कठिनाई उत्पन्न हो रही है अतः यह उचित प्रतीत होता है कि ऐसे नवसृजित जनपदों के अन्तर्गत आने वाले तहसील विधिक सेवा समितियों का कार्य संचालन उसी जनपद के जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जाय जिसके प्रशासनिक अधिकार में वह तहसील विधिक सेवा समिति स्थित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया इस संबंध में आवश्यकतानुसार अपेक्षित कार्यवाही करने का कष्ट करें ताकि नवसृजित जिलों के अन्तर्गत आने वाली तहसीलों के निवासी कानूनी सहायता कार्यक्रमों के लाभ से वंचित न रहें।

वृत्तांक पत्र सं0 39 / एस.एल.एस.ए–39 / 98 दिनांक : 9 जुलाई 1999

विषय : तहसील विधिक सेवा समिति विनियमावली, 1999 में किये गये प्राविधानों के अन्तर्गत तहसील विधिक सेवा समितियों के संचालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत है कि राज्य प्राधिकरण की अधिसूचना सं0 29 / एसएलएसए–88 / 98 दिनांक 15.3.99 का प्रकाशन राजकीय गजट में दिनांक 28.4.99 को किया जा चुका है जिसकी प्रतियां संलग्न हैं। तहसील विधिक सेवा समिति विनियमावली, 1999 दिनांक 28.4.99 से प्रभावी हो चुकी हैं

तहसील विधिक सेवा समितियों के गठन एवं कार्य संचालन के संबंध में इस कार्यालय के वृ0पत्र0सं0–19 / एसएलएसए–39 / 98 दिनांक 19.6.98 द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये थे। उक्त के अतिरिक्त तहसील समिति में अध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में इस कार्यालय के वृ सं0 25 एसएलएसए–39 / 98 दिनांक 4.2.98 तथा वृ0 सं0 15 / एसएल एसए– 39 / 98 दिनांक 6.4.99 द्वारा भी आवश्यक निर्देश दिये गये हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया राज्य प्राधिकरण द्वारा जारी उपरोक्त वृत्तांक पत्रों तथा तहसील विधिक सेवा समिति विनियमावली, 1999 के प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद की समस्त तहसील समितियों को अतिशीघ्र गतिशील बनाने एवं तहसील स्तर पर प्रभावी रुप से कानूनी सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित कार्यवाही अतिशीघ्र सुनिश्चित करने की कृपा करें।

रजि0 नं0 एल. डब्लू.एन.पी. 569
लाइसेन्स नं. डब्लू0 पी0 – 41
लाइसेन्स द पोस्ट एंड कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

इलाहाबाद, बुधवार, 28 अप्रैल, 1999 ई0

(बैशाख 8, 1921 शक् संवत)

उत्तर प्रदेश सरकार

न्याय अनुभाग–7

संख्या 29/एसएलएसए–88/98

15 मार्च, 1999 ई0

अधिसूचना

स0प0नि0–13

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 (अधिनियम संख्या 39, सन् 1987) की धारा 29–क द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियमावली बनाते हैं।

तहसील विधिक सेवा समिति विनियमावली, 1999 ई0

अध्याय – एक

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ – (1) यह विनियमावली तहसील विधिक सेवा समिति विनियमावली 1999 कही जायेगी।

(2) यह विनियमावली सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत होगी।

2– परिभाषायें – जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस विनियमावली में –

(क) अधिनियम का तात्पर्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (अधिनियम संख्या 39 सन् 1987) से है।

(ख) "सहायता प्राप्त" व्यक्ति का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसको विधिक सहायता, विधिक सलाह या विधिक सेवायें किसी भी रुप में उपलब्ध करायी गयी हो,

(ग) "अध्यक्ष" का तात्पर्य तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष से है।

(घ) "समिति" का तात्पर्य तहसील विधिक सेवा समिति से है।

(ङ) जिला प्राधिकरण का तात्पर्य अधिनियम की धारा–9 के अधीन गठित जिले के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से है।

(च) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है।

(छ) सदस्य का तात्पर्य तहसील विधिक सेवा समिति के सदस्य से है।

(ज) "नियमावली" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली, 1996 से है।

(झ) "सचिव" का तात्पर्य तहसील विधिक सेवा समिति के सचिव से है।

(ञ) "राज्य प्राधिकरण" का तात्पर्य अधिनियम की धारा–6 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से है।

अध्याय – २
समिति के सचिव, सदस्य और कृत्य

3 – समिति का सचिव –

(1) सम्बन्धित तहसील का तहसीलदार अपने कर्तव्यों के निर्वहन के अतिरिक्त समिति के सचिव का कार्य करेगा। सचिव के कार्य एवं कर्तव्यों के निर्वहन के लिये उसे 300.00 रु0 प्रतिमाह की दर से मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

(2) सचिव समिति का मुख्य अधिकारी होगा। वह

(क) समिति का समस्त आस्तियों, लेखों, अभिलेखों, अनुदान, निधियों और प्राप्तियों का अभिरक्षक होगा, वह समिति के अध्यक्ष और जिला प्राधिकरण के परिवेक्षण एवं निर्देशन के अधीन कार्य करेगा।

(ख) समिति के निधियों को प्राप्तियों और संवितरणों का सही और उचित लेखा ऐसे रुप में और ऐसी रीति से, जैसा राज्य प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्टि की जाय, रखेगा या रखवायेगा।

(ग) ऐसी शक्तियों का प्रयोग, कृत्यों का पालन और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जैसा समिति के अध्यक्ष और जिला प्राधिकरण द्वारा उसे सौंपा जाये।

(घ) समिति के कृत्यों और कर्तव्यों के दक्ष उचित पालन और निर्वहन के लिए सभी अन्य कार्यों को करेगा, जो समीचीन और आवश्यक हो।

4– सदस्यों की पदावधि और अन्य शर्तें–

(1) नियम 14 के उपनियम (3) के अधीन नामित सदस्यों की पदावधि 2 वर्ष होगी और ऐसे सदस्य पुनः नाम निर्देशन के लिए पात्र होंगे।

(2) नियम 14 के उपनियम (3) के अधीन नाम–निर्दिष्ट सदस्य को सरकार द्वारा हटाया जा सकता है यदि सरकार की राय में ऐसा व्यक्ति सदस्य बने रहने के लिए वांछनीय न हो।

(3) यदि कोई सदस्य मृत्यु त्याग–पत्र या अन्य कारणों से समिति का सदस्य नहीं रह जाता है तो रिक्ति को अवशेष अवधि के लिए भरा जायेगा।

(4) नियम 14 के उपनियम (3) के अधीन नाम–निर्दिष्ट समस्त गैर सरकारी सदस्य समिति के कार्य के सम्बन्ध में की गई यात्राओं के लिये राज्य सरकार के समूह 'क' के अधिकारी को अनुमन्य दरों पर यात्रा–भत्ता और दैनिक भत्ते पाने के अधिकारी होंगे।

5– समिति का कार्यालय– समिति अपना कार्यालय तहसील परिसर में रखेगी।

6– समिति के कारोबार का संव्यवहार–

(1) समिति प्रत्येक 6 माह में एक बार बैठक करेगी, परन्तु अध्यक्ष समिति की बैठक कभी भी जब किसी कारोबार का सव्यवहार किया जाना हो, बुला सकता है।

(2) समिति की वार्षिक सामान्य बैठक सामान्यतया प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में या ऐसे अन्य माह में, जिसे अध्यक्ष द्वारा निर्देशित किया जाय, बुलाई जायेगी।

(3) समिति की बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष द्वारा की जायेगी।

(4) अध्यक्ष को सम्मिलित करते हुए तीन किसी बैठक की गणपूर्ति होंगे।

(5) समिति की प्रत्येक बैठक के लिए सदस्यों को बैठक में उपस्थित होने के लिए कम से कम 2 सप्ताह की नोटिस दी जायेगी, तथापि अध्यक्ष द्वारा अल्प सूचना पर आपात बैठक बुलाई जा सकती है।

(6) समिति स्वयं अपनी प्रक्रिया विनियमित करेगी।

(7) एक या अधिक व्यक्ति जो समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान में लगे हुए या हितबद्ध हो, जो अध्यक्ष द्वारा उपयुक्त समझा जाये उनके विचार, सहयोग और सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी बैठक के लिए आमंत्रित किए

जा सकते हैं । ऐसे व्यक्ति को किसी ऐसी बैठक में मत देने का अधिकार न होगा।

(8) (क) सभी नीतिगत और अन्य महत्वपूर्ण मामलों को समिति के समक्ष उसके विचारण और विनिश्चय के लिए लाया जायेगा।

(ख) समिति द्वारा सामान्यता या अन्यथा उसके समक्ष प्रस्तुत किये जाने के लिये वांछित या अपेक्षित किसी विशिष्ट मामले या मामलों को समिति के समक्ष विचारण और विनिश्चय के लिये प्रस्तुत किया जायेगा।

(ग) आपाती मामले या मामलों के सम्बन्ध में अध्यक्ष समिति की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन और कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है तथापि ऐसे सभी मामलों का समिति के समक्ष सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ रखा जायेगा।

(9) बैठक में सभी विनिश्चय उपस्थित और मतदान कर रहें सदस्यों के बहुमत द्वारा लिये जायेंगे और मतों के बराबर होने की दशा में बैठक की अध्यक्षता कर रहें व्यक्ति का द्वितीयक या निर्णायक मत होगा।

(10) सचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक बैठक के कार्यवृत को इस प्रयोजन के लिए रखे जाने वाले रजिस्टर में सम्यक रुप से अभिलिखित करे या करवायें।

(11) प्रत्येक बैठक की कार्यवाही की एक प्रति बैठक के पश्चात यथाशीघ्र जिला प्राधिकरण को भेजी जायेगी।

7– विधिक सेवायें प्रदान करने के ढंग – निम्नलिखित किसी एक या अधिक ढंग से विधिक सेवायें प्रदान की जा सकती है, अर्थात :–

(क) न्याय शुल्क आदेशिका शुल्क और किसी विधिक कार्यवाही के सम्बन्ध में देय या उपगत अन्य प्रभारों के भुगतान के प्रति।

(ख) किसी विधि व्यवसायी की नियुक्ति के माध्यम से।

(ग) विधिक कार्यवाहियों में निर्णय आदेश और अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने और उपलब्ध कराने के लिये।

प्रतिबन्ध यह है कि न्याय शुल्क, आदेशिका शुल्क और अन्य खर्चों के भुगतान राज्य प्राधिकरण के सामान्य आदेशों की सीमा तक ही स्वीकृत होंगे।

8– विधिक सेवाओं के लिये आवेदन पत्र–

(1) विधिक सहायता, विधिक सलाह या विधिक सेवाओं की अपेक्षा करने वाला कोई व्यक्ति सचिव को संबोधित आवेदन पत्र दे सकता है।

(2) समिति आवेदन–पत्रों का एक रजिस्टर रखेगी जिसमे विधिक सहायता, विधिक सलाह या विधिक सेवाओं के लिए सभी आवेदन–पत्र अंकित और रजिस्ट्रीकृत किये जायेंगे और ऐसे आवेदन–पत्रों पर की गयी कार्यवाही प्रत्येक ऐसे आवेदन–पत्र से सम्बन्धित प्रविष्टि के सामने अंकित की जायेगी।

9– आवेदन – पत्रों का निस्तारण –

(1) विधिक सहायता, विधिक सलाह या विधिक सेवाओं के लिये कोई आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर सचिव आवेदन–पत्रों की संमीक्षा अपना समाधान करने के लिये कि वह जहाँ तक पात्रता और नियमावली और विनियमावली की अन्य अपेक्षाओं का सम्बन्ध है, ठीक से, करेगा और जहां कहीं आवश्यक हो आवेदक से यथावश्यक अग्रतर सूचना प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा।

(2) सचिव आवेदन–पत्र पर विचार करेगा और विधिक सहायता विधिक सलाह या अन्य विधिक सेवाओं को दिये जाने से इन्कार करने के लिए आवश्यक आदेश पारित करेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि जहां आवेदन–पत्रों को अस्वीकार करने का प्रस्ताव किया जाये तो वहां ऐसा करने के कारणों को इस प्रयोजन के लिए रखे गये आवेदन–पत्रों के रजिस्टर में सम्यक रुप से अभिलिखित किया जायेगा।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यक्ति *को विधिक सहायता विधिक सलाह या विधिक* सेवाओं से इन्कार किये जाने के पूर्व अध्यक्ष का

आदेश प्राप्त किया जायेगा।

(3) विधिक सहायता, विधिक सलाह या विधिक सेवाओं के लिए कोई आवेदन–पत्र स्वीकृत नहीं किया जायेगा यदि सचिव का समाधान हो जाये कि–

(क) आवेदक ने अपने साधनों के सम्बन्ध में या किसी अन्य सारवान तत्व के सम्बन्ध में जानबूझकर गलत विवरण दिया है या गलत सूचना दी है, या

(ख) यथा स्थिति, कार्यवाहियों को संस्थित करने या उनका प्रतिवाद करने के लिए कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं है, या

(ग) आवेदन–पत्र तुच्छ या, तंग करने वाला है, या

(घ) इस विनियमावली के अधीन आवेदक उसका हकदार नहीं है, या

(ङ) मामले की समस्त सुसंगत तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसे स्वीकृत करना अन्यथा समीचीन और युक्तियुक्त नहीं है।

परन्तु उपर्युक्त किन्हीं खंडो के अधीन किसी आवेदन को अस्वीकृत किये जाने के पूर्व अध्यक्ष का आदेश प्राप्त किया जायेगा।

10– सहायता प्राप्त व्यक्ति का कर्तव्य– प्रत्येक सहायता प्राप्त व्यक्ति या उसका प्रतिनिधि, जब कभी सचिव या सम्बद्ध अधिवक्ता द्वारा अपेक्षा की जाये, समिति के कार्यालय में उपस्थित होगा और ऐसे विवरण या सूचना, जैसी आवश्यक समझी जाये, देगा और प्रस्तुत करेगा और इस पर आपेक्षित विवरण या सूचना पूर्ण रुप से प्रकट करेगा। वह न्यायालय या कार्यवाहियों में अपने खर्चे पर उपस्थित होगा।

11– पात्रता प्रमाण–पत्र

(1) जहां विधिक सहायता विधिक सलाह या विधिक सेवाओं के लिए कोई आवेदन–पत्र स्वीकृत कर लिया जाये तो आवेदक के पक्ष में उसे किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में विधिक सहायता, विधिक सलाह या विधिक सेवाओं का हकदार करते हुए एक पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया जायेगा।

(2) यदि विधिक सहायता, विधिक सलाह या विधिक सेवायें वापस ले ली जाती है तो पात्रता प्रमाण–पत्र निरस्त हो जायेगा। ऐसे प्रत्येक मामले में अधिवक्ता जिसे सम्बन्धित व्यक्ति का मामला समनुदेशित किया गया है और साथ ही न्यायालय या न्यायिक कल्प, प्राधिकरण जिसके समक्ष मामला लंम्बित है, को भी तद्नुसार प्रलिखित रुप में सूचित किया जायेगा।

12– पात्रता प्रमाण–पत्र का निरस्तीकरण –

(1) समिति या तो अपनी स्वप्रेरणा से या अन्यथा निम्नलिखित परिस्थितियों में विनियम 11 के अधीन दिये गये पात्रता प्रमाण–पत्र को निरस्त कर सकती है, अर्थात्

(क) यह पाये जाने की दशा में कि सहायता प्राप्त व्यक्ति द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र दुर्व्यपदेशन या कपट द्वारा प्राप्त किया गया है।

(ख) सहायता प्राप्त व्यक्ति की परिस्थितियों में कोई सारवान परिवर्तन होने की दशा में,

(ग) कार्यवाहियों के दौरान सहायता प्राप्त व्यक्ति की ओर से किसी अवचार, दुर्व्यवहार या उपेक्षा की दशा में,

(घ) सहायता प्राप्त व्यक्ति द्वारा समिति के साथ में समिति द्वारा उपलब्ध कराये गये अधिवक्ता के साथ सहयोग न किये जाने की दशा में।

(ङ) सहायता प्राप्त व्यक्ति द्वारा अपने व्यय पर किसी अधिवक्ता को नियुक्त किये जाने की दशा में, जो सचिव की राय में मामले की उपयुक्त रुप से देख–भाल कर सकता है।

(च) सहायता प्राप्त व्यक्ति की मृत्यु की दशा में, सिवाय सिविल कार्यवाहियों के मामले में जहां अधिकार या उत्तरदायित्व उत्तरजीवित हो, ऐसी दशा में विधिक सहायता जारी रखी जा सकती है जहां विधिक

प्रतिनिधि भी ऐसी सहायता के लिए पात्र है।

(2) सहायता प्राप्त व्यक्ति को या उसकी मृत्यु की दशा में उसके विधिक प्रतिनिधि को बिना कारण बताने का अवसर दिये कि प्रमाण–पत्र क्यों न निरस्त कर दिया जाये, खण्ड (1) के अधीन कोई पात्रता प्रमाण–पत्र निरस्त नहीं किया जायेगा।

(3) जहां सहायता प्राप्त व्यक्ति का पात्रता प्रमाण–पत्र उपविनियम (1) के अधीन निरस्त कर दिया जाय जहां विधिक सहायता, विधिक सलाह या विधिक सेवायें रोक दी जायेंगी और ऐसी विधिक सहायता, विधिक सलाह या विधिक सेवाओं के लिए पहले से दी गयी धनराशि पूरी या आंशिक, जैसा कि अध्यक्ष के अनुमोदन से सचिव द्वारा विनिश्चित की जाय, वसूल की जा सकती है।

13– पैनल के विधि व्यवसायी को देय फीस या मानदेय

(1) समिति द्वारा जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन पर, अधिवक्ताओं का, जो ऐसे व्यक्तियों की ओर से जिनके पक्ष में पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया है मामलों या कार्यवाहियों को संचालित करने को सहमत हो, का एक पैनल तैयार किया जायेगा। सामान्यता ऐसा तैयार किया गया पैनल 2 वर्ष के लिए विधि मान्य होगा। ऐसे अधिवक्ताओं का राज्य प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर यथा अवधारित दर पर फीस या मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

(2) कोई विधि व्यवसायी जिसे विधिक सहायता विधिक सलाह या विधिक सेवाओं के लिए कोई मामला समनुदेशित किया गया है, किसी सहायता प्राप्त व्यक्ति या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति से कोई फीस या पारिश्रमिक चाहे नकद या वस्तु रुप में या कोई अन्य लाभ आर्थिक या अन्यथा प्राप्त नहीं करेगा।

(3) पैनल का कोई विधि व्यवसायी, जिसने सहायता प्राप्त व्यक्ति की ओर से उसके द्वारा संचालित की गयी विधिक कार्यवाहियों के सम्बन्ध में अपना समनुदेशन पूरा कर लिया है देय फीस या मानदेय को दर्शाते हुये एक विवरण सचिव को प्रस्तुत करेगा जिस पर सचिव सम्यक संमीक्षा और अध्यक्ष के अनुमोदन के पश्चात् सम्बन्धित अधिवक्ता को भुगतान की जाने वाली धनराशि स्वीकृत करेगा।

(4) कोई अधिवक्ता अपनी कोई फीस या मानदेय लिये बिना विधिक सहायता विधिक सलाह या विधिक सेवायें प्रदान कर सकता है।

(5) जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष उपयुक्त मामले में किसी अधिवक्ता को, जो पैनल में नहीं है, किसी मामले को दाखिल या प्रतिवाद करने के लिए नियुक्त कर सकता है।

वी० के० दीक्षित,
सचिव
उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ।

आज्ञा से,
एन० के० मेहरोत्रा,
प्रमुख सचिव, न्याय,
उ०प्र० शासन, लखनऊ

वृत्तांक पत्र सं0 55 / एस.एल.एस.ए–288 / 99 दिनांक 2 दिसम्बर, 1999

विषय : तहसील विधिक सेवा समितियों के कार्य संचालन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया शासनादेश संख्या–1666 / सात–न्याय–7–99–43 / 99 दिनांक 17.11.99 का सन्दर्भ ग्रहण करें इस संबंध में यह कहना है कि इस कार्यालय के वृत्तांक पत्रांक 39 / एसएलएसए–39 / 98 दिनांक 9.7.99 द्वारा आपको तहसील विधिक सेवा समिति विनियमावली, 1999 तथा तहसील समिति के गठन से संबंधित अधिसूचना भेजी गयी थी। तहसील विधिक सेवा समिति विनियमावली, 1999 तथा तहसील समिति के गठन से संबंधित अधिसूचना भेजी गयी थी। तहसील विधिक सेवा समिति विनियमावली, 1999 के प्राविधानों के अनुसार संबंधित तहसील के तहसीलदार समिति के सचिव होंगे और उन्हें रु0 300 / – प्रतिमाह की दर से मानदेय अनुमन्य है जो उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा। तहसील समिति के कार्य संचालन हेतु दीवानी अथवा तहसील के तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से मानदेय के आधार पर कार्य लेने की व्यवस्था शासनादेश संख्या–388 / सात–न्याय–7–98–43 / 97 दिनांक 29.4.98 द्वारा की गयी है।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के प्राविधानों के अन्तर्गत एक सिविल जज तहसील समिति का अध्यक्ष होता है तथा जनपद की समस्त तहसील विधिक सेवा समितियों के कार्यालय की स्थापना एवं कार्य संचालन के लिए आवश्यक बजट (फर्नीचर तथा टाइपराईटर आदि के क्रय हेतु) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष (जिला जज) को उपलब्ध कराया गया है। अतः यह आवश्यक प्रतीत होता है कि तहसील विधिक सेवा समितियों द्वारा अतिशीघ्र कार्य प्रारम्भ कर दिया जाये ताकि कानूनी सहायता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को अनावश्यक रुप से जिला मुख्यालय न जाना पड़े।

आपसे अनुरोध है कि कृपया समस्त तहसीलों, के तहसीलदारो को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें और यदि उन्हें कार्यों के संचालन में किसी प्रकार की कोई कठिनाई हो अथवा किसी जानकारी की आवश्यकता हो तो वह अविलम्ब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष (जिला जज) से सम्पर्क स्थापित करें।

वृ0प0सं0 : 01 / एसएलएसए–39 / 98 दिनांक : 7 जनवरी, 2000

विषय : नवसृजित जनपदों में जिला जजी के अभाव में जिला प्राधिकरणों तथा तहसील समितियों के कार्य संचालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि कुछ ऐसे जिलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों का गठन नहीं किया गया है जिनमें उच्च न्यायालय द्वारा जिला जजी कायम की गयी है और इसके अतिरिक्त कुछ नवसृजित जनपदों में तहसील विधिक सेवा समितियों का गठन किया जा चुका है परन्तु वहां अभी जिला जजी कायम नहीं हुई है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की 11 वीं बैठक दिनांक 30.10.99 में उक्त के संबंध में निम्न प्रकार निर्णय लिये गये हैं :

1. जिन नवसृजित जनपदो में उच्च न्यायालय द्वारा जिला जजी कायम नहीं की गयी है, उसमें जिला प्राधिकरण का गठन न किया जाये।
2. जिन नवसृजित जनपदों में अभी तक जिला जजी नहीं कायम की गयी है उन नवसृजित जनपदों से संबंधित लोक अदालतों एंव अन्य कानूनी सहायता कार्यक्रमों का कार्य उस जनपद द्वारा निष्पादित किया जाये जिस जनपद को ऐसे नवसृजित जनपदों के लिये मुकदमों की सुनवायी का अधिकार प्राप्त है।
3. जिन नवसृजित जनपदों में अभी तक जिला जजी कायम नहीं हुयी है। उन नवसृजित जनपदों में गठित तहसील विधिक सेवा समितियों का कार्य भी उन जिला प्राधिकरणों द्वारा निष्पादित किया जायेगा जिन्हें उस तहसील से संबंधित मुकदमों की सुनवायी का अधिकार प्राप्त है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया राज्य प्राधिकरण द्वारा लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने की कृपा करें।

वृत्तांक : 01 / एसएलएसए–248 / 98 दिनांक : 16 जनवरी, 2001

विषय : तहसील विधिक सेवा समिति द्वारा पुराने ढंग से आयोजित लोक अदालतें–व्यय सीमा।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक राज्य प्राधिकरण के परिपत्र संख्या–28 / एस.एल.एस. ए–248 / 98 दिनांक 20.10.2000 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जिला विधिक प्राधिकरण द्वारा, परम्परागत पुराने ढंग से आयोजित की जा रही लोक अदालतों हेतु अधिकतम व्यय सीमा निश्चित की गयी है।

उक्त क्रम में मुझे आपसे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि यह उपयुक्त होगा कि आपके जनपद की प्रत्येक तहसील विधिक सेवा समिति द्वारा आपके दिशा–निर्देशन में माह में कम से कम एक बार परम्परागत पुराने ढंग से लोक अदालत आयोजित की जाये तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एवं तहसील विधिक सेवा समितियों द्वारा आयोजित लोक अदालतों का विवरण निर्धारित प्रारुप पर अलग–अलग प्रेषित किया जाये। आपके निर्देशानुसार तहसील विधिक सेवा समिति द्वारा तहसील मुख्यालय में किसी कार्य दिवस पर परम्परागत ढंग से लोक अदालत के आयोजन पर अधिकतम रु. 500 / – की धनराशि व्यय की जा सकती है। यदि तहसील विधिक सेवा समिति द्वारा किसी अवकाश के दिन तहसील मुख्यालय पर लोक अदालत का आयोजन किया जाता है तो ऐसी लोक अदालत के आयोजन पर अधिकतम रु. 1000 / – तक की धनराशि व्यय की जा सकती है तथा यदि तहसील विधिक सेवा समिति द्वारा तहसील मुख्यालय से बाहर ब्लाक स्तर पर या ग्रामीण स्तर पर लोक अदालत का आयोजन किया जाता है तो तहसील विधिक सेवा समिति द्वारा आयोजित की जा रही ऐसी लोक अदालत के आयोजन पर अधिकतम रु. 1500 / – की धनराशि व्यय किये जाने हेतु स्वीकृत की जा सकती है जिसमें प्रचार मार्ग व्यय एवं अन्य सभी अनुषागिक व्यय भी सम्मिलित होंगे।

अतः अनुरोध है कि मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुये तहसील समिति द्वारा पुराने ढंग से लोक अदालतों के आयोजन पर व्यय सीमा उपरोक्तानुसार रखते हुये आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

परिपत्र सं0 : 1053 / एसएलएसए–39 / 98 दिनांक : मई 18, 2005

विषय : तहसील विधिक सेवा समितियों के प्रभावी संचालन के सम्बन्ध में

महोदय,

कृपया माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय के पत्र संख्या–48 / एसएलएसए–39 / 98 दिनांक 23 नवम्बर 2001 प्रतिलिपि संलग्न का संदर्भ ग्रहण करें। आपके जनपद में कार्यरत तहसील विधिक सेवा समितियां सुचारु रुप से कार्य नहीं कर रही हैं तथा उनके द्वारा किये गये कार्य विवरण शून्य हैं, जबकि प्रत्येक तहसील विधिक सेवा समिति द्वारा माह में कम से कम एक विधिक साक्षरता शिविर का अयोजन पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में किया जाना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि तहसील विधिक सेवा समितियां राष्ट्रीय विधिक साक्षरता मिशन को सफलतापूर्वक व प्रभावी ढंग से लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसलिये राष्ट्रहित में यह अतिआवश्यक है कि तहसील विधिक सेवा समितियों को अविलम्ब गतिशील बनाते हुए राष्ट्रीय विधिक साक्षरता मिशन को उत्तर प्रदेश में सफल बनाने के लिये प्रभावी कदम उठायें जायें।

इस सम्बन्ध में आपका ध्यान विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा–11क की तरफ आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके जनपद में प्रत्येक तहसील के लिये बनायी गयी तहसील विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष किसी सिविल न्यायाधीश को नामित करने की कृपा करें जो कि तहसील विधिक सेवा समिति द्वारा विधिक सेवा कार्यक्रमों को संचालित कराने के लिये जिम्मेदार होगा। प्रत्येक तहसील विधिक सेवा समिति के लिये जहाँ तक सम्भव हो अलग–अलग न्यायिक अधिकारी नांमित किया जाय जो कि सिविल जज (अवर खण्ड / प्रवर खण्ड) श्रेणी का हो तथा उनके कार्यों की मानीटरिंग के लिये एक अपर जिला न्यायाधीश को जहाँ तक सम्भव हो प्रत्येक तहसील के लिये अलग–अलग नामित करने की कृपा करें तथा निर्देश जारी करने की कृपा करें कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लगायी जा रही विधिक साक्षरता शिविरों के अलावा प्रत्येक तहसील विधिक सेवा समिति द्वारा भी अपनी तहसील में प्रत्येक माह में कम से कम एक विधिक साक्षरता शिविर अवश्य लगायी जाय तथा कृपया यह भी सुनिश्चित करने का कष्ट

करें कि लोक अदालतों और विधिक साक्षरता शिविरों के आयोजन के सम्बन्ध में स्थान और तिथियों की सूची त्रैमासिक तैयार कर ली जाय और उसकी सूचना इस कार्यालय को समय से उपलब्ध करा दी जाय। **प्रत्येक तहसील में प्रत्येक माह में कम से कम एक विधिक साक्षरता शिविर अवश्य लगाया जाय।**

यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक माननीय मुख्य न्यायाधिपति, उच्चतम न्यायालय विधिक साक्षरता शिविरों के माध्यम से "राष्ट्रीय विधिक साक्षरता मिशन" को प्रभावी ढंग से लागू किये जाने संबंधी कार्यक्रमों की व्यक्तिगत रुप से समीक्षा करेंगे। अतः इस कार्यक्रम को अतिमहत्वपूर्ण मानते हुए यथाशीघ्र लागू किया जाना चाहिए।

तद्नुसार प्रत्येक तहसील विधिक सेवा समिति के लिये अपर जनपद न्यायाधीश तथा सिविल जज की नामांकन सूची दूरभाष संख्या सहित इस कार्यालय को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें तथा तहसील विधिक सेवा समितियों के माध्यम से भी विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन कराकर "राष्ट्रीय विधिक साक्षरता मिशन" को सफल बनाने हेतु प्रभावी कदम उठाने की कृपा करें एवं प्रत्येक माह हुई प्रगति से इस कार्यालय को अवगत करा दें ताकि उपलब्धियाँ माननीय मुख्य न्यायाधिपति, उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा सके।

No. 1103 /S.L.S.A. 54/2005 Date May 25, 2005

Sub. ***Implementation of National Legal Literacy Mission.***

Sir,

As you are aware that the National Legal Services Authority (NALSA) has successfully launched the National Legal Literacy Mission at the national level in Delhi and other 12 States including Uttar Pradesh in the year 2004-2005 and also launched beneficiary led implementation programme of the said Mission, such as Right of Women, right of Children, Right of Mentally Challenged, Rights of Workers.

Hon'ble Patron-in-Chief of NALSA, Hon'ble executive Chairman of NALSA and Hon'ble Chairman of Supreme Court Legal Services Committee have desired that the State Legal Service Authorities, District and Taluk Authorities/committees shall implement the Mission objective with adequate seriousness and speed.

National Legal Services Authority has sent a directive/letter No.L/10/2004-NALSA/2801 Dated May 18, 2005 (Copy enclosed) for taking certain steps for implementation of National Legal Literacy Mission.

Regarding point no. 1, 3 & 4 of this letter directions have already been issued by State Legal Services Authority through Letter No. 1102/SLSA-54/2005 dated 25.5.2005 which are to be followed up at your end.

Regarding point No. 2 and 5 to 21 steps are to be taken by the **District Legal Services Authorities** as per directions issued by NALSA through the above-mentioned letter.

In this regard, I have been directed to request you to kindly take necessary steps on each and every point and send point wise action taken report to the State Authority within a month.

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY
(Constituted under the Legal Services Authorities Act, 1987)

कार्या. / Offi. : 23385321
फैक्स / Fax : 23382121
12 / 11ए जाम नगर हाऊस
शहजहाँ रोड, नई दिल्ली–110011
12/11, Jam Nagar House
shahjahan road, New Delhi-110011

L/10/2004-NALSA/2801
May 18, 2005

To.

The Member Secretary
U.P. State Legal Services Authority,
3rd Floor, Jawahar Bhavan Annexe,
Lucknow-226 001

Sub.: Implementation of National Legal Literacy Mission.

Sir,

As you are aware that the National Legal Services Authority (NALSA) has successfully launched the National Legal Literacy Mission at the national level in Delhi and other 12 State in the year 2004-2005 and also launched beneficiary led implementation programme of the said Mission, such as Right of Woman, Right of Children, Right of Mentally Challenged, Rights of Workers.

Hon'ble Patron-in-Chief of NALSA, Hon'ble Executive Chairman of NALSA and Hon'ble Chairman of Supreme Court Legal Services Committee have desired that the State Legal Services Authorities, District and Taluk Authorities/committees shall implement the Mission objectives with adequate seriousness and speed.

Towards this end, you are kindly apprised of the following for necessary action: -

1. Please constitute a "Woman and Child Protection Unit" in every district under the direct supervision of the District judge for considering Women and Child related grievances and for providing speedy justice to them. This Unit shall comprise of the following members :-
   i) District Judge as Chairperson

ii) Secretary, District Legal Services Authority as Convener

iii) A senior resource person from the field of women, child development and rehabilitation appointed by NALSA, as Central Observer and shall represent NALSA, time to time and as and when necessary.

iv) All Judicial magistrates as Members,

v) District S.S.P. as Advisor on Chair

vi) District Magistrate as Advisor on chair

vii) District Child Welfare Officer as Member

viii) District Social Welfare Officer as Member

ix) District CMO of the civil hospital as Member

x) Secretary, Red Cross of the District as Member

xi) An Educationist preferably Principal of a Government School/College or Principal of an established Government Girls High School as Member

xii) Public Prosecutor as Member.

2. The District Authority shall prepare hoarding, information display board at prominent locations of the district for the knowledge of the beneficiaries about the existence of the above Unit.

3. The above Unit will convene a meeting once in a month to review the complaints received and compliance made thereof.

4. Two women advocates shall be appointed from out of the panel of the Legal Aid Counsels by the District Judge to receive complaints and record the necessary grievances on day-to-day basis and shall put up the same before the Unit Meetings on monthly basis.

5. You will organize the display of posters in every police stations including the office of SSP, DSP and SHO, Hospital Wards, Jails and all Government premises in your State/District/Taluk.

6. You will be coordinating with the office of the Excise Commissioner of the State and the office of the District Magistrate at the district level to show slides and audio visual on the Mission objectives in all Cinema Halls in the Districts.

7. You will arrange to install permanent hoardings/information display boards in petrol station/patrol pump, railway station, bus depot, bus stop, airport, if available and police headquarters on the National Legal Literacy Mission.

8. You are requested to furnish a comprehensive list of the willing Legal Aid Counsels from your state which should contain a minimum of 30 counsels from a district with their names, addresses and bio-data. The list should specify the specialized field of each counsel.

9. You will also identify the senior most lawyers of the District who are good speakers, knowledgeable and successful in the profession and provide their list to the NALSA to appoint them in future as senior Resource Persons on Legal Aid for various activities undertaken by NALSA on Nationaly Legal Literacy Mission

10. You are requested to identify law schools/colleges in your district and raise a group of student volunteers from the senior most class willing to undertake a Legal Aid Project on the implementation of the National Legal Literacy Mission.

11. You are requested to identify the industries, large, medium and small scale, public sector undertakings and government enterprises from every district and provide the list of those and their HODs with appropriate telephone numbers, fax and other details to NALSA so that Labour Welfare Programmes can be organized insuch institutions.

12. You are requested to identify 5-10 groups of "Folk Music and Dance" in your district and send their profile and professional charges to NALSA for involving them in future awareness programmes.

13. You are requested to identify at least 20-25 NGOs/voluntary organizations/ community based organizations/youth clubs/sports clubs operating in your district with their addresses, telephone numbers and profile of work/activity.

14. Kindly identify 5 most important social problems faced by your district population. You may identify an environmental problem, caste and community exploitation problem, illiteracy or health problem, sexual exploitation of women and child problem, labour problem, disease and disaster problem as per the reality of the area.

15. You are requested to use the logo of National Legal Literacy Mission and the official mascot of the Mission in every correspondence/ Letterhead, envelop, card, calendar etc.

16. You are requested to organize a meeting and discussion with the

SSP of the District and Chief Post master of the district and request them whether the NALSA could utilize the voluntary services of the postmen and the beat constable as the Ambassador of NALSA for dissemination of information to the communities on the Legal Rights of citizens.

17. Kindly identify the names of prominent artists, celebrities, cinema artists/doctors/social workers from your district if available and forward the list with their addresses and telephone numbers.

18. Kindly identify the schools in your district, both government and private and organize a schedule for the year 2005-2006 for organizing a presentation of National Legal Literacy Mission in each school. You are requested to coordinate with the Principal of the school and fix the date and inform the same to NALSA.

19. Kindly identify Dhabas/road side small restaurants, kiosks and hotels where a display board can be put up on the National Legal Literacy Mission in local language.

20. You are requested to organize painting and poster making competition with the school children on the subject of National Legal Literacy Mission presence and display their contribution in your office.

21. You are also requested to launch the debate competition and poem writing competition on the rights of Women, Children, elderly Citizens in the schools and colleges and send us the result and the poems so that the NALSA can further organize State level and National level competitions.

Some reference material on the above shall be dispatched to you subsequently. We look forward to your cooperation in this regard.

राष्ट्रीय विधिक साक्षरता मिशन को उत्तर प्रदेश में लागू किये जाने के लिये कार्ययोजना

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुये राष्ट्रीय विधिक साक्षरता मिशन को उत्तर प्रदेश में लागू किये जाने के लिये निम्नलिखित कार्ययोजना बनायी जाती है जिसका क्रियान्वयन जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों एवं तहसील विधिक सेवा समितियों के माध्यम से किया जायेगा।

1. राष्ट्रीय विधिक साक्षरता मिशन का उद्देश्य यह है कि 100 प्रतिशत विधिक साक्षरता का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में प्राप्त कर लिया जाये। इसके लिये अपेक्षित है कि प्रत्येक जनपद में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तहसील विधिक सेवा समितियों द्वारा आपसी समन्वय से सबसे पहले अत्यंत पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों, को ब्लाक व तहसील स्तर पर चयनित करें तथा क्षेत्र एवं वर्ग विशेष की विशिष्ट आवश्यकताओं के दृष्टिगत साक्षरता कार्यक्रम तैयार करें और प्रभावी ढंग से विधिक साक्षरता शिविर इस प्रकार लगायें जायें कि उस ब्लाक का प्रत्येक व्यक्ति साक्षर हो जाये। कैम्पों के लिये स्थान का चयन करते समय प्राथमिकता ऐसे स्थानों को दी जानी चाहिये जहाँ पर जनसामान्य अधिक से अधिक संख्या में इकट्ठा होता हो जैसे कि साप्ताहिक हाट, मेला, बाजार, धार्मिक समारोह आदि।
2. यह भी अपेक्षा की जाती है कि सभी जिला प्राधिकरण एवं तहसील विधिक सेवा समितियां अपने–अपने क्षेत्रों के अत्यधिक अभावग्रस्त, गरीब, अनपढ़, पिछड़े एवं पीड़ित जनसंख्या वाले क्षेत्रों का चयन कर प्राथमिकता के आधार पर सूची तैयार करें और इस सूची को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को उपलब्ध करायें तथा अपने स्तर पर उपलब्ध संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तहसील विधिक सेवा समितियों, विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन करे।
3. विधिक साक्षरता शिविरों में आम जनता को इस बात की जानकारी दिया जाना भी अति आवश्यक है कि विधिक सेवायें प्राप्त करने के लिये कौन व्यक्ति पात्र है और उन्हें क्या–क्या विधिक सेवायें प्रदान की जा सकती हैं ताकि पीड़ित वर्ग को अधिक से अधिक संख्या में विधिक सेवायें प्रदान कर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के उद्देश्य को पूर्ण किया जाय कि विधिक सेवायें अधिकतम संख्या में लोगों को प्राप्त हो, इस कार्य में जिले के प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों का सहयोग प्राप्त करते हुए प्रशासन द्वारा आयोजित किये जाने वाले थाना दिवसों और तहसील दिवसों आदि पर लोगों को इसकी प्रक्रिया से अवगत करायें तथा विधिक सेवायें प्राप्त करने के प्रार्थनापत्र आदि की उपलब्धता इन स्थानों पर सुनिश्चित की जाये ताकि इच्छुक व्यक्ति वहां से प्रार्थनापत्र आदि प्राप्त कर विधिक सेवायें प्राप्त कर सकें।
4. प्रत्येक जनपद एवं तहसील में विधिक सेवायें प्रदान करने के इच्छुक अधिवक्ताओं की सूची तैयार कर ली जाय और उसमें वरिष्ठ अधिवक्ताओं को प्राथमिकता दी जाये ताकि अच्छी गुणवत्ता वाली विधिक सेवायें अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को प्रदान की जा सकें जिससे कि आम जनता का विश्वास विधिक सेवाओं में स्थापित हो। इस प्रकार तैयार की गयी सूची को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को भी उपलब्ध करा दें ताकि अग्रिम कार्यवाही के लिये उसे नालसा को भी भेजा जा

सकें।

5. राज्य द्वारा लोक हितार्थ चलाई जा रही विभिन्न स्कीमों के अध्ययन और जांच आदि के लिये राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राज्य के तमाम जनपदों को पत्र संख्या एल/9/2004–नालसा दिनांकित 3.5.05 प्रेषित किया गया है जिसके सम्बन्ध में कार्ययोजना बनाकर प्रत्येक जनपद को भेजी जा चुकी है उसके सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करते हुये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आख्या शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें और आगे भी इसी प्रकार नालसा के पत्र के आवश्यक तथ्य/निर्देशों को ध्यान में रखते हुये लोक कल्याण योजनाओं के अध्ययन और आकस्मिक जांच की कार्यवाही नियमित रुप से सम्पादित की जाये और यदि लोक कल्याण की इन योजनाओं के क्रियान्वयन में गड़बड़ी पायी जाये तो उस सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों से पत्राचार करके उन कमियों को दूर करने को कहा जाये और यदि संतोषजनक कार्यवाही नहीं होती है तो आवश्यकता पड़ने पर विधिक सेवा के लिये तैयार किये गये पैनल के अधिवक्ताओं के माध्यम से लोक कल्याण योजनाओं के सही क्रियान्वयन हेतु लोक हितार्थ याचिका माननीय उच्च न्यायालय में PIL के रुप में प्रस्तुत करने के लिये प्रस्ताव राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को उपलब्ध करायें, ताकि लोक कल्याण के लिये चलाई गई योजनाओं से अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें।

6. जिले में कार्यरत न्यायिक अधिकारियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक साक्षरता मिशन में सक्रिय सहभागिता प्रदान करने के लिये प्रेरित किया जाय विधिक सेवाओं का उद्देश्य निःशुल्क अधिवक्ता की नियुक्ति कर देने मात्र से ही पूर्ण नहीं हो जाता बल्कि समय–समय पर यह भी देखना आवश्यक है कि नियुक्त अधिवक्ता द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की गुणवत्ता उत्तम हो। इसके साथ–साथ न्याायिक अधिकारियों को महिलाओं, बच्चों, दलितों, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि के हितों के सम्बन्ध में संवेदनशील बनाया जाय। इस बात पर भी बल दियां जाय कि इसी क्रम में जनपद की आम जनता को सामाजिक न्याय दिलाने के उद्देश्य से जनपद के प्रशासनिक अधिकारियों और विधायिका के सम्माननीय सदस्यों से नियमित विचार विमर्श किया जाये और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश भी जारी किये जाये।

7. किसानों मजदूरों, महिलाओ और बच्चों आदि के अधिकारों की रक्षा के बारे में कार्यशालायें आयोजित कर न्यायिक अधिकारियों, विधिक सेवा कार्यकर्ताओं,समाजसेवी संस्थाओं आदि को संवेदनशील बनाया जायें।

8. न्यायिक अधिकारियों को आवश्यक प्रशिक्षण और संवेदनशीलता के बारे में प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किये जा चुके हैं और धन आवंटन के लिये राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को पत्र भेजा जा चुका है वहाँ से आवश्यक धन प्राप्त होने पर न्यायिक प्रशिक्षण एंव अनुसंधान संस्थान लखनऊ के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रारम्भ किया जायेगा।

9. विधिक साक्षरता कार्यक्रमों के माध्यम से प्राकृतिक आपदाओं और महामारी से प्रभावित होने की सम्भावना वाले क्षेत्रों में जनता को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरुक किया जाय तथा प्रभावित होने पर विधिक सेवायें त्वरित रुप से प्रदान की जाय।

10. विधिक सेवा कार्यक्रमों को कार्यालय के कार्य का ही भाग समझा जाय और इन्हें

कार्यालय के क़ार्य से किसी भी प्रकार अलग नहीं समझा जाना चाहिये। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष और सचिव नियमित रुप से विधिक सेवा कार्यक्रमों की समीक्षा के लिये बैठकें बुलायेंगे और उसमें भाग लेंगे और जो कमियां पायी जायेंगी उनके सुधार के लिये कार्यवाही की जायेगी।

11. न्यायपालिका की महिला सदस्यों की सक्रिय सहभागिता, महिलाओं और बच्चों के हितों के रक्षार्थ चलाये जा रहे कार्यक्रमों में सुनिश्चित की जाय।

12. प्रत्येक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अपने–अपने जनपद में महिलाओं और बच्चों के हितों के रक्षार्थ यूनिट बनायी जाय तथा श्रमिकों के विरुद्ध अपराधों से सम्बन्धित नालसा से प्राप्त निर्देशों के अनुसार सेल गठित किया जाय। इस सम्बन्ध में नालसा के निर्देशों से पहले ही सभी जनपदों को अवगत कराया जा चुका है।

13. न्यायिक अधिकारियों व स्वयं सेवी संस्थाओं की सक्रिय सहभागिता राष्ट्रीय विधिक साक्षरता मिशन को लागू किये जाने में सुनिश्चित की जाय।

14. विधिक साक्षरता शिविरों में इस बात पर भी बल दिया जाय कि सुलह समझौते और मध्यस्थता के द्वारा लोक अदालत के माध्यम से विवाद का निराकरण करना ही जनता के पक्ष में है और इस सम्बन्ध में लोक अदालत के फायदों और महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला जाय ताकि अधिक से अधिक विवाद न्यायालय में पहुँचने से पहले ही प्रिलिटीगेशन स्कीम के माध्यम से आपसी सुलह समझौते के आधार पर निपटाये जा सके।

15. सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों से अपेक्षा की जाती है कि राष्ट्रीय विधिक साक्षरता मिशन द्वारा प्रदान की जा रही विधिक सेवाओं के प्रचार प्रसार हेतु सूचनायें जनपद न्यायालय, कलेक्ट्रेट, प्रत्येक तहसील, प्रत्येक ब्लाक कार्यालय, प्रत्येक थाना, प्रत्येक सरकारी अस्पताल जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भी शामिल है की दीवार अथवा बाउन्ड्रीवाल, जो भी उपलब्ध हो पर पेन्टर से अंकित करायें और इस सामग्री के लेखन व प्रचार प्रसार हेतु सम्बन्धित विभागों का आवश्यक सहयोग भी प्राप्त किया जाय।

16. विधिक साक्षरता शिविरों में पूर्व निर्धारित व्यय सीमा का पालन किया जाय स्वयं और प्रचार प्रसार आदि पर होने वाले व्यय में मित्तव्ययता बरती जाय ताकि कम से कम व्यय में अधिक से अधिक कार्य सम्पादित किया जा सके।

उपरोक्त बिन्दुओं पर बिन्दुवार प्रगति आख्या प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में राज्य प्राधिकरण को प्रेषित की जाय।

(के0 जेड0 खान)
सदस्य सचिव

No. 1102/S.L.S.A54/2005 Dated May 25, 2005

Sub. ***Constitution of Women and Child Protection Unit***

Sir,

Hon'ble the Paron-in-Chef of NALSA, Hon'ble Executive Chairman of NALSA and Hon'ble Chairman of Supreme Court legal Services Committee have desired that the State Legal Services Authorities, District and taluk Authorities/Committees shall implement the Mission objectives with adequate seriousness and speed.

In this regard National Legal Services Authority has sent a directive/letter No. L/10/2004-NALSA/2801 Dated May 18, 2005 for constitution of Women and Child Protection Unit in every district. Accordingly Hon'ble Executive Chairman, U.P. State Legal Services Authority has directed constitution of ***"Women and Child protection Unit"*** in every district under the direct supervision of the District Judge for considering Women and child related grievances and for providing speedy justice to them. This Unit shall comprise of the following members.

i) District Judge as Chairperson.
ii) Secretary, District Legal Services Authority as convener
iii) A senior resource person from the field of women, child development and rehabilitation appointed by NALSA, as Central Observer and shall represent NALSA, time to time and as and when neccessary.
iv) All Judical Magistrates as Members.
v) District S.S.P. as Advisor on Chair.
vi) District magistrate as Advisor on Chair.
vii) District Child Welfare Officer as Member.
viii) District Social Welfare Officer as Member
ix) District C.M.O. of the Civil Hospital as Member
x) Secretary, Red Cross of the district as Member
xi) An Educationist preferable Principal of a Government

School/College or Principal of an established Government Girls High School as Member (To be named by the District Judge)

xii) Public Prosecutor as Member.

The above unit will convene a meeting once in a month toreview the complaints received and compliance made therof.

Two women advocates shall be appointed from out of the panel of the Legal Aid Counsels by the District Judge to receive complaints and record the necessary grievances on day-to-day basis and shall put up the same before the Unit meetings on monthly basis.

You are, therefore, requested to please take necessary steps accordingly and action taken report may kindly be sent to this authority at an early date for onward transmission to NALSA.

परिपत्र संख्या : 16 / एसएलएसए–54 / 05 दिनांक : सितम्बर 28, 2005

विषय : बाल अधिकारों पर विचार–विमर्श (Consultation)

महोदय,

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव श्री कमलेश कुमार के पत्र संख्या–L/9/2004-NALSA/- दिनांक 3.5.05 द्वारा जनपद न्यायाधीशों को उक्त विषय के संबंध में गोपनीय निर्देश भेजे गये हैं, जिसके संबंध में तमाम जनपदों से अनुपालन / प्रक्रिया संबंधी प्रश्न उठाये गये हैं। इस संबंध में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कार्य योजना तैयार की गयी है जिसे अनुपालन के लिये संलग्न करते हुए मुझे आपसे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि कृपया राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों का अनुपालन कार्य योजना के अनुसार गम्भीरता से शीघ्रातिशीघ्र करते हुए आख्या राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित करते हुए उसकी एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्नक उपरोक्त ।

Action Plan

To get the directions and letter dated 3.5.05 of Sri Kamlesh Kumar, Member Secretary, National Legal Services Authority (NALSA) regarding Consultation on Child Rights, implemented with adequate seriousness and speed, following action plan is being drawn.

The National Legal Services Authority has undertaken a Child Rights Declaration under the guidance of Hon'ble Mr. Justice Y. K. Sabarwal, Judge Supreme Court of India and Chairman, National Legal Services Authority.

As per the minutes of the declaration it has been finalized that the District Legal Services Authority under the supervision of their Chairman/District Judge shall organize the following and submit a report after suitable documentation of the minutes and observations of the National Legal Services Authority directly. To get the directions implemented action plan is being drawn as under :-

Requirement No. 1

Organize a random / surprise visit by a Judicial Officer to inspect the functioning of the Anganwadis ICDS Programme (Integrated Child Development Scheme) in your district and report on the successes or failures of the implementation of the programme, with appropriate facts and figures and photographs.

Response

Chairman / Distt. Judge, Distt. Legal Services Authority shall direct the Secretary, District Legal Services Authority or any other suitable Judicial Officer to make random/surprise visit to inspect the functioning of the Anganwadis ICDS Programme in the District. The Judicial Officer is expected to visit only a few (say five) of the Aganwadis Centres, selected as per the directions and guidance of Chairman/Distt. Judge. He may make the visits on working days. The Judicial Officer may send a request to Registrar General, Hon'ble High Court, through the Distt. Judge for exemption of quota for the days spent in the random/surprise visits.

The Secretary / Judicial Officer shall report on the success or failures of the implementation of the program, with the appropriate facts and figures and photographs to the Chairman / Distt. Judge who will them forward the report along with his Recommendations/ Observations to the Member Secretary, National Legal Services Authority.

A vehicle may be provided by the Chairman / Distt. Judge to the officer for the purposes of inspections. Necessary petrol shall be provided from the funds of the National Legal Services Authority.

Requirement No. 2

Organize Two District Level Child Rights Consultations at the office of the District Authority. The first consultation shall ensure attendance of the following officers :-

a) District Judge
b) Judicial Officers of the District
c) PO/ICDS and CDPOs,
d) CMO
e) Sarva Shiksha Abhiyan Officers.

The second consultation shall ensure the attendance of the following :-

a) NGOs
b) Social Welfare Forums.
c) Schools/Trusts/Educational Institutions.
d) Grieving Persons such as beneficiaries.

The said consultations should aim to learn the following :-

a) Whether ICDS programmes and Anganwadis in the District are running in its true spirit.
b) Whether Sarva Shiksha Abhiyan is running in its true spirit.
c) Whether Mid Day meal is supplied properly and the quality thereof.
d) Whether the hospitals in the District have maternity, prenatal, antenatal and RCH programme.
e) Wether there is creche operating under National Creche Fund.
f) Whether teachers attend the school regularly.
g) What is the girl child dropout ratio in the district.
h) What is the male-female child population ratio.
i) How many cases of trafficking of girl child and sexual abuse of girl child have been registered in the district in the last two years.
j) Whether the schemes of government of India referred in Annexure-2 are implemented in the district in its true spirit.

k) Is there a list of Child Rights or Child Care NGOs who are working in the District under the supervision of the District Collector, provide the list with address and telephone numbers.

l) Is there a children's home in the district, if yes, then what is the capacity of the home, what are the arrangements of protection, security counseling, rehabilitation and education in such a home.

m) How many cases of HIV/AIDS in children have been reported in the district.

n) How many cases of child labour/ bonded labour have been reported in the district.

Response

Secretary, Distt, Legal Services Authority shall organize the above consultations in the civil Court Premises and in the said consultations, detailed statistics shall also be collected from the relevent authorities regarding the above schemes as mentioned in the letter of National Legal Services Authority.

After the meetings a detailed report shall be prepared by secretary, Distt. Legal Services Authority and shall be placed for the perusal and necessary directions of Chairman / Distt. Judge, Who will forward the said report along with his observations/ Recommendations to the Member Secretary, National Legal Services Authority.

Requirement No. 3

Organize to submit a comprehensive report on the existing system of Childcare, Child Education, Child Rights and Protection of Child Rights initiatives in the district organized by District collector, District Police or District Judge or NGOs.

Response

Secretary, Distt. Legal Services Authority shall collect the necessary data from the relevant authority / NGOs and thereafter prepare and submit a comprehensive report as per requirements of NALSA to the Chairman / Distt. Judge, who will send it to Member Secretary, NALSA along with his observation / recommendations.

Requiremnet No. 4

Organize a minimum of two social justice litigations on the subject of non-implementation of childcare and child rights schemes in your

district **directly to be the dispatched to NALSA compiled by Legal Aid Counsels on panel of the District Authority**. If the schemes are implemented properly, then such litigations are not required. In this context, kindly note the provision under section 4 (d) of the Legal Services Authorities Act 1987 :-

"Take necessary steps by way of social justice litigation with regard to consumer protection, environmental protection or any other matter of special concern to the weaker sections of the society and for this purpose, give training to social workers in the legal skills."

Response

If deemed necessary District Legal Services Authority through its Secretary with the help of Legal Aid Counsels on panel of the Distt. Legal Services Authority may prepare social justice litigation on the subject of non-implementation of child care and child rights scheme in the District and it shall be submitted directly to NALSA for necessary action.

Requirement No. 5

Send a list of Legal Aid Counsels of your District Authoritities including Talukas with their Addresses and Phone Numbers.

Response

The Secretary, Distt. Legal Services Authority shall prepare the list which shall be placed for the perusal and necessary directions of Chairman / Distt. Judge, who will forward the said list along with his observations/ recommendations to the Member Secretary, National Legal Services Authority.

The above requirements of NALSA shall be fulfilled with speed and seriousness within the period of 2 months.

The expenses to carryout the above requirements shall be spent front the funds of National Legal Services Authority allotted to the Distt. Legal Services Authority by the State Legal Services Authority subject to a maximum limit of Rs. 5,000/-. If the expenses exceed the above limit prior permission of the Executive Chairman of the U.P. State legal Services Authority shall be sought.

A copy of the reports sent to the National Legal Services Authority shall also be sent to Member Secretary, U.P. State Legal Services Authority.

From ,

Swatantra Singh, HJS
Registrar General
High Court of Judicature at
Allahabad.

To,

All the District judges,
Subordinate to the High Court of Judicature at
Allahabad.

Letter No. 185/HCLSCA- /2005 Dated : 25 Nov. 2005

Subject :**Consultation on Child Right.**

Sir,

I am desired to enclose herewith a copy each of Action Plan received from the U.P. State Legal Services Authority, Lucknow and letter No. L/9/2004-NALSA, dated 3rd May. 2005 of Sri Kamlesh Kumar, Member Secretary, NALSA, New Delhi regarding consultation on Child Right as also implementation of the directions as contained thereon.

In this regard it is to inform that the National Legal Services Authority has undertaken a Child Rights Declaration under the guidance of Hon'ble the Chief Justice, Supreme court of India and Chairman, supreme Court Legal Services Committee on 14.11.2004, the minutes of the aforesaid declaration has been finalized as under :-

a) The District Legal Services Authorities under the supervision of its Chairman/District Judge shall organize a random/surprise visit by a Judicial Officer to inspect the functioning of the Anganwadies ICDS Programme.
b) Organize two district level Child Rights Consultations of the office of the District Authority.
c) Organize to submit a comprehensive report on the existing system of Child Care, Child Education, Child Rights and protection of Child Rights initiatives in the district organizes by District Collector, District Police or district Judge or NGOs.
d) Organize a minimum of two social litigations on the subject of non-implementation of child care and child rights schemes and
e) Send a list of Legal Aid Counsels of the District Authorities including Taluks with their address and phone numbers.

As regards permission sought for by some District Judges for making random and surprise visit by the Judicial officers to inspect the functioning of Aganwadies ICDS programmes, the High Court is of the view that further action may be taken in the matters as might be required for implementation of the directions of NALSA with adequate seriousness and speed but the Cout's work should not be affected and done first.

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY
(Constituted under the Legal Services Authorities Act, 1987)

कार्या. / Offi. : 23385321
फैक्स / Fax : 23382121
12 / 11ए जाम नगर हाऊस
शहजहाँ रोड, नई दिल्ली–110011
12/11, Jam Nagar House
shahjahan road, New Delhi-110011

KAMLESH KUMAR
Member Secretary

No.L/16/2005-NALSA/4962
Dated : 12th July 2005

To,

The Member Secretary
U.P. State Legal Services Authority,
3rd Floor, Jawahar Bhavan Annexe,
Lucknow-226 001

Subject : Constitution of Crime against Labour Cell.

Sir,

The National Legal Services Authority (NALSA), in its National dialogue on the Protection of Legal Rights of Workers held in New Delhi on 1st May 2005 announced the commencement of Crime against Labour Cell in every District of India under the supervision of District Judge.

Hon'bel Mr. Justice Y.K. Sabharwal, Judge, Supreme Court of India and the Executive Chairman of the Authority chaired this National Dialogue and directed to constitute the Crime against Labour Cell in every District, ensure implementation of the labour Laws, secure participation of labourers in democratic systems, ensure protection of workers living with HIV/AIDS, implementation of Equal remuneration Act. safety of women workers against discrimination, sexual harassment and child trafficking.

The above Cell shall be constituted urgently and a compliance report should be submitted to the Authority by 31.8.2005

`The constitution of the Cell shall be the following :-

a) District judge as Chairman of the Cell.
b) Chairpersons of Taluk Committees in District as Members.
c) Deputy Labour Commissioner as Member.
d) 3 Eminent Labour Leaders.
e) The SP of the District as Member.
f) The District Collector as Member.
g) 2 Members appointed by National Legal Services Authority as observers.
h) 2 Eminent Lawyers.

we look forward to your cooperation in this regard.

परिपत्र संख्या : 5/एसएलएसए–131/97 दिनांक : 5 जुलाई, 1997

विषय : मोटर दुर्घटना में मृत व्यक्तियों से सम्बन्धित प्रतिकर के मुकदमों को लोक अदालतों के माध्यम से शीघ्र निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रशासनिक अध्यक्ष एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री के0 रामास्वामी की सहमति से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्र सं0 6/6/97–नाल्सा दिनांक 20.6.97 द्वारा यह निदेश दिया गया है कि जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा मृत व्यक्तियों के प्रतिकर क्लेम के सम्बन्ध में लोक अदालतों के माध्यम से प्रतिकर के मुकदमे शीघ्र तय कराने में मार्गदर्शन और एकरुपता लाने हेतु विचार विमर्श से एक फार्मूला (संलग्न) तैयार किया गया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रेषित पत्र एंव फार्मूले की प्रतिलिपि संलग्न की जा रही है जिसे आप जनपद न्यायालय के सम्बन्धित समस्त अपर जिला जज के न्यायालयों को उपलब्ध करा दें जिससे लोक अदालतों के माध्यम से प्रतिकर वादों का निस्तारण जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन आफ इण्डिया द्वारा स्वीकृत फार्मूले को ध्यान में रखते हुए निस्तारण सुनिश्चित हो सके। यह फार्मूला अन्य सभी बीमा कम्पनियों पर भी समान रुप से लागू रहेगा।

Settlement of Motor Third Party claims pending with various MACTs

A. BROAD METHODOLOGY:

1. Compensation will be worked out for all FATAL cases based on factors given below.
2. Cases will then be grouped to work out similar group of compensation.
3. Factors to be considered for working out. Compensation are.
   Age
   Multiplier
   Income

B. AGE:

Age will be considered as under:

a. Age of the deceased

b. If the deceased is unmarried/minor and the beneficiaries are only parents the multiplier will be determined by the higher age of the parents/dependant.

C. MULTIPLIER:

Multiplier as per following table.

Age groups	Suggested Multiplier
1-10	Fixed Sum compensation payable If application was lodged prior to 14th November 1994 Rs. 37, 500/- payable in total (no extras payable as per para E.(C) hereunder)
11-20	13 if deceased was married If unmarred multiplier to be determined by the age of the parents/ dependents -If dependents fall in this age band multiplier will be 12
21-25	18 if the deceased was married If unmarried multiplier to be related to the age of the parents/dependents -If dependents fall into this age-band multiplier will be 13.
26-30	16
31-35	15
36-40	13
41-45	12
46-50	11
51-55	9
56-60	8
61-65	5
66-70	5
Above 70	3

D. INCOME MONTHLY:

If the deceased was a non earning member or earning less than Rs. 700 per month then consider a notional income of Rs. 700/- per month as his income for the purpose of computing the compensation payable.

Income to be worked out based on the Datum Figure as under:

i- 2 units to be considered for every Major dependent above the age of 20 years and I unit to be considered for every minor dependent upto the age of 10 years and 1.5 units to be considered for every dependent from 11 to 20 years of age.

ii- The monthly income of the deceased to be apportioned to every unit after taking into consideration the total units applicable (deceased+dependents).

iii- Then the income proportional to the units of the dependents becomes the monthly income of the deceased for the purpose of computing the compensation.

eg. Deceased is a male survived by widow and two minor children under the age of 10 year. The monthly income of the deceased was Rs. 1200/-

i- Consider 2 units for the deceased and the widow and I unit for each child i.e. a total of 6 units.

ii- Monthly income per unit=

$$= \frac{\text{Monthly income of the deceased}}{\text{No of applicable total units}}$$

$$= \frac{1.200}{6}$$

= 200 per unit

iii- The monthly income for the purpose of computing the compensation will be 200 x 4 (2 units for the widow and I unit each for the child) = 800

ANNUAL

Multiply the above monthly income by 12 to get the annual income

E. COMPENSATION PAYABLE:

a. Compensation payable would be the relevant multiplier based on relevant age multiplied by annual income obtained under the heading INCOME above.

b. To ensure that the final compensation payable is maintained at a minimum amount of Rs. 50,000/- (except cases lodged prior to 1994 for deceased upto the age of 10 years refer para C above)

c. To the above amount, the following to be added (except cases lodged prior to 1994 for deceased upto the age of 10 years, refer para C above)

i- Funeral expenses Rs. 2,000/-

ii- Loss of estate Rs. 2,500/-

iii- Loss of consortium, only if the claimant is the spouse Rs. 5,000/-

iv- Medical expenses incurred, if any, duly supported by documents, may be reimbursed, subject to a maximum of Rs. 15,000/-

F. GROUPING

The claims should then be grouped based on the compensation payable as under.

Group	Compensation Payable
1-	Upto Rs. 50,000/-
2-	50,000 to 1,00,000
3-	1,00,000 to 1,50,000
10-	4,50,000 to 5,00,000
11-	More than 5,00,000

प्रेषक,

जिया लाल
कार्यालय परिवहन आयुक्त, उ0 प्र0

सेवा में,

समस्त सहायक सम्भागीय अधिकारी
(प्रशासन) उत्तर प्रदेश

परिपत्र सं. : 1203 सा0प्र0 / 97–131टी आर / 97 दिनांक 20 अगस्त, 1997

विषय– मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद के संबंध में बीमा कार्यालयों के द्वारा वाहन चालक के लाइसेंस तथा वाहन के मालिक के संबंध में मांगी गयी सूचना के निस्तारण हेतु।

महोदय,

उपयुर्क्त विषयक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, तृतीय तल, जवाहर भवन, लखनऊ द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया गया है कि मोटर दुर्घटना से संबंधित अनेक प्रतिकर वाद न्यायालयों में लम्बित है जिसके कारण दुर्घटना से पीड़ितों को अनुमन्य क्षतिपूर्ति /राहत समय से प्राप्त नही हो पाती। इसका एक प्रमुख कारण यह बताया गया है कि बीमा दावा के निस्तारण हेतु संबंधित वाहन के संबंध में पंजियन,फिटनेस, परमिट व चालक लाइसेंस संबंधी विवरण एवं वैधता की सूचना परिवहन कार्यालयों से प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यह स्थिति सर्वथा अवांछनीय है और ऐसे संवेदनशील मामलों में किसी प्रकार की शिथिलता एवं उत्पीड़न अक्षम्य है। इस संबंध में आपका ध्यान मोटर यान अधिनियम की धारा–16 (पुराने अधिनियम की धारा –109) की व्यवस्था की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें निर्धारित शुल्क पर ऐसी कोई भी सूचना जो क्षतिपूर्ति के संबंध में अपेक्षित हो , दिया जाना अनिवार्य है। कहने की आवश्यकता नही है कि अधिनियम की व्यवस्थाओं का उल्लघंन अपने आप में दंडनीय अपराध है और परिवहन विभाग के अधिकारियों /कर्मचारियों द्वारा मोटर यान अधिनियम का उल्लघंन और भी अधिक गंभीर बात है।

अतएव निर्देशित किया जाता है कि मोटर दुर्घटना की क्षतिपूर्ति के संबंध में किसी प्रकार की सूचना प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत आवेदन–पत्र का निस्तारण प्रत्येक दशा में पत्र प्राप्ति के तीन दिन के अंदर अवश्य कर दिया जाये। उचित होगा कि प्रत्येक कार्यालय में आशुलिपिक अथवा लिपिक वर्गीय अन्य वरिष्ठतम कर्मी को इसके लिए अधिकृत कर दिया जाये और समय–समय पर उनके द्वारा प्राप्त एवं निस्तारित प्रकरणों की स्थिति का अनुश्रवण किया जाये।

प्रेषक,

हौसिला प्रसाद वर्मा
आई. ए. एस. प्रबन्ध निदेशक
उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम
टेढ़ी कोठी, लखनऊ

सेवा में,

समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक / प्रधान प्रबन्धक
(के0का0 / एलेन फरिस्ट)
उ0प्र0 परिवहन निगम, कानपुर

अर्ध0शा0प0सं0–6443एल0एस0/97–952एल0ए0एस/88 दिनांक–7दिसम्बर, 1997

महोदय,

जिला कानूनी सहायता एवं परामर्श समिति तथा लोक अदालत के माध्यम से दुर्घटना वादों में समझौता सम्पन्न करवाने के सम्बन्ध में आयोजित विभिन्न फोरम के स्तर से यह शिकायतें प्राप्त हो रही है कि निगम के अधिकारी लोक अदालतों में पर्याप्त सहयोग प्रदान नहीं कर रहें हैं।

यह अत्यन्त ही खेदजनक बात है कि लोक अदालत के माध्यम से जिन प्रकरणों का निस्तारण होता है निर्विवाद रूप से उसमें दी जाने वाली धनराशि एवार्ड के रूप में अंतिम निर्णय में पारित होने वाली धनराशि से कम ही होती है।

लोक अदालत के माध्यम से मोटर दुर्घटना प्रतिकर वादों में समझौते करने से विभाग को सम्भावित बड़ी धनराशि के रूप में एवार्ड होने वाली धनराशि से तो बचाया जा सकता है अपितु स्थापना व्यय के रूप में व्यय होने वाली धनराशि से भी बचाया जा सकता है। वर्तमान में वित्तीय संकट की स्थिति में मोटर दुर्घटना प्रतिकर वादों का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से किया जाना विभाग हित में उचित होगा।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि लोक अदालतों में आप स्वयं उपस्थित होकर निगम हित में समझौता करना सुनिश्चित करें यदि विशेष कारण से आप नहीं उपस्थित हो पाते है। तो आप यह सुनिश्चित करेंगे कि अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को इस कार्य हेतु नामित करते हुये लोक अदालतों द्वारा बनायी गयी व्यवस्था में समुचित सहयोग प्रदान करें।

यदि भविष्य में इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो आपके भी विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु प्रशासन बाध्य होगा। कृपया समझौता करते समय विभाग की वर्तमान वित्तीय स्थिति को अवश्य ध्यान में रखा जाय तथा यथासम्भव समझौता कम से कम धनराशि में करने का प्रयास किया जाये। मुख्यालय पर समझौते से सम्बन्धित पत्रावलियों का परीक्षण करते समय यदि यह पाया जाता है कि उक्त मामलों में विभाग हित को ध्यान में नहीं रखा गया है जिससे समझौते के क्रियान्वयन में समस्या पैदा हो रही है।

वृतांक पत्र सं0:20/एस.एल.एस.ए./99–97 दिनांक:20जुलाई,1998

विषय: श्रम वादों के निपटाने हेतु लोक अदालतों के आयोजन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया सचिव(श्रम)उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–564/36–2–98–262 (एसएम)/94 दिनांक 10.6.98 (प्रति संलग्न) का अवलोकन करें,जिसके द्वारा शासन ने विभिन्न श्रम न्यायालयों एवं औद्योगिक न्यायाधिकरणों को श्रम के वादों को निपटाने हेतु लोक अदालतों के आयोजन के निर्देश दियें हैं। आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने जिले में स्थापित श्रम न्यायालयों /औद्योगिक न्यायाधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों की एक बैठक आयोजित कर लें तथा श्रम न्यायालयों में लम्बित वादों को लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित कराने हेतु एक रूपरेखा तैयार कर लें और शीघ्र ही श्रम न्यायालयों से सम्बन्धित वादों को लोक अदालत के माध्यम से तय कराने हेतु जिला प्राधिकरण का अपेक्षित सहयोग उपलब्ध कराने की कृपा करें जिससें अधिक से अधिक श्रम से सम्बन्धित मामलों का निस्तारण लोक अदालतों के माध्यम से सम्भव हो सके।

संख्या–41मु0मं0/36–2–262(एस0एम0)/94

प्रेषक,

श्री जगन्नाथ सिंह
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1. विभागाध्यक्ष
औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय, उ0 प्र0
7 स्ट्रैचा रोड, इलाहाबाद
2. समस्त पीठासीन अधिकारी
श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण, उ0 प्र0
3. श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश
कानपुर

श्रम अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक:29मई,1995

विषयः श्रम विभाग के वादों को निपटाने हेतु श्रम लोक–अदालतों का आयोजन।

महोदय,

उपयुर्क्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्रमिको/वादकारियों को सुलभ व सस्ता न्याय दिलाने तथा लम्बित मुकदमों के त्वरित गति से निस्तारण हेतु श्रम न्यायालयों एवं औद्योगिक न्यायाधिकरणों में श्रम लोक अदालतों का आयोजन किया जाये। श्रम लोक अदालत समिति में वरिष्ठतम पीठासीन अधिकारी औद्योगिक न्यायाधिकरण /श्रम न्यायालय अध्यक्ष उप श्रमायुक्त सचिव तथा अन्य पीठासीन अधिकारी सदस्य होंगे।

2. इस प्रकार की श्रम लोक अदालत पहले से नियत तिथि पर वर्ष में कम से कम दो बार आयोजित की जावे,जिसमें श्रम न्यायालयों एवं औद्योगिक न्यायाधिकरणों के पीठासीन अधिकारी अपने न्यायालयों में लम्बित मुकदमों को श्रम लोक अदालत में शीघ्र निपटाने की व्यवस्था करेंगे। नियत तिथि को अधिकाधिक वादों का निपटारा आपसी समझौते तथा वार्ता द्वारा कराने का प्रयास किया जायेगा। यदि इस सम्बन्ध में किसी और सहायता एवं मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो वह सम्बन्धित जिलों के जिला कानूनी सहायता एवं परामर्श समिति, जिसके सभापति जिला जज सह सभापति जिलाधिकारी तथा सचिव जिला जज द्वारा नामित न्यायिक अधिकारी होते है, से प्राप्त किया जा सकता है । सहायक श्रमायुक्त /उपश्रमायुक्त तथा संशाधन अधिकारियों द्वारा लोक अदालतो में लम्बित प्रकरणों का निस्तारण आपसी समझौते से किया जायेगा।

वृतांक पत्र सं0 :33/एस.एल.एस.ए./14–98 दिनांक : 2 नवम्बर, 1998

विषयः राजस्व /स्टाम्प वादों को लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित कराये जाने के संबंध में ।

महोदय,

कुछ जिला प्राधिकरणों द्वारा यह जिज्ञासा की गयी है कि क्या राजस्व /स्टाम्प वादों के निस्तारण हेतु लोक अदालत का आयोजन रविवार अथवा अवकाश के दिनों के अतिरिक्त किया जा सकता है अथवा नही?इस संबंध में यह भी अवगत कराया गया है कि कुछ जिला अधिकारियों द्वारा यह प्रस्तावित किया गया है कि सप्ताह में एक दिन जिलों के सभी राजस्व अधिकारी मुख्यालय पर उपलब्ध रहते हैं और इसलिए उस कार्य दिवस पर स्टाम्प आदि मामलों के निस्तारण हेतु लोक अदालत लगाना अधिक सुविधाजनक होगा।

इस संबंध में मुझे यह अवगत कराते हुये कहना है कि सामान्यतः दीवानी न्यायालय में कार्य दिवस में लोक अदालत का आयोजन नहीं किया जाता है ताकि न्यायिक कार्य प्रभावित न हो, परन्तु यदि राजस्व अधिकारियों द्वारा स्टाम्प /राजस्व आदि वादों के निस्तारण हेतु लोक अदालत का आयोजन किसी कार्य दिवस में किये जाने का प्रस्ताव किया जाता है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

वृतांक पत्र सं0 :4/एस.एल.एस.ए.–3/99 दिनांक: : 4 फरवरी, 1999

विषय: लोक अदालतो में निस्तारित होने वाले लघु आपराधिक वादों में अर्थदण्ड आरोपित करने में एक– रूपता लाने के संबंध में।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि राज्य प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति श्री गिरिधर मालवीय जी द्वारा कुछ जिलों का भ्रमण किया गया जहां अधिवक्ताओं द्वारा उन्हें यह बताया गया था कि लोक अदालत के दिन निस्तारित होने वाले लघु आपराधिक वादों में अर्थदण्ड आरोपित करने में एक रूपता नहीं बरती जाती है और किन्हीं विशिष्ट मामलों में एक न्यायिक अधिकारी द्वारा बहुत कम अर्थदण्ड आरोपित किया जाता है जबकि दूसरे न्यायिक अधिकारी द्वारा अधिक धनराशि अर्थदण्ड के रूप में आरोपित की जाती है।

उक्त के संबंध में माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय के आदेशान्तर्गत मुझे यह कहना है कि लोक अदालतों की लोक–प्रियता बढ़ाने एवं न्यायिक प्रकिया के प्रति सामान्य जनता की निष्ठा कायम रखने के लिये यह उचित प्रतीत होता है कि कम से कम लघु आपराधिक वादों मे अर्थदण्ड आरोपित करने में यथासम्भव एक रूपता बरती जाये तो बहुत अच्छा होगा। इसके लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि लोक अदालतों के पूर्व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समस्त न्यायिक दण्डाधिकारियों की एक बैठक आयोजित करके मोटे तौर पर यह निश्चित कर लिया जाये कि किस प्रकृति के लघु आपराधिक वादों में कितना अर्थदण्ड आरोपित करना उचित होगा और तद्नुसार लिये गये निर्णय के अनुरूप यदि लोक अदालतों में विभिन्न प्रकृति के लघु आपराधिक वादों में सामान्य रूप से अर्थदण्ड आरोपित किया जाये तो इससे अधिक से अधिक संख्या में वादकारी अपने मामलों को लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित कराये जाने के लिये प्रोत्साहित होंगे।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त विषय के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

वृतांक पत्र सं0 :06/एस.एल.एस.ए.–304/98 दिनांक : 16 फरवरी,1999

विषयः मोटर दुर्घटना प्रतिकर वादों को लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

मोटर दुर्घटना प्रतिकर वादों को अधिक से अधिक संख्या में लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित कराये जाने हेतु समय–समय पर आदेश /निर्देश जारी किये गये हैं परन्तु गत वर्ष की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में लोक अदालतों के माध्यम से मोटर दुर्घटना प्रतिकर सम्बन्धित वाद कम संख्या में निस्तारित हो सके है। इस संबंध में कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री गिरिधर मालवीय जी द्वारा उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम तथा बीमा कम्पनियों के उच्चाधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया गया जिसके आधार पर निम्न सुझाव प्रस्तुत किये जा रहे हैं–

1– उच्च न्यायालय के परिपत्र संख्या–24/VIII/डी–108/एडमिन(जी) दिनांक 30.4.88 द्वारा समस्त मजिस्ट्रेट न्यायालयों को यह निर्देश जारी किये गये थे कि मोटर दुर्घटना से संबधित वाहन को रिलीज करते समय कथित वाहन से संबंधित ड्राइविगं लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तथा बीमा पॉलिसी की प्रतिलिपि अवश्य ही रिकार्ड पर रख ली जाये परन्तु यह ज्ञात हुआ है कि उच्च न्यायालय के उक्त परिपत्र का पूर्ण अनुपालन नहीं हो रहा है। अतः यह अनुरोध है कि कृपया सभी मजिस्ट्रेट न्यायालयों को माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अवगत कराने का कष्ट करें।

2– मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 169 के अन्तर्गत मोटर दुर्घटना प्रतिकर वादों के निस्तारण हेतु समरी प्रकिया अपनाये जाने का प्राविधान है। अतः यह आवश्यक है कि सभी ट्रिब्यूनल न्यायालयों का ध्यान उक्त प्राविधान की ओर आकर्षित करते हुये उनसे प्रतिकर वादों की समरी प्रकिया के आधार पर निस्तारित करने हेतु अनुरोध किया जाये।

3– यह अनुभव किया गया है कि मोटर दुर्घटना प्रतिकर मामलों में दुर्घटना करने वाले वाहन के स्वामी या तो मुकदमे में उपस्थित नही आते है और यदि उपस्थित आते है तो परिवाद पत्र दाखिल करके अनुपस्थित हो जाते है और वाहन से संबंधित अभिलेख न्यायालय में दाखिल नही करते है। यह आवश्यक प्रतीत होता है कि क्लेम ट्रिब्यूनल के समस्त पीठासीन अधिकारियों को यह निर्देश दिया जाये कि वह मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 169(2) तथा सी0पी0सी0 के आदेश 16 नियम 6 के प्राविधानों का अधिक से अधिक प्रयोग करे जिसके अनुसार दुर्घटना करने वाले वाहन के मालिक को कथित वाहन से संबंधित अभिलेखों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य किया जा सकता है ताकि

प्रतिकर वादों के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब न हो और लोक अदालत में भी मुकदमों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराया जा सके।

4– कुछ प्रतिकर मामले जिनमें वादकारियों को यह ज्ञात नही होता है कि दुर्घटना करने वाला वाहन किस बीमा कम्पनीं से पंजीकृत है तो ऐसे मामलें में वादकारी द्वारा सभी बीमा कम्पनियों को पक्षकार बनाकर क्लेम दायर कर दिया जाता हे और न्यायालय द्वारा भी सभी बीमा कम्पनियों को रूटीन में नोटिस जारी कर दियें जाते है जिसके कारण सभी बीमा कम्पनियों को अपने–अपने अधिवक्ता नियुक्त करके उपस्थित होना पड़ता है और बहुत से मामलों में अन्त तक यह ज्ञात नही हो पाता है कि वास्तव में दुर्घटना करने वाले वाहन किसी बीमा कम्पनी से पंजीकृत है भी अथवा नही। अतः यह उचित प्रतीत होता है कि सभी क्लेम ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारियों से यह अनुरोध किया जाये कि जब तक प्रतिकर मामलों में बीमा कम्पनी तथा बीमा पालिसी से संबंधित विवरण अंकित न हो तब तक बीमा कम्पनी को नोटिस जारी न किया जाये बल्कि वादकारी अथवा दुर्घटना करने वाले वाहन के स्वामी को ही वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत करने के लिए निर्देश जारी किये जाये। अतः आपसे अनुरोध हे कि कृपया उक्त के संबंध में सभी मजिस्ट्रेट न्यायालयों एवं क्लेम ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारियों को अवगत कराने की कृपा करें ताकि मोटर दुर्घटना प्रतिकर वादों का शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण हो सके और लोक अदालतों में भी ऐसे वादों में सुलह समझौता करने में सुविधा हो ।

वृतांक पत्र सं0 :18/एस.एल.एस.ए.–224/98 दिनांक : 6 अप्रैल,1999

विषयः लोक अदालत द्वारा पारित एवार्ड के निष्पादन के संबंध में।

महोदय,

यह अवगत कराना है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली में दिनांक 12.9.98 को राज्य प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्षों एवं सदस्य सचिवों की एक बैठक आयोजित की गयी थी जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय प्राधिकरण के तत्कालीन कार्यपालक अध्यक्ष एवं उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायमूर्ति (वर्तमान में माननीय मुख्य न्यायाधीश , उच्चतम न्यायालय) द्वारा की गयी थी जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि न्यायालयों में लम्बित वादों को लोक अदालत द्वारा पारित एवार्ड का निष्पादन उसी न्यायालय द्वारा किया जायेगा जिस न्यायालय में लोक अदालत द्वारा एवार्ड पारित किये जाने के पूर्व वाद लम्बित था। इसके अतिरिक्त यदि न्यायालय में वाद आने से पूर्व ही किसी मामले को लोक अदालत द्वारा निस्तारण कराया जाता है तो ऐसे मामलों मे लोक अदालत द्वारा पारित एवार्ड का निष्पादन उस जनपद के जिला न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा जहां लोक अदालत आहूत की गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने की कृपा करें।

वृत्तांक पत्र सं0 : 24 / एस.एल.एस.ए.–228 / 98 दिनांक : 7 मई, 1999

विषय : स्थायी एवं नियमित लोक अदालत के गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि उ0 प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की आठवीं बैठक दिनांक 20.3.99 में प्रत्येक जिलें में स्थायी लोक अदालतों के गठन के संबंध में निर्णय लिया जा चुका है तथा माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र संख्या –10 / VII –108 दिनांक 4.5.99 (संलग्नक–1) द्वारा समस्त जिला जजों को आवश्यक निर्देश जारी किये गये हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि राज्य प्राधिकरण तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में अपने जिले में स्थायी एवं नियमित लोक अदालतों की स्थापना करने का कष्ट करें। आपसे यह भी अनुरोध है कि जिलों में कार्यरत सभी न्यायिक अधिकारियों तथा उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियमावली 1996 के नियम 17 के अन्तर्गत चयनित व्यक्तियों की बैठक आयोजित करके स्थायी लोक अदालतों के आयोजन एवं कार्य पद्धति से संबंधित समस्त प्राविधानों के संबंध में विचार विमर्श करलें ताकि स्थाई लोक अदालतों के कार्य संचालन में कोई कठिनाई न हो एवं समस्त न्यायिक अधिकारी विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के प्राविधानों के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार लम्बित मुकदमों को लोक अदालतों को संदर्भित कर सकें।

इस संबंध में मुझे यह भी स्पष्ट करना है कि पुरानी प्रक्रिया के अनुसार अवकाश के दिनों में अधिकाधिक लोक अदालतों का आयोजन पूर्व की भांति जारी रखा जाये जिसमें पारिवारिक, मोटर दुर्घटना प्रतिकर भूमि अर्जन, लघु आपराधिक, दीवानी, राजस्व, चकबन्दी एवं स्टाम्प आदि वादों का निस्तारण किया जाता रहा है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र संख्या–4780 / 8–डी–108 दिनांक 30.3.99 (संलग्नक–2) द्वारा भी आवश्यक निर्देश दिये गये हैं।

From,

S. S. Kulshresstha, HJS,
Registrar,
High Court of Judicature
Allahabad.

To

All the District Judges,
Subordinate. to the High Court of
Judicature
at Allahabad.

CL No. 10/VIId- 108: Dated : Allahabad: May 4, 1999

Sub : Establishment of Lok Adalats in each district on Permanent basis.

Sir,

With a view to provide additional forum to the litigants for redressal of their disputes, Hon,ble Court keeping in view the provisions of Section 19(2), (3) and (4) of the Legal Services Authorities Act, 1987 has decided to establish the permanent and continuos Lok Adalats in all the districts of Uttar Pradesh. For establishing permanent Lok Adalats following measures are required to be adopted in each district:-

(a) The bench of permanent Lok Adalat would comprise of Ist Additional District Judge/ Ist Additional Civil judge (Senior Division)/ Ist Additional Civil Judge (Junior Division) and one person having qualifications as prescribed in Rules, 17 of U. P. State Legal Services Authority Rules, 1996, from amongst the category of officers nomination shall be made by the District Judge keeping in view the nature of cases.

(b) In the absence of the officer of the above category for any reason next senior most officer of the district will constitute the bench.

(c) Provisions contained in Section 20(i) and (ii) of the Legal Services Authority Act,1987 will be followed for transferring the cases to Lok Adalat.

(d) In case of any difficulty the District Judge shall seek direction from the Court.

You are, therefore, required to carry out the aforesaid directions so as to establish the permanent Lok Adalat expeditiously.

Yours faithfully,

S.S. Kulshrestha
Registrar

From,

S.S. Kulshrestha, H.J.S.
Registrar,
High Court of Judicature at Allahabad.

To,

All the District Judges,
Subordinate to the High Court of Judicature
at Allahabad.

G.L. No. 4780/VIId-108: Dated : Allahabad : 30 March, 1999

Subject : Holding Lok Adalats on old patterns.

Sir,

I am directed to say that emphasis is being laid on holding of Lok Adalats on old patterns, Hon'ble executive Chairman, National Legal Services Authority has impressed that establishment of permanent Lok Adalat do not mean that Lok Adalat as were being arranged on " Old pattern" to decide the cases may not be arranged.

The system of disposal of pending cases by redressal forums was adopted to provide less expensive and early justice to numberless consumers of justice. It is directed that attempt should be made with regard to the settlement of cases pending in the Courts particularly in the field of Motor Accident claims, Land acquisition matters and Municipal tax etc. As many as possible Lok adalats in each district should be held frequently on holidays on old pattern.

you are, therefore, requested to ensure the strict compliance of the aforementioned instructions.

Yours faithfully,

S.S. Kulshrestha
Registrar

सरकारी कार्यालयों में लोक अदालत लगाने के संबंध में एक स्कीम

न्यायालयों में लम्बित मुकदमों की संख्या और पक्षकारों की संख्या की विवेचना के बाद यह निष्कर्ष निकलता है कि न्यायालयों में सबसे बड़ा पक्ष सरकार है। उच्च न्यायालय एवं लोक सेवा अधिकरण आदि के ज्यादातर मुकदमों में सरकार एक पक्ष है। अतः सरकार के कुछ विभागों के वादों की संख्या बहुत अधिक है और कुछ विभागों की कम। जिन विभागों के वादों की संख्या अधिक है और उनका निस्तारण त्वरित गति से नहीं हो पा रहा है अतः यदि उन विभागों में ही एक लोक अदालत गठित कर दी जाये जिसमें एक अवकाश प्राप्त न्यायिक अधिकारी और एक प्रथम श्रेणी स्तर के अवकाश प्राप्त अधिकारी की एक कमेटी बना दी जाये तो मेरे विचार से लम्बित मुकदमों का निस्तारण बहुत जल्द हो सकता है इस संबंध में शासन को लिखा जा चुका है अतः विभागीय लोक अदालतों के आयोजन की एक स्कीम होना आवश्यक है इसलिए यह स्कीम बनाई जा रही है।

1. सरकार का यदि कोई विभाग/मंत्रालय अपने लम्बित वादों के संबंध में लोक अदालत लगाने को तैयार है तो वहां पर कार्यपालक अध्यक्ष उस विभाग/मंत्रालय के सचिव या प्रमुख सचिव की राय से एक अवकाश प्राप्त न्यायिक अधिकारी और एक प्रथम श्रेणी स्तर के अवकाश प्राप्त अधिकारी की एक कमेटी बना दी जायेगी। यह कमेटी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से बराबर सम्पर्क बनाये रखेगी और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण इस कमेटी की सहायता आवश्यकतानुसार करता रहेगा।
2. कमेटी गठित होने के बाद वह विभाग अपने यहां कमेटी के बैठने हेतु एक कमरा सुसज्जित करके दे देगा और कमेटी के सदस्यों के लिए एक चपरासी की ड्यूटी भी वहां लगा देगा और इसी के साथ वह विभाग/मंत्रालय एक क्लर्क पत्रावलियों के रख रखाव के लिए तथा एक आशुलिपिक को भी कमेटी से सम्बद्ध कर देगा। वह विभाग कमेटी के सदस्यों को उनके घर से लाने और वापस ले जाने की सुविधा भी उपलब्ध करायेगा। विभाग अपने कर्मचारियों को कमेटी के सदस्यों द्वारा निर्धारित तिथि की नोटिस भेजकर बुलायेगा और उसी दिन विभाग की तरफ से कोई अधिकृत अधिकारी भी कमेटी के समक्ष उपस्थित रहेगा ताकि दोनों पक्षों को सुनकर कमेटी के सदस्य समझौता कराकर एक लिखित समझौता पत्र दोनों पक्षों के हस्ताक्षर के साथ तैयार कर लेंगे।
3. यदि कमेटी के समक्ष पक्षों में समझौता हो जाता है तो वह समझौता उस विभाग के मुकदमों के संबंध में संबंधित न्यायालय में गठित लोक अदालत के समक्ष चला जायेगा और वहीं पर वाद लोक अदालत द्वारा निर्णीत कर दिया जायेगा।
4. संबंधित न्यायालय/अधिकरण आदि में प्रत्येक माह या माह में दो या तीन बार लोक अदालत की बैठकें होती रहेंगी और उनमें कमेटियों द्वारा भेजे गये मुकदमें निर्णीत होते रहेंगे। यह लोक अदालतें राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा गठित की

जायेंगी और विभागों की सुविधानुसार आयोजित की जायेंगी। लोक अदालतों के पीठासीन अधिकारियों को मानदेय का भुगतान–राज्य प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।

5. यदि किसी जनसामान्य का कोई वाद संबंधित विभाग से होता है तो वह विभाग या जनसामान्य भी अपना वाद इस कमेटी के समक्ष रखकर सुलह समझौते के आधार पर लोक अदालत द्वारा तय करा सकता है।

6. राज्य प्राधिकरण कमेटियों के गठन के बाद उनका दूर दर्शन, आकाशवाणी, समाचार पत्रों तथा अन्य माध्यमों से प्रचार प्रसार करायेगा।

7. लोक अदालत द्वारा जो वाद तय हो जायेंगे उनका विवरण एक पंजिका में लिखा जाता रहेगा और वाद में हुए निर्णय की एक–एक प्रति दोनों पक्षकारों को दे दी जायेंगी और एक प्रति कार्यालय में संबंधित पंजिका के साथ रख दी जायेगी। यह पंजिका एवं निर्णय की प्रतियों का रख रखाव वही कर्मचारी/लिपिक करता रहेगा जो लोक अदालत से संबंधित होगा।

वृतांक पत्र सं. : 26 / एस.एल.एस.ए– 69 / 98 दिनांक : 22 मई, 1999

विषय : लोक अदालत के माध्यम से सर्वाधिक वादों के निस्तारण में अधिकारियों / कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

राज्य प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री एन. के. मित्रा की अध्यक्षता में हुई प्राधिकरण की आठवीं बैठक दिनांक 20.3.99 में यह निर्णय लिया गया है कि लोक अदालतों एवं अन्य कानूनी सहायता कार्यक्रमों को सफल बनाने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र / प्रमाण पत्र जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा दिया जायेगा तथा जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के लिए आवश्यकतानुसार ऐसे प्रशस्ति पत्र / प्रमाण पत्र राज्य प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा दिये जाये।

राज्य प्राधिकरण में प्राप्त सूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष 1998–99 में उच्च न्यायालय समिति तथा विभिन्न जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा लोक अदालतों के माध्यम से जो विभिन्न प्रकृति के मुकदमें निस्तारित किये गये हैं, उनका विवरण संलग्न किया जा रहा है (यदि संलग्न सूचना / सूची में आपके जनपद से संबंधित सूचना में कोई त्रुटि हो तो कृपया अविलम्ब सूचित करें।)

आपसे अनुरोध है कि कृपया आप अपने जनपद के दिनांक 1.4.98 तथा 1.4.99 को लम्बित विभिन्न प्रकृति के वादों (मोटर दुर्घटना वाद, लधु आपराधिक वाद, वैवाहिक वाद, राजस्व वाद तथा अन्य वाद) की जानकारी इस कार्यालय को अतिशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा करें जिससे यह निर्णय लिया जा सके कि लम्बित मुकदमों के सापेक्ष लोक अदालतों के माध्यम से किस जिला प्राधिकरण द्वारा अधिकतम मुकदमों का निस्तारण कराया गया है। कृपया वित्तीय वर्ष 1998–99 के दौरान जनपद में नियुक्त जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं सचिव का नाम भी सूचित करें और इसके साथ ही जिन न्यायिक अधिकारियों / कर्मचारियों, द्वारा लोक अदालतों तथा अन्य कानूनी सहायता कार्यक्रमों में विशेष योगदान प्रदान किया गया है उन्हें आप अपने स्तर से प्रशस्ति पत्र / प्रमाण पत्र निर्गत करने का कष्ट करें। प्रशस्ति पत्र का नमूना संलग्न किया जा रहा है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

जनपद –

प्रमाणित किया जाता है कि श्री .....

पदनाम ..... द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में वर्ष ..... में आयोजित लोक अदालत/विधिक सेवा कार्यक्रमों में उत्कृष्ट योगदान दिया गया है।

( )
अध्यक्ष / जनपद न्यायाधीश
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जनपद–

वृत्तांक पत्र सं0 : 33 / एस.एल.एस.ए.–148 / 97 दिनांक : 10 जून, 1999

विषय : लोक अदालतों तथा स्थायी लोक अदालतों के आयोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

लोक अदालतों / स्थायी लोक अदालतों के गठन के संबंध में कृपया इस कार्यालय के परिपत्र सं0 24 / एसएलएसए–228 / 98 दिनांक 7.5.99 का अवलोकन करें जिसके साथ उच्च न्यायालय के परिपत्र दिनांक 30.3.99 तथा 4.5.99 की प्रतिलिपियां भी संलग्न की गयी है। इस संबंध में मुझे यह अवगत कराना है कि उ0 प्र0, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की नवीं बैठक में लोक अदालतों के आयोजन के संबंध में एक स्कीम अनुमोदित की गयी है जिसकी प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न की जा रही है।

जैसा कि उच्च न्यायालय के उपसंदर्भित परिपत्रों से भी स्पष्ट होगा लोक अदालतों का आयोजन पूर्व की भांति किया जाना है जिसमें पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, भूमि अर्जन, लघु अपराधिक, दीवानी, राजस्व, चकबन्दी एवं स्टाम्प आदि वादों का निस्तारण किया जायेगा। इसके अतिरिक्त जनपदों में स्थापित स्थायी एवं नियमित लोक अदालत स्कीम में उल्लिखित दिशा निर्देशों के अनुसार मामलों का निस्तारण करेंगी।

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ

लोक अदालत स्कीम

1. **संक्षिप्त नाम :** इस स्कीम का संक्षिप्त नाम लोक अदालत स्कीम, 1999 है।

2. **परिभाषायें :** इस स्कीम में, जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हों :–

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है यथा संशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का सं0 39)

(ख) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यपालक अध्यक्ष, या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष या तहसील विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष।

(ग) "नियमावली" से अभिप्रेत है उ0 प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियामवली, 1996

(घ) उन शब्दों और अभिव्यक्तियों का, जो इस स्कीम में प्रयुक्त किये गये हैं, किन्तु परिभाषित नहीं किये गये हैं वही अर्थ होगा जो अधिनियम तथा नियमावली में परिभाषित है।

3. **लोक अदालत आयोजित करने के लिये प्रक्रिया :**

1. उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण का सचिव या तहसील विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष नियमित अन्तरालों पर लोक अदालत घोषित तथा आयोजित करेगा परन्तु अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत अपेक्षित संख्या में मामले संदर्भित हो जाने पर यथा शीघ्र भी लोक अदालत आयोजित कर सकेगा।

2. लोक अदालतों के आयोजनों में, विधि के विद्यार्थियों, सामाजिक संस्थाओं और इसी प्रकार विधि के क्षेत्र से जुड़ी अन्य संस्थाओं का भी आवश्यकतानुसार सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

3. उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण का सचिव या तहसील विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष राज्य प्राधिकरण, को लोक अदालत के आयोजन करने की प्रस्तावित तिथि व स्थान की पूर्व सूचना देगा लोक अदालत की कार्यवाही सम्पन्न होने के पश्चात राज्य प्राधिकरण को निम्नलिखित जानकारी यथाशीघ्र प्रेषित करेगा।

(एक) वह स्थान तथा तारीख जिस पर लोक अदालत का आयोजन किया गया।

(दो) लोक अदालत के समक्ष रखे जाने के लिए प्रस्तावित मामलों के प्रवर्ग तथा उनकी विषयवार प्रकृति जैसे लम्बित मामले या न्यायालय में जाने से पूर्व के विवाद या दोनों,

(तीन) लोक अदालत के समक्ष लिये गये तथा निस्तारित मामलों का विवरण

(चार) कोई अन्य जानकारी जो कि लोक अदालत को बुलाने तथा आयोजित किये जाने के लिये सुसंगत हो।

4. **संबंधित पक्षकारों को सूचना :**
उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण का सचिव या तहसील विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष जो लोक अदालत का संयोजन तथा आयोजन करेगा। उसकी सूचना ऐसे प्रत्येक वादकारी को जिसका मामला लोक अदालत को निर्दिष्ट किया गया हो पर्याप्त समय पूर्व उपलब्ध करायेगा। जिससे लोक अदालत के लिये स्वयं की तैयारी करने का उसे अवसर प्राप्त हो सके।
स्पष्टी करण : लम्बित मामलों में, पक्षकार के अधिवक्ता को दी गयी सूचना वादकारी को दी गयी जानकारी समझी जायेगी।

5. **लोक अदालत की संरचना :**
(1) उच्च न्यायालय स्तर पर– लोक अदालत आयोजित करने वाला उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का सचिव, मुख्य न्यायमूर्ति के अनुमोदन से, लोक अदालतों की पीठ गठित करेगा, प्रत्येक पीठ में उच्च न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अतिरिक्त निम्नलिखित में से एक या दो समाविष्ट होंगे :–
(एक) प्रख्यात समाजसेवी जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं, बच्चों, ग्रामीण और शहरी मजदूरों को सम्मिलित करते हुये समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान में लगा हो।
(दो) प्रतिष्ठा प्राप्त वकील हो,
(तीन) ख्याति प्राप्त व्यक्ति जो विधिक सेवाओं, योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में विशेष रूचि रखता हो।

(२) **जिला स्तर पर** – लोक अदालत आयोजित करने वाला जिला प्राधिकरण का सचिव अध्यक्ष के अनुमोदन से, लोक अदालत की पीठ गठित करेगा। प्रत्येक पीठ में सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी के अतिरिक्त निम्नलिखित में से एक या दो समाविष्ट होंगे :–
(एक) प्रख्यात समाजसेवी जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं, बच्चों ग्रामीण और शहरी मजदूरों को सम्मिलित करते हुये समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान में लगा हो।
(दो) प्रतिष्ठा प्राप्त वकील हो।
(तीन) ख्याति प्राप्त व्यक्ति जो विधिक सेवाओं, योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में विशेष रूचि रखता हो।

(3) **तहसील स्तर पर**– लोक अदालत आयोजित करने वाली तहसील विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष लोक अदालत की पीठ गठित करेगा, प्रत्येक पीठ में सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी के अतिरिक्त निम्नलिखित में से एक या दो समाविष्ट होंगे:–
(एक) प्रख्यात समाजसेवी जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं, बच्चों ग्रामीण और शहरी मजदूरों को सम्मिलित करते हुये समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान में लगा हो।
(दो) प्रतिष्ठा प्राप्त वकील हो,

(तीन) ख्याति प्राप्त व्यक्ति जो विधिक सेवाओं, योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में विशेष रूचि रखता हो।

6. **स्थायी एवं नियमित लोक अदालत की संरचना**– प्रत्येक जिले में स्थापित स्थायी एवं नियमित लोक अदालत में प्रथम अपर जिला जज/प्रथम अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/ प्रथम अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) पीठासीन अधिकारियों के रूप में कार्य करेंगे और इनके अतिरिक्त प्रत्येक के साथ अन्य व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली, 1996 के नियम–17 के अन्तर्गत अर्हतायें रखता हो, सदस्य होगा। उपरोक्त किसी अधिकारी की अनुपस्थिति में अन्य वरिष्ठ अधिकारी को जिला जज द्वारा नामित किया जायेगा।

7. **स्थायी एवं नियमित लोक अदालतों का आयोजन, अधिकार एवं कार्य पद्धतिः–**

स्थायी एवं नियमित लोक अदालतों के आयोजन जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष के निर्देश पर न्यायालय समय में अथवा पूर्व/बाद में अथवा अवकाश के दिनों में किया जायेगा और स्थायी एवं नियमित लोक अदालतों के अधिकार एवं कार्यपद्धति वही होगी जो सामान्य लोक अदालतों की है।

यदि लोक अदालतें न्यायालय में समय पर आयोजित की जानी हों तो इसके लिये माननीय उच्च न्यायालय से पूर्व अनुमोदन करना आवश्यक होगा।

8. **अभिलेख का मंगाना तथा उसकी सुरक्षित अभिरक्षा का उत्तरदायित्व :–**

(1) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण का सचिव या तहसील विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष, संबंधित न्यायालय से उन लम्बित मामलों के जो कि धारा–20 के अधीन लोक अदालत को निर्दिष्ट किये गये हैं, न्यायिक अभिलेख मांग सकेगा।

(2) यदि न्यायालय में आने से पूर्व कोई मामला लोक अदालत को विर्निदिष्ट किया जाता है, तो उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण के सचिव या तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष द्वारा प्रत्येक पक्षकार का प्राधिकृत विवरण लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्राप्त किया जायेगा।

(3) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण का सचिव या तहसील विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष अभिलेखों को उस समय से जबकि वे न्यायालय से प्राप्त हों, तथा उस समय तक जब तक कि वे लौटा न दिये जायें सुरक्षित अभिरक्षा के लिये उत्तरदायी होगा।

(4) प्रत्येक न्यायिक अधिकारी न्यायालय अभिलेखों के पारेषण में सहयोग करेगा।

(5) लोक अदालत हो जाने के तत्काल पश्चात न्यायिक अभिलेख लौटा दिये जायेंगे चाहे मामला लोक अदालत द्वारा निपटाया गया हो या नहीं, साथ में कार्यवाही के परिणाम के बारे में एक पृष्ठांकन भी होगा।

9. **लोक अदालत का कार्य करना :–**

(1) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण का सचिव या तहसील विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष, संदर्भित मामलों को लोक अदालत की पीठ को सौंपेगा।

(2) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण का सचिव या तहसील विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष, लोक अदालत की प्रत्येक पीठ के लिए एक वाद सूची तैयार करेगा और वह सभी संबंधित को सम्यक रूप से अधिसूचित की जायेगी।

(3) लोक अदालत की प्रत्येक पीठ, उसके समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रत्येक मामले में बिना किसी जोर दबाव, धमकी या अनुचित प्रभाव, प्रलोभन या गलतबयानी के सुलह समझौता कराने का पूरा प्रयास करेगी।

10. **लोक अदालत लगाया जानाः–**

लोक अदालत ऐसी तिथि, समय या स्थान पर आयोजित की जायेगी जैसा कि राज्य प्राधिकरण, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला प्राधिकरण, तहसील विधिक सेवा समिति जो लोक अदालत का आयोजन करती है, उपयुक्त समझे।
यदि लोक अदालतें न्यायालय में समय पर आयोजित की जानी हों तो इसके लिये माननीय उच्च न्यायालय से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

11. **लोक अदालत में समझौता या निपटारा कराने के लिये प्रकियाः–**

(1) लोक अदालत का प्रत्येक अधिनिर्णय या आदेश गठित की गयी लोक अदालत के पैनल द्वारा हस्ताक्षरित होगा।

(2) मूल अधिनिर्णय या आदेश न्यायिक अभिलेख का भाग होगा और अधिनिर्णय या आदेश की एक प्रति पक्षकारों को निःशुल्क दी जायेगी, जो लोक अदालत पीठ द्वारा सत्यप्रति के रूप में सम्यक रूप से सत्यापित की जायेगी।

12. **अधिनिर्णय आदेश सुस्पष्ट होगाः–**

(1) लोक अदालत का प्रत्येक अधिनिर्णय या आदेश सुस्पष्ट होगा और स्थानीय न्यायालयों में उपयोग की गयी भाषा में लिखित होगा।

(2) लोक अदालत के अधिनिर्णय या आदेश पर विवाद के पक्षकारों से अपने हस्ताक्षर करने या अंगूठे के निशान लगाने की अपेक्षा की जायेगी।

13. **लोक अदालत के अधिनिर्णय का निष्पादनः–**

(1) लोक अदालत के अधिनिर्णय का निष्पादन उसी न्यायालय द्वारा किया जायेगा जिस न्यायालय से वह मामला प्राप्त हुआ था।

(2) जो मामले किसी न्यायालय में लम्बित नहीं थे, उन मामलों मे लोक अदालत का अधिनिर्णय संबंधित जिले के जिला जज न्यायालय द्वारा निष्पादित कराये जायेंगे।

14. **कोर्ट फीस की वापसीः–**

(1) लोक अदालत के प्रत्येक अधिनिर्णय में इस तथ्य का उल्लेख किया जायेगा कि पक्षकार ऐसे मामले में अदा की गयी कोर्ट फीस वापस पाने के अधिकारी है।

(2) लोक अदालत के अधिनिर्णय का निष्पादन करने वाले न्यायालय न्यायालय –फीस अधिनियम,1870 के अधीन उपबन्धित रीति से कोर्ट फीस लौटाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

कोर्ट फीस वापस करने के सम्बन्ध में लोक अदालत द्वारा अधिनिर्णय में कोई आदेश पारित करने के लिए किसी अतिरिक्त प्राविधान की आवश्यकता नहीं है क्योंकि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 21 में इस सम्बन्ध में स्पष्ट एवं समुचित प्राविधान पहले से ही किये गये हैं।

15. **परिणामों का संकलनः–**

(1) लोक अदालत के सत्र की समाप्ति पर उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण का सचिव या तहसील विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष राज्य प्राधिकरण को प्रस्तुत करने के लिये राज्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रारूप में परिणामों को संकलित करेगा तथा उसे राज्य प्राधिकरण को प्रेषित करेगा।

16. **लोक अदालत के अधिकारियों को मानदेयः–**

(1) लोक अदालत की पीठ का प्रत्येक सदस्य ऐसे मानदेय का हकदार होगा जैसा कि राज्य प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा मुख्य संरक्षक के परामर्श से नियत किया जाय।

(2) तहसील और जिला स्तरों पर आयोजित लोक अदालतों का पीठासीन अधिकारी भी ऐसी दर पर मानदेय का हकदार होगा जैसा कि राज्य प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा मुख्य संरक्षक के परामर्श से नियत किया जाये।

(3) उच्च न्यायालय स्तर पर आयोजित लोक अदालत का पीठासीन अधिकारी भी ऐसी दर से मानदेय का हकदार होगा जैसा कि राज्य प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा मुख्य संरक्षक के परामर्श से नियत किया जाये।

17. **अधिनियम की धारा 20 के अधीन या अन्यथा निर्दिष्ट किये गये मामलों के अभिलेख बनाये रखने की प्रकियाः–**

(1) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण का सचिव या तहसील विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष एक रजिस्टर बनाये रखेगा जिसमें लोक अदालत को प्राप्त समस्त मामलें निम्नलिखित विवरण देते हुये प्रविष्ट किये जायेगें।

(एक) प्राप्ति की तारीख,

(दो) मामलें का प्रवर्ग तथा विषयवार प्रकृतिः

(तीन) ऐसी अन्य विशिष्टयाँ, जो कि आवश्यक समझी जायें;और

(चार) समझौते की तारीख तथा फाईल वापसी की तारीख।

18. **बजटः–**

(1) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति तथा जिला प्राधिकरण लोक अदालत स्कीम के संबंध में वित्तीय वर्ष के आधार पर बजट प्रस्ताव राज्य प्राधिकरण को प्रस्तुत करेंगे।

(2) तहसील विधिक सेवा समिति, लोक अदालत स्कीम के सबंध में वित्तीय वर्ष के आधार पर बजट प्रस्ताव जिला प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगी।

(3) लोक अदालत स्कीम के लिये व्यय"गैर योजना" व्यय होगा जो उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति तथा जिला प्राधिकरण और तहसील विधिक सेवा समिति द्वारा प्राप्त किये गये अनुदानों में से किया जायेगा।

(4) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण या तहसील विधिक सेवा समिति से प्राप्त अनुरोध पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, यदि आवश्यक समझें तो लोक अदालत बुलाने तथा चलाने के लिये विशेष अनुदान मंजूर कर सकेगा।

19. **लेखाओं का रखा जानाः–**

(1) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण का सचिव या तहसील विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष लोक अदालत पर उपगत होने वाले व्यय पर सम्पूर्ण नियंत्रण रखेगा।

(2) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण का सचिव राज्य प्राधिकरण को प्रत्येक माह सही तथा उचित लेखा प्रस्तुत करेगा।

(3) तहसील विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष, प्रत्येक माह जिला प्राधिकरण को सही तथा उचित लेखा प्रस्तुत करेगा।

20. **विविधः–**

(1) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण का सचिव या तहसील विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष लोक अदालतों को ऐसी समस्त सहायता उपलब्ध करायेगा जो कि आवश्यक हो।

(2) लोक अदालतें सामान्यतः गैर समारोह रीति में आयोजित की जायेंगी।

(3) लोक अदालत में पक्षकारों की ओर से उनके अधिवक्ताओं को उपस्थित होने के लिये मना नहीं किया जायेगा।

(4) लोक अदालत के समक्ष लिये जाने वाले अथवा सन्दर्भित किये जाने वाले मामलों में कोर्ट फीस देय नहीं होगी।

(5) लोक अदालत की प्रत्येक पीठ अपनी कार्यवाही संचालित करने के लिये स्वयं प्रकिया निर्धारित करेगी और वह दीवानी प्रकिया संहिता अथवा साक्ष्य अधिनियम अथवा दण्ड प्रकिया संहिता के नियमों की पाबन्द नहीं होगी परन्तु प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों, साम्या, निष्पक्षता एवं अन्य न्यायिक सिद्धान्तों का पालन किया जायेंगा।

वृत्तांक पत्र सं0 : 36 / एस.एल.एस.ए.– 228 / 98 दिनांक : 14 जून, 1999

विषय : स्थायी लोक अदालतों की कार्यवाही के दौरान शासकीय अधिवक्ताओं के सहयोग के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया इस कार्यालय के वृत्तांक पत्र संख्या – 24 / एसएलएसए–228 / 98 दिनांक 7.5.99 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में प्रत्येक जिले में स्थायी लोक अदालत की स्थापना की गयी है। इस संबंध में प्रमुख सचिव न्याय उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या : 895 / सात–न्याय–7–99–11 / 97 दिनांक 5.6. 99 (प्रति संलग्न) द्वारा समस्त जिलाधिकारियों से यह अनुरोध किया गया है कि जिले स्तर पर लम्बित दीवानी, फौजदारी (शमनीय अपराध) एवं राजस्व से संबंधित मामलों को लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित कराने के संबंध में जिला शासकीय अधिवक्ता (दीवानी / फौजदारी / राजस्व) को निर्देशित करें कि वे स्थायी लोक अदालतों की कार्यवाही के दौरान उपस्थित रहें तथा लोक अदालतों में सक्रिय सहयोग सुनिश्चित करें।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया दीवानी, फौजदारी (शमनीय अपराध) तथा राजस्व से संबंधित वादों को लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित कराने में शासकीय अधिवक्ताओं का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने का कष्ट करें।

प्रेषक,

एन. के. महरोत्रा
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

संख्या : 895 / सात–न्याय–7–99–11 / 97

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश

न्याय अनुभाग–7 (कल्याण निधि)

दिनांक : 5 जून, 1999

विषय : लोक अदालतों में जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) जिला शासकीय अधिवक्ता (दीवानी) तथा जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) की उपस्थिति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि आप अवगत हैं कि लोक अदालत के माध्यम से त्वरित रूप से मुकदमों का निस्तारण सुनिश्चित होता है।

2. मा. उच्च न्यायालय ने प्रत्येक जनपद में स्थाई लोक अदालतों का गठन किया है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा–19 (5) के उपबन्धों के अनुसार लोक अदालत में किसी ऐसे अपराध जो शमनीय हो, से सम्बन्धित कोई भी मामलों तथा अन्य प्रकार के सभी मामलों, का विचारण हो सकता है। परिणामस्वरूप ऐसे वादों की सुनवाई लोक अदालत द्वारा की जा सकती है। जिसमें शासन भी पक्षकार हो।

3. जिला स्तर पर शासकीय वादों की प्रभावी पैरवी उपर्युक्त जिला शासकीय अधिवक्ताओं द्वारा ही सुनिश्चित की जाती है।

4. अतः मुझे आपसे यह अनुरोध करना है कि अपने जिले के उपर्युक्त तीनों जिला शासकीय अधिवक्ताओं को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वह उपर्युक्त स्थाई लोक अदालतों की कार्यवाही के दौरान शासकीय अधिवक्ताओं की उपस्थिति और लोक अदालतों को सक्रिय सहयोग सुनिश्चित करें।

भवदीय
एन. के. महरोत्रा
प्रमुख सचिव

वृत्तांक पत्र सं0 : 47 / एस.एल.एस.ए.–148 / 97 दिनांक : 25 अगस्त, 1999

विषय : लोक अदालत के पीठासीन अधिकारियों तथा अन्य सदस्यों को मानदेय उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया इस कार्यालय के वृत्तांक पत्र संख्या–33 / एस.एल.एस. ए. 148 / 97 दिनांक 10.6.99 तथा वृत्तांक पत्र संख्या–46 / एस.एल.एस.ए. 148 / 97 दिनांक 24.8.99 का संदर्भ ग्रहण करें। जिसके द्वारा क्रमशः लोक अदालत स्कीम तथा उसमें किये गये संशोधन के संबंध में अवगत कराया गया है।

लोक अदालत स्कीम के प्रस्तर–16 में लोक अदालत के पीठासीन अधिकारियों तथा अन्य सदस्यों को मानदेय उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है। राज्य प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय द्वारा उच्च न्यायालय तथा जिला स्तर पर आयोजित होने वाली लोक अदालतों में पीठासीन अधिकारियों तथा अन्य सदस्यों को देय मानदेय की धनराशि निश्चित की गयी है तथा इस संबंध में श्री ए0एस0 चौधरी सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति एवं संयुक्त निबन्धक इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अर्धशासकीय पत्र संख्या– 12659 दिनांक 24.8.99 की प्रति संलग्न की जा रही है। इस मानदेय की धनराशि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्राप्त ग्रान्ट–इन–एड में से व्यय की जायेगी जिसके संबंध में आपको अलग से अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है।

कृपया यह सुनिश्चित करें कि स्थायी लोक अदालतों का कार्य अधिकाधिक और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा– 19, 20, 21 व 22 में दिये गये प्राविधानों तथा राज्य प्राधिकरण द्वारा समय समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप किया जाये।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया आप अधिनियम की धारा 19 के अनुसार आयोजित लोक अदालतों तथा पूर्व प्रणाली के अनुसार अवकाश दिवसों पर आयोजित लोक अदालतों के माध्यम से अधिक से अधिक संख्या में वादों का निस्तारण सुनिश्चित करें।

D.C.No. 12659/VII 108/3 R(7)
23 August, 1999

Dear Sri Dubey,

The State Legal Services Authority in its meeting held on 7-8-99 at Allahabad resolved that the president and the presiding officers of Lok Adalat be paid honorarium. It was also resolved that the amount of honorarium be got fixed from Hon'ble Chief Justice, Patron-in-chief of State Legal Services Authority. Hon'ble Patron-in-Chief has approved the following honorarium for the presiding officers and other members who preside Lok Adalat:-

For High Court Legal Services Committee:-

(a)	Presiding Officers (sitting or retd. High Court Judge)	Rs. 100/- per case (maximum Rs. 500/- per day)
(b)	Other Members	Rs. 75/- per case (maximum Rs. 300/- per day)

For District Authorities:-

(a)	Presiding Officers (sitting or retd. Judicial Officers)	Rs. 25/- per case (maximum Rs. 100/- per day)
(b)	Other Members	Rs. 20/- per case (maximum Rs. 80/- per day)

I am, therefore, desired to communicate you the aforesaid approval of Hon'ble patron-in-Chief of State Legal Services Authority.

(A. S. Chaudhary)
Secretary
High Court Legal Services
Committee/Joint Register
Allahabad High Court.

Member Secretary
U.P. State Legal Services Authority
Lucknow.

वृत्तांक पत्र सं0 : 6 / एस.एल.एस..ए.– 38 / 2000 दिनांक : 9 मार्च, 2000

विषय : सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में लोक अदालतों तथा विधिक सहायता कार्यक्रमों के माध्यम से सर्वाधिक वादों का निस्तारण कराने वाले प्रथम 5 जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को राज्य प्राधिकरण द्वारा पुरस्कृत किया जाना।

महोदय,

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की 12 वीं बैठक दिनांक 5.2.2000 को राज्य प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक एवं माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

इस बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि संबंधित वित्तीय वर्ष में लोक अदालतों तथा विधिक सहायता कार्यक्रमों के माध्यम से सर्वाधिक वादों का निस्तारण करने वाले प्रथम 5 जनपदों की सूची राज्य प्राधिकरण द्वारा माननीय मुख्य न्यायाधिपति / मुख्य संरक्षक महोदय को प्रेषित करते हुये उनके द्वारा सर्वोत्कृष्ट कार्य करने वाले उक्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के अध्यक्षों / जिला न्यायाधीशों को पुरस्कृत किया जाये।

एक वित्तीय वर्ष में सर्वाधिक लोक अदालतें एवं विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन किया जाना, लोक अदालतों के माध्यम से सर्वाधिक वादों का निस्तारण किया जाना तथा विधिक सेवा कार्यक्रमों के प्रति समर्पित भाव से रूचि लेना, सर्वाधिक एवं सर्वोत्कृष्ट कार्य किया जाना, इस पुरस्कार हेतु पहला मापदण्ड होगा। अतः यह अपेक्षित है कि प्रत्येक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अधिकाधिक लोक अदालतों एवं अन्य विधिक सेवा कार्यक्रमों का आयोजन किया जाये तथा विधिक सेवा कार्यकलापों का नियमित विवरण राज्य प्राधिकरण को उपलब्ध कराया जाये।

अस्तु आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने प्राधिकरण द्वारा चलाये जा रहे लोक अदालतों, विधिक सेवा कार्यक्रमों, विधिक साक्षरता शिविरों तथा परिवार परामर्श केन्द्रों आदि से सम्बन्धित प्रगति आख्या (सम्पूर्ण विवरण सहित) नियमित रूप से इस प्राधिकरण को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें ताकि इस योजना का क्रियान्वयन शीघ्रातिशीघ्र हो सके।

अर्धशा० प० सं० / २६निस–एसएलएसए–२१६ / ६७
उत्तर प्रदेश सरकार
GOVT. OF UTTAR PRADESH
उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
U.P.STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY
तृतीय तल, जवाहर भवन एनेक्सी
3rd Floor, Jawahar Bhawan Annexe
लखनऊ – २२६००१
LUCKNOW - 226001

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार त्रिवेदी
कार्यपालक अध्यक्ष
JUSTICE DINESH KUMAR TRIVEDI
Executive Chairman

अर्ध0 शा0 प0 सं0 92 / निस–एसएलएसए–148 / 97 दिनांक : 9 मई, 2002

प्रिय महोदय,

लोक अदालत की महत्ता पिछले सालों के कार्यों से सिद्ध हो चुकी है और यह बात राष्ट्रीय स्तर पर भी स्वीकार कर ली गयी है कि लोक अदालत के द्वारा न्यायालयों में लम्बित मुकदमों एवं प्रीलिटीगेशन द्वारा न्यायालयों में दाखिल होने वाले वादों की संख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। इधर समय–समय पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोक अदालत की महत्ता को मानते हुये न्यायिक अधिकारियों से यह अपेक्षा की गयी है कि वह इस संबंध में ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें और लोक अदालतों के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा मुकदमें तय कराने की कोशिश करें। भारत के अभी हाल में अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय भारत सरकार श्री एस0पी0 भरूचा साहब ने इस संबंध में निम्नलिखित बाते कहीं थीं।

"The object of permanent Lok Adalats, of settling not only pending cases but also those disputes which have not yet reached the courts, is to reduce the pendency and the inflow of cases in our courts. The advantage of permanent Lok Adalats is that Lok Adalat judges can hold repeated sitting with the Parties and they can take the assistance of the Conselling and Conciliation Centres that are being established in every District in the country. Success in this venture would revolutionise the justice delivery system, but it will not be possible without the support and co-operation of all judicial Officers".

Judges manning Lok Adalats must Keep in mind that their role is that of conciliators and mediators and that they have no ajudicatory powers not any powers in respect of non-compound-able offences. No one has under the Legal services Authorities Act. Lok Adalat Judges should be courteous and friendly to those before them and win their confidence and respect. They must give a full hearing to the parties so as to understand the root cause of their dispute. It is only after they are clear about its factual and legal Implications that they, should make suggestions for settlement, and these should be fair to all parties. They should apprise parties of the strong and weak points of their respective cases so as to indicate to them their chances of success or failure in Court. Lok Adalat judges must not maintain any record of their discussions with the parties nor should they endeavour to record their statements, admissions or concessions. Parties should be fully assured that whatever they discuss with the Lok Adalat Judges is

completely confidential and is not going to be a part of any record so as to be used in subsequent litigation, should the concilatory proceedings before Lok Adalat Judges fail".

एक तरफ राष्ट्रीय स्तर पर लोक अदालत की महत्ता को मानते हुये उसे बढ़ाने के लिये कहा जा रहा है पर दूसरी तरफ यह देखने में आ रहा है कि लोक अदालतों के संबंध में हमारे न्यायिक अधिकारी रूटीन वर्क समझकर कार्य कर रहे हैं। न्यायिक कार्य करना और मुकदमों को जल्द से जल्द सुलझाना उनका दायित्व है तथा लोक अदालत भी उसी का एक माध्यम है। अतः उनका यह पुनीत कर्तव्य है कि वह इस संबंध में ज्यादा से ज्यादा रुचि लेकर अधिक से अधिक मुकदमे सुलह समझौते के आधार पर तय कराने की कोशिश करें। अतः इन परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि जब आप हर माह सभी अधिकारियों की मीटिंग करते हैं तब उनसे लोक अदालत के संबंध में भी चर्चा अवश्य करें और लोक अदालत की प्रगति के बारे में समीक्षा करते रहें।

मेरे संज्ञान में लाया गया है कि कतिपय जनपदों में परामर्श एवं सुलह समझौता केन्द्र में कार्य सुचारु रूप से नहीं चल रहा है। इसका मुख्य कारण यह बताया गया है कि न्यायालयों से ऐसे वादों की पत्रावलियां जिनमें प्रथमदृष्टया सुलह समझौते के आधार पर निर्णय हो सकता है, को भी परामर्श एवं सुलह समझौता केन्द्र में संदर्भित नहीं किया जा रहा है। यह अत्यन्त खेदजनक स्थिति है। परामर्श एवं सुलह समझौता केन्द्र में केवल पारिवारिक विवादों को ही संदर्भित नहीं किया जाना है अपितु उन सभी प्रकार के सिविल वादों तथा ऐसे फौजदारी वादों जो शमनीय स्वभाव के हैं सन्दर्भित किया जा सकता है। कदाचित अभी भी परामर्श एवं सुलह समझौता केन्द्र में यह धारणा बनी हुयी है कि इन केन्द्रों में केवल पारिवारिक विवादों को ही सन्दर्भित किया जाता है। यह आवश्यक हैकि जनपद में नियुक्त सभी न्यायिक अधिकारियों को यह स्पष्ट किया जाये कि उन सबका यह पुनीत दायित्व है कि वह अपने न्यायालय में लम्बित ऐसे वादों को चिन्हित करें जिन्हें सुलहसमझौते के आधार पर निस्तारित कराया जा सकता है और न्यायालय का समय सुलह समझौता कराने में नष्ट न हो इसलिये ऐसे वादों की पत्रावलियों को पक्षकारों के साथ परामर्श एवं सुलह समझौता केन्द्र को संदर्भित कर दें। यदि परिवार परामर्श एवं सुलह समझौता केन्द्र में ऐसे विवाद तय नहीं हो पाते हैं केवल तभी उन विवादों में गुण दोष के आधार पर निस्तारित किये जाने हेतु आगे कार्यवाही किया जाना अधिक श्रेयस्कर होगा। मेरा आपसे यह भी अनुरोध है कि कृपया न्यायिक अधिकारियों के साथ अपनी मासिक बैठक में इस बिन्दु पर आवश्यक चर्चाकर लिया करें तथा यह भी देख लिया करें कि किन न्यायिक अधिकारियों द्वारा अपने न्यायालय से माह में कितने वादों को परामर्श एवं सुलह समझौता केन्द्रको संदर्भित किया गया है और किन न्यायालयों से कोई भी वाद परामर्श एवं सुलह समझौता केन्द्र को संदर्भित नहीं किया गया है। पारिवारिक विवादों बैंक ऋण एवं मोटर दुर्घटना प्रतिकर से संबंधित वादों को तो यथा संभव परामर्श एवं सुलह समझौता केन्द्र को संदर्भित किया जाना अधिक उपयुक्त होगा। यह भी उचित होगा कि यदि परामर्श एवं सुलह समझौता केन्द्र में योगदान दे रहे संधिकर्ताओं को यदि उन विवादों के विधिक पहलुओं पर विचार विमर्श करना है तो पीठासीन अधिकारी उन्हें समय–समय पर मार्गदर्शन दे दिया करें।

आपसे अनुरोध है कि कृपया इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करें तथा कृत कार्यवाही से मुझे भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवनिष्ठ

दिनेश कुमार त्रिवेदी

अर्धशा० प० सं० / २६निस–एसएलएसए–२१६ / ६७
उत्तर प्रदेश सरकार
GOVT. OF UTTAR PRADESH
उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
U.P.STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY
तृतीय तल, जवाहर भवन एनेक्सी
3rd Floor, Jawahar bhawan Annexe
लखनऊ – २२६००१
LUCKNOW - 226001

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार त्रिवेदी (अ०प्रा०)
कार्यपालक अध्यक्ष
JUSTICE DINESH KUMAR TRIVEDI
Executive Chairman

सेवा में,

समस्त अध्यक्ष / जिला जज,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
दीवानी न्यायालय परिसर,
अन्तर्गत उत्तर प्रदेश।

परिपत्र सं0 : 12 / एसएलएसए–28 / 2003 दिनांक :16 अक्टूबर2003

मान्यवर,

आपको विदित ही होगा कि माननीय उच्च न्यायालय ने उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुरोध पर शनिवार को भोजनावकाश के पश्चात् लोक अदालत लगाने हेतु अनुमति प्रदान कर दी है। इस संबंध में महानिबंधक, उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा भेजी गयी विज्ञप्ति की छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न की जा रही है। शनिवार के दिन भोजनावकाश के पश्चात् लोक अदालत लगाने हेतु जो अनुमति मिली है उससे परम्परागत लोक अदालतें, जो रविवार के दिन लगती हैं, पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह पूर्ववत् लगती रहेंगी। शनिवार को भोजनावकाश के पश्चात् जो लोक अदालते आयोजित की जायेंगी उनमें आप अपने जनपद की प्रत्येक कोर्ट के न्यायिक अधिकारी को निर्देशित कर दें कि वह अपने यहॉ के छोटे–छोटे पिटी केसेज, जो सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हो सकते हैं उन्हें लगा लें। इस प्रकार के वाद यदि हो सके तो माह के प्रथम तथा तृतीय शनिवार को भोजनावकाश के बाद लगा लिये जाय और उस दिन सभी अधिकारी अपनी कोर्ट में भोजनावकाश के बाद लोक अदालत का बैनर लगाकर उन मुकदमों को निस्तारित कर दें। सभी न्यायिक अधिकारियों की यह मांग थी कि यदि शनिवार के दिन लोक अदालत लगाने की अनुमति प्राप्त हो जाये तो बहुत से पिटी केसेज अधिकाधिक संख्या में निपटाये जा सकते हैं। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा शनिवार के दिन लोक अदालत लगाने के अनुमति प्राप्त हो गयी है। जिसके आयोजन हेतु रू0 2500 / – तक प्रति लोक अदालत व्यय किया जा सकता है।

अतः आपसे यह निवेदन है कि आप योजनाबद्ध तरीके से हर माह के दो शनिवारों को छोटे–छोटे पिटी केसेज पर्याप्त संख्या में लगाकर हर न्यायिक अधिकारी से यह अनुरोध

करें कि वह इन केसेज को अधिक से अधिक संख्या में निस्तारित कराने का प्रयास करें और यदि किसी केस में पक्षकार उपस्थित हैं और उनका मुकदमा निस्तारित नहीं हो पा रहा है तो उसे अगले शनिवार को लगने वाली लोक अदालत में लगा लें ताकि शीघ्रातिशीघ्र मुकदमा निस्तारित हो सके।

आशा है कि इस योजना को आप अविलम्ब प्रारम्भ करने हेतु निर्देश जारी कर देंगे। इसी के साथ–साथ यह भी देखने में आया है कि सभी जिलों में परामर्श केन्द्र गठित हैं किन्तु उनका कार्य सुचारू रूप से नहीं चल रहा है जिसका मूल कारण परामर्श एवं सुलह समझौता केन्द्रों पर मुकदमों का पर्याप्त संख्या में न पहुँच पाना है। यदि आपके जनपद में पारिवारिक न्यायालय स्थापित है तो पारिवारिक न्यायाधीश को और यदि नहीं है तो संबंधित सिविल जजों को जिनके यहाँ इस प्रकार के मुकदमें लम्बित हो, या इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकृति का कोई मुकदमा, जिसमें सुलह हो सकती है, को परामर्श एवं सुलह समझौता केन्द्रों में संदर्भित करने हेतु उन्हें निर्देशित करने का कष्ट करें। यह भी अनुरोध है कि परामर्श एवं सुलह समझौता केन्द्र के संधिकर्ताओं को भी निदेर्शित कर दें कि वह सप्ताह में 2 या 3 दिन केन्द्र में नियमित रूप से उपस्थित रह कर अधिक से अधिक संख्या में मुकदमों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराने का कष्ट करें।

यह भी अनुरोध है कि अपने परिवार परामर्श एवं सुलह समझौता केन्द्र हेतु नामित संधिकर्ताओं के नाम, पते व विगत वर्ष में उनकी परामर्श व सुलह समझौता केन्द्रों पर उपस्थिति, न्यायालय द्वारा भेजा गया कार्य तथा संधिकर्ताओं द्वारा कितने वाद निस्तारित कराये गये आदि का पूर्ण विवरण इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

संलग्न यथोक्त

(दिनेश कुमार त्रिवेदी)
कार्यपालक अध्यक्ष

From,

O. N. Khandelwal, H.J.S.,
Registrar Genreral,
High Court of Judicature at
Allahabad.

To,

All the District Judges,
Subordinate to the High Court of
Judicature at Allahabad.

Letter No. 14103/VIId-108 Dated: 1-10-03

Subject: Permission to hold Lok Adalat in District Courts on Saturdays after lunch hours.

Sir,

I am directed to say that tho Hon'ble court has been pleased to consider the poroposal to hold Lok Adalat on Saturdays after lunch in the District courts and it has been decided that the District Judges be permitted to hold Lok Adalats on any Saturday, after lunch.

I am, therfore, to communicate the aforesaid decision of the Court for your information and necessary action. The above decision of the court be communicated to all concerned in your Judgeship.

Your faithfully,

Registrar General

0522-2286395
Phone : 0522-2286265
0522-2286260
Fax : 0522-2286260

उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
तृतीय तल, जवाहर भवन एनेक्सी
लखनऊ – २२६००१
U.P.STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY
3rd Floor, Jawahar Bhawan Annexe,
LUCKNOW - 226001

वृत्तांक सं0 8 / एसएलएसए–278 / 99 दिनांक : 06 जुलाई, 2004

विषय :– प्रिलिटीगेशन स्तर पर निस्तारित वादों के निर्णय एवं अन्य अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां जारी करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

लोक अदालत के माध्यम से प्रिलिटीगेशन स्तर पर वादों के निस्तारण के संबंध में इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित स्कीम पूर्व में पत्र सं0– 725 / एसएलएसए–278 / 99 दिनांक 21.4.2003 के माध्यम से आपकों प्रेषित की जा चुकी है सुलभ संदर्भ हेतु उसकी प्रति संलग्न करते हुये मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रिलिटीगेशन स्तर पर निस्तारित वादों के निर्णय अथवा अन्य अभिलेखों की यदि कोई पक्ष प्रमाणित प्रति चाहता है तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव की देख–रेख व निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अहलमद द्वारा प्रमाणित करके निःशुल्क जारी की जायेगी परन्तु अभिलेख की प्रति तैयार कराने के लिए छायाप्रति फोटो कापी मशीन द्वारा तैयार कराई जा सकती है जिसका व्यय संबंधित पक्ष को वहन करना होगा।

0522-2286395
Phone : 0522-2286265
0522-2286260
Fax : 0522-2286260

K. P. Nigam, H.J.S.
Member Secretary

उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
तृतीय तल, जवाहर भवन एनेक्सी
लखनऊ – २२६००१
U.P.STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY
3rd Floor, Jawahar Bhawan Annexe,
LUCKNOW - 226001

No. 725 S.L.S.A. 278/99 Dated: 21 April, 2003

Sub. Scheme regarding disposal of pre-litigative cases through Lok Adalat.

Sir,

I am deircted to sent herewith the Scheme regarding disposal of pre-litigative cases through Lok Adalat as guide lines to maintain uniformity on the procedure and to remove any doubt or suspicion amongst the Judicial Officers.

This Scheme has been prepared by the State Legal Services Authority which was approvd in its 19th Meeting dated 10.3.2003 presided over by Hon'ble the Chief Justic/Patron-in-Chief, State Legal Services Authority.

I am, therefore, directed to request you to kindly circulate it to all the Judicial Officers working under you for their information and guidance.

प्रिलिटीगेशन विवादों को लोक अदालतों के माध्यम से निस्तारित कराने के संबंध में

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 19(5) के प्राविधानों के अन्तर्गत लोक अदालत के माध्यम से ऐसे विवादों का भी निस्तारण कराया जा सकता है जो किसी न्यायालय के समक्ष लम्बित न हों। अभी तक परम्परागत लोक अदालतों तथा विधिक सेवा प्राधिकरण के अन्तर्गत लोक अदालतों के माध्यम से केवल उन्हीं विवादों का निस्तारण कराया जा रहा है जो किसी न्यायालय में लम्बित है। यह आवश्यक प्रतीत होता है कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के उक्त प्राविधानों के अन्तर्गत प्रिलिटीगेशन विवादों का भी निस्तारण लोक अदालतों के माध्यम से कराया जाये ताकि न्यायालय पर मुकदमों का और अधिक बोझ न पड़े और जनता को निःशुल्क एवं त्वरित न्याय भी प्राप्त हो सके।

प्रिलिटीगेशन विवादों को लोक अदालतों के माध्यम से निस्तारित कराये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश दिया जाना आवश्यक है क्योंकि अधिनियम या नियमावली में उक्त विवादों के निस्तारण कराने की प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लेख नहीं हैं दिशा निर्देशों में निम्न बिन्दुओं का समावेश किया जा सकता है ताकि सम्पूर्ण प्रदेश में एकरुपता बनी रहे एवं न्यायिक अधिकारियों को भी कोई शंका न रहे :–

1. प्रार्थना पत्र की प्राप्ति एवं उसका पंजीकरण

(क) कोई भी व्यक्ति राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा तहसील विधिक सेवा समिति के सचिव को सम्बोधित करके वाटरमार्क कागज या मोटे कागज पर एक तरफ लिखकर अपना प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर सकता है जिसमे पक्षकारों का नाम, पता एवं विवाद का संक्षिप्त विवरण एवं हस्ताक्षर या अंगूठा अंकित किया जायेगा। उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई न्यायशुल्क देय नहीं होगा।

(ख) प्रार्थना पत्र के दायें तरफ आवेदक का पासपोर्ट साइज का अद्यतन फोटो लगाया जायेगा और उसके नीचे आवेदक द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा। आवेदक का फोटो व हस्ताक्षर आवेदक के निवास स्थान से सम्बन्धित तहसीलदार/कानूनगो/लेखपाल/सांसद/विधायक/सभासद अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित किया जायेगा। यही प्रक्रिया विपक्षी के प्रतिवाद पत्र के सम्बन्ध में भी अपनायी जायेगी।

(ग) सचिव की देखरेख में एक पंजिका व्यवस्थित की जायेगी जिसे "प्रिलिटीगेशन वाद पंजिका" नाम दिया जायेगा। प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के पश्चात् प्रार्थना पत्र को उक्त पंजिका में निम्न विवरण के साथ पंजीकृत किया जायेगा।

1. प्रार्थनापत्र का क्रमांक तथा वर्ष।
2. प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का नाम एवं पता।
3. विवाद की प्रकृति तथा चाहे गये अनुतोष का संक्षिप्त विवरण।
4. विपक्षी का नाम एवं पता।
5. लोक अदालत को संदर्भित करने की तिथि।
6. विवाद का परिणाम एवं लोक अदालत से वापस प्राप्त होने की तिथि।

2. लोक अदालत को संदर्भित करना

उक्त प्रार्थना पत्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जनपद के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा तहसील के उसी विधिक सेवा प्राधिकरण या समिति में दिया जायेगा जिस जनपद या तहसील में संबंधित न्यायालय को उक्त वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त हो। किसी पक्षकार से प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर पहले प्रार्थनापत्र जाँचा जायेगा उसके बाद पंजीकृत होने पर सम्बन्धित प्राधिकरण या समिति मामले को प्रथम दृष्ट्या पाने पर दूसरे पक्ष अथवा पक्षकारों को सूचना एवं सुनवायी का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद ही मामले को संबंधित लोक अदालत को संदर्भित किया जायेगा।

3. लोक अदालत की प्रक्रिया

1. लोक अदालत द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 23 में विहित प्राविधानों के अनुसार उभय पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत संधिपत्र को सत्यापित किया जायेगा।
2. यदि लोक अदालतों के माध्यम से ऐसे विवाद का निस्तारण अन्तिम रूप से सुलह समझौते के आधार पर कर दिया जाता है तो समझौते के अनुसार अधिनिर्णय पारित किया जायेगा और यदि सुलह समझौते के आधार पर विवाद का निस्तारण परिसीमा अधिनियम की समय सीमा में सम्भव होना प्रतीत नहीं होता है तो वादी पक्षकार को मामले में किसी भी समय भारतीय परिसीमा अधिनियम के प्राविधानानुसार, उचित विधिक कार्यवाही करने को प्राधिकार होगा।

4. अभिलेखों का रखा जाना

लोक अदालत की कार्यवाही के उपरान्त, विवाद से संबंधित अभिलेख विधिक सेवा प्राधिकरण/समिति के सचिव को वापिस भेज दिये जायेंगे जिसे यथास्थित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा तहसील विधिक सेवा समिति कार्यालय में व्यवस्थित अभिलेखागार पंजिका में दर्ज करके सामान्य नियम (सिविल), 1957 के प्राविधानानुसार सुरक्षित रखा जायेगा।

5. **अभिलेखों का विनिष्ट किया जाना**

प्रिलिटीगेशन प्रकरण से संबंधित अभिलेखों में मूल वाद पत्र, प्रत्युत्तर पत्र तथा मूल निर्णय/अधिनिर्णय को छोड़कर अन्य अभिलेखों को लोक अदालत की कार्यवाही के उपरान्त सामान्य नियम (सिविल), 1957 के प्राविधानों में निहित समयावधि के उपरान्त विनिष्ट कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त कोई भी पक्षकार प्रस्तुत/दाखिल मूल अभिलेखों को किसी भी समय नियमानुसार प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर वापस ले सकता है।

6. **लोक अदालत के निर्णय के निष्पादन की कार्यवाही**

प्रिलिटीगेशन मामलों में लोक अदालत द्वारा दिये गये अभिनिर्णय के निष्पादन की कार्यवाही उसी न्यायालय में की जायेगी जिस न्यायालय को ऐसे मामलों के सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त हो।

लोक अदालत स्कीम को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पहले ही अनुमोदित किया जा चुका है और उसी क्रम में उपरोक्त बिन्दुओं के प्रकाश में समस्त जिला प्राधिकरणों को यह निर्देश दिये जा सकते हैं कि वे ऐसे विवादों को भी लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित कराये जो किसी न्यायालय में लम्बित नहीं है।

उपरोक्तानुसार यह स्कीम राज्य प्राधिकरण के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

0522-2286395
Phone : 0522-2286265
0522-2286260
Fax : 0522-2286260

न्यायमूर्ति नसीमुद्दीन (से.नि.)
कार्यपालक अध्यक्ष

JUSTICE NASEEMUDDIN (Retd.)
Executive Chairman

उत्तर प्रदेश सरकार
GOVT. OF UTTAR PRADESH
उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
U.P.STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY
तृतीय तल, जवाहर भवन एनेक्सी
3rd Floor, Jawahar Bhawan Annexe,
लखनऊ – २२६००१
LUCKNOW - 226001

To,

All Distt. Judges/Chairmen,
Distt. Legal Services Authority,
Distt. Court Premises,
Uttar Pradesh.

No. 130/S.L.S.A. 48/2002 Dated: January 18,2005

Sub. Disposal of cases through alternative dispute resolution mechanism.

Dear Sir,

National Legal Services Authority vide its D.O. No. 6/12/2004-NALSA/ dated December 8,2004 (Copy enclosed) has emphasized the need to encourage the system of alternative dispute resolution mechanism for disposal of cases pending in Courts.

It is a harsh fact that the pendency in the Courts is very heavy and the only solution for reducing the pendency is the adoption of alternative dispute resolution mechanism, such as (a) inter party mediation (b) Court referred mediation and (c) Court annexed mediation. In this regard amended section 89 has been introduced in Civil Procedure Code. According to this provision, where it appears to the Court that there exist elements of settlement which may be acceptable to the parties, it is obligatory for the court to refer the dispute for settlement either by way of arbitration/conciliation/ mediation or through Lok Adalats. If the provisions of section 89 are resorted to in their letter and spirit, the heavy pendency in the courts may be reduced considerably. You may, therefore, very kindly impress upon the Jidicial Officers working under you to take advantage of and to follow the provisions of section 89 CPC so that the object of amending this section may be achieved. In how many cases the provisions of section 89 CPC were invoked, the figures up to 31.05.05 may kindly be sent to this Authority in the first week of June 2005.

Yours sincerely,

(Naseemuddin)
Executive Chairman

0522-2286395
Phone : 0522-2286265
0522-2286260
Fax : 0522-2286260

उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
तृतीय तल, जवाहर भवन एनेक्सी
लखनऊ – २२६००१
U.P.STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY
3rd Floor, Jawahar Bhawan Annexe,
LUCKNOW - 226001

वृत्तांक पत्र सं0 05/एस0एल0एस0ए0 9/88 दिनांक : अप्रैल, 27, 2005

विषय : मोटर दुर्घटनाओं से संबंधित वाहनों को मुक्त किये जाने से पूर्व मोटर वाहन से संबंधित समस्त अभिलेखों की प्रतियों का रखा जाना।

महोदय,

इस कार्यालय द्वारा समय समय पर निर्देश जारी किये जाते रहे हैं कि माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र संख्या– 24/VIId-108 Admn (G) dated Alld. April 30, 1988 (छाया प्रति संलग्न) का अनुपालन करते हुए मोटर दुर्घटना प्रतिकर से संबंधित वाहनों को मुक्त करते समय संबंधित मजिस्ट्रेट ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र और बीमा प्रमाण पत्र की प्रतियाँ प्राप्त करके उसकी एक एक प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय को प्रेषित कर दें।

माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय को विभिन्न जिलों के विधिक सेवा कार्यक्रमों की समीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि इन निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से नहीं हो रहा है।

अतः उक्त के संदर्भ मे मुझे आपसे यह कहने का निदेश प्राप्त हुआ है कि कृपया उक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें एवं कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराने की कृपा करें।

From,

Sri. P.C. Agarwal. H.J.S.
Joint Registrar
High Court of Judisture at
Allahabad

To,

All the District Judges, in
Uttar Pradesh,

C.L.N. 24/VIId-108 Adm.n(G). Dated: Alld, April 30, 88

Subject: Release of Motor Vahicles in Claim Metters.

Sir,

I am direected to say that it has been brought to the notice of the Court that while deciding cases relsting to Motor Vehicles Act. by the Courts, on the basis of compromise, the Motor Accident claims cases coming up before Lok Adalats, could not be disposed of in sufficient number due to the reason that the name of Insurance Company, which insured the vehicle and the policy number etc. of the vehicle involved in the accident, were not known, Section 22 and 94 of the Motor Vehicle Act. 1939 make specific provision for a driving Licence, Registestion of Vehicle and Insurance respectively.

I am, therefore, to request you to ensure that in Motor Accident claim casses, the courts, as far as possible, make photostat copies of driving Licence, registration certificate and the Insurance certificate before releasing the vehicle involved in the accident and place them on the recored of thc case,

Yours faithfully.

Joint Registrar

परिपत्र सं0 : 10/एसएलएसए–192/96 दिनांक : जुलाई 05, 2005

विषय : लोक अदालत, स्थाई लोक अदालत, साक्षरता शिविर एवं मासिक प्रगति रिपोर्ट के मासिक विवरणों को प्रेषित किया जाना।

महोदय,

राज्य प्राधिकरण के परिपत्र संख्या–9/एसएलएसए–192/96, दिनांक 18.9.04, का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें जिसके द्वारा प्रारुप संख्या–1 से 8 पर लोक अदालतों आदि के आंकड़े भेजे जाने की अपेक्षा की गयी थी।

अब राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की आवश्यकताओं के दृष्टिगत उक्त प्रारुपों के स्थान पर चार नवीन प्रारुप तैयार किये गये हैं जिनकों संलग्न करते हुये अनुरोध है कि कृपया माह जुलाई से प्रत्येक माह में आयोजित लोक अदालतों, स्थाई लोक अदालतों, साक्षरता शिविरों एवं मासिक प्रगति आंकड़े संलग्न नवीन प्रारुपों में ही फैक्स/स्पीड पोस्ट से इस कार्यालय को इस प्रकार भेजे जाने हेतु संबंधित लिपिक को निर्देशित कर दें कि वह राज्य प्राधिकरण में अगले माह की दूसरी तिथि तक आवश्यक रुप से प्राप्त हो जाये। उक्त चारों प्रारुपों को भरे जाने की विधि इस पत्र के पृष्ठ भाग पर अंकित है।

उक्त नवीन चारों प्रारुपों में सूचनायें भेजे जाने पर पूर्व निर्धारित प्रारुप 1 से 8 पर सूचनायें भेजे जाने की आवश्यकता नहीं होगी/रहेगी।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करवाते हुए कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

प्रारुपों को भरे जाने की विधि

प्रारुप–1 को भरे जाने की विधि :–

1. प्रारुप–1 पर सबसे ऊपर जिला प्राधिकरण का नाम तथा उस माह का नाम जिस माह का विवरण प्रेषित किया जा रहा है अंकित किया जाय।
2. कालम–3 में रविवार को आयोजित होने वाली परम्परागत लोक अदालतों की संख्या अंकित करने के उपरान्त सन्दर्भित एवं निस्तारित वादों की संख्या उनकी प्रकृति के अनुसार अंकित की जाय तथा अन्त में उनका योग दिखाया जाय।
3. कालम–4 में शनिवार को भोजनावकाश के पश्चात, आयोजित होने वाली लोक अदालतों की संख्या अंकित करने के उपरान्त सन्दर्भित एवं निस्तारित वादों की संख्या उनकी प्रकृति के अनुसार अंकित की जाय तथा अन्त में उनका योग दिखाया जाय।
4. कालम–5 में कारागार में विशेष अभियान के तहत आयोजित होने वाली लोक अदालतों की संख्या अंकित करने के उपरान्त सन्दर्भित एवं निस्तारित वादों की संख्या उनकी प्रकृति के अनुसार अंकित की जाय तथा अन्त में उनका योग दिखाया जाय।
5. कालम–6 में तहसील द्वारा आयोजित की गयी लोक अदालतों की संख्या अंकित करने के उपरान्त सन्दर्भित एवं निस्तारित वादों की संख्या उनकी प्रकृति के अनुसार अंकित की जाय तथा अन्त में उनका योग दिखाया जाय।
6. कालम–7 में रविवार को आयोजित परम्परागत लोक अदालत, शनिवार को भोजनावकाश के पश्चात् आयोजित लोक अदालत, कारागार में विशेष अभियान के तहत आयोजित लोक अदालत तथा तहसील में आयोजित लोक अदालतों का सम्पूर्ण योग अंकित करने के उपरान्त सन्दर्भित एवं निस्तारित वादों का सम्पूर्ण योग उनकी प्रकृति के अनुसार अंकित किया जाय।
7. कालम–8 में अधिनियम की धारा–19 के अधीन गठित स्थाई लोक अदालतों द्वारा माह में की गयी कुल बैठकों की संख्या अंकित करने के उपरान्त सन्दर्भित एवं निस्तारित वादों की संख्या उनकी प्रकृति के अनुसार अंकित की जाय तथा अन्त में उनका योग दिखाया जाय।
8. कालम–9 में प्रिलिटिगेशन स्तर पर आयोजित की गयी लोक अदालतों की संख्या अंकित करने के उपरान्त सन्दर्भित एवं निस्तारित विवादों की संख्या उनकी प्रकृति के अनुसार अंकित की जाय तथा अन्त में उनका योग दिखाया जाय।
9. लोक अदालत से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या लोक अदालत की प्रकृति के अनुसार उनके सम्मुख उनकी जाति/वर्ग के अनुसार अंकित करते हुये अन्त में उनका सम्पूर्ण योग दिखाया जाय।

प्रारुप – 2 को भरे जाने की विधि –

1. प्रारुप–2 को उसी प्रकार भरा जाना है जैसे कि पूर्व में प्रारुप–3 को भरा जाता था।

प्रारुप – 3 को भरे जाने की विधि –

1. प्रारुप–2 पर सर्वप्रथम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित साक्षरता शिविरों का विवरण दिये गये कालमों में भरकर उनका योग प्रदर्शित किया जाय तत्पश्चात् तहसील द्वारा आयोजित साक्षरता शिविरो को अंकित करते हुये उनका योग अंकित करने के पश्चात् अन्त में जिला एवं तहसीलों द्वारा आयोजित साक्षरता शिविरों का सम्पूर्ण योग अंकित किया जाय।

प्रारुप–4 को भरे जाने की विधि –

1. प्रारुप–4 को उसी प्रकार भरा जाना है जैसे कि पूर्व मे प्रारुप–8 को भरा जाता था।

प्रारुप–१ (संशोधित)

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित परमपरागत, शनिवारीय, कारागार में विशेष अभियान के तहत आयोजित, तहसील में आयोजित, स्थाई तथा प्रिलिटिगेशन स्तर पर आयोजित लोक अदालतों का विवरण

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण .....

विवरण माह .....

क्रम सं.	वादों की प्रकृति	परम्परागत (रविवारीय) लोक अदालतों का विवरण		शनिवार को आयोजित लोक अदालातें का विवरण		कारागार में विशेष अभियान के तहत आयोजित लोक अदालतों का विवरण		सभी तहसीलों में आयोजित लोक अदालतों का संकलित विवरण		परम्परागत, शनिवारीय कारागार तथा तहसील की लोक अदालतों का योग		धारा 19 के अधीन गठित स्थाई लोक अदालतों का विवरण		जिला स्तर की प्रिलिटिगेशन के निस्तारित विवादों का विवरण	
1	2	3		4		5		6		7 (3+4+5+6)		8		9	
आयोजित लोक अदालतों की संख्या →															
		संदर्भित वादों की संख्या	निस्तारित वादों की संख्या	संदर्भित वादों की संख्या	निस्तारित वादों की संख्या	संदर्भित वादों की संख्या	निस्तारित वादों की संख्या	संदर्भित वादों की संख्या	निस्तारित वादों की संख्या	संदर्भित वादों की संख्या	निस्तारित वादों की संख्या	संदर्भित वादों की संख्या	निस्तारित वादों की संख्या	संदर्भित वादों की संख्या	निस्तारित वादों की संख्या
1.	व्यवहार वाद														
2.	मोटर दुर्घटना प्रतिकर के वाद														
3.	भरण पोषण के वाद														
4.	अन्य वैवाहिक वाद														
5.	उत्तराधिकार के वाद														
6.	फौजदारी के वाद														
7.	राजस्व के वाद														
8.	चकबन्दी के वाद														
9.	उपभोक्ता फोरम के वाद														
10.	श्रम के वाद														
11.	बैंक लोन के वाद														
12.	सकल अध्यादेश के वाद														
13.	भूमि अर्जन के वाद														
14.	अन्य प्रकृति के वाद														
कुल निस्तारित वादों का योग															
मोटर दुर्घटना वादों में दिलायी गयी प्रतिकर की धनराशि															
अन्य प्रकृति के वादों में वसूली गयी प्रतिकर की धनराशि															
लघु आपराधिक वादों में वसूला गया अर्थदण्ड															

माह ..... में आयोजित लोक अदालतों के माध्यम से लाभान्वित व्यक्तियों का विवरण

	अनु० जाति	अनु०जनजाति	पिछड़ी जाति	महिलायें	बच्चे	अल्प संख्यक	सामान्य	वरिष्ठ पुरुष	वरिष्ठ महिलायें	अन्य	योग
परम्परागत लोक अदालत के माध्यम से											
शनिवारीय लोक अदालता के माध्यम से											
कारागार में विशेष अभियान के माध्यम से											
तहसील की लोक अदालत के माध्यम से											
स्थाई लोक अदालत के माध्यम से											
प्रिलिटिगेशन के माध्यम से											
कुल लाभार्थियों का योग											

सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

प्ररुप–२

तहसील विधिक सेवा समिति ..... द्वारा आयोजित लोक अदालत में निस्तारित वादों का विवरण

(इस प्रारुप पर केवल तहसील द्वारा लगाई गई लोक अदालतों का विवरण अंकित किया जाय)

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ..... माह .....

क्रम सं०	तहसील का नाम	तिथिवार आयोजित लोक अदालत	संदर्भित वादों की संख्या				निस्तारित वादों की संख्या				अर्थदण्ड या अन्य वसूली	टिप्पणी	लाभान्वित का विवरण									
			आप राधिक	राज स्व	चक बन्दी	प्रिलिटि गेशन विवाद	आप राधिक	राज स्व	चक बन्दी	प्रिलिटि गेशन विवाद			अनु० जाति	अनु० जन जाति	पिछड़ी जाति	महि लायें	बच्चे	अल्प संख्यक	सामान्य	वरिष्ठ पुरुष	नागरिक महिलायें	योग
1	(तहसील का नाम)																					
2	(तहसील का नाम)																					
3	(तहसील का नाम)																					
4	(तहसील का नाम)																					
5	(तहसील का नाम)																					
6	(तहसील का नाम)																					
7	(तहसील का नाम)																					
कुल योग																						

नोट :– कालम–२ में अपने जिले की सभी तहसीलों के नाम क्रमानुसार अंकित कर उनके द्वारा आयोजित लोक अदालतों के विवरणों (वादों की अलग अलग प्रकृति अंकित करते हुये) तिथिवार उनके सम्मुख अंकित करे।

सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

प्रारुप – ३

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण.....

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील विधिक सेवा समिति ..... द्वारा आयोजित साक्षरता शिविर का विवरण पत्र

क्रम सं.	साक्षरता शिविरों के आयोजन का दिनांक	आयोजित साक्षरता शिविरों की संख्या	साक्षरता शिविर के आयोजन के स्थान का नाम (मुख्यालय/तहसील का नाम)	जिला प्राधिकरण द्वारा छपवाये गये पम्पलेटों की संख्या जिन्हें वितरित किया गया	साक्षरता शिविर की प्रकृति सामान्य/वरिष्ठ नागरिकों हेतु/महिलाओं हेतु	साक्षरता शिविर से लाभान्वित व्यक्तियों का श्रेणीवार विवरण									
						अनु. जाति	जनजाति	पिछड़ी जाति	महिलायें	बच्चे	अल्पसंख्यक	सामान्य	वरिष्ठ पुरुष	वरिष्ठ महिलायें	योग
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित साक्षरता शिविर का विवरण															
1-															
2-															
3-															
जिला प्राधिकरण द्वारा आयोजित साक्षरता शिविरों का योग															
1-	तहसील समिति द्वारा आयोजित साक्षरता शिविरों का विवरण।														
2-															
3-															
4-															
तहसील समिति द्वारा आयोजित साक्षरता शिविरों का योग जिला एवं तहसील स्तर पर आयोजित साक्षरता शिविरों का कुल योग															

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

प्रारुप–4

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण .....

कानूनी सहायता/परामर्श प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्रों के निस्तारण का विवरण पत्र

1– माह के प्रथम दिवस को लम्बित प्रार्थना पत्रों की संख्या

2– माह में प्राप्त विभिन्न प्रार्थना पत्रों की संख्या

3– कुल प्रार्थना पत्रों की संख्या (कालम 1 व 2 का योग)

4– माह के दौरान उपरोक्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की प्रकृति

(क) नामिका अधिवक्ता की सुविधा प्रदान किये जाने वाले मामलों की संख्या

(ख) ऐसे प्रार्थनापत्रों की संख्या जिनमें अन्य विभागों को पत्र लिखकर निस्तारण किया गया

(ग) ऐसे प्रार्थनापत्रों की संख्या जिनमें केवल विधिक परामर्श दिया गया

(घ) ऐसे प्रार्थनापत्रों की संख्या जिन्हें निरस्त किया गया

(ङ) ऐसे प्रार्थनापत्रों की संख्या जिन पर कोई अन्य कार्यवाही करके निस्तारण किया गया

योग (कालम क ख ग घ ङ)

5– क्रमांक–4 (क) में अंकित मामलों में लाभान्वित व्यक्तियों का विवरण

क्रम सं.	श्रेणी	पुरुष	महिलायें	बच्चे	अन्य	योग
1	अनुसूचित जाति					
2	अनुसूचित जनजाति					
3	पिछड़ी जाति					
4	अल्पसंख्यक					
5	सामान्य वर्ग					
6	वरिष्ठ नागरिक					
	योग					

6– क्रमांक–4 (ख), (ग), (घ) एवं (ङ) में अंकित मामलों में लाभान्वित व्यक्तियों का विवरण

क्रम सं.	श्रेणी	पुरुष	महिलायें	बच्चे	अन्य	योग
1	अनुसूचित जाति					
2	अनुसूचित जनजाति					
3	पिछड़ी जाति					
4	अल्पसंख्यक					
5	सामान्य वर्ग					
6	वरिष्ठ नागरिक					
	योग					

7– माह के अंत मैं लम्बित प्रार्थनापत्रों की संख्या (3–4) 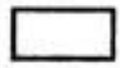

8– माह में विधिक सहायता पर होने वाले व्यय विवरण

(क) कोर्ट फीस की मद में व्यय की गयी धनराशि/व्यय की प्रतिपूर्ति की गयी धनराशि 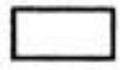

(ख) वाद व्ययकों व्यय की गयी धनराशि/व्यय प्रतिपूर्ति के रुप में दी गयी धनराशि 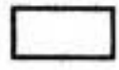

(ग) नामिका अधिवक्ता की फीस पर किया गया व्यय 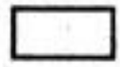

विधिक सहायता पर हुआ व्यय (क + ख + ग)

9– माह में आयोजित की गयी लोक अदालतों/साक्षरता शिविरों के आयोजनों का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	आयोजन का दिनांक	स्थान	निस्तारित वादों की संख्या	व्यय

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
.....

मानसिक रोगियों को विधिक सहायता

0522-2286395
Phone : 0522-2286265
0522-2286260
Fax : 0522-2286260

उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
तृतीय तल, जवाहर भवन एनेक्सी
लखनऊ – २२६००१
U.P.STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY
3rd Floor, Jawahar Bhawan Annexe,
LUCKNOW - 226001

सेवा में,

जिला न्यायाधीश / अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
दीवानी न्यायालय परिसर,
अन्तर्गत उत्तर प्रदेश।

परिपत्र संख्या : 07 / एसएलएसए–एलए–151 / 2002 दिनांक : अगस्त 20, 2002

विषय : मानसिक, चिकित्सालयों / सस्थाओं में भर्ती मानसिक रोगियों तथा उनके संरक्षकों / संबंधियों को वांछित आवश्यक विधिक सेवायें उपलब्ध कराया जाना।

महोदय,

माननीय उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या–334 / 2001 एवं रिट याचिका संख्या–562 / 2001, सार्थक पंजीकृत संस्था व अन्य तथा भारत संघ व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.4.2002 की प्रति संलग्न करते हुए मुझे आपसे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त संदर्भित रिट याचिका में परित आदेश दिनांक 12.4.2002 में दिये गये निर्देशानुसार प्रदेश के मानसिक चिकित्सालयों / संस्थाओं में भर्ती मानसिक रोगियों तथा उनके संरक्षकों / संबंधियों को उनके अधिकारों की रक्षा हेतु वांछित आवश्यक विधिक सेवायें उपलब्ध करायी जाय। इस सम्बंध में उत्तर प्रदेश शासन के न्याय विभाग के पत्र संख्या–ए0ओ0–44 / सात–न्याय 7, 2002 –28 / 2002 दिनांक 27 जुलाई, 2002 जिसकी प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है, द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिनांक 29.2.2002 को माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष उक्त संदर्भित रिट याचिका में शपथ–पत्र दाखिल किया गया है उसमें शासन द्वारा माननीय न्यायालय को यह आश्वासन दिया गया है कि प्रदेश के मानसिक चिकित्सालयों में भर्ती मानसिक रोगियो तथा उनके संबंधियों को उनके अधिकारों की रक्षा हेतु राज्य / जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से वांछित आवश्यक विधिक सेवायें उपलब्ध करायी जायेगी। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा भी उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा

प्राधिकरण को प्रेषित पत्र संख्या–10569/VIId-108(loose) दिनांक अगस्त 2, 2002, जिसकी प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है, द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त संदर्भित रिट याचिका में पारित आदेश दिनांक 12–4–2002 का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित उक्त संदर्भित रिट याचिका में परित आदेश दिनाक 12.4.2002 का अक्षरशः कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए मानसिक चिकित्सालायों/संस्थाओं में भर्ती मानसिक रोगियों एवं उनके संरक्षकों/संबंधियों को उनके अधिकारों की रक्षा हेतु वांछित सभी विधिक सेवाएं/सहायता उपलब्ध कराये तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार विधिक सेवा प्राधिकरण के दो सदस्यों तथा एक न्यायिक अधिकारी की टीम बना लें जो मानसिक चिकित्सा संस्थाओं में मानसिक रोगियों के भर्ती कराये जाने पर उनको एवं उनके संरक्षकों को उनकी जानने की भाषा में Mental Health Act, 1987 के अन्तर्गत उनके विधिक अधिकारों को और इन अधिकारों का हनन होने पर उनके उपचार की प्रक्रिया के बारे में अवगत कराए तथा तद्नुसार उनके अधिकरों की रक्षा हेतु वांछित आवश्यक विधिक सेवाएं उपलब्ध करायी जाए। उपरोक्तानुसार विधिक सेवायें उपलब्ध कराने का व्यय बजट में आवंटित मद–42 अन्य व्यय के अन्तर्गत उपमद – "माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गयी अपेक्षाओं को पूरा करने पर व्यय" से वहन किया जायेगा।

सादर

भवदीय,

संलग्नक यथोवत

(वी0के0दीक्षित)
सचिव

IN THE SUPREME COURT OF INDIA
ORIGINAL JURISDICTION

WIT PETITION (CIVIL) NO. 334 OF 2001
:IN RE: DEATH OF 25 CHAINED INMATES
IN ASYLUM FIRE IN TAMIL NADU"
WITH
WRIT PETITION (CIVIL) NO. 562 OF 2001
SAARTHAK REGISTERED SOCIETY & ANR. Petitioner (s)
VERSUS
UNION OF INDIA & ORS Respondent (s)

LEGAL AID

Under Section 43 of the Mental Health Act (MHA), a patient is required to apply to the Magistrate in order to be discharged. The procedure prescribed under the Section, on occasions causes difficulties to the patients inasmuch as many patients may not be in a Position to make the requisite applications before a Magistrate, nor would they be aware of their rights, and the procedure to seek discharge.

Hence it is directed that two members of the Legal Aid Board of each State be appointed to make monthly visit to such Institutions, so as to assist the patients and their relatives in applying for discharge from the institutions if they have fully recovered, and do not require institutional assistance any longer or to find out whether as a matter of fact they requirs any such treatment as indoor patients.

1- INFORMING PATIENTS OF THEIR RIGHTS

Patients and their guardians shall be explained their rights by a team of 2 members of the Legal Aid and a Judicial Officer, under the Mental Health Act, in a language known to them, at the time of the admission to any institute. They should also be informed whom to approach in case their rights are being infringed.

2- INSPECTION BY THE BOARD OF VISITORS

Section 37 provides for inspection of psychiatric hospital and psychiatric nursing home. In view of the said Section a Board of Visitors must be formed by the State Mental Health Authority in every state within a time bound period, and a compliance report be filed to this Court. The Board of Visitors shall be required to visit every State or Private institution for the time being at least once every month. The membership of the Board of Visitors is contained in Section 37 of the Mental Health Act, 1987, which includes :-

a) Not less than 5 members
b) At least one Psychiatrist
c) Two Social Workers preferably with knowiedge of the issues in the hospital and may be from the NGO Sector.
d) Head of Medical Services or their nominess (preferably a Psychiatrist) as ex-officeo member of Board of Visitors in the State.

The Board of Visitors should also include :-

1- The Additional District Judge, and/or Cheif Judicaial Magistrate, and/ or the President of the Bar Association of the Area.
2- State Disability Commissioner or his/her nominee.

A monthly record of visits of the Board of Visitors and a quarterly report should be filed with the State Mental Health Authority.

Further it has been suggested by the learned counsel for the parties that appropriate norms be prescribed for maintenance of Mental Hospitals and institutions for which various suggestions are made by the learned counsel for the parties but are not discussed at present as it is for the concerned authorities to first frame such norms.

8. A Scheme may be envisaged for re-habilitation process for those who are not having any backing or lack of support in the community. The Scheme may be on the basis of Quarter-way homes (Supported Shared Home like Accommodation) for all patients ready to be discharged, but are not being discharged due to family not taking them back, or lack of support in the community, should be placed in a home like accommodation created on the hospital campus itself. This accommodation could be an existing ward converted to have a home like environment, with patients being taught housekeeping skills, cooking, shopping and also encouraged to take up responsibilities in the hospital for which they should be paid for and then gradually encouraged to go to the community for work.

0522-2286395
Phone : 0522-2286265
0522-2286260
Fax : 0522-2286260

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार त्रिवेदी (अ०प्रा०)
कार्यपालक अध्यक्ष

JUSTICE Dinesh Kumar Trivedi (Retd.)
Executive Chairman

उत्तर प्रदेश सरकार
GOVT. OF UTTAR PRADESH
उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
U.P.STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY
तृतीय तल, जवाहर भवन एनेक्सी
3rd Floor, Jawahar Bhawan Annexe,
लखनऊ – २२६००१
LUCKNOW - 226001

सेवा में,

समस्त अध्यक्ष / जिला जज
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
दीवानी न्यायालय परिसर,
अन्तर्गत उत्तर प्रदेश ।

परिपत्र सं : 1438 / एसएलएसए–एलए–151 / 2002 दिनांक : अगस्त 25, 03

महोदय,

कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या 07 / एसएलएसए–एलए–151 / 2002 दिनांकित 20.8.02 का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा आपसे यह अपेक्षा की गयी थी कि मानसिक चिकित्सालयों / संस्थाओ में भर्ती मानसिक रोगियों तथा उनके संबंधियों को उनके अधिकारों की रक्षा हेतु राज्य / जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से वांछित आवश्यक विधिक सेवायें माननीय उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या 334 / 01 एवं रिट याचिका संख्या 562 / 2001 में पारित आदेशों के अनुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें। पत्र के द्वारा आपसे यह भी अपेक्षा की गयी थी कि आप इस कार्य के लिये विधिक सेवा प्राधिकरण के दो सदस्यों तथा एक न्यायिक अधिकारी की टीम बना लें जो मानसिक चिकित्सा संस्थाओं में मानसिक रोगियों के भर्ती कराये जाने पर उनको एवं उनके संरक्षकों को उनके विधिक अधिकारों का और इन अधिकारों के हनन होने पर उनके उपचार की प्रक्रिया के बारे में अवगत करायें तथा उनके अधिकारों की रक्षा हेतु वांछित आवश्यक विधिक सेवायें उपलब्ध करायें। बड़े खेद का विषय है कि इस पत्र के क्रियान्वयन के संबंध में अभी तक कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुयी हैं। आपको माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की छायाप्रति भेजी जा चुकी है। अतः आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप तुरन्त माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करते हुये कमेटी का गठन करें तथा अपने जनपद के मानसिक चिकित्सालयों के संबंध में अपनी रिपोर्ट बना कर इस कार्यालय को भी भेजे साथ ही साथ कमेटी के सदस्यों के

नाम, पते आदि भी इस कार्यालय को उपलब्ध करायें ताकि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का सुचारु रुप से पालन हो सके।

प्रीलिटीगेशन के अन्तर्गत आप अपने शहर के सभी बैंक अधिकारियो को बुलाकर एक बैठक कर सकते हैं और उनसे यह प्रार्थना कर सकते है। कि जब भी बैंक अपने लोन रिकवरी कैम्पस लगायें तो आपके विभाग को भी सूचित कर दें और वहां पर लोक अदालत द्वारा बैक और वादकारियों के बीच हुये समझौते पर लोक अदालत की भी मोहर लगा दें। बैंको का भी इसमें फायदा होगा क्योंकि आपको विदित ही है कि लोक अदालत द्वारा तय होने पर वह समझौता एक डिक्री का रुप ले लेता है और उसकी अपील भी नहीं होती है।

इसी प्रकार मजिस्ट्रेट न्यायालय में रिमाण्ड स्तर पर अधिवक्ता उपलब्ध कराने की एक स्कीम भेजी जा रही है। जिसकी फोटोकापी कराकर आप सभी मजिस्ट्रेटों को इस निर्देश के साथ उपलब्ध करा दें कि वह जब कभी किसी पैनल से किसी अधिवक्ता को नामित करेंगे तो वह अधिवक्ता स्कीम के अनुसार अपना रजिस्टर बनाकर कार्य करेंगे।

उक्त के संबंध में आप से एक बार पुनः यह अपेक्षा की जाती है कि पिछले वर्ष की भांति इस बार भी दृढ़ता से, सेवाभाव से एवं लगन के साथ लोक अदालत लगाकर ज्यादा से ज्यादा मुकदमें निर्णीत कराने का प्रयास करेंगे।

भवदीय,

(दिनेश कुमार त्रिवेदी)
कार्यपालक अध्यक्ष

0522-2286395
Phone : 0522-2286265
0522-2286260
Fax : 0522-2286260

उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
तृतीय तल, जवाहर भवन एनेक्सी
लखनऊ – २२६००१
U.P.STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY
3rd Floor, Jawahar Bhawan Annexe,
LUCKNOW - 226001

अश्वनी कुमार, एच.जे.एस.,
सचिव–२

सेवा में,

समस्त जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
दीवानी न्यायालय परिसर,
अन्तर्गत उ0प्र0।

परिपत्र संख्या : 05 / एसएलएसए–एलए–151 / 2002 दिनांक : अप्रैल 13, 2004

विषय : मानसिक चिकित्सालयों / संस्थाओं में भर्ती मानसिक रोगियों तथा उनके संरक्षकों / सम्बन्धियों को आवश्यक विधिक सेवायें उपलब्ध कराने वाले विजिटर्स को मानदेय।

महोदय,

कृपया इस कार्यालय के परिपत्र संख्या 07 / एसएलएसए–एलए–151 / 2002 दिनांक 20.8.02 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा यह अनुरोध किया गया था कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 334 / 2001 एवं रिट याचिका संख्या 562 / 2001 सार्थक पंजीकृत संस्था व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य में परित आदेश दिनांक 12.4.01 का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु मानसिक चिकित्सालयों / संस्थाओं में भर्ती मानसिक रोगियों एवं उनके संरक्षकों / सम्बन्धियों को उनके अधिकारों की रक्षा हेतु वांछित सभी विधिक सेवाएं / सहायता उपलब्ध करायें तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार यदि आपके जिले में कोई मानसिक चिकित्सालय आदि है तो विधिक सेवा प्राधिकरण के दो सदस्यों तथा एक न्यायिक अधिकारी की टीम बना लें जो मानसिक चिकित्सा संस्थाओं में मानसिक रोगियों के भर्ती कराये जाने पर उनको एवं उनके संरक्षकों को उनकी जानने की भाषा में Mental Health Act, 1987 के अन्तर्गत उनके विधिक अधिकारों को और इन अधिकारों के हनन होने पर उनके उपचार की प्रक्रिया के बारे में अवगत कराए तथा तदनुसार उनके अधिकारों की रक्षा हेतु वांछित आवश्यक विधिक सेवाएं उपलब्ध करायी जाए। उपरोक्तानुसार विधिक सेवायें उपलब्ध कराने का व्यय बजट में आवंटित मद–42 अन्य व्यय के अन्तर्गत उपमद – "माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गयी अपेक्षाओं को पूरा करने पर व्यय" से वहन किया जायेगा।

इसी क्रम में अवगत कराना है कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की 21वीं बैठक दिनांक 26.3.04 को उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ, लखनऊ में मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री तरुण चटर्जी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। उक्त बैठक में मद संख्या 3 पर यह निर्णय लिया गया है कि मानसिक चिकित्सालयों / संस्थाओं में विधिक सहायता प्रदान करने हेतु जाने वाले विजिटर्स को रु0 200 / – प्रति विजिट की दर से मानदेय प्रदान किया जाय। यह आदेश दिनांक 01.04.2004 से प्रभावी माना जायेगा।

कृपया उक्त की स्वीकारोक्ति प्राप्त करते हुये आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(अश्वनी कुमार)
सचिव–2

स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा साक्षरता शिविरों का आयोजन

अर्ध0श0प्र0सं0 / 40पी.ए. / एस.एल.एस.ए.–127 / 98 दिनांक : 29 अगस्त 1998

प्रिय महोदय,

कृपया स्वयंसेवी संस्थाओं / सोशल एक्शन ग्रुप के नाम व पते उपलब्ध कराने के संबंध में मेरे अर्धशासकीय पत्र संख्या–29 / पी.ए. / एसएलएसए–127 / 98 दिनांक 27.7.98 का अवलोकन करें इस संबंध में यह अवगत कराना है कि सदस्य सचिव राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अपने पत्र संख्या – 2 (1) / 98–नालसा / 1734 दिनांक 17.7.98 द्वारा ऐसी संस्थाओं के एक्रीडिटेशन (Accreditation) हेतु फार्म तथा संस्थाओं को ग्रान्ट इन ऐड उपलब्ध कराने हेतु फार्म संलग्न किया गया है जिसकी प्रतिलिपियां संलग्न की जा रही है।

आपसे पुनः अनुरोध है कि कृपया ऐसी गैर सरकारी संस्थाओं / सोशल एक्शन ग्रुप के नाम व पते अतिशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा करें जो वास्तव में विधिक साक्षरता, विधिक जागरुकता एवं विधिक सहायता के क्षेत्र में कार्य करने के लिए सक्षम हो। चूँकि प्रत्येक जिले में फिलहाल केवल एक ही ऐसी संस्था का चयन किया जाना है इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप कृपया उपर्युक्त के आधार पर कम से कम 2–3 ऐसी संस्थाओं के नाम व पतों की सूची के साथ, उन संस्थाओं द्वारा किये गये कुछ विशिष्ट कार्यों का विवरण भी उपलबध करायें ताकि उनमें से एक संस्था का चयन करके उन्हें उक्त क्षेत्र में कार्य करने के लिए आवश्यक अनुदान भी स्वीकृत कराया जा सके।

आपसे अनुरोध है कि कृपया इस संबंध में विशेष रुचि लेकर वांछित सूचना अतिशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा करें ताकि वस्तुस्थिति से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को भी अवगत कराया जा सके।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

भवदीय
सी. पी. मिश्रा

अध्यक्ष / जिला जज
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश

From,

R.C. Chopra,
Member- Secretary,
National Legal Services Authority,
12/11. Jamnagar House,
New Delhi- 110011.

To

Shri C.P. Mishra,
Member-Secretary,
State Legal Services Authority,
3rd Floor, Jawahar Bhavan Annexe,
Lucknow- 226001 (U.P)

F. No. 2(1)/98- NALSA/1734 Dated 17 July, 1998

Subject: Accreditation of Non-Governmental organizations and Social Action Groups working in the field of Legal Awareness, Legal Aid Publicity Programmes and Para Legal Activities etc.

Dear Sir,

His Lordship, Hon' ble Dr. Justice A.S. Anand, Judge Supreme court of India and Executive Chairman, National Legal Services Authority, vide his D.O. Letter dated 23rd June, 1998 addressed to Hon' ble chief Justices/ Patrons- in Chief of State Legal Services Authorities had highlighted the importance of legal literacy, legal awareness and publicity for legal aid facilities in as much as poor, down-trodden and backward sections of the society cannot reap benefits of their legal rights and legal services being provided to them under the Legal Services His Lordship is of the kind view that NGOs and Social Action Groups can be immensely helpful in spreading legal literacy and legal awareness amongst the masses in far-flung areas including tribal and backward areas. His Lordship has/therefore, desired that NALSA should take immediate steps for establishing nation wide network of voluntary agencies for spreading legal literacy/legal awareness. In His Lordship's opinion State Legal services Authorities are in a better position to identify and select genuine NGOs and Social Action Groups, which may be willing and properly equipped to support us in this exercise.

NALSA is very keen to provide financial support to these NGOs and Social Action Groups by way of giving them grants for legal literacy, legal awareness and publicity campaign, but they should have accreditation from State Legal Services Authorities and their programmes should be monitored and supervised by the Legal Aid functionaries. His Lordship Hon'ble Dr. Justice A.S. Anand is of the considered view that only one NGO/Social Action Group should be given accreditation for each district in a State and should be willing to work under direct supervision of the District Legal Servicies Authority. The applications for grants-in-aid from such accreditated NGOs/ Social Action Group can be considered by NALSA, upon recommendations of State Legal Services Authorites. I am sure you must have already initiated steps to identify such NGOs and Social Action Groups for accreditation.

As directed by Hon' ble executive Chairman, NALSA, I am forwarding herewith the specimen to be used for accreditation and for grants to NGOs and Social Action Groups. The same may kindly be placed before Hon' ble patron-in-Chief and Hon' ble Executive Chairman of your State Legal Services Authority for their kind information and directions.

Yours faithfully,

R.C. Chopra
Member-secretary
Encls. As above

APPLICATION FORM GRANT-IN-AID DURING THE FINANCIAL YEAR 19
NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY

1. Name of the organization :
2. Accreditation Number :
3. Registered official

   Address of the Organization

4. Registration Number and the date of Registration under the societies Registration Act (Please attach photo copy of Registration Certificate)
5. The annual budget and Expenditure of the Organization for the last three years (copies of the Audited accounts be enclosed)
6. sources of funding of the Organization and the extent thereof by:-
7. (a) Subscription from members (the annual rate of subscription be indicated) :
   (b) Foreign Agencies (Names and addresses of such Foreign agencies be mentioned) :
   (c) State/ central Govt. (Name of the Deptt. of the State/ Central Govt. be given)
   (d) Any other source of funding.

7. What is the District of operation for the proposed project and Name and address of District Judge ?
8. A brief resume of the work done by the orgainsation in the

Field of Legal aid/Legal Literacy etc. during the last three years. (Please use a separate sheet, if necessary)

9. The description of the Project for which grant -in-aid is sought.

10. The quantum of grant-in-Aid requested from this Authority?

11. Budgetary Estimates of the Project for each major head of expenditure.

12. The extent upto which the organization can mobilize Funds from its own sources :

13. Has the Organization been given grant-in-aid by the Committee for Implementing Legal Aid Schemes, or National Legal Services Authority during any of the previous five financial years? If so, the details thereof may be given as under:-

SI.No.	Financial year	Amount of grant-In-aid. Rs.	For the purpose of	Whether audited accounts have been submitted YES/NO

14. If the Organization has not rendered audited accounts and Utilisation Certificates,etc. for the Grant-in-aid sanctioned to it earlier, the reasons therefor.

15. Whether the Organization

has sumbitted the Performance Report in respect of the grant-in-aid sanctioned to it earlier? If not, the reasons therefor?

16. Any other relevant Information which the Organization may like to furnish

17. Recommendations/observations of the State Legal Services Authority on the project Proposal Submitted by the organization. (to be issued) with the approval of Hon'ble Executive Chairman of State Legal Services Authority.):

18. Name, designation and address of the Legal Aid Functionary/judicial officer who would be required to Monitor the programmes supported by NALSA.

Dated:

(Signature of the authrized Functionary of the Organization)

ACCREDITATION FORM FOR NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS AND SOCIAL ACTION GROUPS WORKING IN THE FIELD OF LEGAL, LITERACY/ LEGAL AWARENESS/LEGAL AID PROGRAMS/ PARA LEGAL ACTIVITIES ETC.

1. Name of the Organization :

2. Registered office Address of the organization :

3. Registration No. and date of Registration under the Societies Registration Act (attach photo copy of Registration Certificate)

4. The organizational set up of the organization

	Name	Profession	Address	Telephone No.
President/ Chairman				
General Secretary/ Secretary				
Other office bearers				

5. Total Strength of Membership :

6. Name and address of the Bankers with account Nos. :
7. Year-wise details of the Grants received from CILAS/ NALSA/other sources (for the last five years) :
8. Details of the audited accounts rendered./ utilization certificates Issued to NALSA/CILAS for the last five years (attach attested photo copies thereof)
9. Name of the State/District which is covered by the activities of the organization
10. Details of the Legal Literacy/Legal Awareness/ Legal Aid Programs undertaken by the organization so for (please use a separate sheet)
11. Whether the Legal Literacy/ Legal Awareness/Legal Aid Program was given any Press coverage ? If so, attach photo copies of the press clippings (if the press coverage) is in vernacular or local language, please attach English translation thereof
12. Photo copies of the Audited accounts of the organization for the last three years
13. Recommendations/ observations of the State Legal

Services Authority about the bonafides, working capacity and potentiality of the Organization with regard to implementation of the various Legal Aid Programmes. (to be issued with the approval of Hon'ble Executive chairman of State Legal Services Authority).

14. Names of the Judicial Officers/legal Aid Functionaries of the district/ Taluk who are to monitor Programmes, if supported by NALSA.

15. Accreditation Number allotted by the State Legal Services Authority

Dated :

(Signature of the authorized Functionary of the Organization)

Note :- State Legal Services Authority to send the Original Accreditation Form to NALSA office after retaining a copy thereof in their office for record and reference purposes.

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठकों में लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय

प्रथम बैठक

1. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 7(2) क और ग में निहित राज्य प्राधिकरण द्वारा अपने अधिकार जिला प्राधिकरणों को प्रत्यायोजित किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया है ताकि जिला प्राधिकरणों द्वारा पात्र व्यक्तियों को विधिक सेवायें उपलब्ध करायी जा सके और निवारक तथा अनुकूलन विधिक सहायता कार्यक्रमों का संचालन भी किया जा सके।

द्वितीय बैठक

1. राज्य विधिक सहायता निधि एवं जिला विधिक सहायता निधि स्थापित कराने के लिये निर्णय लिया गया तथा अनुमोदन किया गया कि जब तक निधि की स्थापना नहीं हो जाती तब तक के लिये स्टेट बैंक आफ इण्डिया में एक चालू खाता खोल लिया जायं राज्य प्राधिकरण के खाते का संचालन सदस्य सचिव द्वारा किया जाय और जिला प्राधिकरण के खाते का संचालन जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष की अनुमति से सचिव द्वारा किया जाय। यह भी निर्णय लिया गया कि जैसे ही राज्य विधिक सहायता निधि और जिला विधिक सहायता निधि की स्थापना हो जाय तुरन्त उक्त खाता बन्द करके उक्त खाते में जमा धनराशि सम्बन्धित निधि में स्थानान्तरित कर दी जाय।
2. लोक अदालतों के संचालन के सम्बन्ध में बनायी गयी स्कीम अनुमोदित की गयी और यह भी निर्णय लिया गया कि यदि इस योजना के कार्यान्वयन में किसी कठिनाई का अनुभव हो तो कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा निर्देश जारी किये जा सकते हैं।
3. लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित वादों मे न्यायालय फीस की वापसी के बारे में निर्देश दिया गया कि शासन से अनुरोध किया जाय कि ऐसे मामलों में न्यायालय फीस की वापसी के सम्बन्ध में अतिशीघ्र अपेक्षित प्रक्रिया निर्धारित कर आवश्यक आदेश जारी करें।
4. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से राज्य प्राधिकरण के सदस्य सचिव को लोक अदालतें आयोजित करने हेतु अधिकृत किया गया।
5. शासकीय विवादों को लोक अदालत के माध्यम से तय कराने के सम्बन्ध में भी निर्णय लिया गया।

तृतीय बैठक

1. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की अनुपस्थिति में दीवानी न्यायालय के कर्मचारियों से क्रमशः रु0 150/– एवं रु0 75/– प्रतिमाह की दर से मानदेय प्रदान करते हुये कार्य लिया जाय।
2. कानूनी सेवा कार्यक्रमों का प्रभावी रुप से इस प्रकार क्रियान्वयन किया जाय कि

समाज के कमजोर वर्गों को कानूनी सेवा कार्यक्रमों का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके।

3. जिला प्राधिकरण के अध्यक्षों से यह अपेक्षा की गयी कि वे आवश्यकतानुसार अपने जिलों में निवास कर रहे बार काउन्सिल के सदस्यों का सहयोग लोक अदालत एवं अन्य विधिक सहायता कार्यक्रमों में प्राप्त कर सकते हैं।

चतुर्थ बैठक दिनांक 4.4.98

1. तहसील विधिक सेवा समितियों को स्थापित किये जाने के सम्बन्ध मे निर्णय लिया गया।

बैठक दिनांक 22.8.98

1. तहसील विधिक सेवा समितियों के बारे में निम्न लिखित निर्णय लिये गये। सम्बन्धित तहसील का तहसीलदार तहसील विधिक सेवा समिति का सचिव होगा।
2. तहसील समिति का कार्यालय तहसील परिसर में ही होगा।
3. तहसीलदार को समिति के सचिव के रुप में कार्य करने के लिये रु0 300/– प्रतिमाह मानदेय दिया जायेगा।
4. जिन तहसीलों में सिविल जज न्यायालय स्थित है वहाँ पर कार्य करने वाला वरिष्ठतम सिविल जज तहसील समिति का अध्यक्ष होगा और जिन तहसीलों में सिविल जज न्यायालय नहीं हैं वहाँ पर जनपद न्यायालय में सिविल जज, जोकि उस तहसील का क्षेत्राधिकार रखते हैं उस तहसील समिति का अध्यक्ष होगा।

आठवीं बैठक

1. अभियुक्तों को रिमाण्ड स्टेज पर विधिक सेवायें उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में निर्णय लेते हुये निर्देश दिया गया कि बिना किसी प्रतिबन्ध के अभियुक्तों को रिमाण्ड स्टेज पर विधिक सेवायें उपलब्ध करायी जाये।
2. प्रत्येक जनपद में स्थायी एवं नियमित लोक अदालतों की स्थापना के सम्बन्ध में निर्णय लेते हुये प्रत्येक जनपद में प्रथम अपर जिला जज/प्रथम अपर सिविल जज, वरिष्ठ खण्ड/प्रथम अपर सिविल जज कनिष्ठ खण्ड स्थायी एवं नियमित लोक अदालतों के पीठासीन अधिकारी के रुप में कार्य करेंगे और इसके अतिरिक्त एक अन्य व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली, 1996 के नियम 17 के अन्तर्गत अर्हतायें रखते हुये लोक अदालत का सदस्य होगा तथा उपरोक्त किसी अधिकारी की अनुपस्थित में न कोई वरिष्ठ अधिकारी जिला जज द्वारा नामित किया जायेगा और मुकदमों के स्थानान्तरण से सम्बन्धित आवश्यक कार्यवाही विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत दिये गये प्राविधानों के अनुसार की जायेगी।
3. निर्णय लिया गया कि जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन के पश्चात ही गैर सरकारी सदस्यों द्वारा लोक अदालत आदि के लिये जो यात्रायें की जाये और उन यात्राओं के लिये उन्हें यात्रा भत्ता प्रदान किया जाय।

ग्यारहवीं बैठक

व्यय के सम्बन्ध में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये।

1. लोक अदालत पर व्यय अधिकतम रु0 5,000/– तथा विशेष परिस्थितियों में कार्यपालक अध्यक्ष को रु0 8,000/– तक व्यय की अनुमति प्रदान करने के लिये अधिकृत किया गया।
2. स्थायी लोक अदालतों पर व्यय– स्थायी लोक अदालतों के पीठासीन अधिकारियों तथा सदस्यों को उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मानदेय की धनराशि केन्द्रीय प्राधिकरण से प्राप्त धनराशि से पूर्ति कराने का अनुमोदन किया गया।
3. विधिक साक्षरता शिविरों पर व्यय – अधिकतम रु0 5,000/– अनुमोदित।
4. मेले एवं प्रदर्शनियों में आयोजित कैम्पों पर व्यय– एक सप्ताह तक चलने वाले कैम्पों के लिये रु0 10,000/– तक और उसके बाद अधिकतम कुल रु0 15,000/– की अनुमति कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा दिया जाना अनुमोदित।

12 वीं बैठक

मजिस्ट्रेट न्यायालय हेतु लीगल ऐड काउंसिल की नियुक्ति के सम्बन्ध में नालसा द्वारा प्रेषित स्कीम के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये।

13 वीं बैठक

1. निर्णय लिया गया कि समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के अध्यक्षों से कहा जाय कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक में जनपद में तैनात ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी को विशेष आमंत्रित सदस्य के रुप में बैठक में भाग लेने के लिये आवश्यक रुप से आमंत्रित किया जाय।
2. विधिक सेवा कार्यक्रमों के व्यापक प्रचार एवं प्रसार हेतु तथा उन कार्यक्रमों की जानकारी जन–जन तक पहुँचाये जाने हेतु सूचना निदेशालय के माध्यम से कार्यवाही की जाय।

15 वीं बैठक

निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालयों में भी विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन किया जाय।

19 वीं बैठक

प्रिलिटीगेशन मुकदमों को लोक अदालत के माध्यम से तय कराने के सम्बन्ध में स्कीम का अनुमोदन किया गया और निर्देश दिया गया कि उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को अनुपालन हेतु भेजा जाय।

21 वीं बैठक

1. निर्णय लिया गया कि मानसिक अस्पतालों में विधिक सेवायें प्रदान करने के लिये

निरीक्षक को रु0 200/– प्रति निरीक्षण मानदेय दिया जाय।

2. जो धन जिला विधिक सेवा प्राधिकरणो के पास हर्जाने के रुप में जमा है अथवा जनपद न्यायालय में जो धन जिला न्यायालय के खाते में मोटर दुर्घटना प्रतिकर वादों के मुआवजे के ऐसे ब्याज के रुप में जमा है जिसे आवेदक द्वारा क्लेम नहीं किया गया है, उस धन से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा सुलह समझौता केन्द्र के लिये कमरा बनवाने हेतु जनपद न्ययाधीश माननीय उच्च न्यायालय को पत्र लिखकर अनुमति प्राप्त कर सकते है।

22 वीं बैठक

1. विधिक सेवाओं के लिये पात्र व्यक्तियों की वार्षिक आय सीमा रु0 25,000/– से रु0 50,000/– बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
2. विधिक सेवायें प्रदान करने वाले नामिका अधिवक्ताओं की फीस बढ़ाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया। (जो कि परिपत्र संख्या 07/एसएलएसए–218/97 दिनांकित 12 मई, 2005 में दर्शित दर व दिनांक से प्रभावी किया गया)।

23 वीं बैठक

1. परिवार परामर्श एवं सुलह समझौता केन्द्रों में कार्यरत सन्धिकर्ताओं को रु0 150/– के स्थान पर रु200/– प्रतिदिन की दर से मार्ग व्यय प्रदान करने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया।
2. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के रुप में कार्यरत न्यायिक अधिकारी को निर्धारित कोटा में 25 प्रतिशत की छूट दिये जाने का निर्णय लिया गया।
3. धारा 89 सी.पी.सी. के अन्तर्गत निस्तांरित मुकदमों में सम्बन्धित वाद के लिये निर्धारित कोटा का 1/4 लाभ न्यायिक अधिकारी को स्टैन्डर्ड कोटा में प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।